खण्ड-418, अंक-6
शुक्रवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1919
(25 अप्रैल, 1997 ई0)

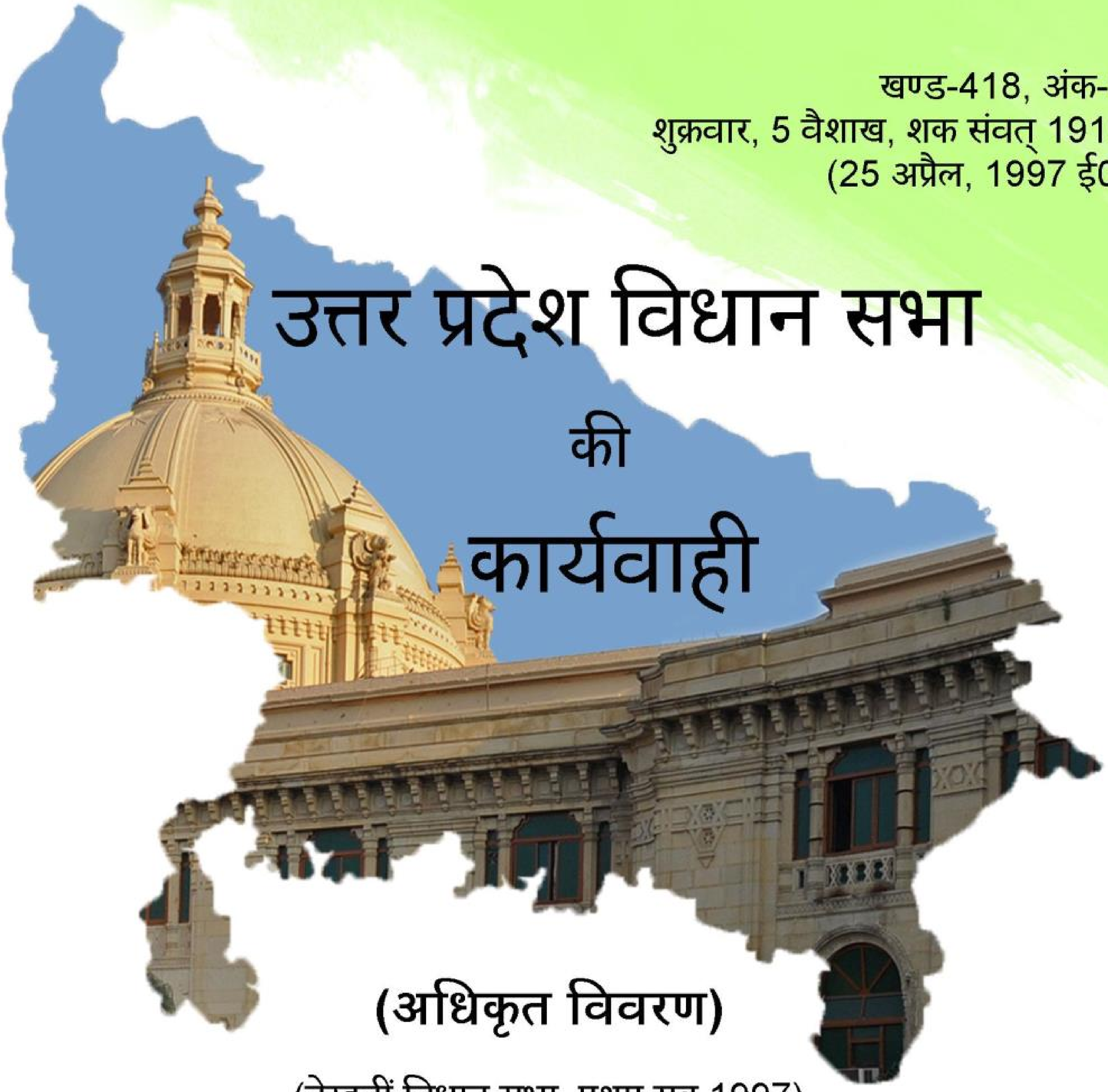

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1997)

खण्ड 418 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्याओं व उत्पीड़न आदि पर रोक लगाने तथा दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को सदन से निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस लिये जाने की मांग (जारी)	1–2
प्रश्नोत्तर	2–5
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्याओं व उत्पीड़न आदि पर रोक लगाने तथा दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को सदन से निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस लिये जाने की मांग (जारी)	5–26
नेता विरोधी दल सहित 27 सदस्यों के निलम्बन को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	26
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	27–28
दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को सदन में हुई घटना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	28
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	29
लखनऊ में राजकीय पालिटेक्निक से पिकनिक स्पाट रोड के पास के निवासियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	29–30
जनपद मिर्जापुर के मझवां विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने तथा लक्ष्य के अनुसार ऊर्जीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	30
जनपद देहरादून के दो वार्डों को नगर पंचायत से पृथक कर ग्राम पंचायतों के रूप में गठित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	30–31
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड देवरिया के कार्यों में व्याप्त धांधली पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	31
आगरा महानगर के ट्रांस यमुना क्षेत्र में कन्या विद्यालय खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	31–32
जनपद गोरखपुर में गीडा की स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
विश्व बैंक द्वारा पोषित शिक्षा परियोजना को जनपद रामपुर में भी लागू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32–33
श्री किशर राम, ग्राम पट्टी कैढेरो, तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा के यहां हुई आगजनी एवं लूटपाट की घटना पर उचित कार्यवाही करने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद उन्नाव के ग्राम महतवानी निवासी प्यारे लाल की हुई हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने तथा आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33–34
नवसृजित जनपद ज्योतिबा राव फुल्ले नगर में बिजनौर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	34
जनपद सीतापुर के थाना सिधौली में श्री जगदीश सिंह पटेल के हत्याकांड के कथित अभियुक्त की रिहाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
जनपद बलिया के विकास खण्ड बिल्थरा रोड के कतिपय मार्गों को डामर कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	35
उ० प्र० के पूर्वी जिलों के मजदूरों को शासनादेश के अनुसार मजदूरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
जनपद मुजफ्फरनगर में हिन्डन नदी पर बने पुल का जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	36
जनपद सीतापुर के ग्राम तड़ईकला में श्री सीता राम दलित की अग्निकांड में हुई क्षति में आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	36
जपनद बुलन्दशहर के दादरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पुस्ता बांध की मरम्मत करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
जनपद वाराणसी में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	37
जनपद पिथौरागढ़ में खाद्यान्न का आवंटन कोटा बढ़ाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	37–38
प्रदेश में वन विभाग द्वारा जारी शासनादेशों को उत्तराखंड में न लागू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड रामपैठवा व गैसड़ी के वास्तु निवासियों के जीवन यापन के लिये पक्का व संवर्धित कार्ययोजना चलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद जौनपुर में पेयजल समस्या, मार्ग निर्माण तथा अतिरिक्त चिकित्सकों की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद सन्तकबीर नगर के थाना खलीलपुर में 14 जनवरी, 1997 को हुए हत्याकाण्ड की विस्तृत जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	40
जनपद मिर्जापुर के छानबे विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40
चीनी मिल मवाईगंज, गोण्डा द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	40–41
श्री मदनलाल सिंह निवासी नगलापाल, थाना भोगांव, मैनपुरी की जांच गुप्तचर शाखा से कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	41

विषय	पृष्ठ-संख्या

जनपद आगरा की तहसील किरावली के किसानों की झूठी आबपासी की वसूली रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 41–42

जनपद जालौन के भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष की मां के हत्यारे को दण्डित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 42

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र कर्वी में पम्प कैनाल योजना का नवीनीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 42

श्री जगदीश चन्द्र अरोड़ा गृह दर्शक स्वास्थ्य केन्द्र किच्छा के सेवा निवृत्त होने के पश्चात् अवशेष परिलब्धियों के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 42–43

लखनऊ नगर में स्थित सहकारी बैंक से भारतीय किसान संघ का जमा धन छीने जाने तथा उसे बरामदगी कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 43

महानगर गोरखपुर में खेती योग्य भूमि पर बनाये गये मकानों को निर्धारित शुल्क लेकर नक्शे पास किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 43–44

विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद पश्चिम में राम गंगा पर बने चट्टा पुल पर गरीब जनता से अनधिकृत कर वसूली बन्द किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 44

संयुक्त निदेशक, षष्टम् मण्डल, लखनऊ द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति में कथित धांधली की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 44–45

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर के पास वाराणसी मार्ग पर निर्मित पुल पर मिट्टी गिर जाने से मरे व्यक्तियों को अर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 45

जनपद वाराणसी में विद्युत आपूर्ति ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 45

श्री गोपाल राम अल्पवेतन भोगी कर्मचारी को आवास परिषद् से भवन आवंटन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 46

जनपद अलीगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में विकास कार्य कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 46

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कतिपय विस्थापितों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 47

जनपद बाराबंकी के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 47

रुड़की विधान सभा क्षेत्र में कटाव रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 47–48

विलार्ड इण्डिया लिमिटेड फैक्ट्री सिकन्दराबाद की तालाबन्दी समाप्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 49

विषय पृष्ठ-संख्या

जनपद वाराणसी में प्रदूषित जल की चेकिंग कराकर प्रदूषण मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 49

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी फतेहपुर में पेयजल समस्या दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 49

शाहजहांपुर के थर्मल पावर स्टेशन बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 50

झांसी जनपद की पुलिस द्वारा लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 50

रेंज अधिकारी, फूलपुर, इलाहाबाद द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 50

आगामी कुम्भ मेला हरिद्वार में समुचित व्यवस्था की तैयारी कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 51

जनपद कानपुर के पास पाण्डु नदी का जल प्रदूषण से मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 51–52

जनपद मथुरा में श्री ज्ञानेन्द्र दुबे के समर्थन में अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं का अनशन समाप्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 52

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बन रही कांटीनेन्टल ग्लास फैक्ट्री को चालू कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 52–53

जनपद फतेहपुर के खागा विधान सभा क्षेत्र के ऊसर से जंगल की सफाई किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 53

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद में चयनित अम्बेडकर ग्राम का विकास समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 53–54

जनपद बलिया में विद्युत उपकेन्द्र बनाकर आपूर्ति नियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 54

वाल्टर गंज के पास कुआनों नदी पर पुल बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 54

जनपद हरदोई की नगर पंचायत बेली गंज को अर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 55

श्री संकठा प्रसाद यादव, थाना गोरखनाथ, गोरखपुर के घर हुई लूट-पाट पर अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 55

उ० प्र० सचिवालय, चिकित्सा अनुभाग–4 में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 56

जनपद मुरादाबाद में राम गंगा व गोसी के कटान से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 56

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में शारीरिक अक्षमता से ग्रसित सेवकों के आश्रितों को मृतक आश्रित की भांति सेवा में लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	56–57
लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर-बी में खुली देशी शराब की दुकान हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद खीरी की तहसील गोला में मड़हा कोठी पर प्रति वर्ष लगने वाले मेले को रोके जाने की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	57–58
जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोप माइनर की पटरी के अधूरे पिच रोड को पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद खीरी के निर्वाचन क्षेत्र गोला में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों की वसूली स्थगित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	58–59
जनपद हमीरपुर के कतिपय न्याय पंचायतों के मामले न्यायालय में लम्बित होने और विकास कार्य अवरुद्ध होने से प्रशासनिक कमेटी गठित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद जौनपुर में कार्यरत उर्दू अध्यापकों एवं अनुवादकों को नियमित वेतन दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद फर्रुखाबाद के संकिसा बौद्ध पर्यटक स्थल पर दूसरे धर्मावलम्बियों द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	60
लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना, सेक्टर-बी के व्यवसायिक केन्द्र पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
कमला नेहरू टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, सुल्तानपुर के डाइरेक्टर व प्रबन्ध कमेटी द्वारा की गयी अनियमितता की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
प्रदेश के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त अनुसचित वर्ग के पदों पर अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद गोण्डा के गन्ना क्रय केन्द्र चन्द्रदीपघाट को पुनः चालू कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61–62
जनपद गोण्डा के रामपुर खरेहटा निवासी श्री भगवती पुत्र श्री श्याम प्रताप के फैसले का अमल दरामद कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	62
जनपद गोरखपुर के कौड़ी राम निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगीकरण हेतु अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा एवं नौकरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद लखनऊ हरदोई मार्ग पर विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62–63

विषय	पृष्ठ-संख्या

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोकुल की पेयजल व्यवस्था ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 63

जनपद बहराइच की शिक्षण संस्थाओं की जांच तथा कालेजों की संख्या बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 63

राजकीय आफिसर्स कालोनी, लालबाग, लखनऊ में लिफ्ट एवं पानी निकासी की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 64

जनपद लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के मध्य स्थित नहर की पटरियों पर सड़क निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 64

लखनऊ की डायमन्ड डेरी कालोनी में पेयजल संकट दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 65

उत्तराखंड राज्य के गठन तक वहां की भूमि क्रय पर प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 65

जनपद लखनऊ के कृष्णानगर थाने के पास मंदिर से भोला खेड़ा जाने वाले मार्ग में नाली बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... 65–66

जनपद भदोही को सूखाग्रस्त जिला घोषित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 66

भारतीय संविधान के तिरसठवें संशोधन के अनुसार जन प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 66–67

जनपद लखनऊ की चौक क्षेत्र की जीर्ण-शीर्ण विद्युत व्यवस्था बदलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना 67

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें 67–70

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर के वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (पटल पर रखा गया) 70

उ० प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 तथा तत्संबंधी शुद्धि-पत्र (पटल पर रखा गया) 70–71

वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (पटल पर रखी गयीं) ... 71

उ० प्र० राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1994 (पटल पर रखी गयी) 72

उ० प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (पटल पर रखा गया) ... 73

कुमाऊं तथा उत्तराखण्ड, जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 (पटल पर रखी गयी) 73

उ० प्र० लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमन) (चौदहवां संशोधन) विनियम, 1997 (पटल पर रखा गया) 73

वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (पटल पर रखी गयीं) ... 74

वित्त (मनोरंजन-कर) अनुभाग की अधिसूचना (पटल पर रखी गयी) ... 74

विषय	पृष्ठ-संख्या

उत्तराखण्ड विकास, उत्तराखण्ड क्षेत्र के जिला पौड़ी के काण्डाव उससे सम्बद्ध क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु पेयजल योजना अप्रैल, 1997 तक पूर्ण कराने की मांग (पटल पर रखी गयी) 74

उ० प्र० राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित) 75–77

उ० प्र० नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 (पारित) ... 77–78

जनपद इटावा के श्री तारा सिंह यादव की हत्या होने तथा जनपद हरदोई के एक विधायक के जेल में बंद होने की सूचना की जानकारी ... 88–90

जिला गोण्डा के ग्राम कंटुआनाला, विकास खण्ड कटरा बाजार के अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि की याचिका (उपस्थित की गयी) 90

प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण अविलम्ब कराये जाने के संबंध में संकल्प (प्रस्तुत) 90

विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी 90–91

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 91–151

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने हेतु सदस्यों के नाम निर्देशन करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... 151–152

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खोले जा रहे पी० एल० ए० पर तत्काल रोक लगाये जाने विषयक चर्चा का स्थगन 152

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 152

प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत करोड़ों रुपयों की धांधली और गबन करने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ... 152–153

प्रदेश में गोवध अधिनियम लागू होने के बावजूद पशुओं की तस्करी होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन ... 153

पर्वतीय जनपदों में राजस्व पुलिस संवर्गी कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ... 154–156

आगरा के विधायकों एवं सांसदों को जिला योजनान्तर्गत कोटेवार धन आवंटित किये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन ... 156

सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव स्वीकृत) ... 156

श्री अध्यक्ष का सभी सदस्यों को धन्यवाद 156

राष्ट्रगान 157

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मंगल सिंह, श्री	मुरादाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर	रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर,	पडरौना
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर	रूप चौधरी, श्री	मेरठ
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	श्रीराम, श्री	जालौन
दीप लाल भारतीय, श्री	पडरौना	संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर,	एटा	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा	सीता राम निषाद, श्री	फैजाबाद
धर्मज्ञ मिश्र, श्री	हरदोई	सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
नरेन्द्र, श्री	आजमगढ़	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर	हरि प्रसाद उर्फ धमड़ी, श्री	सोनभद्र
भीम प्रसाद, श्री	अम्बेडकर नगर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़

नोट--श्री आलमबदी एवं श्री वसीम अहमद ने शपथ नहीं लिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्याओं व उत्पीड़न आदि पर रोक लगाने तथा दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को सदन में निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस लिये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठ जायें, एक-एक करके बात कहें। कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

* श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, आज इस आदरणीय सदन के लिये बड़ी खेदजनक स्थिति है क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल समेत 27 माननीय सदस्य आज इस बैठक में नहीं हैं। श्रीमन्, तीन-तीन माननीय महिला सदस्या सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, जिनकी हालत चिन्ताजनक है और कल उनको स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल ले जाया गया, उनको गम्भीर चोटें आयी हैं, हो सकता था कि उनको ब्रेन हैमरेज हो जाता, तो वह मर जातीं। कई सदस्यों को गम्भीर चोटें आयी हैं उन्होंने डाक्टरी कराया है और दवा करायी है। जो घटना हुई है, वह इस कारण हुई कि श्री तारा चंद जो एल० डी० बी० के चेयरमैन थे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, कई कालेजों के मैनेजर थे, उनकी कल जब यह आदरणीय सदन चल रहा था, दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी और जैसे ही उनकी हत्या की सूचना मिली, तो माननीय नेता विरोधी दल इस बात को आपके संज्ञान में लाये और सदन के संज्ञान में लाये।

श्री अध्यक्ष–

आपने कार्यसूची तो देखी होगी।

श्री अवधेश प्रसाद–

और उसी समय.....

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी भावना समझ गया।

श्री अवधेश प्रसाद–

और सदन अव्यवस्थित हो गया और लोकतंत्र के इतिहास में पहला कदम है। जो घटना हुई यह निन्दनीय है। [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह सत्य से परे है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, 27-27 आदमी सदन के बाहर हैं.....

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुन लें। आज की कार्यसूची आपने देखी होगी, मात्र 3 प्रश्न हैं। मेरा विचार है कि इस सदन की कार्यवाही चले और अच्छी तरह से चले और शांति पूर्वक चले, तो अभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

11 बजकर 3 मिनट हुए हैं और जो विभिन्न दल के माननीय नेतागण हैं, आपको आमंत्रित करता हूं और सदन को 12 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं और आज सदन की कार्यवाही कैसे चले, उसके बारे में सब विचार कर लेते हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

फिर नियम 311 ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं । माननीय नेतागण मेरे कक्ष में आ जायें ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित हो गयी । 12 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर) कृपया सुन लें । पहले तो आज की कार्यसूची के नत्थी 'क' तथा नत्थी 'ख' के प्रश्नों को स्थगित करता हूं ।

शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1997

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

**1.–श्री जगदम्बिका पाल तथा डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा कुछ घण्टे निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो वर्तमान समय में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार प्रदेश में चल रही हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में सायंकाल 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक विद्युत कटौती न किये जाने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो यह निर्णय कब से लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां ।

वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 10 घण्टे निर्धारित किये गये हैं ?

इस बात का पूर्ण प्रयास किया जाता है कि सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक विद्युत कटौती न की जाय । परन्तु विषम परिस्थितियों में, जब विद्युत की मांग उपलब्धता से अधिक हो जाती है तो प्रदेश की ऊर्जा प्रणाली की सुरक्षा हेतु कटौती करना आवश्यक हो जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण नीति

**2.–श्री राजधारी, श्री राम नक्षत्र तथा श्री नारायण रामदास–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में प्रशासनिक अधिकारियों के बार-बार स्थानान्तरण द्वारा अनिश्चितता के माहौल एवं प्रशासन के राजनीतिकरण को समाप्त करने के लिये उ० प्र० सरकार कोई स्पष्ट स्थानान्तरण नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो प्रदेश हित में वह नीति कब से प्रभावी होगी ?

टिप्पणी–श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यसूची के नत्थी 'क' एवं नत्थी 'ख' के प्रश्नों को स्थगित किया गया ।

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण अनिश्चितता एवं प्रशासन के राजनीतिकरण का कोई माहौल नहीं है। अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये जाने हेतु स्थानान्तरण नीति पूर्व से विद्यमान है।

वर्तमान स्थानान्तरण सत्र हेतु स्थानान्तरण नीति दिनांक 15 अप्रैल, 1997 को निर्गत कर दी गयी है।

[शुक्रवार, दिनांक 25 अप्रैल, 1997 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

शाहजहांपुर जनपद में जहरीला आटा खाने से हुई मृत्यु की मैजिस्ट्रीयल जांच

*1.—श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 1-1-97 को शाहजहांपुर जनपद में जहरीला आटा खाने से 14 लोगों की मृत्यु हो गयी थी ? क्या इस प्रकरण की जांच 20-1-97 को आयुक्त, बरेली मण्डल को सौंपी गयी थी ? यदि हां, तो इस जांच में क्या-क्या मुख्य तथ्य सामने आये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? शासन की घोषणा के बाद भी मृतकों के परिवार वालों को पर्याप्त धन की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

जी हां।

जी हां।

घटना की मैजिस्ट्रीयल जांच करायी जा रही है।

सभी मृतकों के वारिसान को रुपया 50 हजार प्रति मृतक की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी गयी है।

अतारांकित प्रश्न

उप वाणिज्य अधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी नैनीताल (श्री प्रताप सिंह) की सेवा निवृत्तिक देयों का भुगतान

1.—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30 जून, 1986 को कार्यालय उप वाणिज्य अधिकारी, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी, नैनीताल से सेवा निवृत्त हुए सम्भागीय विपणन अधिकारी, श्री प्रताप सिंह के सेवा निवृत्तिक लाभों का भुगतान उन्हें अब तक संशोधित वेतनानुसार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त श्री सिंह का दिनांक 1-1-1986 से नये वेतनमानों में वेतन का निर्धारण शासनादेश के परन्तुक–2 के अनुसार 11 वर्ष बीत जाने पर खाद्य-आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ में दिनांक 13-1-1983 से 31 जुलाई, 1983 की अवधि में तथा एरियर वर्ष 1997 के वेतन पुनरीक्षण के वेतन आयोग के शासनादेश के अनुसार तथा मेरठ क्षेत्र में सहारनपुर स्थित उप सम्भागीय विपणन अधिकारी कार्यालय में दिनांक 1-8-1983 से 31-7-1984 तक की अवधि में वर्ष 1979 के पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुसार अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन्हें उच्चतर वेतनमानों का उक्त देय लाभ कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

श्री प्रताप सिंह को सेवा निवृत्तिक लाभों का भुगतान संशोधित वेतनमान के अन्तर्गत किया गया है।

अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण एरियर का भुगतान नहीं हो सका है । उक्त भुगतान यथा शीघ्र करा दिया जायेगा ।

श्री प्रताप सिंह, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल के अर्जित अवकाश देयकों का भुगतान

2—श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सरकार को जानकारी है कि कार्यालय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक हल्द्वानी, जिला नैनीताल में कार्यरत रहे तत्कालीन उप सम्भागीय विपणन अधिकारी श्री प्रताप सिंह के अर्जित अवकाश दिनांक 15-10-1984 से 8-11-1984 तक की स्वीकृति उक्त कार्यालय के आदेश संख्या 1012/अधि०/व्य०प०/दिनांक 20-6-1990 के अनुसार वर्ष 1990 में की जा चुकी है ? यदि हां, तो दिनांक 30 जून, 1986 से सेवानिवृत्त हुए उक्त अधिकारी का अवकाश वेतन माह, अक्तूबर, 1984 का भुगतान अभी तक न किये जाने का क्या कारण है ? उक्त वेतन का भुगतान विभाग द्वारा उन्हें कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

जी हां ।

भुगतान में विलम्ब लिपिकीय त्रुटि के कारण हुआ है । श्री प्रताप सिंह, उप संभागीय विपणन अधिकारी को अर्जित अवकाश का भुगतान यथाशीघ्र करा दिया जायेगा ।

प्रदेश के सभी महानगरों में महानगर बस सेवा संचालन समिति एवं अलीगढ़ में बस सेवा संचालन की जानकारी

3—श्री दलवीर सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी महानगरों में महानगर बस सेवा की दूरी 25 किलोमीटर तक चलायी जाने की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या महानगर अलीगढ़ की बस सेवाओं की दूरी भी 25 किलोमीटर तक की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

प्रदेश के 11 महानगरों में यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ।

जी हां ।

अलीगढ़ में प्रश्नगत सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में नियमानुसार उपान्तर से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से प्रत्यावेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना दिनांक 21-4-97 निर्गत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में शासनादेशानुसार कार्डधारकों को गेहूं का वितरण

4—श्री सतीश महाना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में शासनादेश के अनुसार राशन विक्रेता द्वारा कार्ड धारकों को गेहूं दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ऐजाज रिजवी–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार से प्रदेश सरकार को गेहूं का सीमित मासिक आवंटन प्राप्त होता है । उपलब्धता और मांग को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा उसका आवंटन जनपदों को किया जाता है जो शासनादेशों के अनुसार राशन की दुकानों से इसका वितरण उपभोक्ताओं को कराते हैं ।

जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् मल्लावां एवं सण्डीला क्षेत्र गौसगंज के बुनकरों को अवशेष धनराशि का भुगतान

5—श्री धर्मज्ञ मिश्र–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई अन्तर्गत 91 मल्लावां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नगर पालिका परिषद् मल्लावां में तथा संडीला क्षेत्र गौसगंज के बुनकरों का यूपिका पर लगभग रु० 36 लाख डेढ़ वर्ष से बकाया होने के कारण बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं ? यदि हां, तो बकाये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

हथकरघा एवं रेशम उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बाबूलाल कुशवाहा)–

जी नहीं ।

अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु आदेश दिये गये हैं ।

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्याओं, उत्पीड़न आदि पर रोक लगाने तथा दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को सदन से निलम्बित सदस्यों का निलम्बन वापस लिये जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन में जो कल घटना हुई और घटना ऐसे समय में हुई जब माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेतागण विरोधी दल के अपने विचार उस पर व्यक्त करना चाहते थे उसी समय यह घटना हुई । यह बहुत ही खेदजनक है, बड़ा दर्दनाक है, बड़ा ही शर्मनाक है और लोकतंत्र में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती । श्रीमन्, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इसी आदरणीय सदन की तीन-तीन महिला सदस्या सिविल अस्पताल में दाखिल हैं और दाखिल इस तरह से हैं कि उनके ऊपर गम्भीर चोटें आयी । यही नहीं एक सदस्या उर्मिला यादव को इस तरह से चोटें आयी अगर वे और गिरतीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाता । तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह काला दिन लिखा जाता । श्रीमन्, इनको चोटें कैसे आयी, चोट इस तरह से आयी कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था का राज नहीं है, जंगल का राज है । इसी संबंध में माननीय नेता विरोधी दल और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहना चाहते थे और वह अपनी बातें न कह पायें इसलिये यह घटना हुई ।

आपने देखा होगा अभी नरसों माननीय विधायक इलाहाबाद जो पूर्व विधायक जवाहर सिंह जी की पत्नी हैं वह अपना दर्द कह रही थी । दर्द यह कह रही थी कि उनका सुरक्षा गार्ड हटा लिया गया है, उनके बच्चों को खतरा पैदा हो गया है । श्रीमन्, यह कितने अफसोस की बात है कि उस समय माननीय नेता सदन जो महिला हैं, महिलाओं के दर्द की बात कहती हैं । लेकिन बीच में उठ कर उन्होंने एक शब्द भी माननीय सदस्या के संबंध में नहीं बोली । तो इससे क्या लगता है, यह सरकार बहुत ही संवेदनहीन है ? इस संबंध में माननीय सदस्यगण बात कहना चाहते हैं । कितने अफसोस की बात है कि आज यह सरकार कहती है हमने गुण्डा राज खत्म किया है, सारे गुण्डे उत्तर प्रदेश से बाहर चले गये हैं। आज उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में बैठे हुए हमारे माननीय परिवहन मंत्री को जान का खतरा है । यह सरकार दम भरती है कि गुण्डे उत्तर प्रदेश के बाहर चले गये हैं । गुण्डे उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं चले गये बल्कि गुण्डे सारे मुख्य मंत्री जी के इर्द गिर्द आ गये हैं जिससे सारे माननीय सदस्यों की जान के लिये खतरा हो गया है ।

श्रीमन्, कितने अफसोस की बात है कि माननीय श्याम किशोर जी इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं कल की बात कहना चाहता हूं वह एक मामला उठाना चाहते थे, उनको निलम्बन करने का आदेश हुआ । उनका सुरक्षा गार्ड वापस ले लिया गया । जब वह घर पहुंचे सारे घर वाले निकल आये, बच्चे रोकर कहने लगे आपकी हत्या हो जायेगी । आज यह सरकार कानून का दम भर रही है । इनके समय की बात बताना चाहता हूं श्री वीरेन्द्र शाही जी यहां आये थे मुख्य मंत्री जी से मिलने जा रहे थे,

माननीय नेता सदन से मिलने जा रहे थे उसी समय हत्या हुई, सवाल श्री वीरेन्द्र शाही जी की हत्या का नहीं है । सवाल यह है कि प्रदेश की जनता पर इसका क्या असर होता है। सवाल यह है कि सरकार कहती है और दम भरती है और खोखला नारा देती है कि कानून और व्यवस्था ठीक हो गयी है । नेता विरोधी दल और सारे नेता अपनी बात कहना चाहते थे और माननीय अम्मार रिजवी जी ने जो बात कही उस पर अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन अफसोस की बात है कि यहां पर एक इतिहास कायम किया गया । आप कानून के ज्ञाता हैं, गवर्नर, महामहिम राज्यपाल राज्य के हेड होते हैं । माननीय राज्यपाल महोदय के उपर भी टिप्पणी की गयी है । कानून व्यवस्था का हाल यह है कि इसी लखनऊ में 3-3 नौजवान जलाये जायं और उनकी लाशें उनके परिवार वालों को नहीं दी गयीं यह कितनी दर्दनाक बात है ।

श्री अध्यक्ष–

आप विषयांतर हो रहे हैं ।

श्री रंगनाथ मिश्रा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश प्रसाद जी, आप विषयांतर हो रहे हैं । आपकी बात आ गयी ।

(श्री पारसनाथ यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पारस नाथ जी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बात आ गयी ।

श्री अवधेश प्रसाद–

अध्यक्ष महोदय, श्री ताराचंद की हत्या दिन दहाड़े की गयी, नेता विरोधी दल यह बात उठाना चाहते थे लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी । कल यहां पर जो घटना हुई वह गम्भीर है, मैं आपसे मांग करता हूं कि उस संबंध में दोषी कर्मचारियों को निलम्बित किया जाय और उनको दण्डित किया जाय । [× × ×]

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो सूचना हमारे पास आयी है उस पर 3-4 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । सूचना श्री अवधेश प्रसाद जी की है और 3-4 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । मैं उनकी बात पहले 2-2 मिनट सुन लूं और उसके बाद आपको सुन लूंगा । श्री पारस नाथ यादव, जी, श्री अतीक अहमद जी, श्री राम सिंह जी को मैं 2-2 मिनट सुन लेता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

जिन्होंने सूचना पर दस्तखत किये हैं और जिन माननीय सदस्यों को चोटें आयी हैं उनकी बात सुन लीजिये ।

श्री लालजी वर्मा–

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

* श्री लालजी वर्मा–

माननीय अवधेश जी अभी बोलने के लिये खड़े हुए । सदस्यों को निलम्बित करने का अधिकार पीठ को है । आपने जो सदस्य व्यवधान डाल रहे थे उनको निकाला और निलम्बित करने का काम किया । आपने मार्शल को निर्देश दिया उन लोगों को निकालने के लिये । अवधेश प्रसाद जी ने उसकी निंदा करके आपकी पीठ पर आक्षेप किया है । क्या मान्यवर, पीठ पर कोई आक्षेप किया जा सकता है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष–

मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मैंने कोई आक्षेप नहीं किया है ।

श्री शिव पाल सिंह यादव–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की सरकार द्वारा समूचे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्याओं के कारण आज अराजकता, भय, आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया है, इसकी तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

(पढ़ा हुआ मान लिया जाय की आवाजें)

प्रदेश में ब०स०पा० और भा०ज०पा० की बेमेल सरकार के गठन के बाद एक योजनाबद्ध तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, उत्पीड़न का सिलसिला चालू किया गया है वहीं दूसरी ओर समाज में डकैती, बलात्कार, जातीय संघर्ष और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय सदस्य लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, माननीय सदस्य अपनी बात बोल रहे हैं इतने व्यवधान में उनकी बात कैसे सुनी जायेगी ? उनको अपनी बात कहने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पारसनाथ जी इन्हें बताइये कि लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाता ।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सब एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आयेगा ।

श्री पारसनाथ यादव–

मान्यवर, उस सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं, मेरी बात भी सुन लें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जिनके हस्ताक्षर सूचना पर हैं उनके साथ-साथ उन सदस्यों को भी सुन लें जिनको चोटें आयी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

डंग साहब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, उसे सुन लें ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आपने प्रश्नकाल को स्थगित करके.....

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, डंग साहब बोल रहे हैं और उन्हीं की पार्टी के लोग शोर कर रहे हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

विद्युत पेंशनल इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्थगित करके विपक्ष के सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दिया है । जिस प्रकार से आज प्रदेश की सम्पूर्ण समस्याओं को दर किनार करके यहां आचरण हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

* डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यहां पर लिखकर स्टेटमेंट ला रहे हैं और उसको पढ़कर एक नई परम्परा सदन में डाल रहे हैं । इस सदन में एक साथ एक जुट होकर जो कार्यवाही हुई है वह न्यायोचित थी । आज समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो छवि गई है उसके लिये यह लोग जिम्मेदार हैं । आप उन्हें उत्तर सुनें यह तो लोकतंत्र का तकाजा है ।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह–

जो इन्होंने पढ़ा है इसकी प्रति आपके पास है ?

श्री अध्यक्ष–

पहली बार माननीय सदस्य चुनकर आये हैं नियमों की जानकारी हो जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

अगर जानकारी नहीं है तो निकलवा दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले ?

* श्री पारसनाथ यादव–

नियम 311 पर जो सूचनायें दी गयी हैं उसकी गम्भीरता पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । आपने मुझे उसकी गम्भीरता पर बोलने का मौका दिया, । कल एक ऐसी घटना घटित हुई सदन में, जब आप अपनी पीठ पर नहीं थे । उसकी गम्भीरता इसलिये बन जाती है कि आज एक महीने चार दिन की सरकार है इस सरकार में कानून व्यवस्था जिस तरह से चरमरा रही है ।

(व्यवधान)

मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह माननीय सदस्यगण, सदन को व्यवस्थित रखें । हम लोग भी हल्ला करना जानते हैं अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम विधान सभा नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गयी ।

श्री पारस नाथ यादव–

यह बहुत ही गम्भीर विषय है इस गम्भीर विषय पर मैं सरकार में बैठे लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । कल की घटना निन्दनीय है । 16 करोड़ की जनता यहां की आवाज को देख रही है। कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है इसका ज्वलन्त उदाहरण है नेता विरोधी दल के क्षेत्र में श्री ताराचंद यादव, भूमि विकास बैंक में जो अध्यक्ष थे उनकी दिन में 12 बजे दिन दहाड़े हत्या कर दी गयी ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आप बैठ जायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पारस नाथ यादव–

आज हमारे सम्मानित सदस्यों की या प्रदेश की जनता की क्या सुरक्षा है? किसी से छिपा नहीं है सदन चल रहा हो और 12 बजे दिन में हत्या कर दी जाये और हम यहां बैठे देखते रहें। जब शान्ति सुरक्षा ही नहीं तो यहां बैठने से क्या लाभ है ? इसीलिये कल हम लोग वेल में चले गये यह नहीं कहते सही था या गलत, लेकिन अपनी पीड़ा को लाने के लिये, अपनी पीड़ा को बताने के लिये कल वेल में चले गये। आपने हाउस स्थगित कर दिया। और 27 लोगों को आपने इंगित किया कि निकाल दिया जाये और आप पीठ पर मौजूद नहीं थे। हमारे सुरक्षा में जो इस सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनका नैतिक कर्तव्य था कि वह देखते कि हम कोई हरकत तो नहीं कर रहे हैं। धरने पर हम अपने कार्यक्रम की पूर्ति करने के लिये बैठे थे लेकिन जिस तरीके से माहौल पैदा किया गया, जिस प्रकार से खींच-खींच कर महिलाओं को निकाला गया, उससे 3 महिलाये एवं कुछ अन्य लोग भी घायल हैं। मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की गम्भीर घटनायें जिन कर्मचारियों ने की हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, ताराचन्द्र जी की जो निर्मम हत्या की गयी, वह बहुत ही दुखद घटना है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्रा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पारस नाथ यादव–

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय। जब हम जिन्दा ही नहीं रहेंगे.....

(श्री प्रमोद कुमार, श्री राम जग व श्री अतीक अहमद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद कुमार के बाद मैं आप दोनों को सुन लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का अन्तिम दिन है और अन्तिम दिन सदैव महत्वपूर्ण होता है। इसलिये महत्वपूर्ण होता है कि बहुत से दिनों पर जो बातें नहीं उठा सकते उसे आज उठाने का प्रयास किया जाता है। परम्परायें वर्षों में बनती हैं लेकिन उनमें दाग एक घटना से एक दिन में लग जाती है। हम लोग जिस विधान सभा में बैठे हैं कोई साधारण विधान सभा नहीं है, देश की सबसे बड़ी विधान सभा है। हम सबसे बड़ी गौरवशाली परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मान्यवर, पंडित गोविन्द बल्लभ पंत, सम्पूर्णानन्द जी, पंडित कमलापति त्रिपाठी जी, चौधरी चरण सिंह जी, श्री कल्याण सिंह जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने शानदार परम्परायें बनायी होंगी लेकिन जब उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ा जाता है तो 16 दिसम्बर की घटना एक दाग के रूप में याद की जाती है। कल जो कुछ भी हुआ दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होनी चाहिए थी। यहां हम जो आचरण करते हैं उसे पूरे प्रदेश में देखा जाता है, सुना जाता है। हम कोई ऐसा काम न करें जिससे इस सदन की मर्यादा धूमिल हो। हम कानून बनाने का दम्भ भरते हैं लेकिन ऐसा काम न करें जिससे हम कानून बनाने के लायक न रहें। इसकी जिम्मेदारी किसी एक ही नहीं है। सम्पूर्ण सदन की है। कल जो हुआ उसे टाला जा सकता था।

मान्यवर, आज अन्तिम दिन है, सदन की परम्परायें रही हैं कि जब तक नेता सदन न हों सदन की गरिमा नहीं होती है, नेता विरोधी दल न हों तो सदन पूर्ण नहीं होता है । कल जो घटना हुई विस्तार से उसके बारे में नहीं जाना चाहता, नेता विरोधी दल सहित 27 लोगों का निलम्बित रहना दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं आपसे विनती करूंगा, सत्ता पक्ष से आग्रह करूंगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि परम्परायें रही हैं, तीन दिन या एक सप्ताह के लिये निलम्बित होते रहे हैं लेकिन बाद में विचार करके आपस में सुलझाकर उसे ठीक कर लिया गया है । क्योंकि "हाऊस इज मास्टर आफ ओन बिजनेस" इसलिये हम निलम्बित कर सकते हैं, उसे वापस भी ले सकते हैं, लेकिन जिन कारणों से हुआ है उसे दूर करना आवश्यक है । आपसे विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि इस घटना का पटाक्षेप करते हुए जो हमारे सम्मानित सदस्य निलम्बित हैं, उन्हें वापस बुलाया जाये । मान्यवर, मैं निलम्बन की बात कहूंगा वहां दो बातें और जोड़ देना चाहता हूं । कल मैं सदन में नहीं था, कुछ अखबारों में पढ़ा, वहीं मैं कांग्रेस दल की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं । हमारे कांग्रेस के सदस्यों ने प्रश्न उठाया था कि विधायकों के लिये एक निधि स्थापित होनी चाहिए, मैं दावे के साथ और विश्वासपूर्वक दोहराते हुए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस के ही नहीं, इस सदन में बैठा हुआ हर सदस्य चाहता है, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, किसान कामगार पार्टी, और सत्ता पक्ष के सदस्य हों किसी का इरादा या आशय यह नहीं है कि जो अम्बेडकर ग्राम विकास का कार्यक्रम चल रहा है उसमें से एक पैसा भी कम किया जाये । इसे राजनीतिक बिन्दु नहीं बनाया जाये मैं तो आपसे कहता हूं कि जो अम्बेडकर गांव अधूरे-अधूरे हैं, पुरवों को छोड़ दिया जाता है, उनको भी शामिल किया जाये । उसका बजट यहां हम सर्वसम्मति से पारित कर देंगे । हम जरूर चाहते हैं कि विधायकों के लिये निधि स्थापित की जाय । इसका बड़ा व्यवहारिक कारण है । आप 1989 से जोड़ लें, चुनाव हर दूसरे साल हो रहा है। वर्ष 89, 91, 93, 96 में चुनाव हो चुके हैं । हम चाहते हैं कि 5 साल सरकार चले, लेकिन आप जरा विधायक की स्थिति के बारे में सोचिये । हम क्षेत्र में जाते हैं, वही मतदाता, वही घर, वही समस्यायें हमारे सामने होती है, लोग हमसे कहते हैं कि हमने पिछली बार यह कहा था, आप फिर दोबारा चले आये ।

अगर हमारे साथियों का यह अनुरोध है कि निधि बना ली जाय, तो इसमें क्या गलत है ? यह तो बहुत ही अच्छा होगा कि एक करोड़ की धनराशि विधायक की संस्तुति पर उसके क्षेत्र में खर्च की जाय, इस बात का पालन किया जाना चाहिये । मान्यवर, सरकार की भी अपनी मजबूरी है, यह कहते हैं कि पैसा नहीं है । हम कदापि नहीं कह रहे हैं कि आप अम्बेडकर ग्रामों से पैसा निकालें । यह मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं कि 50 लाख रुपये प्रत्येक विधायक के हिसाब से निधि का पैसा कहां से आयेगा ? आप निधि स्थापित कर दीजिये, कुल 212 करोड़ की जरुरत है, आप हमारे विरोधी दल के नेताओं की, और सभी नेताओं की, अपनी अध्यक्षता में एक समिति बना दीजिये ? मैं एक सप्ताह के अन्दर सरकार को बता दूंगा कि यह पैसा कहां से व्यवस्था कर निधि स्थापित की जाय? यदि हम नहीं बता पायेंगे तो अपनी बात वापस ले लेंगे । आप फिलहाल इसे आकस्मिकता निधि से निकाल लें । आपका 2000 करोड़ रुपया पूंजीपतियों पर बकाया है, उसे आप सख्ती से वसूल कर निधि स्थापित कर दीजिये...

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं चर्चा नहीं करा रहा हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आप सुन तो लें । आपकी इस विषय पर व्यवस्था आ चुकी है कि सभी दलीय नेता और नेता सदन बैठ करके इसका कोई हल निकालेंगे, अब उसके बाद भी इस विषय पर बोला जाना आपकी

व्यवस्था के विपरीत है। आपकी व्यवस्था अभी भी बरकरार है, इसको दुबारा उठाने का क्या औचित्य है ?

श्री अध्यक्ष–

मेरी व्यवस्था आ चुकी है, लेकिन माननीय प्रमोद जी निधि स्थापित करने के संबंध में अपना सुझाव दे रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, यह विधायक निधि स्थापित होनी चाहिये, इससे आप भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं और जो अभी मंत्री नहीं बने हैं, वह भी इससे सहमत हैं। लालजी वर्मा आपकी बात सही है, अभी 27 तारीख को विस्तार होना है, उसके बाद आप खड़े होकर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मान्यवर, कहा यह भी गया है कि आप सरकार में थे क्यों नहीं कर लिये ? मान्यवर, हमारी सरकार केन्द्र में थी और वहां एक करोड़ की सांसद निधि में दी गई है, यह कांग्रेस सरकार ने ही दी है, क्या यह बी.पी. और सरकार की देन है ? यदि मायावती जी कांग्रेस का साथ लेकर यहां बैठती तो पहला काम मैं यही करा देता और एक करोड़ की विधायक निधि स्थापित करा देता, यह नहीं हुआ तो यह इनकी कमी है।

(श्री अतीक अहमद का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मुझको आदेश दें कि मैं अपनी बात कहूं या आप व्यवस्था देंगे।.

श्री अध्यक्ष–

अभी उन्होंने मुंह खोला नहीं और आप खड़े हो गये कि व्यवस्था का प्रश्न है। आप बैठें।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के बैठे हुए मित्रों से निवेदन करूंगा कि उनके भी साथियों को बोलना है अगर यह मानकर आप चलेंगे कि हम टोकाटाकी या बीच में अनावश्यक व्यवस्था उठाकर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात हो रही है, [x x x]

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा आपत्ति करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा।

यह मैं कटवा रहा हूं, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

यह आपके भाषण का अंश नहीं होगा। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

आप मुझे सम्बोधित करके अपनी बात कहें।

* श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मैं आपसे कह रहा हूं सत्तापक्ष खामखा नाराज हो रहा है।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख है कि सत्तापक्ष की तरफ से एक व्यवस्था की बात उठा दी गयी कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पहली बार सदस्य होकर आये हैं वह लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। मान्यवर, जनता हम लोगों को चुनकर भेजती है, हम लोग जरूर पुराने हैं हो सकता है यहां पर ये हम लोगों से भी पुराने हो जायं, हम लोग सदन में न आ सकें। इसलिये किसी को टोकाटाकी या कमेन्ट करना उचित नहीं है। डंग जी हमारे पुराने साथी हैं उनके मुंह से यह शोभा नहीं देता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि किसी नये सदस्य को यह न कहा जाय। मान्यवर, आज जो बात हो रही है वह कल की घटना पर हो रही है। कल की घटना निन्दनीय है और दुखद है। इससे भी दुःखद और निन्दनीय घटना इस सदन में हो चुकी है उस समय आप भी सदन में मौजूद थे। आज हम लोगों को यह तय करना चाहिये इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अभी मा० प्रमोद जी ने निलम्बन वापस लेने की बात कही। संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्ताव ले आये और आपने निलम्बित कर दिया। यह निलम्बन तो क्षणिक होता है वापस हो जाता है हम लोगों को जनता ने चुना है। आप हम लोगों को बहाल भी कर देंगे तो यह आपका बड़प्पन है। अब सत्तापक्ष के लोग बरखास्त होने वाले हैं आने वाले दिनों में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अंग्रेजी में एक शब्द है थिंकिंग।

श्री अतीक अहमद

मैं उसका पालन करता हूं। धन्यवाद।

मान्यवर, कल की घटना में बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी आप उस समय इस पीठ पर आसीन नहीं थे। मान्यवर, धरना देना, विरोध प्रकट करना यह विपक्ष का काम है। हम लोग विपक्ष में बैठे हैं अगर इनका कोई अच्छा काम होगा तो हम उसकी सराहना करेंगे। हम उनका साथ देंगे अगर पांच परसेंट भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन गलत काम होगा तो विरोध करेंगे। मान्यवर, विरोध करने का तरीका यह रहा है कि सदस्य वेल में आते हैं और समय-समय पर आये हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, बड़ी मुश्किल यह है कि यहां कुछ बोला जाय तो कहीं से कमेन्ट आ रहा है कि माफिया हैं, मैं सदन को चुनौती दे रहा हूं कि अपराधी क्या होता है, माफिया क्या होता है, इस पर सदन में चर्चा करा लें, ताकि स्थिति सामने आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

आप उसका संज्ञान न लें।

श्री अतीक अहमद–

जो समाज में आग लगाये, साम्प्रदायिकता की बात करे कम्युनिलिज्म से बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि हम तो समाजवाद की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, प्रदेश और देश को ठंडा करने की बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है आपका है, इन्हें मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। प्रयास हो रहा है कि सदन चले, उत्तेजना का कोई क्षण भी पैदा न हो, जो टिप्पणी अवांछनीय होगी उसे रिकार्ड में नहीं लाने देंगे।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मैं भी कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले इधर की बात समाप्त हो जाने दें ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, आप निलम्बन वापस ले लेंगे, लेकिन निलम्बन क्यों हुआ है, होने की परिस्थिति फिर पैदा हो सकती है, इसलिये वे बातें आना जरूरी हैं । अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की बात चल रही थी.....

श्री अध्यक्ष–

जो बात हो गयी उसको दोहराने से क्या फायदा है ?

श्री अतीक अहमद–

तो निलम्बन के कारण क्या रहे ? जब तक कल की जो घटना है इस पर पूरी व्यवस्था न आ जाये, बात न आ जाये कि कल जो घटना हुई है वे किन कारणों से हुई है किन परिस्थितियों में हुई है ? निलम्बन का औचित्य और जो उसे वापस लेने की बात है, तो वह परिस्थिति फिर पैदा हो सकती है । कोई व्यवस्था दें, सरकार पर भी लगाम दें कि सरकार ऐसी घटना न करे ।

श्री अध्यक्ष–

श्री रामजग व श्री गौरी शंकर जी बोलेंगे फिर इस विषय पर चर्चा समाप्त हो जायेगी । आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

* श्री राम जग–

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है । जनता ने हमें विधायक बनाकर भेजा है और इस आशा के साथ कि हम मजदूरों के, दलितों के पक्ष की बात यहां करें, उनकी बेहतरी के लिये काम करें । निश्चित तौर से हम लोग जो सदन के अन्दर बैठे हुए हैं संसदीय व्यवस्था में, तो संसदीय व्यवस्थाओं के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए । मान्यवर, कल की जो घटना घटी है, निश्चित तौर पर संसदीय इतिहास में वह कल का दिन बहुत ही निन्दनीय बना रहा । क्योंकि हम विरोधी दल के विधायकों का यह हक है कि जनता के बारे में, अपने अवाम के बारे में लड़ेंगे अपनी बात कहेंगे, धरने पर बैठेंगे, वाक-आउट करेंगे, यह संसदीय व्यवस्था में हमें अधिकार है । पुलिस यहां आयी और मार्शल ने पुलिस को लाकर, विरोधी दल के नेता के साथ, दूसरे नेताओं के साथ जैसा व्यवहार हुआ है, वह बिल्कुल निन्दनीय है । श्री तारा सिंह जो समाजवादी पार्टी के थे उनकी इटावा में हत्या हो गयी, कानून व्यवस्था की जो बिगड़ी स्थिति है उस पर हम बहस करना चाहते थे । जहां तक अम्बेडकर ग्राम विकास योजना की बात है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें । आप लोग बैठें ।

श्री राम जग–

मैं दलित परिवार से आया हूं, मैं जानता हूं कि अम्बेडकर ग्रामों का विकास सरकार किस ढंग से कर रही है, इस पर बहस चलायी जाय ? संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री राम जग–

अम्बेडकर ग्रामों का सही ढंग से विकास हो, सही ढंग से वहां सड़कें बनें । 27 नेताओं का जो निलम्बन हुआ है वह वापस हो, इस सदन में विरोधी दल के नेता नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

श्री राम जग–

जो 27 लोगों का निलम्बन किया गया है उसको वापस लिया जाये । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये धन्यवाद ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने और बोलने पर)

श्री गौरी शंकर (एडवोकेट)–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया है । मैं तो केवल आपसे अनुरोध कर सकता हूं और आपके आदेश का पालन ही कर सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी अब आप कृपया इस समय बैठ जायें । मैं गौरी शंकर जी के बाद आपको अवसर दूंगा ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं ज्यादा लम्बा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा । बड़ी ही गम्भीर घटना का जिक्र हो रहा है कल जब हम जनमानस के बीच में जायेंगे अपने गांव गली में जायेंगे तो जो कल घटना हुई है उसका जिक्र होगा । यह क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ इसके विषय में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि सारे तथ्य आपके संज्ञान में हैं । गांव गली में आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो वह कुएं की ओर भागता है और कभी उसमें कूद भी जाता है । तो उसी तरह से यहां पर बैठे हुए सदस्यों को आक्रोश होता है तो वह वेल की ओर आते हैं । लेकिन हम कूप-मण्डूप नहीं बने रहना चाहते हैं । जो जगत पर बैठा हुआ व्यक्ति है वह पियाऊ है वह प्यास बुझाता है । प्यासा कुएं की ओर जाता है न कि कुआं प्यासे की ओर आता है । कल एक समाजवादी पार्टी के नेता श्री तारा चन्द की हत्या हुई थी और यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों ने इसे उठाया था । वह माननीय नेता विरोधी दल के क्षेत्र का मामला था अतः उनमें आक्रोश होना स्वाभाविक था । हम सब उस आक्रोश में वेल पर आ गये । उसके बाद का घटना चक्र क्या बना यह आपके संज्ञान में है? माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कल की घटना का जिक्र करते हुए फारगेट एण्ड फारगेटिव कहते हुए समरसता का माहौल बनाने को कहा था मैं भी उस बात पर बल देता हूं । आप विद्वान हैं, अनुभवी हैं । आप जानते हैं "टाइम एण्ड टाइड वेट फॉर नन" अर्थात् घड़ी की टिकटिक और समुद्र का ज्वार भाटा किसी का इन्तजार नहीं करता है । मेरा आपसे अनुरोध है कि उन 27 सदस्यों का निलम्बन वापस ले लिया जाये । (व्यवधान) एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । यह जो सत्ता के राज मद में बैठे हुए लोग

हैं इन पर अंकुश लगाया जाये और जो घटना हुई है उसकी जांच की जाये ।अन्त में एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा :—

"न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर,
जब किसी नामेहरं को मेरहबां कहना ही पड़ता है ।
तुम्हारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है ।
यह दुनियां हैं यहां पर काम होता है करीने से,
यहां पत्थर को भी लाले गिरा कहना ही पड़ता है,
बफैज मसलहत कभी ऐसा भी होता है जमाने में,
कि राजन को अमीरे कारवां कहना ही पड़ता है ।"

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । माननीय पाल जी आप बोलें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे पहले कृपया अपने माननीय सदस्यों से कह दें कि वे बैठ जायें ।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण तिवारी–

मान्यवर, माननीय पाल जी के बाद मैं यह चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के भी दो चार सदस्यों को सुन लिया जाये । क्योंकि जिस समय यह घटना हो रही थी आप पीठ पर विराजमान नहीं थे । हम लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं । हम लोगों ने घटना को घटित होते देखा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बड़ा दुःखद पहलू है, एक तरफ इस सम्मानित सदन में बैठे हम लोग इस विषय पर जहां यह तय कर रहे हैं, कांग्रेस नेता विधान मण्डल दल ने प्रस्ताव किया है कि माननीय नेता विरोधी दल के साथ जिन माननीय सदस्यों का निलम्बन किया गया है उसके वापस करने पर आप विचार कर लें । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं का छिद्रान्वेषण होगा तो वह और आगे बढ़ेगा .....

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं होगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरा तो आपके माध्यम से सदन के सामने यह कहना है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो । इस पर हम सबको विचार करना चाहिये कि संसदीय मर्यादाओं का हम पालन करें । हमारी सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारी है । हम जिन मर्यादाओं के साथ सदन में आते हैं उसको देखते हुए इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तरह की दुखद और चिन्तनीय घटनाएं नहीं होनी चाहिए । मैं इस के लिये दुख प्रकट करता हूं । जिन माननीय सदस्यों का निलम्बन हुआ है उनके निलम्बन को वापस कर इस मामले का पटाक्षेप करने की कृपा करें ।

(श्री रामै औतार शाक्य तथा श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं । आपने अपनी भावनायें प्रकट कर ली है । मैंने आपकी पार्टी के चार सदस्यों को सुन लिया है । आपकी बात का मतलब तो यह हुआ कि यह सदन आपके निर्देश के अनुसार चलेगा अध्यक्ष के निर्देश से नहीं चलेगा । कल 5 लोगों के हस्ताक्षर थे जिनमें से 4 माननीय सदस्यों को मैंने बुला लिया । सदन का समय सीमित है इसलिये अब मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । अब कुछ नहीं लिखा जायेगा । आप कोई एक माननीय सदस्य का नाम बता दें ।

*श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, कल की जो घटना सबके सामने यहां पर घटित हुई उसके लिये मुझे बड़ा दुख है । उस समय अगर आप यहां पर होते तो यह घटना न होती । हमारी माननीय महिला सदस्यों को खींच-खींच कर बाहर निकाला गया। कहीं भी इतिहास में ऐसी बात दोहराई नहीं गयी । माननीय नेता विरोधी दल के क्षेत्र में कल ताराचन्द जी का मर्डर हुआ । उस समय सदन की कार्यवाही चल रही थी । यह प्रश्न पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है । माननीय सदस्यों की सुविधायें छीनी जा रही हैं । विधायकों को शपथ नहीं दिलायी जा रही है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, विधायक निवास ओ० सी० आर० में लिफ्ट बन्द हो जाती है । टेलीफोन हैं ही नहीं तथा आये दिन किसी न किसी की हत्या हो जाती है । माननीय अध्यक्ष जी, कल जो घटना इस आदरणीय सदन में यहां पर घटित हुई, वह बहुत ही दुखद व निन्दनीय है । उस समय अगर आप होते तो वह घटना नहीं होती । हम लोगों के आप संरक्षक हैं और हमारे अधिकारों की देख-भाल करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है । जिस प्रकार से महिला विधायकों को पुरुषों ने खींच-खींच कर बाहर निकाला है, उस प्रकार की घटना को नहीं दुहराया जाना चाहिए । माननीय नेता विरोधी दल, श्री तारा चन्द्र यादव जी का मर्डर हो गया, वह उनका निजी मुद्दा ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा था । आज विधायकों पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्यायें हो रही हैं, उनके गनर वापस लिये जा रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है ओ० सी० आर० में लिफ्ट बंद हो जाती है और विधायक आधा-आधा घंटे तक उसमें फंसे रहते हैं, टेलीफोन नहीं हैं और कई समस्यायें हैं, यदि उन्हें हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे ? आज समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो रही हैं। सत्तारूढ़ दल, जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की रक्षा नहीं कर पायी तो हमारी क्या रक्षा कर पायेगी ? आये दिन इस प्रकार की घटनायें घट रही हैं ।

हम जिम्मेदार लोग यहां पर बैठकर विधान सभा चला रहे हैं । दिन के 12 बजे एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, आये दिन ओ० सी० आर० से जीपें, स्कूटर आदि वाहन चोरी हो जा रहे हैं, सफाई नहीं हो रही है, तो यह दुख दर्द तो माननीय अध्यक्ष जी हम आपसे ही कहेंगे क्योंकि सत्तारूढ़ दल तो अपनी सत्ता के नशे में चूर हो गया है । क्या हम नहीं चाहते हैं कि अम्बेदकर गांवों का विकास हो ? हम इनसे ज्यादा चाहते हैं । इसलिये मेरी मांग है कि श्री तारा चन्द्र यादव जी के हत्यारों को पकड़कर उन्हें जेल की सीकचों में डाला जाय और हमारे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की जो हत्यायें व उत्पीड़न हो रहा है उसे रोका जाय । माननीय अध्यक्ष जी जो यह कहा जा रहा है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर बाहर चले गये हैं, वस्तुस्थिति तो यह है कि वे अपराधी बी० एस० पी० व बी० जे०पी० के इर्द-गिर्द ही हैं । माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़ी खुशी की बात है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोगों को सुनने का अवसर दिया । क्योंकि आज हर विधायक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है । माननीय नेता सदन यहां पर आकर कहती हैं कि कान खोलकर सुन लो, हम तो चाहते हैं कि उनकी

भाषा संसदीय हो और व्यवहार उचित हो । माननीय अध्यक्ष जी, मैं मांग करता हूं कि हमारे जो सदस्य निलम्बित किये गये हैं, उनका निलम्बन वापस लिया जाय और जिन कर्मियों ने विधायकों के साथ गलत आचरण व व्यवहार किया है, उसकी तो मैं निन्दा करता ही हूं परन्तु साथ ही मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाय और ऐसे कर्मियों को दण्डित किया जाय ।

(श्री राम औतार शाक्य जी के खड़े होने पर व्यवधान)

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । जिस दिन से यह सत्र आहूत हुआ है, उस दिन से मैं मूकदर्शक की तरह इस सदन की कार्यवाही को देख रहा हूं । माननीय सदस्यों से मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह मेरी विनती को सुनें । इस सदन में जो कुछ भी हो रहा है, यह लोकतंत्र के इतिहास में कुछ काले पन्नों में जुड़ रहा है । मैं किसी नेता के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, वह इसे अपने ऊपर न समझें । देश के सबसे बड़े प्रदेश की इस विधान सभा का जिक्र सारे देश में होता है । यहां की चर्चा लोग लाइब्रेरी से मंगाकर पढ़ते थे । जब मैं विश्वविद्यालय में छात्र था तो यहां बैठकर आचार्य नरेन्द्र देव और बड़े-बड़े नेताओं को सुना है । लेकिन आज जब यहां देखता हूं कि सदन की क्या स्थिति है ? तो लगता है कि शायद लोकतंत्र आज अन्तिम सांसें गिन रहा है । इसमें सत्ता और विपक्ष को मान्यवर, संरक्षण देने का आपका अधिकार और कर्तव्य है । हम स्वीकार करते हैं जो निर्णय आप लेते हैं । लेकिन जो कल हुआ वह तो आपके प्रति असम्मान था । मान्यवर, मैं बड़ी वेदना में कह रहा हूं कि जब इस टेबिल के ऊपर विधायक खड़े होते हैं तो लगता है कि भारत के संविधान के ऊपर कोई खड़ा है।

यह बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक सीन होती है । आखिरकार यह परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं ? आपकी व्यवस्था का पालन क्यों नहीं हो रहा है ? मान्यवर, आप उदारतापूर्वक विपक्ष को अधिक समय दें इसमें हमें शिकायत नहीं है । लेकिन जो नियम हैं, जो मैन्डेट है उसके पालन कराने की जिम्मेदारी उस पीठ पर है । जनता ने जिसे सत्ता में भेजा है उसे काम करने दिया जाये और विपक्ष में जिसको भेजा है उसकी वाणी पर रोक न लगे । इसका आप निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं । लेकिन आपकी इन व्यवस्थाओं, आपके निर्देशों का कोई आदर उधर के लोग नहीं कर रहे हैं । मान्यवर, यहां जो अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा में लगे हैं, जो हमारी सेवाओं में लगे हैं वह भी सदन के अंग हैं और यदि उन्हें चप्पलों से पीटा जायेगा तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र इस तरह सुरक्षित नहीं रह पायेगा । मैं समझता हूं कि यह चप्पलें उन लोगों पर चली हैं जिन्होंने संविधान में हम लोगों को अधिकार दिये हैं । (व्यवधान)

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, व्यवस्था चाहता हूं कि नियम 311 में एक सूचना हम लोगों ने दिया है और उस पर हम लोगों की बात आप सुन रहे हैं, तो क्या नियम 311 में मेरी सूचना को ग्राह्य करके आप चर्चा करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

अभी ग्राह्य नहीं किया है लेकिन ग्राह्यता के संबंध में जब इतने माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं तो उसी में मैं श्री टण्डन जी के विचार सुन रहा हूं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर,.....

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। जो नरेश चन्द्र अग्रवाल कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री लाल जी टण्डन–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था, मैं प्रमोद कुमार जी की बात का समर्थन करता हूं कि नेता विपक्ष की सीट खाली है और सदन चले, यह शोभा नहीं देता, लेकिन मान्यवर, शायद लोकतांत्रिक परम्परा में यह अपवाद स्वरूप होता होगा, जब नेता विरोधी दल वेल में आ जाये और आपके आदेश की अवमानना कर दें। तीन अथारिटीज हैं, जिनका अपना स्थान सुरक्षित है। एक तो आपका है, आपके निर्देश का पालन करना सभी का कर्तव्य है। दूसरा नेता सदन का है और तीसरा नेता विरोधी दल का है। अगर आप इस सदन को संचालित न कर पायें, कोई आक्षेप नहीं है, यह लोकतंत्र के लिये बहुत अहितकारी है, अगर नेता सदन और नेता विरोधी दल आपके आदेशों का पालन न करें, आपके आदेशों का आदर न करें, तो मान्यवर, लोकतंत्र की दीवारें ढह रही हैं और अगर दीवारों को ढहने से रोक न सके, तो हमारे यहां आने का महत्व क्या है ? क्या हम यहां पर इसलिये आते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जायें, हमारी सुविधायें बढ़ाई जायें और या इसलिये कि कुछ कर सकें। तिवारी जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सांसदों को एक करोड़ रुपये दिया, लेकिन किस विधि से दिया, सदन में चर्चा हुई और प्रधान मंत्री ने कहा कि नेताओं के साथ बैठकर वार्तालाप हो, उससे एक निष्कर्ष निकाला, एक निर्णय निकला और उससे वह व्यवस्था निकली।

माननीया मुख्य मंत्री ने कहा है कि सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर परामर्श कर लेंगे और जो निर्णय होगा, उसको लागू किया जायेगा। यहां पर आश्वासन कोई नहीं देगा, बातचीत के द्वारा कोई तरीका तो होगा, लेकिन उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया और जो जिस रूप में और जिस तरह से हुआ आप कम से कम दलीय नेताओं को सूचित करें। अभी कहा गया कि गम्भीर चोटें आयी हैं, तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो हम खेद प्रकट करेंगे। किसके साथ ऐसा हुआ। यह राजनीतिक कारणों से गलत संदेश भेजने की बात कही जा रही है, तो संरक्षण देना होगा, सत्ता पक्ष को भी संरक्षण देना होगा और विपक्ष को संरक्षण देना होगा। निरीह होकर बैठे रहना, हमारा स्वाभिमान स्वीकार नहीं करता। जब हमारे पक्ष की ओर से शोर होता है या कोई व्यवधान होता है तो मैं अपने साथियों को रोकने की कोशिश करता हूं। क्या यह कार्य अन्य दलीय नेता नहीं करेंगे, क्या कहीं पर यह विशेषाधिकार है कि एक ही दल के 8-8 लोग नेता की भूमिका अदा करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। नेताओं की आपके चेम्बर में बात होने के बाद, निर्णय होने के बाद जो-जो अभूतपूर्व बात हुई है वह लोकतंत्र की क्या परम्परा है आपके पक्ष में बात होती है उसके बाद सब कुछ यथावत हो जाता है, यह चलता रहता है जो कि उसका पालन नहीं हुआ। टेबुल के ऊपर खड़े होकर सदन का समय नष्ट किया जाय तो यह आपको देखना होगा, मान्यवर, इस पीठ के सम्मान की जिम्मेदारी होती है। मैं यह बात सरकार की ओर से नहीं कह रहा हूं। मैं मंत्री के रूप में नहीं, एक विनम्र सदस्य के रूप में कह रहा हूं। आप यहां पर बैठे हैं यहां पर माननीय पुरुषोत्तम दास टण्डन जी तथा अन्य कितने ही जिनका उल्लेख किया जाता है बैठे हैं, आपकी योग्यता पर किसी को कोई संदेह नहीं है लेकिन अगर यह स्थिति आ जाय। इस मेज पर चढ़कर लोग खड़े हो जायं तो क्या यह स्वस्थ परम्परा है ? (व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

क्या आप व्यवस्था देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

यह कल की घटना से जाहिर है यह सरकार कितनी निकम्मी है, (व्यवधान) कितना घिनौना काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

इस समय सरकार की बात नहीं हो रही है माननीय अवधेश जी इस समय सरकार की बात नहीं हो रही है। कल सदन में जो हुआ उसकी बात हो रही है। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अवधेश प्रसाद–

[× × ×] (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नहीं लिखा जायेगा, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) कृपा कर स्थान ग्रहण करें।

(कई सदस्य सदन के मध्य आ गये जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश जी आपकी पूरी बात आ गयी, थोड़ा सहयोग आप भी करें। आपकी दृष्टि से कोई चीज माननीय टण्डन जी ने हट कर कही तो वह सुन लीजिये। आपकी ओर से शासन पर बहुत तीखे प्रहार हुए, सत्ता पक्ष ने शान्ति से बात सुनी (व्यवधान) कृपया बैठ जायें। मेरी अनुमति के बिना कहेंगे तो नहीं लिखा जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

क्या प्रश्न है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सत्य है कि इस सदन को चलाने का कर्तव्य हम सब लोगों का है। यह भी सत्य है कि हमें धैर्य रखना चाहिए लेकिन विपक्ष में बैठे हुए हम अपनी आवाज विधान सभा में उठाने का अधिकार रखते हैं और उसी के नाते अपनी आवाज उठा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं हुआ। यह आप भाषण कर रहे हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सत्ता पक्ष की तरफ से दो बातें कही गयीं।

श्री अध्यक्ष–

यह आप उनके भाषण का उत्तर दे रहे हैं। आप कृपया बैठिये।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

माननीय नरेश जी की बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप यहां आकर भाषण दीजिये । आपको अगर बहुत बोलने का शौक है तो आप यहां से आकर भाषण दीजिये ।

(श्री दल बहादुर कोरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय दल बहादुर जी बैठ जायं । (शोर)

एक सदस्य–

निलम्बन वापस लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

जहां कहीं ऐसी बात होगी, लेश मात्र भी आपत्तिजनक होगा उसको मैं हटवा दूंगा ।

(श्री लाल जी टण्डन के खड़े होने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय टंडन जी आप बैठ जायं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

श्रीमन्, आज हमारी 3 महिला सदस्यों को चोटें आयी हैं । [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह बातें आप कह चुके हैं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप जो भाषण दे रहे हैं, यह नहीं लिखा जायगा ।

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अवधेश प्रसाद–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश जी, सदन की कार्यवाही चलाने के लिये मैंने आपका सहयोग मांगा है ।

श्री लाल जी टण्डन–

मान्यवर, मैंने तो केवल प्रमोद कुमार जी ने जो बात कही है मैं उस बात के पक्ष में बोल रहा हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । अभी टण्डन जी ने अपनी बात समाप्त नहीं की है । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप तो लगता है हर बात पर उतावले रहते हैं बोलने के लिये । कृपया स्थान ग्रहण करें मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, अभी नरेश जी को कुछ भ्रम हो गया था । मैंने यह नहीं कहा कि वेल में आने की बात । मैंने कहा कि जब टेबुल पर चढ़ते हैं तो मेरा हृदय कहता है कि यह संविधान के ऊपर खड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, [× × ×] आज इन्हें संविधान की बड़ी चिन्ता हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

लाइये नियम–311, 301 और 300 की सब सूचनायें दीजिये । जब आप ऐसा चाहते हैं तो उसी तरह से सदन चलेगा । आपकी बात सत्ता पक्ष ने सुनी अब आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते तो हम कार्यवाही आगे बढ़ायें ।

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, दो चीजों पर व्यवस्था दे दें । जिन कर्मचारियों ने कल मारपीट की है उनके निलम्बन की

(व्यवधान)

[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप किसी को न सुनिये कृपा करके संसदीय कार्य मंत्री जी को सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं नियम 311, 301, 300 की सूचनायें सब मुझे दे दीजिये । मैं टण्डन जी को सुनने के बाद व्यवस्था दे दूंगा । आप धैर्य रखिये । ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा कि आप उनकी बात से सहमत नहीं होंगे । लेकिन व्यवस्था तो मैं दूंगा । अवधेश जी कृपया सदन को चलाने में सहयोग करें ।

(व्यवधान)

राम नरेश यादव जी हमारे पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं । आप लोग कृपया बैठ जायं उन्हें अपनी बात कहने दें ।

* श्री राम नरेश यादव–

इस प्रश्न पर बहुत गम्भीरता के साथ दोनों पक्षों की तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से और मैं भी समझता हूं कि सारे दल के हमारे सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं, उन सबको किसी न किसी तरह से पीड़ा पहुंची है । लेकिन इस पीड़ा का निदान इस सदन को कई घंटे तक चलाने से नहीं होने वाला है । प्रश्न यह है कि एक घटना घट गई उसके बारे में सभी सदस्यों को खेद है । कैसे घटना घटित हुई, क्यों हुई इसका प्रश्न नहीं है । अब प्रश्न यह है कि उस पीठ की जो गरिमा हैं, आप भी उस पीठ की गरिमा हैं और रहेंगे । इस गरिमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस विधान सभा के सभी सदस्यों की है । चाहे उधर बैठे सत्तापक्ष के सम्मानित सदस्य हों चाहे इधर बैठे माननीय सदस्य हों हर सदस्य की जिम्मेदारी है, इस विधान सभा की, इस पीठ की रक्षा करने की । घटना घटी, कभी-कभी ऐसे क्षण भी आ जाते हैं कि लोकतंत्र में गर्मी आना ठीक रहता है । हो सकता है किसी की बात पर किसी दूसरे को पीड़ा पहुंची हो । आखिर सभी इंसान हैं । ऐसी स्थिति में गल्तियां होती हैं लेकिन गल्तियों के परिमार्जन के लिये निर्णय लिया जाता है, सदन की जिम्मेदारी होती है कि उस निर्णय पर विचार करे ।

सदन सुचारु रूप से चल सके इसकी जरूरत है । आज आपके कक्ष में सारे विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों से बात हो गई, सब मामला तय हो गया । मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि उत्तेजित होना कभी-कभी ठीक रहता है, उत्तेजित होना चाहिए लेकिन बार-बार उत्तेजित नहीं होना चाहिए । इधर से कोई भावना रखी गई तो सत्ता पक्ष की तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए कि सदस्य उत्तेजित हो जाएं । आपको उदार और सहिष्णु होना चाहिए क्योंकि आप सत्ता में हैं । आपमें विपक्ष की बात सुनने का धैर्य होना चाहिए । सदन सबसे मिलकर बना है चाहे वह कर्मचारी हों । अब इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है । इसलिये अब सदन को चलाने का यही मार्ग है कि जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार प्रस्ताव रखें और प्रस्ताव रखकर निलम्बन वापस लिया जाना चाहिए । कभी-कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं कि निर्णय बदल जाते हैं मेरा निवेदन है कि आप संयम से काम लें। धैर्य से काम लें, निलम्बन को वापस होने दें । फिर बैठकर विचार किया जा सकता है । प्रस्ताव रखकर कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें । फिर जो सम्मानित सदस्य बाहर हैं वह भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे । इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे बोलने का अवसर दिया ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

जिस भावना से मा० यादव जी ने विचार रखे हैं उसके अनुसार बात रखें । लालजी टण्डन जी आप प्रयास करें कि सारा सदन आपकी बातों से सहमत हो जाए ।

(व्यवधान)

श्री इकबाल महमूद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

उनका मुंह खुला नहीं कि व्यवस्था शुरू हो गई । अभी माननीय यादव जी की बात का असर नहीं हुआ ?

(व्यवधान)

श्री लाल जी टण्डन–

अभी रामनरेश यादव जी, जो सदन के नेता रह चुके हैं को सुना, उनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूं । सदन पूरी तरह बैठे, एक दूसरे की बातों को धैर्यपूर्वक सुनेंगे । उदारता में कोई कमी नहीं होगी । आपकी बातों को सुना जाएगा । लेकिन व्यवस्था मर्यादा बनी रहे । मुझे कुछ नहीं कहना है । इस पर जो निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन किया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं अपनी व्यवस्था देने जा रहा हूं । माननीय अवधेश प्रसाद जी तथा इस सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने कल माननीय नेता विरोधी दल एवं उनके साथ अन्य माननीय सदस्यों के निलम्बन के बारे में चिन्ता प्रकट की है। उसके साथ ही साथ प्रदेश में हो रही कुछ आपराधिक घटनाओं का भी उल्लेख किया है । कुछ माननीय विधायकों की सुरक्षा वापस लिए जाने के प्रति भी अवधेश प्रसाद जी ने चिन्ता प्रकट की है । आपने यह भी उल्लेख किया कि तीन माननीय महिला विधायिका चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती हैं । मैं आज इस सदन की कार्यवाही के पश्चात् स्वयं ही चिकित्सालय में जाऊंगा और उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछूंगा । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी उपस्थित हैं । मैं उनसे कहूंगा कि उनके उपचार के संबंध में आवश्यक निर्देश हों वह दिए जाएं । विधायकों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । श्रीमती यादव की सुरक्षा की बात थी । उन्होंने मुझसे निवेदन किया था । आपको स्मरण होगा उनका एक प्रश्न था यद्यपि वह उपस्थित नहीं थीं फिर भी मैंने शासन को निर्देश दिया था ।

उनका यह कहना है कि यद्यपि उनके व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं लेकिन उनके घर पर से सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई हैं । मैंने उसी दिन निर्देश दे दिया था और शासन ने भी उनके घर पर सुरक्षा व्यवस्था लगाने के निर्देश दे दिए हैं । श्री श्याम किशोर यादव की सुरक्षा व्यवस्था क्यों हटा ली गई, संसदीय कार्यमंत्री जी इस बात को देख लें। आज प्रदेश की जो राजनीति है उसमें न केवल श्याम किशोर यादव जी ही नहीं बल्कि अनेक माननीय विधायकों को सुरक्षा की आवश्यकता है । जिन माननीय विधायकों द्वारा सुरक्षा की मांग की जाए, उसका कृपया पर्याप्त परीक्षण करवा लें और परीक्षण करने के उपरान्त उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाए । मुझे विश्वास है कि उन माननीय विधायकों को सुरक्षा दे सकने में आप सफल होंगे । श्री ताराचन्द्र यादव की हत्या का उल्लेख अवधेश प्रसाद जी ने किया । कल भी इस हत्या की चर्चा हुई थी । मैंने कल ही इस पीठ से निर्देश दिया था कि उनकी हत्या के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें । मैंने यह भी कहा था कि नेता विरोधी दल से बराबर सम्पर्क बनाए रखा जाए । और जितनी भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उस सूचना के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कर लें ।

एक चीज मुझे कभी-कभी चिंताजनक लगती है। यह सदन एक बड़े विचार विमर्श के माध्यम के रूप में बना है। अध्यक्ष की पीठ पर जब भी कोई बैठता है तो वह कोई इस सदन का सदस्य ही बैठता है। सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए उसको प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में और संविधान में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं वरना सारा अधिकार इस सदन का होता है। मैं तो आपके बीच का हूं।

वेल में आने अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी किसी बात पर विरोध प्रकट करना यह संसदीय लोकतंत्र में एक सामान्य परम्परा हो गई है। लेकिन जहां एक ओर यह सामान्य परम्परा है, इस बात की अपेक्षा की जाती है कि माननीय सदस्यगण अपने-अपने व्यवहार पर संयम रखेंगे। जिस पीठ से वह संरक्षण की मांग करते रहते हैं उस पीठ पर कोई भी बैठा हो। उसके आदेशों का अनुपालन करते हुए इस पीठ का सम्मान करेंगे। मैं अभी कल की घटना के बारे में सोच रहा था कि जब माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगें तो क्या प्रश्न उनसे उनके मतदाता पूछ सकते हैं क्या मतदाता यह प्रश्न पूछेंगे कि विधायक जी आपने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा प्रश्न उठाया ? या मतदाता यह पूछेगा कि माननीय विधायक जी बताइये कि 24 अप्रैल को यह क्या घटना हुई ? ऐसे प्रश्न लोकतंत्र में अगर कोई मतदाता उठाता है कि 24 अप्रैल, 97 को क्या घटना हुई, तो हम सब माननीय विधायक हैं, हम सबके मन में संसदीय लोकतंत्र के बारे में कहीं प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। आप सबने चिन्ता प्रकट की, खेद भी कुछ माननीय सदस्यों ने प्रकट की कि ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं हैं कि जो आलेखक हैं, हमारे रिपोर्टस् हैं, सचिव हैं, अधिकारीगण हैं, सब बैठे रहते हैं। यह आपके काम को सुचारु रूप से चलाने में सहायता प्रदान करते हैं तथा अध्यक्ष को इस सदन की कार्यवाही विनियमित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें व्यवधान होगा तो इसका अर्थ है कि आपके कार्य में व्यवधान हो रहा है।

दूसरी चीज अध्यक्ष पीठ से जब कोई निर्णय हो जाता है तो उस पर प्रश्न नहीं उठाया जाता क्योंकि यदि निर्णय पर प्रश्न उठने लगे तो फिर विधान सभा की कार्यवाही को संचालित करना कोई भी अध्यक्ष हो, उसके लिये सम्भव नहीं है। आज भी सीधे तो नहीं परन्तु अपरोक्ष रूप से, अनजाने में कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी बात कही है जिससे कुछ सदस्यों को लगा कि अध्यक्ष पीठ के निर्णय पर प्रश्न उठाया जा रहा है। अध्यक्ष पीठ के द्वारा जो निर्णय दिया गया उसके अनुपालन में माननीय श्री अवधेश प्रसाद ने यह बात कही है कि कुछ शिकायतें हैं। मैंने आपको आश्वासन दिया है कि उसको देख लूंगा, परीक्षण कर लूंगा। मेरी ओर से सदैव यह प्रयास रहता है कि सदन विनियमित रूप से और अच्छी तरह से चले और यथासम्भव अधिक से अधिक माननीय सदस्यगण नियमों के अन्तर्गत इस सदन की कार्यवाही में भाग लें, अपने विचारों को रखें, इस सबके लिये मूलमंत्र है सहिष्णुता।

जब हम लोग चुनाव में वोट मांगने जाते हैं यहां भाषणों में तीखे-तीखे प्रहार होते हैं परन्तु सदन के अन्दर भाषा बदल जाती है, बहुत ही संयमित हो जाती है, सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी बोली का अन्तर हो जाता है, तो हमको भी समझने में दिक्कत होती है। एक दिन एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी। अपने पिता को "तुम बोलने लगे। मैंने टोका तो कहने लगे कि पश्चिम में पिता को "तुम" कहा जाता है। डायलेक्ट भी बदलते हैं। कभी बात करने का तेवर बदल जाता है तो हम सब उसको उसी भावना में लेते हैं, सही भावना में उसे स्वीकार करते हैं और तर्क के साथ उत्तर देने का प्रयास करते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि बातों की सही रूप में लेंगे। कल जो निलम्बन का प्रकरण आ गया। इस पीठ के मन में किसी को दण्डित करने की बात नहीं थीं, क्योंकि सदन की पीठ से जो निर्देश हुआ था उसका पालन होना चाहिए था। पहले भी मैंने देखा है कि निष्कासन हुआ है, चले जाने के निर्देश हुये हैं। मार्शल जाकर कहते थे कि माननीय सदस्य आपका निष्कासन हो गया है, वह हंसते हुये चले जाते थे। अभी थोड़ी कठिनाई है, अभी कुछ भावनायें ज्यादा तेज हैं। मैं दोनों पक्ष से सत्ता

पक्ष और विपक्ष से निवेदन करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही को समुचित रूप से, शांतिपूर्वक, नियम के अनुसार चलाने में सहायता करें और अब मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि क्या माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी क्या प्रस्ताव ला रहे हैं ?

नेता विरोधी दल सहित 27 सदस्यों के निलंबन को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव

* पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

इस सदन की प्रत्येक सदस्य की भावना का आदर करते हुये और खासतौर से प्रमोद कुमार और माननीय श्री राम नरेश यादव जी की भावना का समुचित आदर करते हुये, अध्यक्ष पीठ का पूर्ण सम्मान करते हुये मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को माननीय नेता विरोधी दल श्री धनीराम वर्मा जी सहित, विधान सभा के जिन 27 सदस्यों को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299(3) के अन्तर्गत निलम्बित किया गया है, उसे निरस्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किये जाने पर केवल सत्ता पक्ष के व विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों के "हां" कहने पर श्री अध्यक्ष के समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करते हुये)

क्या आप सहमत नहीं हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, जिन लोगों ने गल्तियां की हैं, उनके लिये अध्यक्ष पीठ से निर्देश होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि जो शिकायतें आपने की हैं, उसे देख लूंगा।

(सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

कल जो माननीय सदस्य निलम्बित किये गये हैं, वह सभी माननीय सदस्य अब सदन में आ सकते हैं।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आपने निलम्बन वापस लिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन जिन लोगों ने कल यहां घटना किया, उनके खिलाफ श्रीमन् आप कोई आश्वासन दे दें, यह आपकी तरफ से अभी स्पष्ट नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

अवधेश जी, मैंने पहले ही कहा कि जो आपने शिकायत की है, मैं उसको देख लूंगा, उसका परीक्षण करा लूंगा।

जिन्होंने हाउस में कल इस तरह का काम किया है, उनके निलम्बन के बारे में आप स्पष्ट आश्वासन दे दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने दो बार अपनी बात कह दी। जो मैंने कह दी, अब उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति के बारे में एक सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 25 अप्रैल, 1997 की बैठक में सदन के दिनांक 25 अप्रैल, 1997 के उपवेशन के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन के दिनांक 25 अप्रैल, 1997 का कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

अप्रैल, 1997

25 शुक्रवार (1) विधायी कार्य

(क) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के संगत नियमों को शिथिल करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 का पुरःस्थापन, विचार एवं उसका पारण–आधा घन्टा।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घन्टा।

(2) श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित असरकारी संकल्प का केवल प्रस्तुतीकरण :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थाई समाधान के लिये राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण अविलम्ब कराया जाय।"

(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(4) नियम–103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर चर्चा स्थगित रखी जाय।

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खोले जा रहे "पी०एल०ए०" पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें अब तक स्थानान्तरित धनराशि का प्रयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु यथाशीघ्र किया जाय।"

2–दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिन नियम–56 की सूचनायें न ली जायें।

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब मैं अन्य सूचनायें जो प्राप्त हुई हैं, उनको ले रहा हूं।

दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को सदन में हुई घटना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

बाबू राम जी, अब वह अध्याय समाप्त हो गया है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपने जो निर्णय दिया है, उससे सारा सदन सहमत है लेकिन टण्डन जी ने जो बात उठाई है, उसके संबंध में मुझे कुछ कहना है। टण्डन जी ने कहा कि मैं 3 दिन से मूकदर्शक होकर सदन की घटना को देख रहा हूं। मान्यवर, कल यहां एक घटना हुई।

श्री अध्यक्ष–

अब उस बारे में कुछ न कहें, तो ज्यादा अच्छा है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मैं आपके हर निर्णय को शिरोधार्य करता हूं। मान्यवर, टण्डन जी को यह पीड़ा नहीं हुई कि जो हमारी महिला सदस्याएं अस्पताल में भर्ती हैं, टण्डन जी ने इस क्षण तक उनकी पीड़ा को सुनने का एहसास नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

उस पर मेरी व्यवस्था आ गयी, मैंने कहा कि मैं स्वयं जाकर देखूंगा।

(व्यवधान)

कृपया शांति बनायें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें, यह नहीं लिखा जायेगा।

(श्री बाबू राम यादव के खड़े रहने पर)

कृपया स्थान ग्रहण करें, कुछ नहीं लिखा जायेगा। मैं नियम 301 ले रहा हूं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं।

आज दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 88 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं। श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री रामचन्द्र मौर्य, श्री मुन्ना चौहान, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री हरिशंकर तिवारी, श्री अफरोज अली खां, श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री राम नक्षत्र, श्री स्वामी ओइम्वेश, श्री श्याम लाल रावत, श्री हरदेव सिंह, श्री राम कृपाल, श्री प्रदीप कुमार, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री नवाब सिंह नागर, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री रघुनाथ सिंह चौहान, श्री बिन्दु लाल, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री दल बहादुर कोरी, श्री भाई लाल, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री कैलाश सिंह राजपूत, श्री बाबू लाल, श्री दया शंकर वर्मा, श्री राम कृपाल सिंह, श्री सन्त प्रसाद, श्री धनराज यादव, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री मे० जगत पाल सिंह, श्री विद्यासागर गुप्त, श्री जगदीश नारायण राय, श्री श्याम देव राय चौधरी, श्री कौकब हमीद, श्री दलवीर सिंह, श्री के०सी० सिंह बाबा, श्री सरवर अली, श्री राम सिंह सैनी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी", श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री शिव पाल सिंह यादव, श्री विक्रमाजीत मौर्य, श्री भारत सिंह रावत, डा० राम आसरे सिंह कुशवाहा, श्री श्याम सुन्दर शर्मा, श्री दद्दू प्रसाद, श्री मुन्ना लाल मौर्य, श्री मित्रसेन यादव, श्री राजधारी, श्री राम ललित चौधरी, श्री राम पाल वर्मा, श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, डा० गंगा बक्श सिंह, श्री शौकत अली, श्री वेद प्रकाश, श्री राम आसरे पासवान, श्री मोती लाल, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री अरविन्द गिरि, श्री रामाधार सिंह, श्री पारस नाथ यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री शिव सिंह चक, श्री राम जग, श्री नन्द राम, श्री तौफीक अहमद, श्री जय प्रकाश, श्रीमती गौरी देवी, श्री राजेन्द्र यादव, श्री सरदार सिंह, डा० वकार अहमद शाह, श्री फागू चौहान, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री अक्षयवर लाल, श्री अजय भट्ट, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री पूर्णमासी पंकज, श्री सत्य प्रकाश सोनकर, श्री राम कुमार वर्मा।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गईं वे या तो ज्यादा विभागों से संबंधित हैं या नियम के अनुसार नहीं हैं। ये हैं श्री जगदम्बिका पाल, श्री तेजभान सिंह, श्रीमती मंजू सिंह, श्री दिलीप कुमार वर्मा, श्री अरिमर्दन सिंह।

जो सूचनाएं स्वीकार की गईं है वह सभी पढ़ी हुई मान ली जायं। मैं इन सभी की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(सदन की सहमति से सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

लखनऊ में राजकीय पालीटेक्निक से पिकनिक स्पाट रोड के पास के निवासियों को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री यशपाल सिंह चौहान–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लखनऊ में राजकीय पालीटेक्निक से मुंशी की पुलिया की ओर जाने वाली पुराना पिकनिक स्पाट रोड की दुर्दशा की ओर आकर्षित करना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया'।

चाहता हूं कि उक्त रोड एक पतली सड़क है जिसके एक ओर इन्दिरा नगर डी–ब्लाक के मकान हैं और दूसरी ओर निजी भूखण्ड हैं, जिन पर लोगों ने दुकानें बना रखी हैं।

औद्योगिक क्षेत्र न होने के बावजूद उक्त दुकानों में इस समय 15–20 के लगभग ग्रिल-गेट चैनल तथा आलमारियां आदि बनाने की दुकानें खुली हुई हैं जिससे दिन रात उस सड़क पर सरिया, पटिया एंगिल तथा लोहे की चादरें काटने तथा वेल्डिंग का कार्य होता है, जिसके कारण वहां अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण एवम् वेल्डिंग कार्य के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है तथा बच्चों की पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। परिणामतः वहां के निवासियों का जनजीवन अत्यन्त कष्टमय हो रहा है।

आधी सड़क तक उक्त दुकानों का लोहा, पटिया आदि फैला पड़ा रहता है, जिससे लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। लोगों की आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लोग बहरेपन तथा हाइ-ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उल्लिखित उद्योगों को उक्त सड़क से तुरन्त हटवाया जाय। ताकि वहां के नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण एवं शान्त वातावरण मिल सके और सड़क यातायात भी बाधित न हो।]

जनपद मिर्जापुर के मझवां विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने तथा लक्ष्य के अनुसार ऊर्जीकृत किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम चन्द्र मौर्य–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में कई महीनों से पूरी रात व आधा दिन बिजली कटौती लागू रहती है। लगभग 10 गांव ऐसे हैं, जहां के तार चोर काट ले गये हैं। दस वर्ष पहले आज तक पुनः तार नहीं लगाये गये। विद्युतीकरण को 1994-95 के भी लक्ष्य आज तक पूरे नहीं हो पाये। सिंगल फेज व पावर लाइन की कटौती एक साथ होती हैं। इससे जनता में खासकर छात्रों, युवकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है जो किसी भी हिंसक आन्दोलन का रूप ले सकता है। विद्युत विभाग के इस उपेक्षापूर्ण रवैये से यह समस्या किसी भी दिन विकराल रूप ले सकती है। मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पावर लाइन 14 घंटे आपूर्ति दी जाये। सिंगल फेज लाइन की आपूर्ति पूरी रात कम से कम शाम 6 बजे से 12 बजे रात तक अनिवार्य की जाय।

जिसे ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों, किसानों व छात्रों के साथ न्याय हो सके। इसके साथ ही विद्युतीकरण का लक्ष्य अविलम्ब पूरा करने का निर्देश दिया जाय।]

जनपद देहरादून के दो वार्डों को नगर पंचायत से पृथक कर ग्राम पंचायतों के रूप में गठित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुन्ना चौहान–

[महोदय, जनपद देहरादून में नगर पंचायत हरवर्टपुर में दो वार्डों फतेहपुर ग्रान्ट एवं एटनबाग में कुछ दिन पूर्व सम्पन्न हुए नगर पंचायत चुनावों में चुनावों का बहिष्कार किया गया। स्थानीय लोगों की मांग है कि उन्हें नगर पंचायत से पृथक करके ग्राम पंचायतों के रूप में गठित किया जाय। इससे पूर्व कुछ वर्ष पहले एक गांव फतेहपुर के बहिष्कार के कारण उसे लोगों की मांग के अनुरूप नगर पंचायत से

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पृथक करके ग्राम पंचायत गठित की जा चुकी है। लोकतंत्र में लोगों का मतदान में हिस्सा न लेना एक बेहद गम्भीर बात है। यद्यपि नगर पंचायत छोटी इकाई होती है परन्तु इन्हीं छोटी-छोटी इकाइयों को मिला कर विधान सभा एवं लोक सभा क्षेत्रों का निर्माण होता है। चुनाव बहिष्कार के कारणों का पता लगाना तथा जनआकांक्षाओं के अनुरूप कार्यवाही करना सरकार का दायित्व है। यह सन्तोष की बात है कि जनमानस ने अपनी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से की है। यदि इसमें तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी तो जन-आन्दोलन होगा जिससे कानून व्यवस्था की समस्या भी खड़ी होगी। मैं सदन के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करके तत्काल कार्यवाही का अनुरोध करता हूं। विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड देवरिया के कार्यों में व्याप्त धांधली पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सूर्य प्रताप शाही–

[ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड देवरिया में कार्यों में व्यापक धांधली तथा घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर जनकोष को भारी क्षति पहुंचायी जा रही है। नारायणपुर-बंजरिया-कोन्हलिया-बाबूराय तथा सुन्दरपुर एवं कोइलसवा मार्गों पर घटिया ईंट लगाये गये हैं तथा अम्बेडकर ग्राम चेकदेइयां के नाली निर्माण में मानक से कम सीमेंट तथा तीसरे किस्म की ईंट लगाने से छः माह के भीतर ही नालियां बिखर गईं। वहां खोदे जाने वाले पोखरे की धनराशि भी हड़प ली गई है। इस प्रकार विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के विगत चार माह से 45 कर्मचारियों का वेतन भुगतान न कर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वैसे नियुक्त प्रदेश के अन्य जिलों के कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा है और 27 मार्च, 1997 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये वित्त नियंत्रक ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ने आदेश भेजा कि नियमित अधिष्ठान पद से इनके वेतन का भुगतान कर दिया जाय। इनके बाद भी कर्मचारियों से उत्कोच प्राप्त करने के लिये उन्हें परेशान किया जा रहा है जिसमें 45 विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी भुखमरी के शिकार हैं।

फलतः आपकी अनुज्ञा से इस लोक-महत्व के विषय को सदन की संज्ञान में लाकर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा महानगर के ट्रांस यमुना क्षेत्र में कन्या विद्यालय खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सत्य प्रकाश विकल–

[महोदय, आगरा महानगर का ट्रांस यमुना क्षेत्र लगभग 2 लाख आबादी का विशाल क्षेत्र है, जिसमें महानगर के मोहल्लों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के इलाके भी शामिल किये गये हैं। दो लाख की इस आबादी में 80 प्रतिशत संख्या अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की है जिनके परिवारों की लड़कियां शिक्षा के लिये यमुना व लाइन पार करके 8 कि० मी० दूर तक शहर के कालेजों में पढ़ने जाने के लिये विवश हैं क्योंकि उनके क्षेत्र में कोई कन्या विद्यालय नहीं है। इन छात्राओं को आने जाने की घोर असुविधा के साथ-साथ कक्षाओं में प्रवेश के लिये भी भारी कठिनाई और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इनके जाने से लेकर लौटने तक उनके अभिभावक भी उनकी सुरक्षा के प्रति बेहद चिन्तित रहते हैं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उक्त क्षेत्र में रामबाग, कटरा वजीरगंज, सीतानगर, रामनगर, मोतीमहल, मोतीबाग, गढ़ी हुसैनी, गढ़ी चांदनी, नगला देवजीत, कछपुरा, प्रकाश नगर, गौतम नगर, शहदरा, टेढ़ी बगिया, नरायण, नन्दलालपुर व ट्रांस यमुना कालोनी जैसी 30 से अधिक बस्तियां शामिल हैं। अतः इस क्षेत्र में कोई भी कन्या विद्यालय न होने से यहां की जनता में व्यापक असंतोष व क्षोभ है।

अतः अविलम्बनीय लोक-महत्व के इस सुनिश्चित विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुये मैं मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्र में राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के आदेश किये जायं।]

जनपद गोरखपुर में गीडा की स्थापना हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरि शंकर तिवारी–

[महोदय, मेरे जनपद गोरखपुर में औद्योगिक विकास के लिये वर्ष 1988 में गीडा की स्थापना तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा की गई थी तथा कार्य प्रारम्भ करवाने के लिये 5 करोड़ रुपये का प्राविधान किया। निर्धन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की गई उसकी योजना तैयार की गयी तथा कब्जा भी औद्योगिक इकाइयों को दिया गया किन्तु गरीब किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। वर्ष 1992 में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने पुनः गीडा का शिलान्यास किया किन्तु न तो धन आवंटन की व्यवस्था करवाई गई और न हीं मुआवजा दिये जाने का आदेश ही दिया।

उक्त कार्यवाही से गरीब किसानों की जमीन छिन जाने से उनमें दुःख व्याप्त है तथा अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा न मिल पाने से वे आन्दोलित हैं तथा कई माह पहले से जी० पी० ओ० पार्क पर धरना दे रहे हैं। यदि किसानों को मुआवजा अधिग्रहण के समय दिया जाता तो उनका धन 1994 में दो गुना और आज तीन गुना के बराबर होता।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि किसानों की जमीन का मुआवजा भुगतान आज के सर्किल रेट के आधार पर तत्काल करवाया जाये तथा योजना को मूर्त रूप देने के लिये उच्च स्तरीय समिति बनाकर धन के आकलन के उपरान्त धन आवंटन की व्यवस्था करवायी जाये अथवा योजना को समाप्त कर अन्य कोई विकास की योजना बनायी जाने का कष्ट करें।]

विश्व बैंक द्वारा पोषित शिक्षा परियोजना को जनपद रामपुर में भी लागू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अफरोज अली खां–

[विश्वबैंक द्वारा पोषित कतिपय जनपदों में "सभी के लिये शिक्षा" परियोजना के विकास के अन्तर्गत कार्यक्रम संचालित हैं जिसमें विगत जुलाई, 1996 से रामपुर को भी शामिल किया गया है। निदेशक, राज्य परियोजना उ० प्र० द्वारा रामपुर जिले के उपरोक्त परियोजना के लिये धन आवंटन भी किया गया था जिसमें कार्यालय व्यय एवं अन्य कार्य हेतु लगभग 6 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। लगभग 55 लाख रुपया मुख्यालय लखनऊ में मांग लिया गया।

अब इधर ज्ञात हुआ है कि उक्त परियोजना से रामपुर जनपद को अलग कर दिया गया है। उक्त कार्यक्रम परियोजना को अन्य जनपदों में विश्व बैंक द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू करने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है । जिसमें संभवतः रामपुर जिले को सम्मिलित नहीं किया गया है । आपको ज्ञात ही है कि रामपुर जिला शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ जिला है । और इस जनपद में उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत अशिक्षितों को शिक्षित बनाया जा सकता है ।

अतः अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण जनहित के प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा के लिये समय प्रदान करने की अनुज्ञा प्रदान करें ।]

श्री किशन राम पट्टी कैठेरों, तहसील रानीखेत जनपद अल्मोड़ा के यहां हुई आगजनी एवं लूटपाट की घटना पर उचित कार्यवाही हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह रावत गांववासी--

[महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि श्री किशन राम पुत्र स्व० श्री भानराम ग्राम डोटल ग्राम पट्टी कैठेरों पोस्ट बगवाली पोखर तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा ने कुछ वर्ष पूर्व बैंक से ऋण लिया था किसी प्रकार एकत्र करके 7,500/- जमा करके दिनांक 30-4-96 को जमा करने वाला था कि उक्त गांव में ही रह रहे कुछ अपराधिक तत्व के लोग दिनांक 29-4-96 की रात्रि में श्री किशन राम के घर में घुसकर लूटमार की कहासुनी होने पर उन लोगों ने आग लगा दी तथा पैसा सामान ले गये । गांव वालों की कृपा से श्री किशन राम के परिवार की जान बच सकी । श्री किशन राम ने उक्त घटना की लिखित रिपोर्ट दिनांक 4-5-96 को जिला अधिकारी अल्मोड़ा तथा दिनांक 6-6-96 पत्र संख्या 8913 महामहिम राज्यपाल महोदय, उ०प्र० तथा दिनांक 10-7-96 सभापति विधान परिषद् उ० प्र० तथा श्री अजय भट्ट, सदस्य विधान सभा ने भी कार्यवाही हेतु संस्तुति पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय जी को लिखा किन्तु खेद है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

उपरोक्त विषय की विशेष प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के आदेश संबंधित अधिकारी को देने की कृपा करें ।]

जनपद उन्नाव के ग्राम महतवानी निवासी प्यारे लाल की हुई हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने तथा आर्थिक सहायता देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम नक्षत्र--

[जनपद उन्नाव के थाना अजगैन के अन्तर्गत ग्राम महतवानी के निवासी प्यारे लाल हरिजन को दिनांक 23-12-96 को दौलत पुत्र लल्लू निवासी गोकुल खेड़ा थाना अजगैन जनपद उन्नाव आने पर कुछ साथियों सहित प्यारे लाल के घर से बुला ले गया और इन लोगों ने जगदीशपुर महतवानी के बीच बसहा नाले में प्यारे लाल को मार कर छिपा दिया । जब प्यारे लाल शाम तक घर नहीं आया तो उसका भाई चन्द्रिका ने खोजबीन शुरू की । कुछ लोगों ने बताया कि प्यारे लाल दौलत व उसके कुछ लोगों के साथ बसहा नाले की तरफ जाते हुए देखा गया था । गांव के चौकीदार व चन्द्रिका बसहा नाले में पड़ी लाश को निकाल कर थाने ले गये । थाने की पुलिस ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी और पोस्टमार्टम करके मामले को रफा-दफा कर दिया । प्यारे लाल की विधवा व बच्चे भुखमरी के शिकार हैं । पूरे क्षेत्र के हरिजनों में इस घटना का भय, आतंक एवं क्षोभ रोष का वातावरण व्याप्त है ।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाय तथा दलित महिलाओं को दो लाख रुपये की सहायता दी जाय तथा थाना इंचार्ज के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय ।]

नव सृजित जनपद ज्योतिबा राव फूले नगर में बिजनौर का कोई क्षेत्र सम्मिलित न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री स्वामी ओइमवेश–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान 6 अप्रैल, 1997 की मुरादाबाद की जनसभा में अमरोहा को नये जिले के ''ज्योतिबा राव फूले नगर'' के नाम से माननीया मुख्य मंत्री की घोषणा की ओर दिलाना चाहता हूं । जिसमें अधिकांश भाग जनपद बिजनौर का जोड़ा जा रहा है जो राजनैतिक सामाजिक व भौगोलिक तीनों की दृष्टि से ठीक नहीं है ।

मैं महान समाजसेवी ''ज्योतिबा राव फूले'' के नाम का विरोध तो नहीं कर रहा हूं परन्तु जिस तरह से सरकार का नियम है । मैं उसका विरोध कर रहा हूं । प्रदेश में वित्तीय संकट है । स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली व पेयजल आदि सुविधायें तो सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है जो बहुत जरूरी हैं लेकिन राजनैतिक द्वेष की भावना से नये जिलों व मण्डलों को बनाने में धन का दुरूपयोग कर रही है । जिससे इन क्षेत्रों के विकास कार्यों को काफी हद तक पूरा किया जा सकता था ।

मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मुरादाबाद का जनपद बिजनौर एक ऐतिहासिक जनपद है । महाभारत के बाद महात्मा बिदुर जी ने जनपद बिजनौर में दारानगर बसाया था वहीं पर अपने जीवन के अन्तिम क्षणों को बिताया था । आर्य समाज के संस्थापक और स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने भ्रमण के दौरान गंगा के किनारे बने केवलानन्द आश्रम निगमगंज में योग साधना की थी । वीर बालक भरत भी इसी जनपद में कण्व ऋषि आश्रम में शेरों के साथ खेला करते थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष रखा गया ।

ऐसे महान युग पुरुषों के जनपद को खण्ड-खण्ड करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है । जिस जनपद का नाम लेती हुई माननीया मुख्य मंत्री नहीं थकतीं थी आज वहीं जनपद के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहती हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ''लूटो और राज करो'' की नीति को छोड़ कर विकास के नाम पर अधिकारियों द्वारा लिये जा रहे 2000 रु० से 3000 रु० तक मकान बनाने की इस घृणित योजना को बन्द करो । यह कैसी बिडम्बना है । किसी शायर ने ठीक ही कहा है–

''जिसे प्यास है उसे कम से कम, जिसे प्यास नहीं उसे उम में दम ।
मेरे साखिये मुझे यह तो बता, ये मजाक है कि निजात है ।।''

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं जनपद बिजनौर का कोई क्षेत्र नये जिले में न मिलाया जाय । धन्यवाद ।]

जनपद सीतापुर के थाना सिधौली में श्री जगदीश सिंह पटेल हत्याकाण्ड के कथित अभियुक्त की रिहाई के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्याम लाल रावत–

[महोदय, सीतापुर जनपद के थाना सदेमा में नियुक्त सब इन्स्पेक्टर रघुवीर सिंह की एक दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद उनके पुत्र जगदीश सिंह पटेल कान्सटेबिल ट्रेनिंग पूर्ण करके थाना कमलापुर नियुक्त किये गये थे । 17 अक्टूबर, 1996 की रात्रि लगभग 10 बजे थाना सिधौली क्षेत्र के सिधौली बिसवां रोड पर खीरी ब्रांच नहर के निकट उनकी भी नियोजित हत्या कर दी गयी । हत्या अपराध से बचने और छिपाने के लिये इन्काउन्टर का रूप गढ़कर गांवों और बाजार से पकड़कर लाये गये दलित पिछड़ों को नामित करके अ०सं० 191/96 से 1996/96 तक धारा 147/158/149/307/302 में जेल भेज दिया गया लगभग 6 माह से निर्दोष झुर्री राम प्रसाद अयोध्या, दिनेश, शत्रोहन, सीतापुर जेल में बन्द हैं सभी के परिवार गरीबी सीमा के बहुत ही नीचे हैं परिवारों के सामूहिक आत्महत्या की नौबत है । हत्या में संदिग्ध पुलिस कर्मी रिवर्ट हुए थे । पुनः थाना सिधौली में मामले को दबाने के लिए नियुक्त हो गये हैं ।

यह अत्यन्त संवेदनशील और लोक-महत्व का विषय है निर्दोष दलितों और उनके परिवारों से जुड़ा है ।

अतः इस गम्भीर प्रकरण पर माननीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि निर्दोष दलित पिछड़ों को आई०पी०सी० की धारा 169 में जेल से रिहा किया जाय और दोषी तत्वों के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जाय ।]

जनपद बलिया के विकास खण्ड बिल्थरा रोड के कतिपय मार्गों को डामर कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरदेव सिंह–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद बलिया के विकास खण्ड बिल्थरा रोड अन्तर्गत अखोप माइनर से निकली नहर जो ग्राम पतनारी, तरछापार बीबीपुर होते हुए बहोरवा तक जाती है की एक पटरी को पीच कराने हेतु प्रस्ताव है जिस पर कुछ दिन मिट्टी भी डाल दी गयी है । कंकड़ मिट्टी आदि डाल दी गयी है और प्रभावशाली लोगों का गांव पतनारी है वहां तक सड़क को पीच भी करा दी गयी है । पीच कराने में भी सड़क की चौड़ाई और मोटाई का ध्यान नहीं दिया गया है और भारी कमीशनबाजी की गई । ग्राम तरछापार से बहारवां तक सड़क को पीच न होने से कंकड़ ऊपर निकल आये हैं और रास्ता चलने लायक नहीं है इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार आन्दोलन किया परन्तु स्थानीय लोक निर्माण विभाग बलिया के कर्मचारियों के कान में जूं तक नहीं गई । इसकी विभागीय कई जांचें भी हो चुकी हैं । जनता में काफी रोष है यह ग्राम सभा तरछापार हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोगों का गांव है हरिजन बस्ती से बहारवां तक की सड़क को पीच होना एक संदेहास्पद है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल शेष भाग को पीच कराने की अनुज्ञा चाहता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण ही किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उ० प्र० पूर्वी जिलों के मजदूरों को शासनादेश के अनुसार मजदूरी दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कृपाल–

[मान्यवर, उ० प्र० में पूर्वी जिलों में करोड़ों की तादात में काम करने वाले खेत मजदूर हैं जो पूरी तरह खेत मजदूरी पर ही जीवन बसर करते हैं। इनकी हालत अत्यन्त दुर्दशाग्रस्त है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्वी जिलों के इन खेत मजदूरों के लिए 47 रुपये प्रति दिन मजदूरी निर्धारित की है।

सरकार द्वारा निर्धारित 47 रु० से कम देकर 30-35 रुपये पर काम कराया जा रहा है। स्वयं सरकार ने पी०डब्लू०डी०, आर०ई०एस० सिंचाई आदि विभागों में भी 47 रुपये कर्म 30-35 रुपये प्रतिदिन पर काम कराया जा रहा है। यहां तक कि अम्बेडकर गांवों में भी यही हालत है। स्वयं मेरे जिले व विधान सभा क्षेत्र में निजी व सरकारी विभागों में भी 30 रुपये प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान खेत मजदूरों को किया जा रहा है।

शासन के आदेश नियमों का खुला उल्लंघन स्वयं सरकारी विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। यह उन खेत मजदूरों के साथ हो रहा है जो कृषि पैदावार व विभिन्न निर्माण कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और जिनकी जिन्दगी सबसे बदतर है।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन करने तथा करोड़ों खेत मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए यह सूचना स्वीकार कर 301 के अन्तर्गत चर्चा कराई जाय।]

जनपद मुजफ्फरनगर में हिण्डन नदी पर बने पुल का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार–

[मान्यवर, खटीमा पानीपत मार्ग पर उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाने वाला समस्त यातायात गुजरता है। इस मार्ग पर मुजफ्फरनगर जनपद में तिताबी के निकट हिण्डन नदी पर पुल बना हुआ है जो सैकड़ों वर्ष पुराना है इस पुल की हालत जीर्णशीर्ण है तथा बहुत सकरा है यद्यपि शासन ने पुल को कमजोर मानकर किसी भी वाहन के न गुजरने की चेतावनी अंकित कर दी है परन्तु विकल्प के अभाव में प्रति मिनट हल्के व भारी सैकड़ों वाहन पुल से गुजरते हैं किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है जिससे यातायात तो बाधित होगा ही जानमाल का भी भारी नुकसान होने की अशंका है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना के माध्यम से मांग करता हूं कि इस पुल का अविलम्ब पुनर्निर्माण कराया जाए।]

जनपद सीतापुर के ग्राम तड़ईकला में श्री सीताराम दलित की अग्नि काण्ड में हुई क्षति में आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राधेश्याम जायसवाल–

[महोदय, सीतापुर जनपद की सिधौली तहसील के अन्तर्गत ग्राम तड़ईकला में दिनांक 19 अप्रैल, 1997 अपराह्न 4 बजे अग्किाण्ड से 12-13 मकान जल कर राख हो गये हैं, मकान ध्वस्त हो गये हैं सामान जल गया है भारी हानि हुई है। श्री सीताराम दलित की पुत्री अनीता भी जलकर मर गई है। पीड़ित परिवारों के सामने आवास खान पान और कपड़ा पहनने की बड़ी परेशानी पैदा हो गई है।

अतः इस लोक महत्व के प्रकरण पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं और मांग करता हूं कि पीड़ित परिवारों को समुचित आर्थिक सहायता दलित परिवारों को ध्वस्त मकानों के स्थान पर इन्दिरा आवास स्वीकृत करने एवं पात्रों को वृद्धावस्था किसान एवं विधवा पेंशन देने का और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्थान पर इन्दिरा आवास स्वीकृत करने एवं पात्रों को वृद्धावस्था किसान एवं विधवा पेंशन देने का और मृतक अनीता के अभिभावक को एक लाख रुपया देने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के दादरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पुस्ता बांध की मरम्मत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*नवाब सिंह नागर–

. [मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के दादरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी का पुस्ता (बांध) याकूदपुर गांव के निकट विगत बरसात के समय टूट गया था और उस समय लगभग 20 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा था। ईश्वर कृपा से उस समय यमुना का जल स्तर नीचे गिर गया जिस कारण जान-माल को भारी क्षति होने से बच गई। उक्त बांध को बचाने के असफल प्रयास में सिंचाई विभाग, बुलन्दशहर द्वारा लाखों रुपये व्यय किया गया था परन्तु आज तक भी उक्त बांध नहीं बन सका है जिसके कारण वहां की ग्रामीण जनता में आने वाले बरसात के मौसम को देखते हुए भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। यदि अविलम्ब बांध का निर्माण नहीं हुआ तो इन गांवों को बचाना असम्भव होगा।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद वाराणसी में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*वीरेन्द्र सिंह (वाराणसी)–

[मान्यवर, वाराणसी जिले में कृषि विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण विभाग ज्ञानपुर तथा भूमि संरक्षण विभाग (ऊसर सुधार) वाराणसी के द्वारा 10 लाख इस योजना तथा सुनिश्चित रोजगार योजना का करीब 2 करोड़ रुपये का कार्य कराया जा रहा है जिसमें चयनित स्थान या तो नदी की तलहटी में है या एकदम किनारे जहां बरसात में 20 से 25 फुट पानी की धारा चलती है। यह स्थान इस नियत से चयनित किया कि बरसात के बाद कभी भी इनका भौतिक सत्यापन न हो सके।

साथ-साथ सुनिश्चित रोजगार योजना में नियमों का उल्लंघन कर ठेकेदारी प्रथा से कराया जा रहा है।

कृपया इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय तथा चयनित स्थान बदलने का कष्ट करें।]

जनपद पिथौरागढ़ में खाद्यान्न का आवंटन कोटा बढ़ाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ चीनी एवं नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है विगत एक माह से इस जनपद में खाद्यान्न की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन कम होने के कारण मैदानी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। 1991 की जन

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गणना के अनुसार कुल यूनिटें 514000 है जिसके लिये मात्र 2076 मी० टन० गेहूं एवं 1773 मीट्रिक टन चावल प्रतिमाह आवंटित होता है जिसका वितरण उपभोक्ताओं को 4 कि० ग्रा० गेहूं एवं 3 कि० ग्रा० चावल प्रति माह प्रति यूनिट किया जाता है जबकि शासन नियम स्केल 10 कि० ग्रा० गेहूं एवं 10 कि० ग्रा० चावल प्रति यूनिट प्रति माह है । उक्त स्केल के अनुसार जिले का मासिक आवंटन 5140 मी० टन० गेहूं एवं 5140 मी० टन चावल होना चाहिये ।

इस सीमान्त जनपद में शासन के मानकों के अनुसार आवंटन न होने के कारण खाद्यान्न अभाव निरन्तर बना रहता है । आज मेरे जिले में खाद्यान्न अभाव से गम्भीर संकट है जिले की वास्तविक मांग के अनुरूप जब भी अतिरिक्त खाद्यान्न इस जिले के लिये किया गया तो उसके लिये भारतीय खाद्य निगम द्वारा अवमुक्त आदेश जारी नहीं किया गया नवम्बर 1996 में जनपद पिथौरागढ़ के लिये आवंटित 1024 मी० टन गेहूं एवं इतना ही चावल अतिरिक्त आवंटन का अवमुक्त आदेश आज तक जारी नहीं हुआ है । खाद्यान्न अभाव बढ़ जाने से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है ।

अतः मेरा आग्रह है कि मेरे जनपद पिथौरागढ़ की गंभीर खाद्यान्न समस्या के समाधान के लिये 1000 मी० टन गेहूं एवं इतना ही चावल का अतिरिक्त आवंटन करने का कष्ट करें । ।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा जारी शासनादेशों को उत्तराखण्ड में न लागू किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रघुनाथ सिंह चौहान––

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय वन मंत्री, उ० प्र० से जानना चाहता हूं कि क्या शासनादेश संख्या 1566/14–2/97–800(1)/97 दिनांक 17 मार्च, 1997 द्वारा उन्होंने उत्तराखण्ड के निवासियों के तमाम हक हकूकों को समाप्त नहीं कर दिया है ।

माननीय मंत्री जी और यह सदन अवगत है कि उत्तराखण्ड के निवासियों का जीवन वन है । पूर्व से लागू वन अधिनियम के लागू होने से ही समस्त विकास कार्य वर्षों से लम्बित पड़े हुये हैं । उसके पश्चात् उत्तरांचल क्षेत्र के निवासियों के निजी जीवन, के उपयोग पर भी उक्त अदेश द्वारा रोक लगा दी गई है । मान्यवर, बिना वन के उत्तरांचल के निवासियों का जीवन अधूरा है । वनों से वहां के निवासियों को हक हकूक मिलता है, पशु चुकान एवं गोचर हेतु वन में जाते हैं और घराटों से आटा प्राप्त होता है । उक्त शासनादेश से सभी सुविधाओं से लोग वंचित रह गये हैं जिससे यह शासनादेश वहां के लोगों के लिए काला आदेश बन गया है ।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वहां के निवासी जहां वनों से अपना जीवन यापन करते हैं, वहीं वह वन संरक्षण में भी अपना पूर्ण योगदान करते हैं । यदि वहां के निवासियों को वनों से दूर रखा जायेगा उनका भी वनों से मोह समाप्त हो जायेगा । वनों की रक्षा में वह अपना योगदान नहीं दे सकेंगे । मान्यवर, सरकार गत वर्ष उत्तराखण्ड में व्याप्त आग को भूली नहीं होगी ।

मान्यवर, इस आदेश द्वारा जो कुठाराघात वहां के जन जीवन पर किया गया है जिस प्रकार से वहां के लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया गया है वह असहनीय एवं पीड़ादायक है । मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न द्वारा माननीय वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह उक्त काले शासनादेश को समाप्त करेंगे ? ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा व गैसड़ी के थारू निवासियों के जीवन यापन के लिये पत्थर से संबंधित कार्य योजना चलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बिन्दलाल–

[मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा व गैसड़ी में वन में बसे अनुसूचित जाति (थारू) की ओर दिलाना चाहता हूं ।

मान्यवर, इन दोनों विकास खण्ड में लगभग तीस हजार थारू बसे हैं जिनके पास मामूली क्षेत्र हैं जो कि असिंचित है । भगवान के सहारे ही इनकी खेती होती है । ज्यादातर लोग वन में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे इधर वन का कटान व नालों में पत्थर का जो काम होता था वह लगभग समाप्त हो गया है पत्थर का नीलाम गत दो वर्षों से न होने के कारण भूखों मरने की नौबत आ गयी है । यह लोग अपना घर छोड़कर बाहर भागने के लिये विवश हो रहे हैं । यदि इन लोगों को मजदूरी मिल सके इसकी व्यवस्था न की गई तो इस क्षेत्र में भुखमरी फैल जायेगी ।

सरकार से अनुरोध है कि पत्थर के नालों का नीलाम कराके या अन्य कार्य कराये जाये ताकि इन लोगों की मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें ।]

जनपद जौनपुर में पेयजल समस्या मार्ग निर्माण तथा अतिरिक्त चिकित्सकों की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती सीमा द्विवेदी–

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे जनपद जौनपुर में पेयजल की गम्भीर समस्या है । नदी के किनारे अधिकांश गांव के कुयें सूख गये हैं । पानी के लिये लोगों को गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है । जनप्रतिनिधियों का अधिकार यह रह गया है कि जिले से एक हैंड पम्प के लिये ही याचना की गई है ।

मान्यवर, मेरी दूसरी प्रमुख समस्या यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से जनपद मुख्यालय 60 कि० मी० दूरी पर स्थित है अभी 50 प्रतिशत मुख्य ग्राम मार्ग से नहीं जुड़ पाये हैं । गर्मी का महीना है आस-पास के चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं है । महोदय आजकल हैजा, आदि अनेक संक्रामक रोग फैल रहे हैं । किसी भी डाक्टर के न होने की वजह से जीवन असुरक्षित हो गया है । मुख्य चिकित्साधिकारी से कहने पर कहते हैं कि हमारे पास डाक्टर नहीं हैं । आप शासन से मांग करिये । अध्यक्ष जी मैं यह कहना चाहती हूं कि आज बहुत से क्वालीफाइड डाक्टर बेकार पड़े हैं जिनकी लोक सेवा आयोग से नियुक्ति होने में काफी लम्बा समय लग जाता है । अतएव आप कोई तात्कालिक व्यवस्था करवा कर तदर्थ रूप से चिकित्सकों की तत्काल नियुक्ति करवायें । विशेषतः महिला चिकित्सकों की संख्या नगण्य है अतएव आपसे अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दें ।]

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद लखनऊ के थाना गाजीपुर में 14 जनवरी, 1997 को हुए हत्याकाण्ड की विस्तृत जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* दल बहादुर कोरी–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में जनपद लखनऊ के थाना गाजीपुर द्वारा दिनांक 14 जनवरी, 1997 को एक हत्याकाण्ड के मामले में श्री रजनीश कुमार पुत्र श्री दिनेश प्रसाद निवासी सी–1357/8, इन्दिरा नगर लखनऊ को "मुन्नालाल" के नाम से गिरफ्तार करके दिनांक 15 जनवरी, 97 को जेल भेज दिया गया ।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि हत्या "मुन्नालाल" नामक व्यक्ति द्वारा की गई, निर्दोष श्री रजनीश कुमार को मुन्नालाल नाम से अभियुक्त किया गया, जो कि एक निर्दोष के प्रति अन्यायपूर्ण कार्य है । श्री रजनीश कुमार को जो कि अपनी जमानत के उपरान्त अपने निवास पर है । वह तथा उनका परिवार पूर्ण रूप से मानसिक तनाव में है इसके अतिरिक्त दिनांक 22-4-97 की रात्रि लगभग 10.00 बजे बिना किसी दोष के पुनः गाजीपुर थाने द्वारा रजनीश कुमार को घर से बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया ।

अतः श्रीमान जी से सादर अनुरोध है कि इस सम्पूर्ण घटना की विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखने हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद मिर्जापुर के छानबे विधान सभा क्षेत्र में हैण्ड पम्प लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* भाई लाल–

[मान्यवर, आपका ध्यान मैं मिर्जापुर जिले में छानबे विधान सभा क्षेत्र की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पेयजल का भीषण अकाल है लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं । भैंसोड़ बलाय पहाड़ तथा उमरिया न्याय पंचायत एवं मतवार न्याय पंचायत में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है गरीब अमीर दलित शोषित सभी काफी दूर से नदी का गन्दा पानी छानकर पीने के प्रयोग में लाते हैं । लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि तुरन्त हमारे क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर अविलम्ब पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाय तथा हमारे क्षेत्र के निवासियों की स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा की जाय । नदियों का पानी पीने से महामारी की भारी अशंका है । मेरी मांग है कि विधान सभा छानबे में कम से कम पांच सौ (500) हैण्ड पम्प लगाएं जाएं तथा पुराने लगे हैण्ड पम्प को मरम्मत कराकर पीने की व्यवस्था की जाय तथा कृत कार्यवाही से मुझे भी अवगत कराया जाय ।]

चीनी मिल नवाबगंज गोण्डा द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखपाल पाण्डेय–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

चीनी निगम की चीनी मिल नवाबगंज जिला गोण्डा की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । चीनी मिल नवाबगंज गोण्डा के नवीनीकरण तथा विस्तारीकरण होने के लिये लाइसेंस मिल गया है । अब तक विस्तारीकरण नहीं हुआ जिससे गन्ना पेराई की व्यवस्था है । गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य 9 करोड़ रुपया बकाया है मजदूरों का वेतन मार्च, 32 लाख तथा अप्रैल 32 लाख व पिछले वर्ष की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रिटेमिंग 30 लाख । इस वर्ष का ओवर टाइम 10 लाख भविष्य निधि अंश 1995-96 तथा 96–97, 45 लाख टोटल । करोड़ 64 लाख तथा 9 करोड़ गन्ना मूल्य का बकाया है जिसके कारण विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि नवाबगंज चीनी मिल का नवीनीकरण विस्तारीकरण तथा मजदूरों का 1 करोड़ 64 लाख बकाया व 9 करोड़ किसानों के गन्ने मूल्य का बकाया चीनी मिल न चलने से गन्ना किसानों की दुर्दशा हो रही है । ऐसी दशा में सरकार से मांग करता हूं कि मजदूरों का बकाया तथा किसानों के गन्ने मूल्य का बकाया तथा नवीनीकरण का काम तत्काल चालू किया जाय । सभी बकाये का भुगतान कराने की व्यवस्था करके विषम स्थिति में सुधार लाने की कृपा करें !]

श्री भगवान सिंह निवासी नगला पति, थाना भोगांव, मैनपुरी की जांच गुप्तचर शाखा से कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कैलाश सिंह राजपूत–

[महोदय, सदन के संज्ञान में इस हृदय विदारक और सनसनीखेज दुर्घटना को प्रस्तुत करते हुये निवेदन करता हूं कि दिनांक 19-4-97 को दिन के 4.30 बजे फर्रूखाबाद के थाना मेरापुर पुलिस ने श्री नेत्रपाल पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी नगला पति पो० अरमसराय थाना भोगांव जिला मैनपुरी को उसके नलकूप से दसियों काश्तकारों के सामने यह कहकर साथ लिया कि तुमसे कुछ काम है और उसे वहां ले जाकर उसी दिन गोली मारकर पुलिस ने उसकी हत्या कर दी और इस क्रूर हत्या की घटना को पुलिस ने दस्यु खूंखार पुलिस मुठभेड़ दिखाया और इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में किया तथा राज्य सरकार को सूचना दी । इस व्यक्ति नेत्रपाल के अतिरिक्त न कोई और व्यक्ति घायल हुआ और न पकड़ा गया ।

इस घटना स्थल पर भी अनेक लोगों ने इस कुकृत्य को देखा है तथा सभी प्रत्यक्षदर्शी इस घटना की निन्दा कर रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी से चाहूंगा कि इस प्रकरण की जांच तत्काल सी०आई०डी० गुप्तचर शाखा से करावें और थाना मेरापुर की पुलिस को तत्काल वहां से हटायें जिससे जांच में बाधा न पड़े तथा दोषियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करायें ।]

जनपद आगरा में तहसील किरावली के किसानों की झूठी आबपासी की वसूली रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बाबू लाल–

[महोदय, माननीय सदन के संज्ञान में जनपद आगरा के तहसील किरावली में दिनांक 23 जून, 1996 को भयंकर वर्षा हुई खेतों से पानी बाढ़ के रूप में बहने लगा और राजस्थान का पानी बाढ़ के रूप में क्षेत्र में आ गया जिससे किसानों की जायद फसल बरबाद हो गयी जिससे किसानों को भारी क्षति हुई और खरीफ की फसल में जो बुवाई हो गयी थी उसको भी भारी क्षति हुयी ।

हमें खेद है कि बाढ़ की इस स्थिति में सिंचाई विभाग आगरा लोअर कैनाल के अधिकारियों ने बाढ़ के काल की किसानों पर आबपासी दर्ज कर दी । हमें आश्चर्य है कि बाढ़ से बरबाद किसान ने नहर से आबपासी के विरोध में किसानों ने उसका जबरदस्त विरोध किया लेकिन सिंचाई विभाग अपनी हठ से

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बाज नहीं आया और सिंचाई विभाग में इस नाजायज आबपासी की आर०सी० भेजकर तहसील से जबरन वसूली आरम्भ करा दी । दर्जनों किसान इस उत्पीड़न के शिकार हैं और हवालातों में बंद हैं । माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यकाल की झूठी आबपासी की वसूली तत्काल रोकी जाय तथा जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय और यह गलत आबपासी मांफ की जाय ।

अस्तु माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि इस हेतु सरकार को निर्देश देने की कृपा करें ।]

जनपद जालौन में भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष की मां के हत्यारे को दण्डित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दयाशंकर वर्मा–

[माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जनपद जालौन के काबुलपुरा गांव में दिनांक 6/7-4-97 की रात्रि में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की 85 वर्षीय मां की निर्मम हत्या कर दी गयी जिसके संबंध में जिला प्रशासन तथा पुलिस के बार बार आश्वासनों के उपरान्त भी कोई तथ्य नहीं दिये जा रहे हैं और न ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है । घटना से पूरे जनपद में भारी तनाव व्याप्त है तथा काबुलपुरा में इस घटना के विरुद्ध धरना चल रहा है । किसी भी समय कोई अप्रिय घटना पैदा हो सकती है ।

उपर्युक्त के संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके दंडित करें ।]

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र कर्वी में पम्प कैनाल योजना का नवीनीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कृपाल सिंह–

[जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र कर्वी में 120 क्यूसेक क्षमता की सिंचाई योजना चिल्लीमल पम्प कैनाल यमुना नदी से निकाली गयी है जो जीर्ण शीर्ण हालत में होने के कारण नावार्ड से वर्ष 1996-97 में लगभग 50 लाख रुपये नवीनीकरण हेतु सिंचाई विभाग को दिये जाने के बावजूद आज तक इस योजना के बार्ज, पम्प, विद्युत मोटर आदि न ही खरीदे गये और न ही बदले गये जिससे वर्ष 1996-97 की रबी की फसल सिंचाई के अभाव में बोने से वंचित रह गयी है । क्षेत्रीय किसान भुखमरी के कगार पर हैं ।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये शासन से मांग करता हूं कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र कर्वी की चिल्लीमल पम्प कैनाल सिंचाई योजना का तत्काल नवीनीकरण कराकर पूरी क्षमता से चालू किया जाय ।]

श्री जगदीश चन्द्र अरोड़ा गृह दर्शक स्वास्थ्य केन्द्र किच्छा के सेवा निवृत्त होने के पश्चात् अवशेष परिलब्धियों के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सन्त–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि श्री जगदीश चन्द्र अरोड़ा गृह दर्शक के पद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किच्छा जिला उधमसिंह नगर से दिनांक 31 मार्च, 1996 को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सेवानिवृत्त हुये हैं, उहें अभी तक पेंशन स्वीकार नहीं की गयी है । इसके अतिरिक्त उन्हें निम्नलिखित परिलब्धियों का भुगतान भी नहीं किया गया है ।

1–सी०एम०ओ० नैनीताल के पत्र संख्या 128/96 दिनांक 26-3-96 से स्वीकृत दिनांक 1-7-85 से अनुमन्य सेलेक्शन ग्रेड का एरियर ।

2–सी०एम०ओ०, नैनीताल के पत्र संख्या 127/96 दिनांक 26-3-96 द्वारा स्वीकृत दिनांक 1-7-91 से उच्चीकृत वेतनमान संबंधी एरियर ।

3–ग्रेच्युटी की धनराशि

4–सामूहिक बीमा योजना की धनराशि

5–जी०पी०एफ० के 10 प्रतिशत की अवशेष धनराशि

उक्त धनराशि व पेंशन न मिलने के कारण श्री अरोड़ा व उनका परिवार भुखमरी के कगार पर है ।

मैं उक्त मामला आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुये अनुरोध करता हूं कि शासन को यथोचित निर्देश जारी किया जाय, जिससे कि श्री अरोड़ा को पेंशन तथा अन्य अवशेष परिलब्धियों का भुगतान उन्हें अविलम्ब मिल सकें ।]

लखनऊ नगर में स्थित सहकारी बैंक से भारतीय किसान संघ का जमा धन निकाले जाने तथा उसे बरामदगी कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धनराज यादव–

[महोदय, लखनऊ नगर में स्थित सहकारी बैंक में भारतीय किसान संघ का जमा धन 17-4-97 को निकाल कर लाते समय 4 लाख 50 हजार रुपया रास्ते में गायब कर दिया गया । उसी दिन नाकाहिंडोला थाना में रपट दर्ज करायी गयी है किन्तु अभी तक गायब हुआ रुपया नहीं प्राप्त हो सका है ।

किसान संघ अखिल भारतीय स्तर पर किसानों का गैर राजनीतिक सबसे बड़ा संगठन है तथा यह धन उन्होंने बड़ी मितव्यता से बचत करके संस्था के काम के लिये बैंक में रखा हुआ था ।

दिन दहाड़े शहर के मध्य साढ़े 4 लाख रुपया गायब हो जाने से किसान संघ संस्था के साथ साथ उक्त मुहल्ले की आम जनता आतंकित तथा भयभीत है ।

यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का सुनिश्चित प्रश्न है, जिसे सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं किसान का गायब छीना गया रुपया बरामद करने तथा दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश देने की कृपा करें ।]

महानगर गोरखपुर में खेती योग्य भूमि पर बनाये गये मकानों को निर्धारित मूल्य लेकर नक्शे पास किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिव प्रताप शुक्ल–

[महोदय, गोरखपुर महानगर में बढ़ती हुयी आबादी के साथ ही रिहायशी स्थान भी बढ़ते जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप नागरिक अपने आवास का निर्माण करा रहे हैं । लेकिन उन सभी नागरिकों को जिनकी संख्या 20 हजार से ऊपर होगी जो अपने हजारों परिवारों के साथ अपने खून पसीने की कमाई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

से बनाये हुये भवन में रह रहे हैं आये दिन विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है क्योंकि उन्होंने जो मकान बनावाये हैं वह खेती योग्य जमीन दर्ज है जिसके कारण विकास प्राधिकरण नक्शे नहीं पास कर रहा है जिसके कारण लोगों को अपने मकान के गिराये जाने का भय है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जमीन के स्वरूप को परिवर्तित करके गोरखपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दें कि सभी संबंधित लोगों से निर्धारित शुल्क लेकर उनके भवनों के नक्शे पास करें।]

विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद पश्चिम में राम गंगा पर बने चट्टा पुल पर गरीब जनता से अनधिकृत कर वसूली बन्द किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

'मेजर जगतपाल सिंह–

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुरादाबाद पश्चिम में लगभग 24 गांवों की जनता हेतु राम गंगा पर चट्टा पुल का निर्माण भाजपा सरकार ने 1991 में करवाया था सरकार गिरने पर उक्त पुल का ठेका राष्ट्रपति शासन में असामाजिक तत्वों के हाथ में एक ही पार्टी को हर वर्ष दिया जाता रहा है। इस वर्ष भी असामाजिक तत्वों के हाथों में है। राम गंगा पर किसान पुल द्वारा खेती करने जाते हैं और उपज के माल की ढुलाई करते है।

पुल के ठेकेदार ट्रैक्टर पर 40, जीप पर 25, मोटर साइकिल स्कूटर पर 10, बैलगाड़ी पर 15, साइकिल दूध वाले डिब्बों सहित 5, खाली साइकिल पर 2 आदमी बच्चा 2 रुपये एक तरफ उतना ही धन दूसरी तरफ से ठेकेदारों को देकर राम गंगा का पुल पार करते हैं।

यह पुल तथा सरकारी सहायता गरीब जनता मजदूर व किसानों के लिये अभिशाप बना है। जनता के साथ अभद्र व्यवहार होता है। मेरे क्षेत्र के रामगंगा पार के 24 गांवों में भारी असंतोष व्याप्त है जनता भयभीत है तथा कभी भी असंतोष विस्फोटक रूप ले सकता हैं।

अतः उपरोक्त लोकमहत्व के अविलंबनीय विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये आग्रह करना चाहता हूं कि उक्त चट्टा के ठेकेदारों से गरीब जनता को अनधिकृत कर वसूली के मुक्त कराया जाये।]

संयुक्त निदेशक षष्टम् मण्डल लखनऊ द्वारा शिक्षकों की नियुक्तियों में कथित धांधली की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्या सागर गुप्त–

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लखनऊ मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्टम् मण्डल लखनऊ द्वारा माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत उन्नाव जनपद के अशासकीय विद्यालयों के फर्जी शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

डा० दलजीत सिंह पुरी, संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्टम् मण्डल, लखनऊ द्वारा अपने कार्यकाल में लखनऊ मण्डल के अन्तर्गत उन्नाव जनपद के विद्यालयों के कतिपय कर्मचारियों (जो सेवारत नहीं थे) के पेंशन प्रकरण स्वीकृत करके लाखों रुपये का भुगतान कराया जब यह मामला कोषाधिकारी, उन्नाव द्वारा पकड़ा गया तो डा० पुरी ने मामले को दबाने के लिये अपने कार्यालय तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव के कार्यालय के कतिपय अभिलेख गायब कराने में सक्षम रहे परन्तु कोषाधिकारी उन्नाव द्वारा

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

डा० पुरी तथा अन्य लोगों के विरुद्ध कोतवाली उन्नाव जाकर जमानत कराई गई और मामले को दबाने के लिए डा० पुरी एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं तथा विभाग में ही अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं।

अतः डा० दलजीत सिंह पुरी को उक्त भ्रष्टाचार एवं गबन के आरोप को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान पद हटा कर अन्यत्र महत्वहीन पद पर तैनात करके इनकी जांच सी०आई०डी० द्वारा कराई जाय जिससे अनियमित भुगतान का पर्दाफाश हो सके और जिम्मेदार अधिकारी से ब्याज धन सहित वसूल किया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्ब विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक प्रभावी कदम उठाये जाने हेतु सदन द्वारा निर्देश किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर के पास वाराणसी मार्ग पर निर्मित पुल पर मिट्टी गिर जाने से मरे व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश नारायण (मुन्ना)–

[मान्यवर, दिनांक 2-4-97 को जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर के पास वाराणसी मार्ग पर बन रहे पुल की मिट्टी गिर जाने से उतरगवां पोस्ट धरमापुर जनपद जौनपुर के मुसहर जाति के चार व्यक्तियों की दबकर मृत्यु हो गयी है जिसके कारण उक्त संकट उत्पन्न हो गया है। जिलाधिकारी के द्वारा अनुमन्य कुछ आंशिक सहायता दी गई है।

अस्तु इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त मृत परिवारों को आर्थिक सहायता, आवास, पेंशन देने एवं सरकारी देय माफ करने की मांग करता हूं।]

जनपद वाराणसी में विद्युत आपूर्ति ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी नगर इन दिनों भयंकर विद्युत अनापूर्ति, अनावश्यक लोड शेडिंग आदि से त्रस्त है। एल०टी० लीड 400 एम० एम०, पी०वी०सी० केबिल 3 1/2=400 एम०एम० तथा 240 एम०एम० डाग कण्डक्टर, रैबिट कण्डक्टर आदि विगत दो-तीन वर्षों से न होने के कारण आवश्यक सुधार नहीं हो रहा है। पैकेज स्टीमेट के तहत कोई काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पैकेज का सामान पिछले दो तीन वर्षों से नहीं मिला है ऐसा संबंधित विभागीय अभियन्तागण कहते हैं क्षेत्र में पुराने तार बिल्कुल जर्जर हो गये हैं, जो अक्सर टटूकर गिरते रहते हैं जिससे भी विद्युत आपूर्ति में भयंकर व्यवधान होता रहता है। ट्रांसफारमर की भी कमी है जिससे ट्रांसफारमर बदलने में कई-कई दिन का समय लग जाता है जिसके दरम्यान विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है। सब स्टेशनों की हालत खराब है वहां के उपकरण पुराने हो जाने से अक्सर बिगड़ते रहते हैं, जिनका समाधान बार-बार शिकायत के बावजूद भी नहीं किया जाता है। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार न होने के कारण जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है जिनका व्यापक स्तर पर निराकरण हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक प्रभावी कदम उठाये जाने हेतु सदन द्वारा निर्देश दिये जाने की मांग करता हूं।]

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री गोपाल राम अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को आवास विकास परिषद् से भवन आवंटन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कौकब हमीद–

[मान्यवर, निवेदन इस प्रकार है कि मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत इस सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं । महोदय, श्री गोपाल राम, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी पुस्तकालय, विधान सभा उ० प्र० ने आवास विकास परिषद् के अन्तर्गत दुर्लभ आय वर्ग योजना के अन्तर्गत एक मकान आवंटित करने हेतु पंजीकरण कराया है जिसकी चालान संख्या–043756 तथा चरण संख्या–92/01 है । प्रार्थी एक अल्पवेतन भोगी कर्मचारी अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है जो जिला अल्मोड़ा का स्थायी निवासी है । इस महंगाई के समय में अति अल्प वेतन भोगी कर्मचारी के लिए अपने परिवार के साथ किराये के मकान में रह पाना असम्भव है । लखनऊ योजना के तहत 1992 से प्रारम्भ दुर्बल आय वर्ग के तहत लखनऊ में आवंटन हेतु पंजीकरण कराया है । बढ़ी हुई पंजीकृत की धनराशि भी गोपाल राम ने जमा कर दी है किन्तु अभी तक मकान आवंटन नहीं हुआ है । इसलिए श्री गोपाल राम के पक्ष में विशेष प्राथमिकता के आधार पर उक्त योजना के अन्तर्गत भवन आवंटित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को आदेश देने की कृपा करें । ताकि यह अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उक्त योजना से लाभान्वित हो सके ।]

जनपद अलीगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में विकास कार्य कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह–

[मान्यवर, अविलम्बनीय अति लोक महत्व की अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इनके तत्काल समाधान की अपेक्षा करने हेतु––

1–मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली के विकास खण्ड चन्डौस कौर लोधा व जवां में जल स्तर नीचे पहुंच जाने के कारण 100 हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क लगवायें जायें ।

2–असेवित विकास खण्ड चण्डौस में कन्या इण्डर कालेज खुलवाया जाय ।

3–निर्माणाधीन विद्युत गृह अखरी, वीर पुरा 2 साल की निर्माण कार्य पूरा कराया जाय ।

4–प्रस्तावित बरौली जी०टी रोड फल मंडी पर मंडी स्थल बनवाया जाय ।

5–प्रस्तावित मंडी परिषद् के सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराया जाय ।

6–प्रस्तावित किराड़ा सपेरा भानपुर तालेपुर मढ़ौला के नालों के पुलों का निर्माण कराया जाय ।

7–खैर राजकीय डिग्री कालेज में विज्ञान की कक्षायें शुरू कराई जाय ।

8–वीर पुरा कसेरू टमकौली दिलानो ताबिल नगर जिरो लीडोर सलुहा नन्दपुर पला पर स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय ।]

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

[यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कतिपय विस्थापितों को मुआवजा दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री के० सी० सिंह बाबा–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान शासनादेश संख्या 264/भा०स०/14-3-92-918/77 दिनांक 28-11-92 द्वारा जिला पौड़ी गढ़वाल के ग्राम धारा, झरना एवं कौठिरौ के निवासियों की जमीन को वन विभाग ने प्रोजेक्ट टाईगर में विलय कर दिया और उपरोक्त शासनादेश में ग्रामवासियों को जिला उधमसिंह नगर की तहसील काशीपुर में बदले की जमीन दिये जाने के आदेश दिये गये थे। इन आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त ग्रामवासियों ने अपनी पौड़ी गढ़वाल स्थित जमीन को मार्च-अप्रैल 94 में वन विभाग को सौंप दिया था और ग्रामवासियों को बदले की जमीन ग्राम मानपुर (नई बस्ती) और ग्राम प्रतापूर तहसील काशीपुर में दी गयी थी। वन विभाग द्वारा जमीन वितरण को समुचित व्यवस्था न किये जाने के कारण ग्रामों के बहुत से लोगों को पूरी जमीन नहीं मिल पायी और कुछ ग्रामवासी अपनी पूरी जमीन गंवा चुके हैं जो इस समय भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

जमीन वितरण के गलत पाए जाने के फलस्वरूप जिलाधिकारी नैनीताल ने 1994 में की गयी नाप को अपने पत्रांक 2437/छब्बीस–एफ–एस–सी–(93-94) दिनांक 18-5-95 द्वारा निरस्त कर दिया था। ऐसी दशा में उक्त वन भूमि को राजस्व भूमि में शामिल किया जाये जिससे उनको ऋण और विकास का लाभ मिले तथा हर ग्रामवासी को उसकी ली गयी भूमि के बराबर भूमि प्रदान की जाये तथा इन विस्थापितों को मुआवजे के रूप में धनराशि प्रदान की जाए तथा घर बनाने के लिये जी०ओ० के मुताबिक धनराशि दी जाये तथा जमीन को समतल करके कृषि योग्य भूमि बनाकर प्रदान किया जाये।]

जनपद बाराबंकी के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरवर अली–

[मान्यवर, इस सम्मानित सदन का ध्यान मैं विगत दिवस बाराबंकी जनपद के विधान सभा क्षेत्र मसौली, नवाबगंज व रामनगर आदि में ओला वृष्टि से हुई गम्भीर एवं अपूर्णनीय क्षति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा इस ओला वृष्टि से गेहूं, आलू, सरसों तथा जायद की फसल समूल नष्ट हो गयी है। ग्रामवासी भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं तथा पशु चारे के अभाव में मर रहे हैं। इस दैवी आपदा से जनपद के निवासी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं तथा शासन की सहायता के अभाव में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जनपद में अनाज व चारे की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है।

अतः इस सूचना के माध्यम से इस प्रकरण पर जांच एवं तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

रूड़की विधान सभा क्षेत्र में कटाव रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम सिंह सैनी–

[रूड़की विधान सभा क्षेत्र नदियों एवं नालों से घिरा हुआ है गत वर्ष वर्षा अत्यधिक होने के कारण नदियों ने कई सौ एकड़ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का कटाव किया है तथा निम्नलिखित गांवों की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

!] यह अंश पटल हुआ माना गया।

आबादी के समीप नदियों का बहाव आ गया है जिससे गांव की आबादी को भी भारी खतरा उत्पन्न हो गया है । मैंने कई बार शासन को इस विषय में लिखा भी है । जून के अन्त में फिर वर्षा आरम्भ हो जाएगी । अतः इन गांवों के समीप टूटी हुई ठोकरों की मरम्मत तथा जहां आवश्यक हो वहां नई ठोकरें अविलम्ब बनाना जनहित में है । अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के माध्यम से शासन के संज्ञान में उचित कार्यवाही हेतु लाना चाहता हूं ।

गांवों का विवरण निम्नानुसार है ।

1–डालूवाला मझबटा
2–डालेवाला कला
3–माछारेडी
4–कोटा पाकिस्तान
5–सोहलपुर
6–हलवाहड़ी
7–मरगूपुर
8–मुस्तफाबाद
9–गीं
10–छांगा मजरी
11–हकीमपुर तुर्रा
12–शखवाला खुर्द
13–शेखवाला कला
14–करौदी
15–किशनपुर
16–बढ़डी राजपूतान
17–बहादुर पुर सेनी
18–खुब्बनपुर
19–मानक मजरा
20–सिमौना
21–दरियापुर दयालपुर
22–ढीलमजरा
23–सालियर]

विलार्ड इण्डिया लिमिटेड फैक्ट्री सिकन्दराबाद की तालाबन्दी समाप्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दाराबाद में विलार्ड इण्डिया लिमिटेड फैक्ट्री 22 वर्ष पुरानी है । बैट्री के उत्पादन में देश विदेशों में नाम कमाया है । उत्पादन क्षमता भी निरन्तर बढ़ी है । बैट्री के बिकने में भी परेशानी नहीं है । 650 मजदूर स्थायी रूप से कार्यरत हैं जो मेहनत से फैक्ट्री की तीन शिफ्ट चलाते हैं और ओवर टाइम देकर भी फैक्ट्री के हितों की रक्षा करते हैं । इसी प्रकार डी० सी० एम० पेपर मिल में भी 400 मजदूर स्थायी रूप से कार्यरत हैं । मजदूरों की तरफ से फैक्ट्री को कोई परेशानी नहीं है अकारण मनमाने ढंग से उक्त फैक्ट्री के मालिकों ने पुलिस के बल पर मजदूरों का शोषण करने की नियत से फैक्ट्री में अवैध तालाबन्दी कर दी है जो नियम विरुद्ध है । 1000 परिवार भूखे मरने की कगार पर हैं । सम्मानित सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि फैक्ट्री मालिकों की तानाशाही को समाप्त करते हुए श्रमिक कानून का पालन करते हुए अवैध तालाबन्दी समाप्त कराने का कष्ट करें ।]

जनपद वाराणसी में प्रदूषित जल की चेकिंग कराकर प्रदूषण मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरीश चन्द्र (हरीश जी)–

[वाराणसी महानगर में पेयजल की पाइपों से दूषित जल का निस्तारण हो रहा है, दुर्गन्ध से भरा हुआ बदरंग पेयजल पीने के लिये लोग विवश हैं ।

प्रगट स्थिति यह है कि व्यापक क्षेत्रों में सीवर की पाइप लाइनें जाम पड़ी हैं, शिवपुरवा, बिरदोपुर, विनायका, बजरडीटा, तुलसीपुर, किरहियासराय, सुरजन, कालीमहाल, औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में सीवर का गन्दा पानी सड़कों पर और गलियों में फैला हुआ है जिसके कारण लोगों का आवागमन तो कष्टप्रद है ही वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है । सीवर का यही प्रदूषित जल, पेयजल की पाइप लाइनों में प्रवेश कर पेयजल को भी प्रदूषित कर रहा है ।

फलतः इन क्षेत्रों के लोग ज्वर से पीड़ित हैं, आमाशय के रोगों से ग्रस्त हैं और संक्रामक रोगों के फैलने की पूरी संभावना है ।

अतः आपके संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को लाकर मैं मांग करता हूं कि सरकार को निर्देशित किया जाय कि वाराणसी महानगर की सीवर लाइनों की युद्धस्तर पर सफाई करायी जाय एवं टूटी हुई पाइप लाइने बदली जायें और पेयजल की पाइप लाइनों की भी चेकिंग करवाकर जल को प्रदूषित होने से बचाया जाय ।]

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी फतेहपुर में पेयजल समस्या दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र सिंह पटेल–

[मेरे विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी फतेहपुर में पेयजल की गंभीर समस्या है जिससे जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है क्षेत्र के 90 परसेन्ट कुएं सूख चुके हैं । क्षेत्र के 70परसेन्ट हैण्ड पम्प भी खराब पड़े हैं । 1995-96 के प्रस्तावित हैण्ड पम्प भी अभी नहीं लगाये गये हैं जिससे पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है । पेयजल की समस्या कब तक दूर की जायेगी ?]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शाहजहांपुर में थर्मल पावर स्टेशन बनाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[शाहजहांपुर के थर्मल पावर स्टेशन रौजा क्षेत्र के बिरला ग्रुप के द्वारा पिछले 5 वर्ष से बनना प्रस्तावित है । दिनांक 27-12-96 में इसका पावर परचेज एग्रीमेन्ट हो चुका है परन्तु अभी तक इसके लिये भूमि के अधिग्रहण तक की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई जब कि विद्युत का भयंकर संकट हमारे जिले से लेकर प्रान्त तक है । यह पावर स्टेशन यद्यपि 1992 में स्वीकृत हुआ था परन्तु यू० पी० एस० ई० बी० व राज्य सरकार से अभी तक सहयोग न मिलने के कारण लगातार देरी हो रही है । विद्युत की लगातार बढ़ रही मांग तथा आपूर्ति में शिथिलता को देखते हुए जनहित में यह 750 मेगावाट का पावर स्टेशन विद्युत के संकट निवारण में सार्थक होगा ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि यह थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण अविलम्ब प्रारम्भ करायें ।]

झांसी जनपद की पुलिस द्वारा लाइसेन्सी शस्त्र जमा कराने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शिवपाल सिंह यादव–

[मान्यवर, किसी व्यक्ति की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वयं की सुरक्षा हेतु इसे शस्त्र लाइसेन्स दिये जाते हैं इसे निरस्त करने की भी कानून में व्यवस्था है लेकिन कानूनी प्रक्रिया को ताख में रखकर झांसी जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जबरन शस्त्र जमा कराने के निर्देश दिये गये हैं ।

पुलिस सपा कार्यकर्ताओं के घर छापे मार कर लाइसेन्सी शस्त्र थाने में जमा करवा रही है । परिवार जनों के साथ मार पीट कर रही है और पूरे जनपद में पुलिस द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है ।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आपका संरक्षण चाहते हुए तत्काल आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।

रेंज अधिकारी फूलपुर, इलाहाबाद द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विक्रमाजीत मौर्य–

जनपद इलाहाबाद के तहसील फूलपुर के रेंज अधिकारी श्री हीरा लाल गुप्ता द्वारा सरकारी पेड़ कटवा कर बेच देना और अवैध आरा मशीनों को माहवारी के रूप में वसूल कर अवैध हरे पेड़ कटवाना और काम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा गेहूं न देकर के उसे बाजार में बेच दिया जाता है । और फर्जी मस्टर रोल बनवाकर सरकारी धन को गबन करना आदि विभिन्न मामला संज्ञान में आया है ।

आपसे निवेदन है कि श्री हीरा लाल गुप्ता रेन्ज अधिकारी फूलपुर व फाफामऊ रेन्ज अधिकारी के संबंध में जांच कर उक्त अधिकारी के ऊपर वैधानिक कार्यवाही करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगामी कुम्भ मेला हरिद्वार में समुचित व्यवस्था की तैयारी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

[महोदय (1) पवित्र धार्मिक स्थल हरिद्वार में वर्ष 1998 में विश्व प्रसिद्ध कुम्भ मेला है । जिसमें करोड़ों यात्रियों के आने की संभावना है । इन यात्रियों के लिये पेयजल, विद्युत, आपूर्ति, सीवरेज, शौचालय आदि की व्यवस्था अत्यन्त धीमी गति से हो रही है ।

(2) कुम्भ मेला हरिद्वार एवं उत्तरांचल के चारों धामों बद्रीनाथ, केदार नाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री के दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों का आने जाने का एक मात्र साधन सड़क मार्ग है । पवित्र तीर्थ स्थल नीलकंठ महादेव और हरिद्वार को छोड़ चारों धाम मात्र सड़क मार्ग से ही जुड़े हैं । जहां कुम्भ मेला के अवसर पर लाखों यात्री कोट्द्वार से नीलकंठ, स्वर्गाश्रम, हरिद्वार तक पहुंचते है । यह सड़क मार्ग अत्यन्त तंग और कच्चा है, फलस्वरूप विगत में इस मार्ग में कई गंभीर सड़क दुर्घटनायें हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग जान गवां चुके हैं ।

(3) लक्ष्मण झूला एवं स्वर्गाश्रम में सीवरेज की व्यवस्था अत्यन्त त्रुटिपूर्ण है, जिससे गंगा प्रदूषण उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर है ।

(4) नीलकंठ महादेव अत्यन्त धार्मिक महत्व का तीर्थस्थल है । किन्तु पेयजल के संकट से ग्रस्त है और यहां तक पहुंचने के लिये सड़क मार्ग तंग एवं कच्चा है ।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि लोक महत्व से संबंधित उक्त जटिल समस्याओं को अपने व सदन के संज्ञान में लाकर संभावित दुर्घटनायें व आभावों से यात्रियों को बचाने हेतु सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ।]

जनपद कानपुर के पास पाण्डु नदी को जल प्रदूषण से मुक्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० राम आसरे सिंह कुशवाहा–

[माननीय अध्यक्ष आपका ध्यान कानपुर नगर की पाण्डुनदी के जल प्रदूषण के संबंध में दिलाना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष जी सरसौल विधान सभा के साथ-साथ विधान सभाओं से होकर गुजरने वाली पाण्डु नदी का जल कानपुर नगर में लगी प्राइवेट फैक्ट्रियों एवं सरकारी फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी एवं उनसे निकलने वाले कूड़े कचरे तथा महत्वपूर्ण इकाई पनकी पावर हाउस का जहरीला राखी मिला पानी तथा फर्टिलाइजर का जहरीला पानी लगातार पाण्डु नदी के जल को प्रदूषित कर रहा है जिसके कारण लगातार प्रतिदिन पालतू जानवर बीमार हो रहे हैं तथा बहुत सी मौतें हो चुकी हैं । जब यह प्रदूषित जल पाण्डु नदी के जल में नहीं मिलता था तब इस नदी के जल को आस-पास के रहने वाले ग्रामवासी जानवरों को नहलाने और पीने में इस्तेमाल करते थे । आज इसको इस्तेमाल करने से सैकड़ों गांव की जनता और पशु बुरी तरह से प्रभावित होकर त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी हम यह मांग करते हैं कि जिस किसी भी फैक्ट्री चाहे वह प्राइवेट हो अथवा सरकारी का जहरीला जल पाण्डु नदी में जाता है उन फैक्ट्रियों को अविलम्ब आदेश दिया जाय कि फैक्ट्री में प्रदूषित जल को साफ करने का संयत्र लगाया जाय जिससे साफ पानी ही नदी में प्रवाहित हो ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय अध्यक्ष जी फैक्ट्री लगाने वाले फैक्ट्री मालिक जब फैक्ट्री लगाने में करोड़ों और अरबों रुपया व्यय कर सकते हैं तो जल सफाई का संयंत्र भी लगा सकते हैं। अतः ऐसा निदेश दें कि जिस फैक्ट्री में सफाई संयंत्र प्लान्ट न लगा हो उस फैक्ट्री को अविलम्ब कार्यवाही से बन्द कर दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी यह न केवल पाण्डु नदी का सवाल है अपितु देश एवं प्रदेश के सभी बड़ी-बड़ी नदियों का जल फैक्ट्रियों के गन्दे पानी से प्रदूषित हो चुका है।

अतः यह महत्वपूर्ण सूचना है अविलम्ब ऐसा कानून बनाया जाय जो भी फैक्ट्री लगे उस फैक्ट्री के गन्दे पानी को साफ करने का संयंत्र अवश्य लगाया जाय तभी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी जाय। जिससे आस-पास की रहने वाली जनता की इस प्रदूषण से राहत मिल सके।]

जनपद मथुरा के श्री ज्ञानेन्द्र दुबे के समर्थन में अनशन पर बैठे अधिवक्ताओं का अनशन समाप्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

[महोदय, मैं लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान इस संदर्भ में आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 18-4-97 से मथुरा बार एसोसियेशन के सदस्य ज्ञानेन्द्र दुबे के मकान का अवैध रूप से रास्ता रोक दिया है तथा श्री द्विवेदी जी व उसके परिवारीजन सीढ़ी से छत पर आते जाते हैं इस संदर्भ में जिला प्रशासन को लिखा गया लेकिन कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी इसलिये दिनांक 22-4-97 से चार अधिवक्ता सर्वश्री मूलचन्द्र शर्मा, गिरीश चन्द्र शर्मा, महेश्वर नाथ चतुर्वेदी व श्री अवधेश शर्मा आमरण अनशन पर जिलाधिकारी मथुरा के कार्यालय के सामने बैठे हुए हैं तथा दर्जनों अधिवक्ता क्रमिक अनशन पर हैं। अधिवक्ताओं की हालत गिरती जा रही है।

अवैध नियम विरुद्ध कब्जा किये गये निर्णय से जनता में भारी असन्तोष है तथा यह सब अवैध कार्यवाही जिला पुलिस प्रशासन की मिली भगत से है यदि त्वरित कार्यवाही नहीं की गयी तो कोई भी गंभीर घटना घट सकती है जिससे मथुरा जनपद प्रभावित होगा।

पिछले एक हफ्ते से जनपद के सभी न्यायालयों का कार्य रुका पड़ा है और वादकारियों को भारी परेशानी हो रही है। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर अपनी व्यवस्था देकर अधिवक्ताओं के आमरण व क्रमिक अनशन को समाप्त कराके जनपद के वादकारियों के अधिकारों की रक्षा करें।]

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र मानिक पुर में बन रही कांटीनेन्टल ग्लास फैक्ट्री को चालू कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दद्दू प्रसाद–

[मान्यवर, मेरे मानिकपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बरगढ़ जिला बांदा में सन् 1988 में कांटीनेन्टल फ्लोट ग्लास फैक्ट्री का शिलान्यास सरकार द्वारा किया गया था, फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा हो गया है परन्तु मशीनों की स्थापना नहीं हो सकी है, ज्ञात हुआ है कि मशीनें बंबई बन्दरगाह में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पड़ी सड़ रही हैं तथा बंदरगाह का किराया बढ़ रहा है उद्योग विभाग के अधिकारियों ने मशीनों को उठाने का अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है। धन की कमी इसमें प्रमुख अड़चन बतायी गयी है।

इस परियोजना के ऊपर अभी तक 195 करोड़ रु० खर्च हो चुके है ज्ञातव्य हो कि इस क्षेत्र में कच्चे माल के रूप में "सिलिका सैन्ड" का विशाल खनिज भण्डार मौजूद है और साथ ही बैरोजगारों का प्रचुर भण्डार है परियोजना के चालू हो जाने से जहां हमारे क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलने की पूरी संभावना है वहीं दूसरी ओर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

अतः आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि लोक महत्व के इस विषय पर तुरन्त कार्यवाही करके फैक्ट्री को चालू कराने के शीघ्र कदम उठाये जायें।]

जनपद फतेहपुर के खागा विधान सभा क्षेत्र के ऊसर से जंगल की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्ना लाल मौर्य–

[आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने खागा विधान सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र खागा जनपद फतेहपुर अन्तर्गत महाना उसर के नाम से मशहूर जंगल है जो लगभग 18 कि०मी० क्षेत्र में फैला हुआ है। मान्यवर, महाना ऊसर में विगत 15 वर्ष पहले वन विभाग द्वारा विलायती बबूल लगाये गये थे जो मात्र 4-5 वर्ष में ही विकराल जंगल के रूप में परिवर्तित हो गया था। मान्यवर, आज वर्तमान की स्थिति यह है कि उपरोक्त महाना के ऊसर लगभग 10.000 जंगली जानवरों की शरण स्थली बन चुका है, जंगली जानवरों को हम बनरोज के नाम से जानते हैं, जंगली जानवरों के द्वारा लगभग 35 ग्राम सभाओं की फसलें पूरी तरह से नष्ट कर दी जाती है।

मान्यवर, स्थिति यह है कि आज लगभग 65–70 हजार की आबादी भुखमरी के कगार पर खड़ी है और साथ ही साथ मान्यवर, उक्त ऊसर जंगल के कारण अपराधियों की शरण स्थली बना हुआ है जिससे प्रायः अपराध होते रहते हैं अगर उक्त ऊसर के माध्यम से जघन्य अपराधों का आंकलन किया जाय तो कम से कम वार्षिक 25–30 हत्यायें डकैती, राहजनी जैसे अपराधों की गणना सम्भव नहीं है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में महाना के ऊसर में जो मात्र ऊसर सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण कराया गया था, सरकार का कार्यक्रम पूरा हो चुका है मैं चाहता हूं कि सरकार शीघ्र ही जनहित में उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु एवं क्षेत्र के जनपद व प्रदेश के विकास हेतु उपरोक्त ऊसर से जंगल को सफाई कराके और कम से कम 10 स्टेट ट्यूबवेल लगाकर सरकारी जमीन का आवंटन भूमिहीन गरीबों के बीच हो जिससे मेरे खागा विधान सभा व फतेहपुर जनपद और प्रदेश की खाद्यान्न समस्या का निराकरण हो सकेगा ।]

विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर, फैजाबाद में चयनित अम्बेदकर ग्राम का विकास समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मित्रसेन यादव–

[मान्यवर, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर फैजाबाद में स्थित विकास खण्ड हरिगटनगंज, अमानीगंज और मिल्कीपुर में वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक चयनित अम्बेदकर ग्राम क्रमशः हरिग्टनगंज में पांच, अमानीगंज में 24 (चौबीस) व मिल्कीपुर में 16 (सोलह) गांवों में विद्युतीकरण और पेयजल संकट निवारण हेतु हैंडपम्प इंडिया मार्क टू लगाकर संतृप्त करने में गम्भीर अनिमितता बरती गयी है।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत उपरोक्त अम्बेदकर गांवों में अनुसूचित जाति एवं कमजोर वर्ग के बस्तियों में न तो विद्युतीकरण किया गया है और न ही इंडिया मार्क टू हैण्डपम्प लगाये गये हैं, अपितु उक्त गांव के सरकश प्रभावशाली लोगों को ही सुविधा प्रदान कर लाभान्वित किया गया है । किन्हीं-किन्हीं गांवों में मानकर के विपरीत भी दबाव एवं प्रभाव के कारण दोहरा मापदण्ड अपनाकर अनुचित लाभ पहुंचाया गया है । उक्त सन्दर्भ में कार्यकारी संस्था विद्युत एवं जल निगम के अधिकारी पूर्ण रूप से दोषी हैं । सरकार की उपरोक्त कल्याणकारी योजना के नियमों, निर्देशों और मानक को धता बताकर सारे कार्यक्रम को विफल कर दिया गया है । अतः आपसे अनुरोध है कि समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश प्रदेश सरकार को देने का कष्ट करें ।]

जनपद बलिया में विद्युत उपकेन्द्र बनाकर आपूर्ति नियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजधारी–

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न धारा–301 के अन्तर्गत सदन के समक्ष रखना चाहता हूं एवं माननीय अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकार कर सरकार को जनहित में आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश प्रदान करें । बलिया जनपद में विद्युत की स्थिति विगत वर्षों से काफी खराब चल रही है जिसके फलस्वरूप बलिया शहर मुख्यालय में नियमित रूप से सांय 6 बजे से 11 बजे रात्रि तक विद्युत की कटौती एवं ग्रामीण अंचल में विद्युत आपूर्ति में भारी अनियमितता बनी है । छात्रों की पढ़ाई लिखाई, कानून व्यवस्था, किसानों की खेती एवं लघु उद्योग धन्धे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं । विद्युत की आपूर्ति को नियमित एवं सुधार करने के लिये विभाग द्वारा प्रस्तावित 132 के०वी०ए० के उपकेन्द्र बलिया शहर में स्थापित करने विद्युत वितरण उपकेन्द्रों के निर्माण सोहांव अखार माल्दह आदि स्थानों पर करने तथा जर्जर पोल एवं तार बदलने का प्रस्ताव सरकार के रद्दी बस्ती में पड़े हैं । बलिया जनपद में विद्युत की संकटपूर्ण स्थिति की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सरकार को तत्काल कार्यवाही करने का आवश्यक निर्देश दें ।]

वाल्टर गंज के पास कुआनों नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम ललित चौधरी–

[मान्यवर, मैं शासन का ध्यान लोक महत्व के विषय जनपद बस्ती और गोण्डा के बीच टिनिल और गौर में वाल्टरगंज के पास कुआनों नदी पर लगभग 60 मीटर लम्बाई के अति आवश्यक पुल के निर्माण की तरफ दिलाना चाहता हूं । जिसके बारे में वर्षों से प्रयास जारी है । इस पुल के दोनों तरफ पचासों किलोमीटर लेपन स्तर का मार्ग 10 वर्ष से बनकर तैयार है लेकिन पुल के अभाव में दोनों तरफ के मार्ग बेकार हैं यदि इसका निर्माण हो जाय तो लाखों व्यक्तियों और हजारों ट्रकों मोटर गाड़ियों का आवागमन आरम्भ हो जायेगा । अतः अनुरोध है कि जनहित में पुल का निर्माण शीघ्र कराए जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।]

नोटः– [ ] यह अंश पद्म हुआ माना गया ।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद हरदोई की नगर पंचायत बेलीगंज को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम पाल वर्मा–

[मान्यवर, जनपद हरदोई के अन्तर्गत स्थित नगर पंचायत बेलीगंज की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है कर्मचारियों का वेतन निर्वहन करना भी नगर पंचायत के वश की बात नहीं है । नगर पंचायत के अन्दर सड़क नाली व पेयजल आदि की गम्भीर समस्या बनी हुई है जल निगम द्वारा कई वर्ष पूर्व पानी की टंकी का निर्माण कराया गया था लेकिन नगर पंचायत की कंगाली के कारण पानी की टंकी को चालू नहीं किया जा सका । नगर वासियों की घोर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है नगर के अन्दर सड़क व नाली के अभाव के कारण आवागमन में भी काफी असुविधा उठानी पड़ती है । कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें ।]

श्री संकठा प्रसाद यादव, थाना गोरखनाथ, गोरखपुर के घर हुई लूटपाट पर अपराधियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी–

[मान्यवर, दिनांक 1-12-96 को दिन में 12 बजे स्थानीय पुलिस प्रशासन के इशारे पर थाना गोरखनाथ के तत्कालीन थानाध्यक्ष, अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से दैनिक जागरण प्रेस के प्रमुख पत्रकार एवं अराजक तत्वों द्वारा श्री संकटा प्रसाद यादव के घर पर धावा बोल दिया गया और तीन चार घंटे तक लूटपाट, तोड़-फोड़ करके श्री यादव को नेस्तनाबूद कर दिया गया । उक्त घटना की रिपोर्ट स्थानीय नागरिकों के हस्तक्षेप करने पर दूसरे दिन प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी । श्री यादव द्वारा दिये गये गवाहों के बयान आदि अभी तक नहीं लिये गये और न ही कोई कार्यवाही की गयी । उक्त घटना का कारण यह है कि श्री यादव ने वर्ष 1989 में थाना गोरखनाथ के मालखाने से केस प्रापर्टी (बबले स्काट रिवाल्वर टेप रिकार्डर एवं लाखों रुपये की राजकीय सम्पत्ति) बेचे जाने की शिकायत की थी जिसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त श्री यादव ने थानाध्यक्ष गोरखनाथ, गोरखपुर एवं दैनिक जागरण के प्रमुख पत्रकार के विरुद्ध 25-9-96 को एक आवेदन पत्र महामहिम राज्यपाल महोदय उ० प्र० एवं अन्य को दिया था जिसमें श्री यादव ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि उनके ऊपर कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है । उक्त आवेदन-पत्रों पर स्थानीय प्रशासन एवं शासन द्वारा कोई कार्यवाही समय से न किये जाने के कारण श्री यादव को पूर्णतः नेस्तनाबूत कर दिये जाने से अपराधियों का मनोबल बढ़ गया और इस प्रकार की तमाम घटनायें घटती जा रही हैं, फलस्वरूप लोगों में भय और आतंक व्याप्त हो गया है । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मैं मांग करता हूं कि पूरे प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा करायी जाय और अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अपराधियों पर आवश्यक कार्यवाही किया जाय तथा श्री यादव के पूरे सामानों को दिलाया जाय ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय चिकित्सा अनुभाग–4 में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गंगा बख्श सिंह–

[मान्यवर, निवेदन है कि उ० प्र० सचिवलाय का चिकित्सा अनुभाग–4 भ्रष्टाचार में शराबोर है। नियुक्ति/नियमितीकरण/स्थानान्तरण/अनुशासनिक जांच/सतर्कता जांच आदि के नाम पर साधारण ग्रेड के चिकित्सा अधिकारियों का शोषण एवं दोहन युद्ध स्तर पर चल रहा है। धन प्रलोभन में सरकारी अभिलेखों में हेरा-फेरी की जा रही है, तथा शासन की महत्वपूर्ण पत्रावलियां गायब की जा रही हैं, यहां तक कि निहित स्वार्थ में फर्जी आदेश तक निर्गत की जा रही है, चिकित्सा अनुभाग–4 की कतिपय गम्भीर शिकायतों की ओर शासन के उच्चाधिकारियों का ध्यान बार-बार जनप्रतिनिधियों द्वारा आकृष्ट किया जा रहा है किन्तु भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध ठोस कानूनी कार्यवाही नहीं की जा रही है। ऐसी दशा में यह प्रकरण आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में ला रहा हूं। अन्त में अविलम्बनीय महत्व के इस मामले को आप की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त चिकित्सा अनुभाग–4 उ० प्र० सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के तत्काल स्थानान्तरण/जांच, कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला मुरादाबाद में राम गंगा व कोसी के कटान से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सौलत अली–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तहसील व जिला मुरादाबाद में बहने वाली दो प्रमुख नदियां ''रामगंगा'' व ''कोसी'' हैं। जिनमें रामगंगा नदी के किनारे बसे ग्राम हृदय नाजरपुर व सैफपुर पल्ला तथा सिकन्दरपुर पट्टी और कोसी नदी के किनारे बसे गांव हिरनखेड़ा व मिलक जैतपुर बिसाहट तथा भजनपुरी की आबादी गत कई वर्षों से लगातार वर्षा ऋतु में पानी बढ़ने से कटकर बह रही है और ग्रामवासी सड़कों के किनारे रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परन्तु अभी तक रामगंगा व कोसी नदियों से इन गांवों की आबादी को रोकने के लिये कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं किया गया है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्षा ऋतु के आने पर फिर आबादी का कटानन होगा और जन व माल की बरबादी होगी, जो अत्यन्त दयनीय है और चिन्ता का विषय है। अतः मेरा अनुरोध है कि समय रहते और वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने के पहले इन गांवों को रामगंगा व कोसी के कटान से बचाने हेतु शीघ्र स्थाई, उचित, एवं आवश्यक प्रबन्ध कराने का कष्ट करें।]

प्रदेश में शारीरिक अक्षमता से ग्रसित सेवकों के आश्रितों को मृतक आश्रित की भांति सेवा में लिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री वेद प्रकाश–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वर्तमान समय में प्रदेश में कुछ ऐसे सरकारी सेवक हैं जो अपनी सेवा अवधि में पूर्ण रूप से अक्षम हो गये हैं जिसके कारण न तो उठ बैठ सकते हैं और न ही अपने विभागीय दायित्वों को ही निभा पा रहे हैं। वे सभी तरह के अवकाश आदि लेकर अपने घरों पर निर्जीव जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समस्त अवकाश समाप्त हो जाने के कारण उनको वेतन आदि भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिये उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। आर्थिक तंगी के कारण इस भीषण मंहगाई में सभी तरह की परेशानियां उठा रहे हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि मानवीय आधार पर पूर्ण शारीरिक अक्षमता (पैराज्लीजिया) से ग्रसित सरकारी सेवकों के आश्रितों की मृतक आश्रित की भांति सेवा में लिये जाने की कार्यवाही की जाय।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजनान्तर्गत सेक्टर–बी० में खुली देशी शराब की दुकान हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे पासवान–

[मान्यवर, लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर "बी" में व्यवसायिक केन्द्र में 178 दुकानें हैं, जिसके मध्य में बारा बिरवा देशी शराब की दुकान अभी तक चलायी जा रही थी, जिसके कारण उक्त मार्केट में अराजकता एवं अफरातफरी व्याप्त थी जिसके कारण व्यापारी असुरक्षित एवं असहाय हो गये थे और अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे। व्यापारियों एवं जनता की परेशानियों को देखते हुये उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र संख्या : 90–ए–ए–7/96 दिनांक 8 मई, 1996 के द्वारा जिला अधिकारी लखनऊ से यह अनुरोध किया था कि मार्केट में देशी शराब की दुकान होने के कारण अराजकता एवं अफरा-तफरी व्याप्त है इसलिये उक्त देशी शराब की दुकान मार्केट के बाहर अन्यत्र स्थानान्तरित कर दी जाये। उपाध्यक्ष के अनुरोध को ध्यान में रखते हुये जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ ने उक्त दुकान वर्तमान परिसर से हटाकर उसके समीप मार्केट के अन्दर ही दुकान संख्या–ए–6 में उक्त शराब की दुकान पुनः खुलवा दिया है। इस प्रकार उक्त शराब की दुकान मार्केट परिसर के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर दी गयी है जिससे समस्या पूर्ववत बरकरार है और अभी भी पूर्व की भांति मार्केट में अराजकता व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उक्त देशी शराब की दुकान जनहित में एल० डी० ए० मार्केट परिसर से बाहर कर दी जाय।]

जनपद खीरी की तहसील गोला में मड़हाकोठी में प्रति वर्ष लगने वाले मेले को रोके जाने की शिकायत में संबंध के नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपर्ण लोकहित की सूचना लाना चाहता हूं। जनपद खीरी के तहसील गोला की पहाड़पुर रेंज में मड़हाकोठी पर विगत सैकड़ों वर्ष पुराने मेले का वनाधिकारियों द्वारा न लगने देने के कारण क्षेत्रीय जनता में भयंकर आक्रोश है। वन विभाग के अधिकारी रास्ते को अवरुद्ध कर जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जंगल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पास सैकड़ों वर्ष पुराने गांवों को उजाड़ा जा रहा है जिससे, गरीब एवं निरीह जनता को भयंकर परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है ।

अतः मेरा आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि कृपया जनता की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले वन विभाग के कृत्यों को रोका जाय तथा उनका उत्पीड़न बन्द करने के संबंध में शासन को वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोप माइनर की पटरी के अधूरे पीच रोड को पूरा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

[महोदय, आपका ध्यान जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत अखोप माईनर से निकली नहर जो कुण्डेल तक गई है के एक पटरी को पीच कराने का प्रस्ताव जिला योजना से था और उक्त मार्ग पर पूर्व में मिट्टी व गिट्टी पड़ चुकी है मनमाने तरीके से भुगतान भी लोक निर्माण विभाग बलिया के अधिकारियों की मिलीभगत से कर दिया गया है उक्त पटरी पर कोई कार्य नहीं हुआ है और अखोप से करीब एक किलोमीटर तक ग्राम सभा तरछापार तक उक्त मार्ग को पीच भी करा दिया गया है । जिसमें मानक के अनुसार कोई सामग्री नहीं लगी है और सड़क की चौड़ाई व मोटाई में काफी चोरी की गई है । ग्राम तरछापार से कुण्डैल तक जिसमें ग्राम सभा तरछापार व अन्य गांव आते हैं, में गरीब दलित, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं वहां से कुण्डैल तक पीच नहीं कराया गया है । अधिकारियों द्वारा उक्त आधे कार्य को करके तरछापार के गरीब, दलितों की उपेक्षा की है । आने-जाने का रास्ता नहीं है, जनहित में शेष अधूरे मार्ग को पीच कराना आवश्यक है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आदरणीय सदन के माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं ।]

जनपद खीरी के निर्वाचन क्षेत्र गोला में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों की वसूली स्थगित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अरविन्द गिरि–

[महोदय, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकृष्ट करते हुये सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तहसील गोला व मोहम्मदी में हुए अति ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी क्षति पहुंची है जिसमें बड़डीया खेड़ा, बसत्तोली, शीसोकन, कतरहा वीरमपुर, मौसमपुर, पपिरजला, खंजन नगर, भापदा, गोतलपुर, झारा आदि सैकड़ों गांव के हजारों कृषकों की 100 प्रतिशत फसल तबाह हो गयी है । मान्यवर, विशेष बात यह है कि यह पूरा क्षेत्र बुड़ कहलाता है, यहां धान या गन्ना की फसल न के बराबर है और प्रमुख रूप से कृषकों का जीवन गेहूं पर आधारित है । दिनांक 10-4-97 को बाहुल क्षेत्र के सैकड़ों कृषकों द्वारा जिलाधिकारी से मांग करने के बाद पूर्ण राहत नहीं मिल सकी है । आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और प्रभावित क्षेत्र में अविलम्ब विशेष सहायता राशि का वितरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय क्योंकि जनपद स्तर से अनुदान राशि से कृषकों का भला होने वाला नहीं है । साथ ही सदन को अवगत कराते हुये यह मांग करता हूं कि प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा मात्र तीन माह तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के लिये वसूली का स्थगन संभव हो सकेगा जबकि संबंधित क्षेत्र में वर्ष में रबी की फसल प्रमुख है व कृषकों के जीवन यापन का साधन है।

अतएव शासन अविलम्ब यह घोषणा करे कि प्रभावित कृषकों की समस्त वसूली 2 वर्ष के लिये स्थगित रहेगी एवं अविलम्ब रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को यह सदन निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद हमीरपुर के कतिपय न्याय पंचायतों के मामले न्यायालय में लम्बित होने और विकास कार्य अवरुद्ध होने से प्रशासनिक कमेटी गठित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामाधार सिंह–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में मैं अपने क्षेत्र की पंचायत व्यवस्था को लाना चाहता हूं। न्याय पंचायत उमरिया में पंचायतों के चुनाव में केवल उमरिया ग्राम में अनियमितता हुई थी जिसके पुनः चुनाव करवाने की मांग की गयी थी। लेकिन प्रशासन की लापरवाही से पूरी न्याय पंचायत में चुनाव करवा दिया गया था, जिसके कारण प्रथम बार चुने प्रधान तथा बाद में चुने प्रधानों का मामला माननीय हाईकोर्ट में लंबित है इस कारण उमरिया न्याय पंचायत के अन्तर्गत ग्राम कछुआ कलां, करही, अमूंद तथा रिगवारा ग्राम में जवाहर रोजगार योजना से कोई काम नहीं हो पा रहा है तथा ग्राम कछुआ कलां और अमूद अम्बेडकर गांव भी है, उस योजना के अन्तर्गत भी खड़ंजा, नाली तथा अन्य सभी कार्य नहीं हो पा रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रशासनिक कर्मचारियों की कमेटी गठित कर कार्य कराने का निर्देश देने की कृपा करें।]

जनपद जौनपुर में कार्यरत उर्दू अध्यापकों एवं अनुवादकों को नियमित वेतन दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री पारस नाथ यादव–

[महोदय, आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। शासन की मनशाक के अनुरूप प्रत्येक विभाग में उर्दू अनुवाद एवं उर्दू अध्यापक की नियुक्ति की गयी। जनपद जौनपुर में भी विगत दो वर्षों से उर्दू अध्यापकों एवं अनुवादक को नियुक्त किया गया है। बेरोजगार नवयुवक प्रत्येक विभाग में कार्यरत हैं, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन उर्दू अध्यापकों एवं अनुवादकों को वेतन आज तक नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों के मन में असन्तोष की भावना उत्पन्न हो रही है। वे तथा उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच रहा है। यह न्याय संगत भी नहीं है कि किसी से कार्य कराया जाय और उसे वेतन न दिया जाय।

अतः लोक महत्व की तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये मांग करता हूं कि जनपद जौनपुर में कार्यरत उर्दू अध्यापक एवं अनुवादक को नियमित वेतन दिया जाये।]

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फर्रुखाबाद के संकिया बौद्ध पर्यटक स्थल पर दूसरे धर्मावलम्बियों द्वारा कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, जैसा कि आपके संज्ञान में है कि जनपद फर्रुखाबाद में संकिया एक बौद्ध पर्यटक स्थल है और वहां पर प्रत्येक वर्ष इण्डोनेशिया, जापान, थाईलैण्ड, श्रीलंका आदि विदेशी एवं भारत के कोने-कोने से बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले पर्यटक आते हैं, संकिया का कुछ क्षेत्र नियंत्रित है जिसमें बौद्ध इतिहास धर्म एवं संस्कृति से संबंधित बौद्ध स्तूप व अन्य शिलालेख व प्रतिमायें हैं, यह सर्वविदित है कि संकिसा का गौरव एवं प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल होने की वजह से है तथा अन्य किसी धार्मिक मान्यता की वजह से नहीं, संकिसा से समूचे देश की बौद्ध धमावलम्बियों की आस्थाएं जुड़ी है परन्तु अभी हाल में उक्त बौद्ध स्तूप पर पहले से लहराने वाला पंचशील (पंचरंगी) ध्वज उतार कर दूसरे धर्म का ध्वज लगा दिया गया है । बौद्ध स्तूप में लोहे का गेट लगाकर बौद्ध भिक्षुओं तथा बौद्ध धर्मावलम्बियों को पूजा अर्चना करने एवं प्रवेश करने से रोक दिया गया है, वहां पर अराजक तत्वों ने व दूसरे धर्मावलम्बियों ने बलात अनधिकृत कब्जा कर लिया है और नियंत्रित क्षेत्र में अवैध निर्माण कर निवास करना प्रारम्भ कर दिया है जिससे बौद्ध धर्मावलम्बियों के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का हनन हुआ है, यदि समय रहते सरकार ने बौद्ध संस्कृति से संबंधित उक्त स्तूप व स्थल के मूल स्वरूप को बहाल न किया और दूसरे धर्मावलम्बियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को समाप्त न किया तो यह राष्ट्रीय स्तर की समस्या खड़ी हो जायेगी ।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण के कानपुर रोड योजना सेक्टर–बी के व्यवसायिक केन्द्र पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री शिव सिंह चक–

[महोदय, लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर बी में एक व्यवसायिक केन्द्र है । उक्त केन्द्र के पार्क/पार्किंग स्थलों एवं सड़कों पर बांस बल्ली की दुकान/होटल आदि बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है । मार्केट के अन्दर एवं पार्क/पार्किंग स्थलों पर सुअर आदि जानवर काटकर इनके गोश्त बेचे जा रहे हैं । उक्त अवैध कब्जों से दुकान के अन्दर ग्राहकों व व्यक्तियों का जाना दुष्कर हो गया है । मार्केट के अन्दर दुकानों में अवैध रूप से लोगों द्वारा गोदाम बना लिया गया है । इस प्रकार उक्त मार्केट गन्दगी से भरा पड़ा है, जिससे व्यापारी अत्यधिक परेशान हैं । यह अवैध कब्जा काफी अर्से से है और इसके लिये प्राधिकरण का संबंधित कर्मचारी अवैध कब्जेदारों से पैसा लेता है और प्राधिकरण की गतिविधियों की जानकारी अवैध कब्जेदारों को देता है । जब तक संबंधित कर्मचारी को वहां से हटाया नहीं जाता तब तक उक्त अवैध कब्जा बरकरार रहेगा । अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि उक्त कर्मचारी को वहां से स्थानान्तरित करके तत्काल अवैध कब्जे को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हटाया जाये और यह भी सुनिश्चित किया जाये कि पुनः मार्केट के अन्दर एवं बाहर अवैध कब्जा न होने पाये ।]

कमला नेहरू टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, सुल्तानपुर के डाइरेक्टर व प्रबन्ध कमेटी द्वारा की गयी अनियमितता की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम जग–

[मान्यवर, मैं नियम 301 के अन्तर्गत सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कमला नेहरू टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, सुल्तानपुर, बी० टेक के 125 विद्यार्थी 14 अप्रैल से विधान सभा के समक्ष धरना दे रहे हैं । वे इन्स्टीट्यूट के अस्थायी डाइरेक्टर तथा प्रबन्ध कमेटी के भ्रष्टाचार, विद्यालय विरोधी कार्यवाहियों व विद्यार्थियों को परेशान करने की कार्यवाहियों से संरक्षण के लिये धरना दे रहे हैं । सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त डाइरेक्टर व प्रबन्ध कमेटी की भ्रष्टाचार मूलक कार्यवाहियों की जांच करायें ।]

प्रदेश के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित वर्ग के रिक्त पदों पर अप्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नन्द राम–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि प्रदेश के ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां की गयी हैं, किन्तु प्रत्येक जनपद में अनुसूचित जाति के वांछित संख्या में प्रशिक्षित अध्यापक न मिल पाने के कारण सैकड़ों पद रिक्त पड़े हैं, जिसके कारण इस वर्ग में कुंठा व्याप्त है एवं छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है । ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि इसी अनुसूचित वर्ग के इन्टर स्नातक, परास्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की इन पदों पर अप्रशिक्षित वेतन क्रम में नियुक्ति कर ली जाये एवं तीन वर्ष पश्चात् इन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाये । यह प्रदेश की दलित जनता के हित में होगा । अतः इस संबंध में सरकार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।]

जनपद गोण्डा के गन्ना क्रय केन्द्र चन्द्र दीप घाट को पुनः चालू कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तौफीक अहमद–

[महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत जनपद सिद्धार्थनगर एक उद्योग शून्य जनपद है । यहां का गन्ना किसान जनपद बस्ती में स्थित चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति करता है । सन् 1947 से डुमरियागंज तहसील के लगभग 35 गांवों के किसान बभनान केन यूनियन के सदस्य हैं । बिडम्बना यह है कि 17 सालों से अधिक उक्त गांवों के लोग अपने गन्ने को कभी वाल्टरगंज एवं कभी बस्ती को देते रहे हैं, जिसका 60 प्रतिशत का भुगतान अभी तक उक्त जिलों में लम्बित है । जबकि उक्त ग्रामों के गन्ना किसानों का मूल गन्ना क्रय केन्द्र चन्द्रदीप घाट पर स्वीकृत है । गोण्डा जनपद के प्रभावशाली लोगों के यह कहने पर कि रास्ता खराब है, इस क्रय केन्द्र को गोण्डा जनपद के हाजी जो ग्राम में लगा दिया जाता है । इस कारण से चन्द्रदीप घाट का गन्ना क्रय केन्द्र सक्षम अधिकारी द्वारा बन्द करवा दिया गया जिसके कारण से उक्त ग्रामों के किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये आगामी सीजन से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मूल गन्ना क्रय केन्द्र चन्द्रदीप घाट को चालू कराकर उक्त गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद गोण्डा के रामपुर खरेहटा निवासी श्री भगवती पुत्र श्री श्याम प्रताप के फैसले का अमल दरामद कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री जय प्रकाश–

[मान्यवर, निवेदन यह है कि गोण्डा जनपद के निवासी श्री भगवती पुत्र श्याम प्रताप के मुकदमा राजस्व परिषद् इलाहाबाद की अपील संख्या 73/1977-78 का फैसला श्री श्याम प्रताप सिंह के पक्ष में हुआ है, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक फैसले की अमल दरामद चकबन्दी अधिकारी, वजीरगंज, गोण्डा के यहां दिनांक 22-12-1983 से लम्बित है । श्री श्याम सुन्दर एवं श्याम प्रताप पुत्रगण श्री भगवती प्रसाद आदि हैं । अपनी जमीन होते हुये भी भुखमरी की कगार पर हैं तथा अपनी ही जमीन को प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं । अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि तुरन्त इन गरीबों की उनकी जमीन को इनके नाम अमल दरामद करके इन्हें कब्जा दिलाने का कष्ट करें ताकि इनका परिवार भुखमरी की कगार से उबर सके । श्री श्याम सुन्दर एवं श्याम प्रताप सिंह ग्राम रामपुरखरेहटा वजीर गंज जनपद गोण्डा के निवासी हैं ।]

जनपद गोरखपुर के कौड़ीराम निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगीकरण हेतु अधिग्रहीत भूमि का उचित मुआवजा एवं नौकरी दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी–

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम जनपद गोरखपुर के ग्राम बड़गहन कालेसर जुमियां, उस्का, मल्हीपुर आदि 40 गांवों की भूमि औद्योगिक विभाग प्राधिकरण के लिये अधिग्रहीत की गयी है । जमीन की स्थानीय उपयोगिता व सर्किल रेट जो सरकार ने तय किया है, उसके अनुसार रेट नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि सरकार जमीन लूट रही है । यही नहीं जिस किसान की जमीन अधिग्रहीत होनी है, उसके परिवार का एक व्यक्ति स्थापित होने वाले उद्योग में नियोजित भी किया जाना है । खेद का विषय है कि इस लोकतंत्र में जहां जनता की सरकार है, सरकार जनता को ही जमीन का मूल्यांकन कम करके लूट रही है तथा अधिग्रहण से पूर्व स्थापित होने वाले उद्योग में एक व्यक्ति को नौकरी देने का समझौता लिखित रूप में नहीं कर रही है । अतः एतद्द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये अपेक्षा है कि इसके लिये जी० पी० ओ० पार्क में धरना दे रहे किसानों का अनशन आज ही समाप्त कराया जाये, तथा किसान एवं सरकार के बीच समझौता कराया जाये ।]

जनपद लखनऊ हरदोई मार्ग पर विद्युत आपूर्ति नियमित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजेन्द्र यादव–

[मान्यवर, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ तहसील लखनऊ के अन्तर्गत लखनऊ हरदोई मार्ग पर स्थित दुबग्गा से लेकर ग्राम जेहटा तक जाने वाली विद्युत लाईन काफी समय से खराब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है, जिससे कि उक्त विद्युत लाइन से आपूर्ति किये जाने वाले दर्जनों गांवों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों की फसल की मड़ाई एवं सिंचाई नहीं हो पा रही है और किसानों का काफी नुकसान हो रहा है । अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि तत्काल उक्त गांवों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये जिससे किसानों की फसल की मड़ाई एवं सिंचाई का कार्य समय से हो सके । इस पर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें । ।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र गोकुल की पेयजल व्यवस्था ठीक कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं सरकार के संज्ञान में मथुरा जनपद की विधान सभा 366 गोकुल क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट की ओर आकर्षित करते हुये तुरन्त समाधान की अपेक्षा करता हूं । पेयजल योजना दौरातपुर, नगजासंजा, बरौली, पटलौनी, हथकौली, घरौटां, अवैरनी, जुगसना, बन्दी, नूरपुर, मनोहरपुर, बन्दी, बल्देव, विसावली, चिमला, राया, सियरा, पवेसरा, अनौड़ा, व्योंही, विजाहरी, सुथरिया, बिन्दुबुलाकी, (आयराखेड़ा), सूरजकपूर, लोहवन, लक्ष्मीनगर, सोनई, गोकुल, कारब सोंखखेड़ा आदि ध्वस्त पड़ी हुई है और संबंधित ग्रामों को पानी नहीं उपलब्ध करा पा रही हैं । इलाके में लगे हुये इन्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिकतर खराब पड़े हुये हैं । इस कारण पेयजल का भारी संकट है । क्षेत्र में असंतोष है । शासन एवं प्रशासन को कई बार लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । धार्मिक स्थल होने के कारण क्षेत्र में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के लोगों का बराबर आना-जाना बना रहता है । परिक्रमायें चलती रहती हैं । पेयजल आपूर्ति न होने के कारण प्रदेश सरकार की छवि भी धूमिल होती है । आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुचारु किया जाये । ।

जनपद बहराइच की शिक्षण संस्थाओं की जांच तथा कालेजों की संख्या बढ़ाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० वकार अहमद शाह–

। मान्यवर, मैं सदन का ध्यान बहराइच जनपद के शिक्षा विभाग के द्वारा की गई घोर अनियमितताओं और उदासीनता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, बहराइच जनपद उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में शिक्षा में सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । यहां पर स्कूल और कालेजों की अत्यधिक कमी है । शहर में मात्र 2 डिग्री कालेज और 4 इन्टर कालेज हैं । 22 सितम्बर, 1994 को माननीय मुख्य मंत्री, उ० प्र० ने माण्टेसरी स्कूल, बरइया बहराइच को हाईस्कूल तक मान्यता देने की घोषणा की थी, परन्तु उस स्कूल को भी अब तक मान्यता नहीं दी गई । प्रौढ़ शिक्षा के लिये आई करोड़ों रुपये की धनराशि कागज पर ही दिखाकर हजम कर ली गई । सबके लिये शिक्षा योजना के अन्तर्गत बहराइच जिले का भी चयन हुआ था, जिसके अन्तर्गत लगभग 350 स्कूल बहराइच में खुलने हैं । इन स्कूलों की चयन प्रक्रिया में किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई भी सहयोग नहीं लिया गया, अर्थात् चयनित स्कूलों के लिये 3[illegible] ऐसी जगहें चयन की गई हैं, जहां पर या तो स्कूल पहले से मौजूद है या उस नाम की कोई जग[illegible] नहीं है । इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को भी दे दी गई है । स्कूलों की भवन मरम्मत के लिये जो धन स्वीकृत किया गया है, उसमें ऐसे कुछ भवनों का नाम भी है जो भवन बने ही नहीं हैं अर्थात् इस प्रकरण में लाखों रुपये का हेर-फेर हुआ है । अतः आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन विद्यालयों की मान्यता दी जाये, जिनकी घोषणा मुख्य मंत्री जी कर चुके हैं तथा इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाये एवं शासन को निर्देशित करें कि बहराइच में दो इण्टर कालेज एवं दो डिग्री कालेज और खोले जायें । ।

राजकीय आफीसर्स आवासीय कालोनी लालबाग, लखनऊ में लिफ्ट एवं पानी निकासी की व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फागू चौहान--

। मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व का निम्नलिखित विषय लाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित राजकीय आफीसर्स आवासीय कालोनी, लालबाग काम्प्लेक्स, लालबाग लखनऊ में सरकार ने अध्यासियों की सुविधा के लिये लाखों रुपये का व्यय करके चार लिफ्ट लगवाई गयी है ताकि इस कालोनी के ए तथा बी ब्लाक्स, जो 7 मंजिलें हैं, में रहने वाले अध्यासियों को असुविधा न हो । उक्त लिफ्टों का अनुरक्षण लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं के नियंत्रणाधीन है और 4 लिफ्टों हेतु अनेक लिफ्टमैन पिछले 15 वर्षों से नियुक्त हैं किन्तु न तो लिफ्टों का रख-रखाव ठीक से होता है और न ही लिफ्टमैन अपनी ड्यूटी करते हैं । उक्त कालोनी के अध्यासियों ने स्वयं अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिये एक एसोसियेशन बनाई है, जिसकी ओर से सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता तक को समय-समय पर इस बारे में पत्र द्वारा शिकायत की गई है, किंतु खेद का विषय है कि अभियन्ताओं ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । कई बार तो लिफ्टें महीनों खराब पड़ी रहती हैं और एक ही लिफ्ट से काम चलाया जाता है और जब वह भी खराब हो जाती है तो भाग-दौड़ शुरू होती है । आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट चलाने के लिये लगाये गये जनरेटर के लिये तेल अक्सर ही नहीं होता है, जबकि 20 लीटर तेल के भण्डारण के स्थाई आदेश हैं । इसी प्रकार उक्त कालोनी के ओवर हेड टैंक्स से जल का ओवरफ्लो होता रहता है, जिससे छतों के फर्श पर कई-कई इंच पानी भर जाने के कारण टपकता रहता है, जिससे इमारत को क्षति पहुंचती रहती है । इस दुर्व्यवस्था के लिये भी लोक निर्माण विभाग का दायित्व है ।

अतएव मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर यह अपेक्षा करता हूं कि इस दिशा में तुरन्त कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार सर्वे कराकर समुचित निर्देश जारी करेगी । ।

जनपद लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी के मध्य स्थित नहर की पटरियों पर सड़क निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अखिलेश कुमार सिंह--

। महोदय, मैं सदन को एक अति महत्वपूर्ण विन्दु की सूचना देते हुए निवेदन करता हूं कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की एशिया की सबसे बड़ी कालोनी इन्दिरा नगर, लखनऊ के मध्य सिंचाई विभाग की एक बड़ी नहर स्थित है । चूंकि यह नहर कालोनी के मध्य और सहकारी समितियों द्वारा विकसित कालोनी के मध्य पड़ती है अतः विगत 15 वर्षों से इसमें पानी नहीं छोड़ा जाता है । इसका काफी भाग पाटकर समतल किया जा चुका है और इस्माइलगंज के खसरा नं० 620 से लेकर कालोनी तक लगभग 2 कि०मी० की लम्बाई का भाग अभी नहीं पाटा गया है । यदि इस भाग को पाट दिया जाय और उसको सड़क की शकल दे दी जाय तो लाखों लोगों के लिए एक सुगम यातायात का साधन उपलब्ध हो जायेगा और इस नहर पर होने वाले अनधिकृत कब्जों से छुटकारा मिल जायेगा ।

अस्तु उक्त सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि ग्राम इस्माइल गंज के खसरा नं० 620 से लेकर कालोनी तक स्थित नहर के भाग को पाटकर सड़क बनाने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें । ।

लखनऊ के डायमण्ड डेरी स्थित कालोनी में पेयजल संकट दूर किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अक्षयवर लाल–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में डायमंड डेरी स्थित सरकारी आवासों में पीने के पानी की भीषण समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस कालोनी के लिए जो ट्यूबवेल बना है उससे अवैध कनेक्शन दे दिये गये हैं और सारा पानी जो मकान ढ़लान में पड़ते हैं प्रेसर वहां चला जाता है जिससे सरकारी कालोनी में बने बहुमंजिला फ्लेटों में प्रथम तल से ऊपर पानी नहीं चढ़ता है जिससे द्वितीय तल पर रहने वाले अध्यासियों को पानी मिल ही नहीं पाता है। इस कालोनी के लिये गत वर्ष एक ट्यूबवेल अलग से गया था लेकिन वह भी काम नहीं कर रहा है जिसमें काफी बड़ी धनराशि खर्च भी हुई है और वह अभी तक चालू नहीं हो पाया है जिस पार्क में यह ट्यूबवेल लगा है वह भी अत्यन्त खराब स्थित में है उसमें गंदगी का अंबार लगा रहता है।

अभी गर्मी प्रारम्भ हुई ही है पानी का भीषण संकट पैदा हो गया है अतः अविलम्ब सरकारी आवासों के लिये बने ट्यूबवेल को ठीक कर ऐसी व्यवस्था की जाय कि सभी दूसरी और तीसरी मंजिल में रहने वाले अध्यासियों को पानी मिल सके।]

उत्तराखण्ड राज्य के गठन तक वहां की भूमि क्रय पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय भट्ट–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में नियम 301 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं।

मान्यवर, निकट भविष्य में प्रथम उत्तराखंड राज्य बनने की सम्भावना है जिस कारण भू-माफियाओं द्वारा वहां पर महत्वपूर्ण स्थानों पर बहुत ही सस्ते दामों पर जमीन खरीदी जा रही है। पर्वतीय अंचल की जो गरीब जनता है उन्हें यह भू-माफिया बर्गलाकर सस्ते दामों पर जमीन ले रहे हैं और साथ ही वहां के जनमानस में इस बात की भी चर्चा है कि कुछ विदेशी एजेन्टों द्वारा जमीन खरीदी जा रही है और खरीदवाई जा रही है ताकि पृथक राज्य के गठन के उपरान्त महत्वपूर्ण स्थानों पर उनका कब्जा हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड की सीमाएं विदेशों से मिली हुई हैं यदि समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में इसके दुष्परिणाम देश को झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हिमांचल प्रदेश में स्थापित व्यवस्था के अनुरूप ही उत्तराखंड में भी भूमि के क्रय पर प्रतिबन्ध लगाया जाय और जिन लोगों ने आज तक इस प्रकार कहां पर भूमि क्रय की है उन्हें चिन्हित किया जाय एवं पृथक उत्तराखंड राज्य के गठन तक इस प्रकार के भूमि क्रय पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।]

जनपद लखनऊ के कृष्णा नगर थाने के पास मन्दिर से भोलाखेड़ा जाने वाले मार्ग में नाली बनवाये जाने संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सुरेश चन्द्र तिवारी–

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न को प्रस्तुत करना चाहता हूं कृष्णानगर थाने से सहसापीर मंदिर–आशुतोषनगर होते हुए भोलाखेड़ा को जाने वाली सड़क पर

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीन वर्ष पूर्व सोलिंग कर पक्का किया गया । आशुतोषनगर में सड़क को पक्का कराते समय दोनों किनारों से पानी के निकास हेतु नाली का निर्माण नहीं किया गया जिसके कारण सारा पानी सड़क में आ जाता है और सड़क जगह-जगह टूट गयी है जो इस समय खराब स्थिति में हो गयी है । आशुतोषनगर में सड़क से लगे मकान नं० 22 से 41 के बीच में लगभग 50 मीटर सड़क का हिस्सा पक्का होने से रह गया है जिससे वह हिस्सा सड़क की ऊंचाई से कम होने के कारण सारा बरसाती पानी वहां पर एकत्रित हो जाता है और लगभग 7-8 मकानों में पानी भर जाता है और लोगों को बाहर निकलना कठिन हो जाता है और पानी भराव से मच्छर पैदा होते हैं जिससे बीमारी फैलती है । लोगों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह अति आवश्यक है कि इस संपूर्ण सड़क को पुनः डामर किया जाय और बचे हुये 50 मीटर के हिस्से को पक्का कर सड़क के दोनों ओर नाली बनाकर जो 4 फुट गहरा नाला सहसापीर मंदिर के पास बना है उससे जोड़ा जाय ताकि वहां के लोगों में जो असन्तोष और बीमारी का खतरा है वह दूर हो सके । जल निकासी हेतु कम से कम एक फुट गहरी नाली बनाना अति आवश्यक है । ।

जनपद भदोही को सूखाग्रस्त जिला घोषित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी पंकज–

। माननीय अध्यक्ष जी, आपके संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र भदोही में नहरों में पानी न छोड़े जाने के कारण मेरे क्षेत्र की फसलें सिंचाई के अभाव में सूख गयी साथ ही साथ विद्युत आपूर्ति न होने के कारण निजी एवं सरकारी नलकूपों का भी संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पाया । बार-बार जिले के अधिकारी का ध्यान किसानों की समस्याओं के प्रति आकृष्ट किया गया किन्तु जब तक किसानों की पूरी फसल सूख कर नष्ट नहीं हो गयी नहर, नलकूप चालू नहीं हुये ।

मैं सरकार से जनपद भदोही को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने की मांग करता हूं । शासन से इस पर त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा करता हूं तथा प्रभावित किसानों को उनकी फसल की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं । ।

भारतीय संविधान के तिरसठवें संशोधन के अनुसार जनप्रतिनिधियों को सम्पूर्ण अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

। माननीय अध्यक्ष जी, नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व का सवाल मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं । उसकी लोक महत्ता एवं ग्राह्यता के बारे में मुझे आपसे आग्रह करना है कि भारतीय संविधान के 63वें राज्य पंचायत अधिनियम संशोधन के अनुसार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव कराया गया । दो वर्ष व्यतीत हो चुका है परन्तु वर्तमान समय तक समस्त क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधानों को संपूर्ण अधिकार प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त नहीं किया गया । यह चुनाव गांव के विकास को मद्देनजर रखते हुये त्रिस्तरीय चुनाव कराया गया जो संवैधानिक व्यवस्था में सन्निहित है । परन्तु जनप्रतिनिधियों का शोषण किया जा रहा है । शोषण व अवहेलना ही नहीं यह भारतीय संविधान पर कुठाराघात की परिकल्पना की जा रही है। जब कि मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में पंचायत राज अधिनियम को लागू किया जा चुका है और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सर्वांगीण विकास हो रहा है । इस कारण पूरे प्रदेश में अफसरशाही व भ्रष्टाचार व्याप्त है । विकास के सिवा विनाश की उत्प्रेरणा मिल रही है ।

अधिकार की मांग को लेकर वाराणसी जनपद के क्षेत्र पंचायत प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधानगण दिनांक 21-4-97 से जी० पी० ओ० पार्क में क्षेत्र पंचायत प्रमुख काशी विद्यापीठ वाराणसी श्री हीरा प्रसाद उर्फ छक्कन के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठे हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि 63वें संविधान संशोधन पंचायत राज अधिनियम के अनुसार जन प्रतिनिधियों को संपूर्ण अधिकार प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठायें ।]

जनपद लखनऊ की चौक क्षेत्र की जीर्णशीर्ण विद्युत व्यवस्था बदलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम कुमार वर्मा–

[अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनपद लखनऊ चौक क्षेत्र की जीर्ण-शीर्ण विद्युत व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, चौक क्षेत्र जहां चिकन का काम, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, किया जाता है तथा चिकन व्यापारियों ने उक्त उद्योग के लिये भारी-भारी मोटरें भी लगायी हैं तथा वहां सर्राफे की दुकानें भी बहुतायत में हैं । वहां विद्युत व्यवस्था अत्यन्त ही बिगड़ी हुई है । लगभग प्रतिदिन शाम को बिजली चली जाती है जिसके कारण चौक क्षेत्र निवासियों को पानी के संकट का तो सामना करना ही पड़ता है साथ ही चिकन उद्योग पर भी प्रभाव पड़ रहा है । बिजली जाते ही विक्टोरिया विद्युत सब-स्टेशन के कर्मचारी टेलीफोन रिसीवर रख देते हैं तथा वहां के अधिकारी (अभियन्ता) सदैव साइट पर ही रहते हैं ।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चौक सर्राफे से लेकर अकबरी गेट आदि क्षेत्र में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करते हुये जीर्ण-शीर्ण विद्युत लाइनें बदली जायं तथा विद्युत के कर्मचारियों/अभियन्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाय ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वह प्रथम दृष्टया ही नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं लेकिन ग्राह्यता के लिए एक सूचना मुझे मिली है गृह विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अपराधी छवि वाले विधायकों की सूची प्रकाशित किये जाने के बारे में, इसमें कई माननीय सदस्यों के दस्तखत हैं सर्वश्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, विवेक सिंह, वीरेन्द्र सिंह आदि कई लोग हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, पहले मेरी बात को सुन लें आपका जजमेन्ट तो बाद में आयेगा ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने इसकी एक-एक पंक्ति पढ़ लिया है यह नियम 300 में आती नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इस औचित्य के माध्यम से जो प्रश्न उठाया है शायद इस सदन के सभी सम्मानित सदस्य मेरे इस प्रश्न से अपनी सहमति रखते हैं। श्रीमन्, इस विधान सभा के सदस्य बनने के बाद हमें कुछ अधिकार मिले होते हैं। राजनीतिक जीवन में कभी हम सत्ता में रहते हैं। कभी विपक्ष में रहते हैं और इस सदन की प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जिसमें हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं तो जो जनता की लड़ाई होती है, सत्तापक्ष के तमाम लोगों के इशारों पर मंत्रियों के आदेश पर, मुकदमें रजिस्टर्ड होते हैं। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने एक सूची 73 विधायकों की श्रीमन् प्रकाशित की। उत्तर प्रदेश में 425 चुने हुए विधायकों में से 73 विधायक आपराधिक प्रकृति के हैं। हम उनके नाम नहीं लेना चाहते हैं, अखबारों में छपा है, संख्या जो बतायी जा रही है समाजवादी पार्टी के 19, भारतीय जनता पार्टी के 9, बहुजन समाज पार्टी के 7, कांग्रेस के 5।

श्री अध्यक्ष–

यह नियमावली के नियम 300 में कैसे आता है, किसी पार्टी की संख्या न बतायें।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, क्या अखबार की नोटिस हम ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अखबार की बात नहीं कर रहे हैं, यह उनके भाषण का अंग है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अगर आप अनुच्छेद 174 देख लें। अधिकार और विशेषाधिकार दोनों मिले हुए हैं इस सदन के प्रति हमारे कर्तव्य भी हैं। मान्यवर, अगर हमारी छवि खराब होगी तो इस सदन की भी छवि खराब होती है। विधायकों की हिस्ट्री शीट उसमें खोली जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

दो बातें हैं, कोई आपराधिक कार्यवाही चल रही है, कोई सजा नहीं हुई है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़कर इस सदन का सदस्य हो सकता है और यदि किसी भी व्यक्ति को सजा हो गयी है तो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 लगायत 11 के अन्तर्गत यदि वे उस अवधि तक की सजा काट चुका है तो निर्धारित अवधि के बाद वह चुनाव लड़ सकता है। यह वी० सी० शुक्ला जी के केस में निर्णय हो चुका है। यह नियम 300 में नहीं आता है, मैं अस्वीकार करता हूं। दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है, आपकी सूचना शाक्य जी जो है उसमें आक्षेप है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, यह लिखा नहीं जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

शाक्य जी उसमें आक्षेप है, अब सदन में सौहार्दपूर्ण वातावरण है दुबारा उस पर कहने की अनुमति नहीं देता हूं। आपकी सूचना को मैं अग्राह्य कर रहा हूं।

अगली सूचना डा० अशोक बाजपेयी व बाबू राम यादव जी की है। यह सूचना बहुत ही अस्पष्ट है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, सरकार के मंत्री यह शपथ लेते हैं कि शुद्ध अन्तःकरण से बिना किसी भेदभाव के प्रदेश की जनता के साथ न्याय करेंगे। मान्यवर, इस सूचना को देने का आशय है कि मुख्य मंत्री जी का एक बयान आया कि उ० प्र० में एक जाति विशेष के अधिकारियों की जिलों में नियुक्ति नहीं की जा सकती है और निर्देश विभागों में चला गया कि जाति विशेष के ..

श्री अध्यक्ष–

इस सदन में कोई बयान न दें। जो आपकी सूचना है उसे मैं पढ़े देता हूं। "उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जाति विशेष के लोगों को व्यवस्था एवं भागीदारी से वंचित किए जाने के बारे में", यह बहुत जनरल है, अस्पष्ट है। यह सूचना नियम 300 में नहीं आती है।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, जो इन्होंने आपसे अनुरोध किया और आपसे मांग की है आप तो संविधान के ज्ञाता हैं। संविधान में स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है। जो जैसी भाषा बोलना चाहे उसे अंगीकार कर ले। हमारे दो सम्मानित माननीय सदस्य श्री आलम बदी और श्री वसीम अहमद जो उर्दू में शपथ लेना चाहते हैं को शपथ नहीं दिलायी जा रही है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि दोनों माननीय सदस्यों को उर्दू में शपथ ग्रहण कराने की कृपा करें। अनुच्छद–208 के अन्तर्गत जो नियम बने हैं उसके अन्तर्गत सदन की भाषा ....

श्री अध्यक्ष–

अनुच्छेद–208 के अन्तर्गत जो नियम बने हैं उसके अन्तर्गत सदन की भाषा हिन्दी है। इस प्रकार के प्रश्नों पर पहले भी निर्णय आ चुके हैं। इसलिए आपका यह प्रश्न नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी जो सूचना है उससे न किसी पर आक्षेप ही पड़ने वाला है और न ही आलोचना ही है। माननीय सदस्यों को प्रतिदिन अपने क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो निश्चित ही आपसे कहा जायेगा। विधान सभा के सदस्य के रूप में हमारे जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करना अत्यन्त आवश्यक है। आजकल हमारे जिलों में सदस्यों के क्षेत्र में जो प्राइमरी स्कूल बनते हैं, सड़कें बनती हैं तथा जो अन्य विकास के कार्य होते हैं और शिलान्यास होते हैं, सामान्यतः उनका उद्घाटन कमिश्नर अथवा जिलाधिकारी कर रहे हैं, और उनमें जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जाती है जबकि इस बारे में शासन के स्पष्ट आदेश भी हैं कि इनका शिलान्यास जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। तो हमारा कहना है कि शासनादेशों की अवहेलना नहीं होनी चाहिये। शिलान्यास के संबंध में कमिश्नर/जिलाधिकारी की तस्वीरें छपती हैं, उनके कार्यालयों पर संवादाताओं का जमावड़ा रहता है वह सिर्फ इसलिये कि उन्हें एडवरटीजमेन्ट मिलते हैं,आए दिन सी० डी० ओ० व डी० डी० ओ० की प्रसंशा छपी रहती है। यह शासनादेश इसलिए किया गया कि ताकि जनप्रतिनिधियों उन बैठकों में भाग ले सकें। आए दिन इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं और माननीय सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। जिलों में डी० आर० डी० ए० की जो समिति बनी है उसमें एक प्रकार से देखा जाय तो

जिस प्रकार वार्षिक परिव्यय बगैर विधान सभा के पारित हुए स्वीकृत नहीं हो सकता उसी प्रकार इन समितियों में जे० आई० वाई० का पैसा आवंटित किया जाता है । इस समिति में मा० सांसद और विधायक दोनों रहते हैं । इसलिए मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इन समस्त बिन्दुओं पर आप शासन को निर्देशित करें ताकि भविष्य में अधिकारी माननीय जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का अतिक्रमण न कर सकें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री पाल जी आप गुस्से में अपनी बात क्यों कह रहे हैं, इसी बात को आप शान्ति से कह सकते हैं । वैसे आपकी पूरी बात तो आ ही गई है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, गुस्सा तो मुझे कभी आता ही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री पाल जी, मैंने अपनी सूचना को पढ़ा । आपकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अस्वीकृत करता हूं । चूंकि आपने जो विषय उठाया है, वह माननीय सदस्यों से संबंधित है और महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, बैठकों के संबंध में, शिलान्यासों के संबंध में और अपनी मर्जी से अधिकारी जो पैसे का आवंटन कर रहे हैं, उसके संबंध में स्पष्ट निर्देश यहां से जाने चाहिये और जहां पर शासनादेशों का उल्लंघन हो रहा है, वहां पर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कार्यसूची की अगली मद ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के वर्ष 1992-93, 1993-94 व 1994-95 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन †

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखा पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली 1996 तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र†

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से न्याय अनुभाग–7 की दिनांक 20 अप्रैल, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 1996 को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 30 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्रीअवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आपने कल सरकार को निर्देश दिया था कि श्री ताराचन्द्र मर्डर वाले मामले पर वह अपना वक्तव्य दे । इसलिए सरकार पहले इस संबंध में अपना वक्तव्य दे दे ।

टिप्पणी:–† छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप -औपचारिक कार्य तो होने दें । काफी लम्बी बहस बाकी है । इसलिए आप कृपा करके बैठ जायं ।

(श्री राम तेज यादव व श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर व्यवधान)

वित्त (व्यापार कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 मार्च, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2–579/ग्यारह–9(6)/94, उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश 96 दिनांक 28 फरवरी, 1996 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० के०–2–781/ग्यारह–10(1)/80, उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश 96 दिनांक 1 अप्रैल, 1996 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 10 मई, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० के०–2–1177/ग्यारह–9(217)/92– यू० पी० ऐक्ट–15–48–आदेश 96 दिनांक 10 मई, 1996 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 6 जून, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2–1380/ग्यारह–9(167)/95, उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश 96, दिनांक 6 जून, 1996 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-घ के उपधारा (8) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 22 अगस्त, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2–2020/ग्यारह–9(1)/9, उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश 96 दिनांक 22 अगस्त, 1996 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सूर्य प्रताप शाही पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 27 अगस्त, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2–2062/ग्यारह–7(42)/86, उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश 96 दिनांक 27 अगस्त, 1996 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

टिप्पणी:–† छापी नहीं गयी ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 28 अगस्त, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०-2-2072/ग्यारह-9(341)/93, उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश 96 दिनांक 29 अगस्त, 1996 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या व्या० क०-2-2355/ग्यारह-9(230)/95, उ० प्र० अधि०-15-48-नियम-1948-संशोधन-96, दिनांक 24 अक्टूबर, 1996 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

(इसी बीच कांग्रेस के श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल व अन्य सदस्य सदन के वेल पर आ गये)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यगण आप अपना स्थान ग्रहण करें। पहले यह औपचारिक कार्य पूरा हो जाने दें उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा।

(कांग्रेस के सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री राधेश्याम गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 20 नवम्बर, 1996 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०-2-2651/ग्यारह-6(4)/87, उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश 96 दिनांक 20 नवम्बर, 1996 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-ख की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 मार्च, 1997 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०-2-710/ग्यारह-9(158)/95, उ० प्र० अधि०-15-48-आदेश 97 दिनांक 27 फरवरी, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन), नियमावली, 1994 †

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2862/सात-सं-1-94-138सं/92, दिनांक 1 नवम्बर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1994 जो उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 23 अगस्त, 1995 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि दिनांक 28 अक्टूबर, 1995 को बारहवीं विधान सभा का विघटन हो जाने के फलस्वरूप पूर्ण नहीं हो सकी, को विलम्ब के कारणों सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

टिप्पणी:-† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग–2 की दिनांक 6 सितम्बर, 1995 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या बी–456/क–2–1995, दिनांक 6 सितम्बर, 1995 तथा (ख) दिनांक 8 सितम्बर, 1995 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या–22/16–92–का–2–1995, दिनांक 8 सितम्बर, 1995 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 14 के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 की धारा 23–क की (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पहले तारा सिंह हत्या वाले मामले में सुनें।

(इसी बीच समाजवादी पार्टी के श्री अवधेश प्रसाद व अन्य सदस्य सदन के वेल पर आ गये और नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया पहले औपचारिक कार्य को हो जाने दें उसके बाद मैं आप लोगों को सुन लूंगा। आप लोग कृपया अपना आसन ग्रहण करें।

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड, जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राजस्व अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–302/2–1–(7)–76–रा०–1, दिनांक 8-11-89 के साथ प्रकाशित कुमायूं तथा उत्तराखण्ड, जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (चौथा संशोधन) नियमावली, 1979 विलम्ब के कारण सहित कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 56 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चौदहवां संशोधन) विनियमन, 1997 †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–13/19/91–का–1–97 दिनांक 14 जनवरी, 1997 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (चौदहवां संशोधन) विनियमन, 1997 को संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) की अपेक्षानुसार के पटल पर रखता हूं।

टिप्पणी:–† छापा नहीं गया।

वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2–1001/ग्यारह–9(14)/963, उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश 97 दिनांक 25 मार्च, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1997 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या व्या० क०–2–1002/ग्यारह–9(856)/92, उ० प्र० अधि०–15–48–आदेश 97 दिनांक 25 मार्च, 1997 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क के उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य नारे लगाते रहे जिससे सदन में व्यवधान बना रहा।)

वित्त (मनोरंजन-कर) अनुभाग की अधिसूचना †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (मनोरंजन कर) अनुभाग की उत्तर प्रदेश के दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 1994 को उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा–13 (3) प्राविधानों के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तराखण्ड विकास, उत्तराखण्ड क्षेत्र के जिला पौड़ी के कान्डा उससे सम्बद्ध क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु पेयजल योजना अप्रैल, 1997 तक पूर्ण कराने की मांग

श्री अधिष्ठाता–

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विकास, उत्तराखण्ड क्षेत्र के जिला पौड़ी के कान्डा व उससे सम्बद्ध क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु पेयजल योजना को अप्रैल, 1997 तक पूर्ण करने की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संस्तुति के संबंध में विशेष आख्या को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 20 के प्राविधानों के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर में आकर नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गये।

(जिससे घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

सदन को व्यवस्थित करें। माननीय सदस्य अपने-अपने आसन पर जाकर अपनी बात कहें। मैं आपकी बात सुनूंगा। (व्यवधान) सदस्यों के धरने पर बैठे रहने पर मा० सदस्य अवधेश प्रसाद जी और आपके साथियों से मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो वह अपने आसन पर जाकर बतायें, तो मैं सुनूंगा (व्यवधान)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों की (उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997

(व्यवधान)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, वस्तुओं की कीमतों और रेल किराये में वृद्धि होने के कारण माननीय सदस्यों की उपलब्धियों में कुछ बढ़ोत्तरी की गयी है। मेरा विश्वास है कि आप इसको सर्वसम्मति से पास करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–9 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन)

विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिनियम 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, शब्द "दो हजार छः सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में,– — धारा 5 का संशोधन

(क) शब्द "पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर, शब्द "दिनांक एक जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे;

(ख) वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि जब कभी भी प्रथम श्रेणी के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा रेल कूपन के मूल्य में आनुपातिक वृद्धि कर सकती है।"

धारा 15 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 15 में,–

(क) उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ पचास रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) और (3) में शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक सौ पच्चीस रुपये" रख दिये जायेंगे।

नये अध्याय 4–क का

5–मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् बढ़ाया जाना

निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:–

"अध्याय 4–क

सचिवीय भत्ता

15–(क) सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी सचिवीय भत्ता पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित हैं अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति, अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे यह पर आसीन है, दो सौ रुपये प्रतिमास की दर पर सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा।"

धारा 17 क का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 17-क में, शब्द "एक लाख रुपये से अनधिक" के स्थान पर, शब्द "दो लाख रुपये से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का प्रतिस्थापन

7–मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"24–प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिये कार्य किया हो, अपने जीवन-पर्यन्त एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा :

भूतपूर्व सदस्य को पेंशन

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कार्य किया हो, वहां वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये एक सौ रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा।"

धारा 25 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 25 में,–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:–

"(क) जहां कोई व्यक्ति संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार हो और ऐसी पेंशन धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो;"

(ख) खण्ड (ख) और (ग) में, शब्द "दो हजार पचास रुपये" के स्थान पर, शब्द "धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि" रख दिये जायेंगे।

9–मूल अधिनियम की धारा 26 में, शब्द "दो हजार पचास रुपये", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि" रख दिये जायेंगे। धारा 26 का संशोधन

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–9 तक, खण्ड–1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाये ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। आप सभी को जानकारी होगी जो माफिया हैं, वह हजारों एकड़ जमीन को हड़प लेते हैं और सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है, तो इसी पर रोक लगाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। आशा है आप सभी लोग इसे पारित करेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

श्री अमर मणि त्रिपाठी आप अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अमर मणि त्रिपाठी–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

(व्यवधान)

मान्यवर, आज संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक आपके सामने रखा है, उसमें मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। यह संशोधन अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, जो तरीका इसमें रखा गया है, जो संशोधन यह लाये हैं वह निहायत अन्यायपूर्ण है, अनुचित है। जो संशोधन आपने रखा है वह पूरी तरह से सरकार की मंशा को परिलक्षित करता है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

(व्यवधान)

(वापस न लेने पर)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार किया जाये ?

(व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–6

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य में अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में––

(क) खण्ड (छछ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"(छछछ) 'विकास फीस' का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी व्यक्ति या निकाय पर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र में सड़क, नाली, मल निकासीतंत्र, विद्युत आपूर्ति और जल सम्भरण तन्त्र के निर्माण कराने के लिये धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय,"

(ख) खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(झझ) 'नामांतरण प्रभार' का तात्पर्य ऐसे प्रभार से है जो किसी ऐसे व्यक्ति पर प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित किसी सम्पत्ति का अपने नाम में नामांतरण कराने के लिये धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय,"

(ग) खण्ड (ट) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"(टट) 'अम्बार फीस' का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी ऐसे व्यक्ति या निकाय पर, जो प्राधिकरण की भूमि पर या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री रखने के लिये धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय,"

(घ) खण्ड (ठ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

(ठठ) 'जल फीस' का तात्पर्य ऐसी फीस से है जो किसी व्यक्ति या निकाय पर प्राधिकरण द्वारा सम्भरित जल का निर्माण संक्रिया या भवन के निर्माण में उपयोग करने के लिये धारा 15 के अधीन उद्गृहीत की जाय,

3–मूल अधिनियम की धारा 15 में,– धारा 15 का संशोधन

(क) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

"(2–क) प्राधिकरण विकास फीस, नामांतरण प्रभार, अम्बार फीस और जल फीस को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर जो विहित की जाय, उद्गृहीत करने का हकदार होगा :

परन्तु किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसे प्राधिकरण द्वारा विकसित न किया जा रहा हो या विकसित न किया गया हो, उद्गृहीत अम्बार फीस की धनराशि स्थानीय प्राधिकारी जिसकी स्थानीय सीमा में ऐसा क्षेत्र स्थित हो, को अन्तरित कर दी जायेगी,

(ख) उप-धारा (3) में, वर्तमान परन्तुकों के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्–

"परन्तु यह भी कि उपाध्यक्ष धारा 14 में निर्दिष्ट अनुज्ञा देने के पूर्व उप-धारा (2-क) के अधीन उद्गृहीत फीसों और प्रभारों को जमा करा सकेगा"

(ग) उप धारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–

"(9) उप-धारा (3) के अधीन अनुज्ञा दिये जाने के पश्चात् यदि किसी भी समय उपाध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि ऐसी अनुज्ञा सारवान दुर्व्यपदेशन या कपटपूर्ण कथन या सूचना के फलस्वरूप दे दी गयी थी तो ऐसी अनुज्ञा को लिखित रूप में अभिलिखित कारणों से निरस्त कर सकता है और उसके अधीन किया गया कोई कार्य बिना ऐसी अनुज्ञा के किया गया समझा जायेगा :

परन्तु कोई भी अनुज्ञा संबंधित व्यक्ति या निकाय को सुनवाई का यूक्तियुक्त अवसर दिये बिना निरस्त नहीं की जायेगी।"

4–मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्– नई धारा 15–क का बढ़ाया जाना

"15–क (1) प्रत्येक व्यक्ति या निकाय जिसे धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, अनुमोदित मानचित्र के अनुसार विकास पूर्ण करेगा और प्राधिकरण को विकास पूर्ण करने की लिखित नोटिस भेजेगा और प्राधिकरण से विहित, या प्राधिकरण की उपविधि में दी गयी रीति से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा :

पूर्णता प्रमाण-पत्र

परन्तु यदि विकास पूर्ण करने की नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के भीतर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाता है और उसके अस्वीकृत किये जाने की सूचना नहीं दी जाती है तो यह समझा जायगा कि प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया गया है।"

(2) कोई व्यक्ति, किसी वाणिज्यिक भवन पर, न तो कब्जा करेगा या न कब्जा करने की अनुज्ञा देगा या उस भवन का या उसके किसी भाग का जिस पर किसी निर्माण कार्य का प्रभाव पड़ता हो, न प्रयोग करेगा या न प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा, जब तक–

(क) प्राधिकरण द्वारा पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया जाय, या

(ख) प्राधिकरण, ने विकास पूरा होने की सूचना प्राप्त होने के तीन मास तक, अपनी उक्त अनुज्ञा अस्वीकृत करने की सूचना न भेजी हो ।

स्पष्टीकरण :–इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद ''वाणिज्यिक भवन'' का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में उसके लिए दिया गया है।

धारा 18 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 18 में,–

(क) उप धारा (4) में, शब्द ''पट्टाकर्ता पट्टे का समपहरण कर सकता है'' के स्थान पर, शब्द ''पट्टाकर्ता, उपधारा (4-क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पट्टे का समपहरण कर सकता है'' रख दिये जायेंगे ;

(ख) उप-धारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्,–

''(4-क) जब कोई पट्टेदार उप धारा (4) के अधीन अनुबद्ध समय और बढ़ाये गये समय, यदि कोई हो, के भीतर निर्माण करने में असफल रहता है जिससे कि कुल अवधि, पट्टे के दिनांक से पांच वर्ष से अधिक हो जाती है, तो पट्टाकर्ता द्वारा उससे संबंधित भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के दो प्रतिशत की दर से प्रत्येक वर्ष प्रभार वसूल किया जायेगा और यदि उक्त प्रभार के अधिरोपण के दिनांक से पांच वर्ष की अग्रतर अवधि व्यतीत हो जाती है तो पट्टा समपहृत हो जायेगा और पट्टाकर्ता भूमि पर पुनः प्रवेश कर लेगा :

परन्तु जहां उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के पूर्व पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी हो या जहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् एक वर्ष के भीतर पांच वर्ष की अवधि समाप्त होती हो तो ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् प्रभार वसूली योग्य होगा।

धारा–26 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 26 में,–

(क) उप धारा (1) में, शब्द ''दस हजार रुपये'' और ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''पचास हजार रुपये'' और ''दो हजार पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(ख) उप धारा (2) में, शब्द ''पांच हजार रुपये'' और ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर क्रमशः शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' और ''एक हजार दो सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–6 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–7

7—मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्–

नई धारा 26-क, 26-ख, 26-ग और 26-घ का बढ़ाया जाना

"26-क (1) जो कोई किसी विकास क्षेत्र में, किसी भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे उक्त भूमि प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो या न हो, किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियों को छोड़कर, अधिक्रमण करता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा ।

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा

(2) उप धारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा ।

(3) जो कोई किसी विकास क्षेत्र में किसी मार्ग या भूमि पर, जो निजी सम्पत्ति न हो, चाहे उक्त मार्ग या भूमि, प्राधिकरण की हो या उसमें निहित हो या न हो, किसी सार्वजनिक मार्ग की नाली पर सीढ़ियां या किसी सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर भवन निर्माण सामग्री ऐसी अवधि के दौरान रखने जिसकी अनुमति अम्बार फीस के भुगतान पर दी गयी हो को छोड़कर, भवन निर्माण सामग्री या अन्य कोई चीज रखकर या जमा करके या अन्य किसी प्रकार कोई बाधा पहुंचाता है, साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(4) यदि यह विश्वास करने का आधार हो कि किसी व्यक्ति ने किसी विकास क्षेत्र में किसी भूमि पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, कोई अधिक्रमण किया है या बाधा पहुंचायी है तो प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी अधिक्रमण करने वाले या बाधा पहुंचाने वाले व्यक्ति से यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करेगा कि उससे पन्द्रह दिन से अन्यून ऐसी अवधि जैसी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाय, के भीतर अधिक्रमण या बाधा हटाने की अपेक्षा क्यों न की जाय और ऐसे व्यक्ति द्वारा बताये गये कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, लिखित रूप में अभिलिखित किये गये कारणों सहित ऐसे अधिक्रमण या बाधा को हटाने का आदेश दे सकता है :

परन्तु उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति द्वारा

सार्वजनिक भूमि पर किया गया कोई अधिक्रमण तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे, ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विहित की जाय, पुनर्वास करने के लिए आनुकल्पिक भूमि या वास-सुविधा प्रस्तावित न कर दी जाय।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद–

(1) "निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है–

(क) जिसके कुटुम्ब के पास उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में यथा परिभाषित किसी नगर में या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में यथा परिभाषित किसी नगर पालिका क्षेत्र में कोई स्थावर सम्पत्ति न हो, और

(ख) जिसकी जीविका का मुख्य साधन स्वयं अपना या अपने कुटुम्ब के सदस्य का शारीरिक श्रम है, जिसमें किसी शिल्प का व्यवसाय भी सम्मिलित है, और इसमें रिक्शा चालक या सफाईकार भी सम्मिलित है किन्तु इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयकर या उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 के अधीन व्यापार कर या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्रीकर निर्धारित किया गया है।

(2) निर्बल वर्ग के किसी व्यक्ति के संबंध में "कुटुम्ब" का तात्पर्य यथास्थिति, पति या पत्नी और दोनों में से किसी एक या दोनों के अविवाहित अव्यस्क सन्तान से है।

(5) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को इस धारा में यथा उपबंधित कार्यवाही करने के साथ-साथ या, यथास्थिति, इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पायी गयी या यथास्थिति ऐसी भूमि से संलग्न या ऐसी भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई किसी सम्पत्ति को कुर्क या अभिग्रहीत करने की श[illegible] भी प्राप्त होगी।

(6) जब प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिग्रहीत या कुर्क की जाय तो वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की सूचना तुरन्त प्राधिकरण को देगा।

(7) प्राधिकरण अभिग्रहण की कार्यवाही के समाप्त होने तक अभिग्रहीत या कुर्क की गयी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिये ऐसा आदेश, जो वह उचित समझे कर सकता है और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो प्राधिकरण उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किये जाने के लिये आदेश कर सकता है।

(8) जब किसी सम्पत्ति का या उपर्युक्त विक्रय किया जाता है, तो उस विक्रय से संबंधित व्ययों, यदि कोई हो, और अन्य आनुषंगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात् विक्रय आगम का–

(क) जब प्राधिकरण द्वारा अधिहरण का आदेश अन्ततः पारित न किया जाय, या

(ख) अपील में पारित किसी आदेश द्वारा यह अपेक्षा की जाय, भुगतान उसके स्वामी या उस व्यक्ति को, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया हो, कर दिया जायेगा ।

(9) जहां उप-धारा (5) के अधीन किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की की जाय तो प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकता है ।

(10) उपधारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या उस व्यक्ति, जिससे उसको अभिग्रहीत या कुर्क किया गया हो, को–

(क) उन आधारों, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण प्रस्तावित हो, की सूचना देते हुए लिखित रूप में एक नोटिस न दे दी जाय,

(ख) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर, जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, अधिहरण के आधारों के विरुद्ध एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर न दिया जाय, और

(ग) इस विषय में सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय ।

(11) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई आदेश किसी ऐसे दण्ड के अधिरोपण में, जिसका इससे प्रभावित व्यक्ति अधिनियम के अधीन दायी हो, बाधक न होगा ।

(12) उप-धारा (9) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश के उसे संसूचित किये जाने के दिनांक से एक मास के भीतर, जिला जज को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है ।

(13) ऐसी अपील पर जिला जज, अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसको वह उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी हो, की पुष्टि, उपान्तरण या अपास्त करने के लिये उचित समझे और अपील लम्बित रहने तक उस आदेश का कार्यान्वयन, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है ।

धारा 26-क के अधीन हटाये जाने के लिये प्रतिकर का दावा

26–ख (1) धारा 26-क की उपधारा (4) के अधीन बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने से व्यथित व्यक्ति बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर या तो प्राधिकरण या बाधा या अधिक्रमण हटाये जाने का आदेश देने वाले अधिकारी या दोनों के विरुद्ध अधिकरण के समक्ष प्रतिकर या प्रत्यास्थापन या दोनों के लिये और ऐसे हटाये जाने के कारण उसे हुई हानि के लिये ऐसे अधिकारी को वैयक्तिक रूप से दायी ठहराने के लिये दावा कर सकता है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिये धारा 26-क की उपधारा (4) में यथा उपबंधित अधिक्रमण या बाधा के हटाये जाने वाले क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला जिला जज, अधिकरण होगा ।

(3) अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में दी गयी प्रक्रिया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में अन्तर्विष्ट साक्ष्य के नियमों द्वारा आबद्ध नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों और इस धारा के उपबन्धों और धारा 55 के अधीन बनाये गये नियमों से मार्गदर्शित होगा :

परन्तु जहां दावे की विषयवस्तु के सम्बन्ध में किसी न्यायालय ने पहले ही कोई डिक्री या आदेश पारित कर दिया हो या कोई रिट या निदेश जारी कर दिया हो और ऐसी डिक्री आदेश, रिट या निदेश अन्तिम हो गया हो तो रेसजूडी केस का सिद्धान्त लागू होगा ।

(4) किसी प्रतिकर के भुगतान के लिये या किसी अचल सम्पत्ति के प्रत्यास्थापन के लिए अधिकरण का प्रत्येक आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री समझी जायगी और उसी रूप में उसका निष्पादन होगा :

परन्तु यदि अधिकरण किसी अधिकारी के विरुद्ध वैयक्तिक रूप से प्रतिकर अधिनिर्णीत करता है तो प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित अधिकारी के वेतन या अन्य देयों से प्रतिकर की धनराशि वसूल करे और उसका भुगतान दावेदार को करे ।

(5) अधिकरण की कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझा जायगा ।

(6) अधिकरण प्रत्येक दावे का विनिश्चिय शीघ्र ही करेगा और सामान्यतः इसके द्वारा प्रत्येक मामले का विनिश्चिय, दस्तावेजों और अभ्यावेदनों और मौखिक या लिखित तर्कों, यदि कोई हो, के आधार पर किया जायगा ।

(7) अधिकरण किसी मूल दस्तावेज के बदले में उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि या किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से अनु-प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि को साक्ष्य में ग्रहण कर सकेगा ।

(8) अधिकरण सामान्यतया मौखिक साक्ष्य नहीं मांगेगा या उसके पेश किये जाने की अनुमति नहीं देगा, और, यदि आवश्यक हो, तो किसी पक्ष से शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(9) अधिकरण को इस धारा के अधीन किसी दावे का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिये वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में, किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को समन करने और उसे उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने ;

(ख) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करने ;

(ग) किसी अचल सम्पत्ति या उसके परिक्षेत्र का निरीक्षण करने या साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा या स्थानीय अन्वेषण के लिये कमीशन जारी करने;

(घ) दस्तावेजों को प्रकट करने और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने;

(ङ) किसी विधिपूर्ण करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करने और तद्नुसार आदेश बने ;

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

(10) अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।"

26-ग-प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी बिना नोटिस दिये निम्नलिखित को हटा सकता है :-

प्राधिकरण किसी ऐसी वस्तु को जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके निर्मित की जाय या जमा की जाय, बिना नोटिस के हटा सकता है ।

(क) कोई ऐसी दीवाल मेड़, कठघरा, खम्भा, सीढ़ी, छप्पर या अन्य ढांचा चाहे वह स्थिर हो या चल और चाहे वह स्थायी प्रकार का हो या अस्थायी या कोई ऐसा स्थापक जो किसी सड़क में या उसके ऊपर या किसी खुली नाली, पनाली, कुएं या तालाब पर या उसके ऊपर इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल निर्मित या संस्थापित किया जाय ;

(ख) कोई दुकान, कुर्सी, बेंच, बक्स, सीढ़ी, सामान का गठ्ठर, तख्ता या आलमारी या अन्य कोई भी वस्तु जो इस अधिनियम का उल्लंघन करके किसी स्थान पर रखी गयी हो, किसी स्थान में जमा की गई हो, किसी स्थान से बाहर निकली हो, किसी स्थान से संलग्न हो या किसी स्थान पर लटका दी गयी हो ।

26-घ-जो कोई, जिसे इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, नियम या उपविधियों के अधीन अधिक्रमण या बांध को रोकने या निवारित करने का कर्तव्य विशेष रूप से सौंपा गया है, ऐसे अधिक्रमण या बाधा को, रोकने या निवारित करने से स्वेच्छापूर्वक या जानबूझकर उपेक्षा करता है, या जानबूझकर छोड़ देता है तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अतिक्रमण न रोकने के लिए शास्ति

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं खण्ड-7 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 26-ख की (क) उपधारा (3), उपधारा (6), उपधारा (7), और उपधारा (8) निकाल दी जाय और

(ख) उपधारा (4), (5), (9) और (10) को क्रमशः (3), (4), (5) और (6) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

क्या माननीय मंत्री जी आपको यह संशोधन स्वीकार है ?

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, स्वीकार है ।

(सदन में निरन्तर नारेबाजी से व्यवधान बना रहा)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 द्वारा बढ़ाई जाने वाली मूल अधिनियम की धारा 26–ख की–

(क) उपधारा (3), उपधारा (6), उपधारा (7), और उपधारा (8) निकाल दी जाय और

(ख) उपधारा (4), (5), (9) और (10) को क्रमशः (3), (4), (5) और (6) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड–7 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नई धारा 28-क का बढ़ाया जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 28 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्–

अनाधिकृत विकास को सील बन्द करने की शक्ति

"28–क (1) यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह धारा 27 या धारा 28 के अधीन किसी विकास क्षेत्र में किसी विकास को हटाने या रोकने का आदेश देने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी समय ऐसे विकास को, ऐसी रीति से, जो इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये विहित की जाय, सीलबन्द करने का निदेश देते हुए कोई आदेश दें ।

(2) जहां कोई विकास सील बन्द कर दिया जाय, तो, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी ऐसे विकास को हटाने या रोकने के लिए सील को हटाने का आदेश दे सकता है ।

(3) उपाध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश के सिवाय, कोई व्यक्ति ऐसी सील को नहीं हटायेगा ।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति उस आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष को अपील कर सकता है और अध्यक्ष, अपील के पक्षकारों को सुनने के पश्चात् या तो अपील को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है ।

(5) अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा"

धारा 32 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 32 में उपधारा (1) में,

(क) शब्द "प्राधिकरण द्वारा (अथवा उस द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा)" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा रख दिये जायेंगे,

(ख) शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायगा।

धारा 33 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 33 में उपधारा (4) में, के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(4–क) जहां प्राधिकरण अपने द्वारा विकसित किसी क्षेत्र में कोई सुख सुविधा उपलब्ध करे, तो प्राधिकरण, जब तक धारा 34 में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसे बनाये रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ली जाय भूमि या भवन के स्वामी से उसके लिये ऐसी सुख-सुविधा को बनाये और जारी रखने के लिये उपगत व्ययों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रभार, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित आदेश द्वारा नियत किये जायं, विहित रीति से वसूल करने का हकदार होगा।"

धारा 59 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 59 में,

(1) (क) शब्द और अंक "संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916" और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर क्रमशः शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916" और "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" रख दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "नगर महापालिका" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगर निगम" रख दिये जायेंगे।

(2) उपधारा (1) में, खंड (क) में, शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1961 के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम, 1961" रख दिये जायेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड–8 से खण्ड–11 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 यथा संशोधित पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(सदन में निरन्तर व्यवधान जारी रहा)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 2 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित हो गई । 2 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

जनपद इटावा के श्री तारा सिंह यादव की हत्या होने तथा जनपद हरदोई के एक विधायक के जेल में बन्द होने की सूचना के संबंध में जानकारी

(सदस्यों के वैल में से बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी सीट से बात कहें । जब हम सुनने के लिये बैठे हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये और फिर अपनी बात कहिये ।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध पर फ्लोर में बैठे हुए सभी सदस्य अपने स्थान पर चले गये)

श्री अमरमणि–

मान्यवर, मेरी बात नहीं हुई । मुझे दो मिनट अपनी बात कहने का मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

जो कार्यवाही हो चुकी है उसमें पीछे लौटना मुश्किल है अब आगे की कार्यवाही हो रही है । अधिष्ठाता जी के समय में वह हो चुका है । विधेयक पारित हो चुका है ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, कल इसी आदरणीय सदन में नेता विरोधी दल की तरफ से यह सूचना दी गयी थी कि इटावा जनपद में श्री तारा सिंह यादव जो भूमि विकास बैक के अध्यक्ष थे और वरिष्ठ नेता थे की हत्या हो गयी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, स्पष्ट रूप से नेता विरोधी दल ने कहा था कि उसमें भाजपा का हाथ है और कल्याण सिंह जी ने जो कि भाजपा के नेता हैं उन्होंने उसका प्रतिवाद किया था । मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश हुआ था कि सरकार की तरफ से तारा सिंह यादव की हत्या के संबंध में रिपोर्ट आ जायेगी । बी० जे० पी० के नेता कल्याण सिंह जी के साथ जो समझौता हुआ है वह पांच महीने बाद मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं कितने अफसोस की बात है कि आपके निर्देशानुसार तारा सिंह यादव की हत्या के संबंध में जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से आनी चाहिए थी वह नहीं आयी है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं पूछने जा रहा हूं । आप अवसर तो दें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, ऐसा लगता है सरकार कटघरे में है । हरदोई जनपद में धर्मज्ञ मिश्र विधायक आज जेल के सीकचे में हैं । समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है । कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है । इटावा में महेन्द्र सिंह गंगापुर गांव के रहने वाले थे होली के दिन हत्या हो गई । आज तक इस संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई । वह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे ।

श्री अध्यक्ष–

जिस बात पर कल मैंने निर्देश दिये थे उस विषय में संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी बात बताने जा रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा) –

जिस हत्या के बारे में कल यहां पर चर्चा की गई थी मान्यवर, यह हत्या कल 24 तारीख को दिन में बारह बजे बिधूना क्षेत्र में तारा सिंह यादव जी की हत्या हुई है। यह पूर्व में भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष थे और समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और इनकी हत्या हुई है। इनके पुत्र सन्तोष कुमार ने अपराध सं० 70/97/302 की धारा के अनुसार 12.15 पर बिधूना थाने में रिपोर्ट लिखाई है। दो लोगों का नाम लिखाया है संजू और भूरे सिंह पुत्रगण श्री विश्राम सिंह पिन्टू पुत्र अहिबरन सिंह ग्राम धनवाली और इसके अलावा एक अज्ञात व्यक्ति का उल्लेख किया है। प्रधानी की पुरानी रंजिश के कारण हत्या हुई है। पहले विश्राम सिंह की हत्या हुई थी और उसी के प्रतिशोध में यह तारा सिंह यादव की हत्या हुई है। यह आपसी रंजिश का मामला है। इसमें किसी दल, किसी पार्टी, का कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी। चाहे बड़े से बड़ा अपराधी होगा किसी भी जाति किसी भी बिरादरी का होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने में सरकार हिचकेगी नहीं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

इस मामले में दो नामजद हैं इसकी विवेचना कराई जा रही है एक अज्ञात लिखाया गया है जो अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करेंगे। ला एण्ड आर्डर से किसी भी दशा में समझौता करके किसी भी जाति विरादरी का कोई हो भेदभाव नहीं किया जायेगा। सबके जानमाल की हिफाजत करना हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

श्री अवधेश प्रसाद–

गिरफ्तारी हुई या नहीं, यह पूछा था ?

श्री अध्यक्ष–

गिरफ्तारी हुई या नहीं यह पुछवा लें।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिये जैसे ही एफ० आई० आर० लिखाई गई उसी समय से पुलिस सक्रिय है। कई जगहों पर छापे डाले गये। कई जगह पुलिस जा रही है यह लोग बाहर तो नहीं घूमेंगे, जेल के सींखचों के अन्दर होंगे।

(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, कल माननीय कल्याण सिंह जी बैठे थे, आप भी बैठे थे। कल्याण सिंह जी का मतलब सरकार, कल्याण सिंह जी ने एक बात कही थी कि [x x x] कल्याण सिंह जी ने कहा कि कल तक सरकार बता देगी [x x x] कि किसने यह हत्या की है भावी सरकार आपकी है, तो क्या उसको बताने में यह सरकार सक्षम नहीं है ?

(व्यवधान)

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति नहीं दी । सरकार के पास जितनी सूचना थी उन्होंने दे दी । उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रंजिश का मामला था ।

श्री अवधेश प्रसाद–

एक धर्मज्ञ मिश्र जी है उनको जेल में डाल दिया गया उन माननीय सदस्य के ऊपर फर्जी मुकदमें चलाये जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल तारा सिंह यादव की हत्या की गई यह मामला कल से उठा रहे हैं । अब दूसरा मामला उठा रहे हैं । जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी तो आप कहियेगा ।

(व्यवधान)

अब मैं कार्यसूची की अगली मद को ले रहा हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

एक माननीय सदस्य को जेल में बन्द कर दिया गया ।

जनपद गोण्डा के ग्राम कटुआनाला विकास खण्ड कटराबाजार के अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह आदि की याचिका †

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 23 में कुछ नहीं है ।

श्री बावन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जिला गोण्डा के ग्राम कटुआनाला, विकास खण्ड कटरा बाजार के अन्तर्गत महिला स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने विषयक श्री कमल कुमार सिंह तथा श्री राम बिलास (प्रधान) निवासी जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

(श्री दलबीर सिंह का नाम पुकारे जाने एवं उनके न खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 26 में कुछ नहीं है, मद स [illegible] हो गया, मद संख्या 28 में कुछ नहीं है ।

प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थाई समाधान के लिये राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण अविलम्ब कराये जाने के संबंध में संकल्प

श्री सूर्य [illegible]

मान्यवर, मैं आपक [illegible] संकल्प प्रस्तुत करता हूं ।

"इस सदन का निश्चत मत है कि प्रदेश में गन्ना पराइ की समस्या के स्थाई समाधान के लिये राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूप रेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण अविलम्ब कराया जाए ।"

---

† छापी नहीं गयी ।

विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अवधेश जी यह कोई रिले रेश नहीं है कि जब चाहे दौड़ना शुरू कर दें। मैं अनुमति नहीं देता हूं।

(श्री अवधेश प्रसाद अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्री विनय कुमार पाण्डे जी अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं आप कृपया उनको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 311 की सारी सूचनायें कक्ष में निरस्त कर दी हैं अब इनको किस नियम के अन्तर्गत सुन लूं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

आप इनको व्यवस्था में सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[× × ×]

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री हरीशचन्द्र (हरीश जी)–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। उत्तर प्रदेश में बसपा–भाजपा की मिली जुली सरकार बन गई है। चुनाव के 5 महीने बाद तक जनता के अधिकारों का अपहरण किया गया। इस सरकार के बन जाने के कारण जनता ने चैन की सांस ली है। लोगों में आशा और उत्साह का संचार हुआ है। यह मिली जुली सरकार है यह कोई ऐसा गठबन्धन नहीं है जो आज बनेगा और कल टूटेगा। यह मिली जुली सरकार है। यह मिल जुल कर चलेगी व मिलजुल कर काम करेगी। यह अपने कार्यकाल को पूरा करेगी। विपक्ष को इस सरकार को देखकर मन में चोट पहुंची है। यह सरकार जनहित में कार्य करेगी जिससे सभी को लाभ होगा। इस नाते विपक्ष के सदस्यों से मैं अनुरोध करता हूं कि इस सरकार को चलाने में और इस सदन को चलाने में पूरा सहयोग करें। अभी एक माह पूर्व यह सरकार बनी है और सरकार के कार्यों के संबंध में पूछताछ शुरू हो गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक माह का कार्यकाल बहुत छोटा होता है। जो लोग प्रश्न उठाते हैं उन्होंने 30 साल 25 साल तक ग्राम सभाओं से लेकर लोक सभा तक काम करने का अवसर प्राप्त किया उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। एक महीने का दिन, पुराने 5 वर्षों के कार्यकाल की जो शैली थी, जो नीति थी, उसके परिणाम हैं, उसकी जवाबदेही वर्तमान सरकार से नहीं है। हां, इसका निपटारा करना, निस्तारण करना, समाधान करा देना और जनहित में आशा का संचार कराना यह जिम्मेवारी इस सरकार की अवश्य है। इस नाते जो विकास के काम रुक गये थे, वे प्रारम्भ हो गये हैं। अपराधी भाग रहे हैं, जेलों में बन्द हो रहे हैं, आज जो हत्याओं की बात उठा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में अपराधियों को प्रोत्साहन दिया गया, अपराधियों को महिमामंडित किया गया, उसके परिणाम अभी जारी हैं, उन्हें नियंत्रित करने का यह सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है।

नोट :–[× × ×] यह अंश बिना अनुमति के बोला गया है, कार्यवाही का अंश नहीं बना।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी सरकार की नीति घोषित करते हुए कहा कि इस प्रदेश में बहुत सी जातियां हैं, बहुत से सम्प्रदाय हैं, बहुत से पन्थ हैं, मजहब हैं, इन सबका समान रूप से आदर किया जायेगा, सबको संरक्षण प्रदान किया जायेगा । लेकिन मान्यवर, मुझे तकलीफ है, इस देश में जातियां बनी हैं कर्मों से । कर्म के अनुसार उनका नामकरण है यह भेदवाचक नहीं है । इस प्रकार मजहब, सम्प्रदाय, पन्थ विश्वास पर आधारित हैं । जाति कर्मगत है, इस नाते इसका राजनीतिक आधार पर विभाजन करके जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं ।मान्यवर, संविधान की मौलिक भावना है देश की एकता और अखण्डता, वे देश की एकता और अखण्डता को तोड़ते हैं, संविधान की भावनाओं को कुचलते हैं । मेरा निवेदन है कि इस सरकार ने आदर, संरक्षण का भाव उनके प्रति प्रकट किया है, यह सरकार बचनबद्ध है, उसको पूरा करेगी । लेकिन अभी इस सदन में बात उठी सत्ता पक्ष ने कोई बात कही तो विपक्ष को लगा कि मैं तो अम्बेडकर गांव के विकास के काम में बाधक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हूं, यह आरोप बन जायेगा कि विपक्ष के लोग अम्बेडकर गांव के विकास में बाधक हैं, बड़ी चिन्ता हुई, चिन्ता स्वाभाविक थी । कोई नहीं बाधक है, इसमें विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, अम्बेडकर गांव का विकास होना चाहिए । परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसको पानी पीकर साम्प्रदायिक कहने में थकते नहीं हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिन्ता नहीं है । मान्यवर, इस देश में सम्प्रदाय तो अनेक हैं, यह लोग भा०ज०पा० को किस सम्प्रदाय से जोड़ते हैं । भाजपा साम्प्रदायिक नहीं एक राष्ट्रीय दल है , उसकी आस्था धर्म में है । अम्बेडकर गांव के विरुद्ध कोई हों, यह बात गलत है, उनकी चिन्ता स्पष्ट है, वह दूर कर दी गयी है बड़ा अच्छा हुआ । मैं सदन के माननीय सदस्यों से जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति साम्प्रदायिकता का आरोप लगाते-लगाते लोग नहीं थकते हैं । वे यह जानते हैं कि भा०ज०पा० इतनी बड़ी हो गयी है कि अकेले कोई उसका सामना नहीं कर सकता, जनमत उसके साथ होता जा रहा है । जाति कर्मगत है, सोने का काम करने वाले 'सुनार' कहलाये, कपड़ा धोने वाले धोबी कहलाये, चिन्तन मनन करने वाले, अध्ययन-अध्यापन करने वाले ब्राह्मण कहलाये, जिन लोगों ने रक्षा का भार उठाया उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया, इसी प्रकार कर्मानुसार नामकरण हैं । यह भेदवाचक नहीं है, विश्वास के आधार पर मजहब और पंथ बने हैं । मान्यवर, यदि मजहब शब्द संस्कृत भाषा में स्वीकार कर लिया जाता तो मैं समझता हूं कि धर्म शब्द की छीछालेदर बंद हो जाती । धर्म का अर्थ सत्कर्मों से है ।

* श्री राम आसरे पासवान–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपकी अनुमति से नेता, भा०ज०पा० से जानना चाहता हूं कि सभी जातियों के वर्ण अच्छे ढंग से किया मगर 'शूद्र'' कहां से आ गये । इसको बता दें।

श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर देना चाहूंगा । शूद्र शब्द का अर्थ सेवा से है । कुछ ऐसी विकृतियां हैं, जिन्होंने इसका कुअर्थ पैदा कर दिया है । जो भी सेवा में हैं, सेवा एक क्षेत्र है, डाक्टर भी सेवा में है, वकील भी सेवा में है, सारा प्रशासन सेवा में लगा है, सेवा का काम कोई छोटा अथवा हीन नहीं है, यह समाज की विकृति है, जिसे दूर किया जाना चाहिए । मेरे पास समय थोड़ा है, इसलिये मैं पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैंने निवेदन किया कि जाति, मजहब, पंथ या सम्प्रदाय के आधार पर बांटकर राजनीति न की जाय, यह संविधान की मौलिक भावना के विपरीत है, यदि इस तरह की राजनीति जारी रही तो देश की अखंडता खतरे में पड़ जायेगी । धर्म की छीछालेदर बंद किया जाय, मान्यवर, आपने स्वयं ही धर्म के बारे में अपनी पीठ से कहा है कि धर्म क्या है। आपने कहा कि विपक्ष को सुनना हमारा धर्म है । धर्म में मंदिर, मस्जिद भी सत्कर्मों के रूप में आया है । धर्म का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मतलब सत्कर्मों से है । जो अच्छे कर्म हैं, वही धर्म है. इस नाते मैं समझता हूं कि धर्म शब्द का इस्तेमाल करके जो गलत धारणा बनाई जाती है, उसे बंद किया जाना चाहिए । यदि संस्कृत भाषा में मजहब को स्वीकार कर लिया जाय तो मजहब से, पंथ से मित्र भावनायें प्रकट होंगी । धर्म, सत्कर्मों का पुंज है ।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हरिजन उत्पीड़न के संबंध में कहा गया है, मैं इस सरकार की इस घोषणा से बहुत संतुष्ट हूं ।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा हरिजन शब्द पर आपत्ति किये जाने पर)

मान्यवर, मैं हरिजन शब्द वापस लेता हूं । अनुसूचित वर्ग के लोगों का उत्पीड़न रोकने के लिये जो कानून है, उससे उनका संरक्षण करने की जहां इस शासन ने बचनबद्धता दोहराई है, वहीं इस बात का भी उल्लेख किया है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, मैं इस बात का स्वागत करता हूं । मान्यवर, कोई भी कानून जिस उद्देश्य से बना है, उसके विपरीत यदि उसका दुरुपयोग होता है तो उसको रोकना शासन का कर्तव्य है । इससे लोगों को बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ है ।

मान्यवर, भूमि आवंटन की प्रक्रिया पहले भी चलती थी, आज भी यह प्रक्रिया है । लेकिन गरीबों को भूमि दे दी गई, वह लड़ते रहें मुकदमेबाजी करते रहे, यह गरीबों के बस की बात नहीं थी । इस संबंध में शासन ने एक अच्छी घोषणा की कि भूमि पर कब्जा दिलाने से पहले शासन स्वयं भूमि पर कब्जा लेगा और उसके बाद वह गरीब को सौंपी जायेगी । इससे मैं समझता हूं कि गरीबों का भला होगा और उनकी परेशानी दूर होगी । जो अनुसूचित वर्ग, जनजाति, पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग के छात्र छात्रवृत्ति पाते थे, उसका दूना कर देने की घोषणा भी इस सरकार द्वारा की गयी है, इससे इन छात्रों को लाभ होगा, यह ऐसे छात्रों के हित में एक अनुकूल कदम है । मान्यवर, पंचायती राज के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा । मान्यवर, नगरीय क्षेत्र में तो चुनाव हो गये, लेकिन चिल्लाते रह गये लोग कि इनको वित्तीय व्यवस्था प्रदान की जाय, प्रशासनिक अधिकार दिये जायें, लेकिन नहीं दिया जा पा रहा है । इस सरकार ने ऐलान किया कि पंचायती राज को वित्तीय व्यवस्था दी जायेगी और उनके अधिकार प्रदान किये जायेंगे । नगरीय क्षेत्रों में वित्तीय व्यवस्था न होने से तमाम तरह की बाधायें आती थीं, अब वह समस्यायें समाप्त होंगी । इस शासन ने एक अच्छा उल्लेखनीय काम इस रूप में किया है । कृषि उत्पादन को बढ़ाने की घोषणा कई बार हुई लेकिन महामहिम राज्यपाल ने अपनी कार्य की नीति घोषित करने में इस बात को जोड़ा कि उत्पादन वृद्धि तब तक नहीं होगी जब तक कृषि उपकरणों के मूल्य कम नहीं किये जायेंगे । इसलिये कृषि उपकरणों के मूल्य नियंत्रित करने की इच्छा इस सरकार की है, वह कृषि में सहायक होगा । इसके साथ सिंचाई की व्यवस्था विस्तार करने की बात कई बार सुनी गयी लेकिन इस सरकार ने इस बात को बड़ी जोरदारी के साथ कहा है कि टेल तक पानी पहुंचे और नलकूपों में लगातार पानी चलते रहने का आश्वासन इस सरकार ने दिया है यह कृषि क्षेत्र में एक बहुत ही उल्लेखनीय कदम होगा । रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही गयी है, गन्ने के मूल्य का पाई-पाई भुगतान करने की घोषणा की गयी है लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता और जनता के बीच दूरी नहीं रहनी चाहिए माननीय कल्याण सिंह की सरकार ने एक योजना चली थी किसान सेवा केन्द्र । वह किसान सेवा केन्द्र, वह सरकार गयी तो वह केन्द्र भी चला गया । इस सरकार ने किसान सेवा केन्द्र को पुनः चालू करने की घोषणा की है । जिसमें सप्ताह में एक दिन सभी अधिकारी उस केन्द्र पर उपस्थित होंगे जिससे जनता की शिकायतों को दूर करके आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जनता अदालत जिस युद्धस्तर पर बड़े जोर के साथ लगाई जा रही है । यह जनहित में एक अच्छा और उल्लेखनीय कार्य होगा । इसके साथ ही सदन चलने चलाने की बात मैं 2-3 दिनों से सुन रहा हूं । मुझे भी एक सवाल मन में आ रहा था कि मैं लौटकर अपने क्षेत्र में जाऊंगा तो लोग पूछेंगे कि किस समस्या पर चर्चा हुई । आज कम से कम महामहिम राज्यपाल के

अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष को बोलने का अवसर मिला उसमें कुछ समस्याओं की चर्चा हो गयी यह उल्लेखनीय बात है । मैं पिछली बार भी सदन में दो बार रहा हूं इस बार भी देख रहा हूं अभी जो लोग हैं उनको भी लगता होगा कि दो घंटे तक तैयारी करो बस्ता लेकर आओ और बस्ता बांधे चले जाओ ।

हम वेतन और सुविधाओं के लिये चुनकर यहां नहीं आये हैं हमें चाहिए जनता की समस्याओं का निस्तारण और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें । यह सदन इन्हीं विषयों की चर्चा के लिये गठित है ।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन अच्छी तरह से चले जिसमें जनहित के विषयों पर चर्चा कर पायें जिस चर्चा से कुछ मार्गदर्शन मिले और जनहित का काम कर पायें । मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार के द्वारा जनहित के काम होंगे और अवसर जो मिलेगा उसका अच्छा उपभोग किया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विपक्ष से आशा करता हूं कि वह अभी अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेकर इस प्रस्ताव का तहेदिल से समर्थन करेंगे ।

मान्यवर, मैं जब गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मेरी सड़क बना दो, बिजली दे दो, पानी नहीं मिलता है। परन्तु 5 साल में ध्वस्त जापान खड़ा हो गया और दुनिया से टक्कर लेने लगा । 11-12 सालों में रूस, अमेरिका और आस्ट्रेलिया विकसित हो गया । भारतीय जनता पार्टी देश की एक बड़ी पार्टी बन गयी है और उसके साथ जो लोग मिलकर चल रहे हैं वह देश की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहे हैं । कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी परन्तु वह चली गयी अब यदि भाजपा और उसके सहयोगी दलों की सरकार नहीं बनने दी जायेगी तो क्या देश को विदेशी लोग चलायेंगे ।

देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिये वर्तमान की अनिवार्य आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी दलों की सरकार को चलने में विपक्ष सहयोग करे । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री हरि शंकर तिवारी--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण शासन की नीतियों का, कार्यक्रमों का एक मार्गदर्शक होता है । लेकिन जब मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सभी प्रस्तरों को पढ़ा तो मुझे घोर निराशा हुई । मान्यवर, अभी हरीश चन्द्र हरीश जी कांग्रेस की बात कह रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के नाम पर की जाने वाली बातें और साम्प्रदायिकता का विष फैलाना--यह दोनों बातें अब चलने वाली नहीं हैं, जब तक गरीब जनता का भला नहीं होगा, दलितों का भला नहीं होगा, तब तक साम्प्रदायिकता का विष फैलाकर जो राजसत्ता का सपना आप देख रहे हैं, वह नहीं देख सकेंगे।

मान्यवर, सिंचाई योजनाओं के बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो बताया गया है, हमारा भी विधान सभा क्षेत्र पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां सरजू तथा राप्ती नदी हैं, केन्द्र सरकार ने वहां मान्यवर, करोड़ों रु० खर्च करने की बात की है, लेकिन जो स्थिति है सरजू नदी के पास के डेरवा, छतिया, मुजोना भी हैं इन गांवों का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा बना हुआ है । कहीं पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसके बचाव का जिक्र नहीं आया है । इसी तरह से राप्ती नदी के किनारे बगहा, खूटापार, आछीडीह नवलपुर, पूरे कोल केश्व, खोतछार इन गांवों को बचाया जाय और कामों को पूरा कराया जाय तथा टेठिया ठोकर नं०-1 जो क्षतिग्रस्त हो गयी है, उसे पूरा किया जाय । इन कामों को शीघ्र किया जाना है, इस अभिभाषण पुस्तिका में कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे घोर निराशा हुई है ।

मैं कृषि के बारे में कहना चाहूंगा, पशुपालन के बारे में कहना चाहूंगा । माननीया मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लखनऊ में एक सुगंधित पौधों का केन्द्र बना हुआ है, इसी तरह से पूर्वांचल में सुविधाओं के होते हुए भी सुगंधित पौधों की खेती के संबंध में ध्यान नहीं दिया गया है । पूर्वांचल

पिछड़ा हुआ है यदि सुगंधित पौधों की खेती पर वहां ध्यान दिया गया तो वहां की गरीब जनता को लाभ मिल जायेगा ।

उत्तरांचल बनाने का प्रस्ताव शासन केन्द्र को भेज रहा है । मान्यवर, प्रदेश में पूर्वांचल सबसे पिछड़ा हुआ है, उद्योग शून्य है, वहां की जनता के साथ भेदभाव किया जाता है, बजट में नियोजन में–वहां के लिये समुचित धन नहीं आवंटित किया जाता है । जिस तरह से उत्तरांचल का प्रस्ताव आप भेज रहे हैं, उसी तरह से पूर्वांचल के भौगोलिक आधार पर, वहां की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, वहां के औद्योगिक पिछड़ेपन को देखते हुए, पूर्वांचल के गठन का भी प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी केन्द्र शासन में बैठे हुए लोग भेजें ।

मान्यवर, अभिभाषण के प्रस्तर 16 में आलू भण्डारण के बारे में, गन्ना किसानों के भुगतान के बारे में बात कही है । यदि यहां सत्ता में बैठे हुए लोगों में से कोई माननीय मंत्री जी यह बता देंगे कि किस क्रय केन्द्र में कितना टन आलू खरीदा गया तो मैं उन्हें बधाई दूंगा । कृषि उत्पादन बढ़ाने के बारे में कौन से उपाय सरकार करने जा रही है इसकी कहीं भी अभिभाषण में चिन्ता नहीं की गयी है ।

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । खाद गोदामों से गलत खाद बांटी गयी । हमारे यहां कृषि रक्षा इकाई बड़हलगंज में नकली खाद दी गयी शिकायत की गयी जिलाधिकारी ने जांच की तो खाद गोदाम का ताला तोड़कर 800 बोरी खाद गायब कर दी गयी । दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी और न जांच का काम किया गया है । अतः संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं । इसी तरह से सहकारिता आन्दोलन के बारे में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं । ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बात कही गयी है । जिला सहकारी बैंकों के भर्रोह इकाई गोला गोरखपुर के प्रबन्धक ने बीसियों लाख गरीब किसानों का हड़प लिया, जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिये जाने के बाद भी उनका भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया गया है ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्तर–32 में नागरिक सुविधाओं की चर्चा की गयी है । मेरे यहां बड़हलगंज सबसे पुराना टाउन एरिया है वहां पर आप नागरिक सुविधायें उपलब्ध करायें । इसी तरह से मान्यवर, पूरे पूर्वांचल के बारे में मैं कहना चाहता हूं । 600 करोड़ रुपये का उत्तराखण्ड पर विकास के नाम पर खर्च किया गया और 65 करोड़ रुपये पूर्वांचल पर खर्च किया गया, जहां प्रदेश की 21 जिलों की 7 करोड़ की आबादी रहती है । मान्यवर, किस तरह से विकास होगा वहां का, पूर्वांचल का क्षेत्र भौगोलिक, आर्थिक तथा हर स्तर पर पिछड़ा हुआ है उसके विकास के लिये कुछ नहीं सोचा जा रहा है। मान्यवर, आबादी के आधार पर भौगोलिक और औद्योगिक आधार पर तथा पिछड़ेपन के समस्त आधारों पर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है । जिस प्रकार उत्तराखण्ड के लिये केन्द्र से बजट प्राप्त किया जाता है उसी प्रकार पूर्वांचल के विकास के लिये भी केन्द्र से बजट का प्राविधान होना चाहिए ताकि पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर किया जा सके और वहां के लोगों को यह महसूस हो सके कि प्रदेश के विकास में हमारी भी भागीदारी है । इसके अलावा मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पूर्वांचल में एक मात्र मेडिकल कालेज है जो प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र से पिछड़ा है और उसमें भी स्टाफ और दवाओं की अत्यन्त कमी है । गोरखपुर मेडिकल कालेज में अध्यापकों की कमी है उसे वहां की मान्यता निरस्त हो सकती है उसे उपकरणों एवं सारी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाय । अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल में गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कालेज है उसमें एडवान्स टेक्नोलाजी सेन्टर बनाया जाय, तथा नये पाठ्यक्रम चलाये जायं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके । मैंने मान्यवर, पूर्वांचल के बारे में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तिका में यह सब नहीं देखा । इसलिये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कोकब हमीद–

मान्यवर, यह महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण बड़ा अजीब सा लग रहा है। आप एक तरफ तो उनका अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरी ओर उनकी बुराई भी कर रहे हैं। यह एक नयी परम्परा आपने यहां पर प्रस्तुत कर दी है। परम्पराओं को तोड़-मरोड़कर किस प्रकार राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है यह आपके सामने है। उनका भाषण सरकार की नीतियों का एक आइना होता है। अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा कि 5 महीने के उनके कार्यकाल में दंगे हो रहे थे। बहुत लम्बे समय से उत्तर प्रदेश की हालत ठीक नहीं है। इसका दोष किसी को नहीं जाता है क्योंकि विगत वर्षों में आप ही की सरकारें रही हैं। या तो किसी के सहयोग से रही हैं, या फिर आपका सहयोग रहा है और या फिर आपकी सरकार रही है, इसलिये ला एण्ड आर्डर के लिये आप ही जिम्मेदार हैं। एक महीने का समय इस सरकार को बने हो गया है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि ला एण्ड आर्डर में ऐसी कौन सी बात हो गयी है जो वह अच्छा हो गया है और वाह-वाही होने लगी है। 1977 से लेकर आज तक शिया-सुन्नी में जो झगड़ा बंद हो गया था उसे आपने दोहरा दिया। उन लोगों को आपने दफनाने के लिये आपने लखनऊ में जगह नहीं दी, फिर आपने दिल्ली भेज दिया और वहां भी जगह नहीं मिली, फिर कहीं जाकर मुजफ्फरनगर में उसे दफनाया गया, वह भी एक छोटे से कस्बे में। इस महीने में कुछ हालात बेहतर हुए हैं, ऐसी सूरत में तो कहीं दिखायी नहीं दे रही है। अभिभाषण के दो-तीन पैराज में तो यही बात कही गयी है कि हम ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं जो शान्ति का माहौल होगा परन्तु मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा है कि यह शान्ति का माहौल आप ला पायेंगे।

दूसरा, मान्यवर, ट्रान्सफर-पोस्टिंग हमेशा होते रहते हैं जब से लोकतंत्र बना है, तब से हो रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में ये हो रहे हैं, उससे माहौल ये सरकार ठीक कर देगी, ऐसा नहीं लग रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि दंगे बन्द हो जायेंगे और गुण्डे प्रदेश छोड़कर भाग जायेंगे। 3-4 सौ पोस्टिंग हुई हैं, इससे बहुत अच्छे हालात नहीं बने हैं। छः महीने के लिये आपने पोस्टिंग कर दी, फिर छः महीने बाद और पोस्टिंग हो जायेगी। अपनी मर्जी से पोस्टिंग होगी तो इससे अच्छी परम्परा नहीं पड़ेगी और न पड़ रही है।

अब आप पैरा–5 को लीजिये। 50 साल की आजादी के बाद आप अभिभाषण में यह कह रहे हैं कि हम सबको तथा माइनारोटीज के साथ एक अच्छा बर्ताव करेंगे। माइनारोटीज के साथ जो पहले गुजरा है और 6 दिसम्बर को जो मस्जिद शहीद हुई, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उस डर को और उस हालात को नहीं दुहराया जायेगा। आप इस बात को साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि 6 दिसम्बर की घटना का हमें अफसोस है और उसकी हम निन्दा करते हैं और ऐसी हालात हम फिर नहीं होने देंगे। 50 साल के बाद भी हम असुरक्षित हैं, हमें हमारे अधिकार मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे।

अम्बेदकर गांवों के बारे में कल यहां पर काफी चर्चा हुई और उस पर काफी उधम भी रहा। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जो अम्बेदकर गांव बनाये जा रहे हैं या बने हैं, उनका विकास हो इसे हम भी चाहते हैं। यह कार्य आपने शुरू नहीं किया था, यह तो बहुत पहले से ही योजना चलाई जा रही थी। लेकिन मान्यवर, हमारा यह कहना है कि जो बाकी दलित, पिछड़े लोग गांवों में रहते हैं, आप उनके बारे में भी विचार करें तथा उनको भी फायदा हो और जो सुविधायें आप इन गांवों को देना चाहते हैं, वह अच्छी तरह से मिलें, यह हम चाहते हैं। मान्यवर, उत्तराखण्ड का प्रस्ताव तीन बार इस विधान सभा से पारित हुआ है। आपने इस बार भी प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेज दिया है। तीन बार यह प्रस्ताव भारत सरकार को गया है। मगर मुझे अफसोस है कि जिले तो आपने बहुत बनाये हैं, बड़े-बड़े जिलों को छोटा कर दिया, बड़ी-बड़ी कमिश्नरियों को आपने छोटा कर दिया, मैं अपनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पार्टी की जो विचारधारा है, उसमें छोटे प्रदेशों की बात की जाती है। आपने उत्तराखण्ड कर दिया, मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि इसी तरह से पश्चिम प्रदेश बने, पूर्वी प्रदेश बने और बुन्देलखण्ड बने। जब छोटे प्रदेश बनेंगे तो इतने बड़े प्रदेश का सुधार हो जायेगा। मान्यवर, जब पंजाब का विभाजन हुआ तो तीन प्रदेश बने पंजाब, हरियाणा और हिमांचल प्रदेश। आज वह प्रदेश कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो जब इतने बड़े प्रदेश का बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा।

मान्यवर, किसानों के बारे में इस अभिभाषण में कोई जिक्र नहीं किया है। मान्यवर, इस प्रदेश की 80 फीसदी जनता खेती से जुड़ी हुई है मगर उन्होंने कोई जिक्र इसमें नहीं किया है। जो किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया है उसका भुगतान करायें। वह कब मिलेगा और कैसे मिलेगा इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। आलू और कोल्ड स्टोरेज के बारे में कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर किसानों को मारने की समस्या बनी हुई है। उनके ऊपर सारे का सारा भार दे दिया गया है। कोल्ड स्टोरेज जितना पैसा चाहेगा, उतना पैसा किसानों को देना पड़ेगा। इसको खत्म किया जाये। जहां तक गेहूं का सवाल है उसका खरीद का दाम 550 रु० किया जाये उससे कम किसान देने को तैयार नहीं है। मान्यवर, माइनोरिटीज के नाम पर वक्फ और वक्फ बोर्ड है। आपने कहा कि आप वक्फ बोर्ड को पैसा देंगे। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप वक्फ बोर्ड को क्या देंगे वह तो खुद ही आपको देता है। उसमें तो सिर्फ तनख्वाह देनी पड़ती है। आप एक माइनोरिटीज फण्ड बनायें और उसमे फण्ड दिलवायें जैसे आपने पूर्वांचल विकास निधि बनाकर उसमें अनुदान देते हैं। आप खाली वक्फ बोर्ड को इधर उधर मत घुमायें। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 45 शुगर फैक्ट्रीज के लाइसेन्स का जिक्र इस अभिभाषण में नहीं किया गया है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया में जब श्री अजीत सिंह फूड मिनिस्टर थे तो उन्होंने 45 लाइसेन्स फैक्टरी हेतु जारी किये थे परन्तु अभी तक शुरुआत नहीं की गयी है। इसको जल्दी से जल्दी लगवाया जाये। इसी के साथ मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

सबसे पहले मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय नेताओं को आमंत्रित करूंगा और वे दस-दस मिनट में अपना भाषण समाप्त करेंगे उसके बाद मैं नये सदस्यों को आमंत्रित करूंगा और वे पांच मिनट में अपनी बात को कहेंगे।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं सर्वप्रथम इस प्रदेश की जन समस्याओं से जुड़ी हुई बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिसका उल्लेख अभिभाषण के दस्तावेज में नहीं किया गया है। मान्यवर, आप स्वयं हमारे इस मत से सहमत होंगे कि उ० प्र० की सरकार ने इस अभिभाषण में प्रदेश के उन अहम मसलों को छूने का काम नहीं किया है जिससे न देश में बल्कि दुनिया की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव आया है और वह अहम मसला और अहम सवाल है क्षेत्रीय असमानता और क्षेत्रीय असंतुलन का। मान्यवर, आपके माध्यम से इस चूक के लिये सरकार से कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में जहां जहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश को तरक्की के मुकाम तक पहुंचाने का एलान किया है वहीं इस दस्तावेज में उसने कहीं भी उत्तर प्रदेश के अन्दर जो विद्यमान क्षेत्रीय विषमता है उसे दूर करने की बात नहीं कही है। विगत वर्षों में 5 आर्थिक क्षेत्रों में प्रदेश को विभाजित करने का काम सरकार ने किया है जबकि इस अभिभाषण में सरकार ने इस बात का उल्लेख करने की जरा भी चिन्ता नहीं किया है कि इन 5 विभाजित आर्थिक क्षेत्रों में असंतुलन कहीं बढ़ तो नहीं रहा है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1980 से यह प्रदेश मुल्क का पहला प्रदेश है जिसके साथ काफी बड़ी नाइंसाफी हो रही है। मान्यवर, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर

करने की दिशा में वित्तीय संस्थाओं की अहम भूमिका है, जबकि 1980 से उ० प्र० देश का ऐसा राज्य है, जहां व्यवसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात सर्वाधिक कम रहा है। वित्तीय संस्थाओं की प्रदेश में ऋण जमा अनुपात निर्धारित मानक तक पहुंचाने हेतु सरकार कारगर प्रयास करे। इस परिप्रेक्ष्य में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 1980 में व्यवसायिक बैंकों के लिये एक मानक निर्धारित किया और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के संबंध में प्राविधान किया कि व्यवसायिक बैंक जिस राज्य तथा जिलों में हैं वहां की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो उन बैंकों में जमा है उसका 60 प्रतिशत उस क्षेत्र के विकास के लिये हर हालत में उन को लगाना है, यह निर्देश रिजर्व बैंक आफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पत्र सं० डी० बी० ओ० डी० नं० बी० पी०, बी० सी० 74/सी० 462/(ई०–9)-80 दिनांक जून, 18, 1980 जो आल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चयरमैन को भेजा गया है जिसके कुछ अंश को मैं यहां पढ़ रहा हूं और बाद में इसका हिन्दी अनुवाद कर दूंगा––

क्रेडिट डिपाजिट रेशियोज आफ बैंक इन रूरल एण्ड सेमी-अरबन एरियाज.

यू आर अवेयर दैट वन आफ द इम्पार्टेन्ट आब्जेक्टिव्स आफ नेशनलाईजेशन आफ बैंक इन 1969 वाज दैट द बैंकिंग सिस्टम शुड हेल्प टुवर्डस रिमूविंग द रीजनल इम्बैलेन्सेज इन इकोनामिक डेवलपमेंट बाई सो अरेन्जिंग देअर लेंडिंग पोर्टफोलियो दैट मोर क्रेडिट वुड बी डिप्लाएड इन द बैकवर्ड स्टेट्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट्स आफ द कन्ट्री. विथ दिस आब्जेक्ट इन विऊ, बैंक्ज हैव बीन एडवाइज टू एचीव ए क्रेडिट डिपाजिट रेशियो आफ 60% इन रिस्पेक्ट आफ देअर रूरल एण्ड सेमी-अरबन ब्रान्चेज सेपरेटली एन आल इण्डिया बेसिस।

आप कामर्शियल बैंकों को निर्देश दें। मान्यवर, राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को व्यापक बनानें के लिये जमा धनराशि का 60 प्रतिशत रुपया उसी क्षेत्र की तरक्की पर खर्च करना है। मान्यवर, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जहां बैंकों में जमा धनराशि के 60% ऋण जमा अनुपात होना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रायोजित कार्यक्रम हैं, जिस पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। उसमें बैंकों की शत-प्रतिशत उपलब्धि होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा–

बैंक केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

बैंकों की देवरिया जनपद में साख जमा का अनुपात 18 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में 28 से 32 प्रतिशत साख जमा अनुपात है, जबकि महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत है और तमिलनाडु में 100 प्रतिशत है। मान्यवर, मैं दुर्भाग्यशाली जनपद देवरिया से आता हूं। यहां पर व्यवसायिक बैंकों की विगत दिसम्बर, 1996 तक कुल जमा धनराशि 522 करोड़ रुपये है, लेकिन इन बैंकों ने इसके विरुद्ध केवल 97 करोड़ रुपया लगाया है और बाकी पैसा बम्बई को वापस कर दिया है। मान्यवर, राज्य का हित इसी में है, इसलिये सरकार को चिन्ता करनी चाहिए और इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय हरिशंकर तिवारी जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की गरीबी और दरिद्रता का बयान किया है। राष्ट्रपति शासन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये योजना भवन में एक बैठक बुलायी गयी थी जिसमें जिलेवार 10 वर्षीय कार्ययोजना तैयार करने हेतु आदेश जारी किये गये थे और यह तय किया गया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये 10 वर्षीय ऐसे कार्यक्रम तैयार किये जायं जिससे पूर्वी उ० प्र० राज्य के वर्तमान औसत विकास स्तर को प्राप्त कर सके। मान्यवर, उसमें वर्षवार ब्रेक अप तैयार कर नवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में अलग-अलग दिया जाना था। इसी के साथ-साथ आधारभूत न्यूनतम सेवाओं की वर्ष 2000 तक पूर्ति हेतु एक कार्यक्रम अलग से तैयार करना था। उक्त तैयार किये गये 10 वर्षीय कार्य योजना का कोई उल्लेख इस

अभिभाषण में नहीं किया गया है और इस तरह से विगत दिनों पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये शासन स्तर पर जो निर्णय लिये गये थे, उसको अमली जामा पहनाने के लिये वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश को पांच आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है–पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखण्ड और मध्य उत्तर प्रदेश 1990-91 । के सर्वेक्षण के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 85.844 वर्ग किलोमीटर है और उसकी कुल आबादी 5.27 करोड़ है और उसमें कुल जनपदों की संख्या 23 है । इसके विपरीत उत्तराखण्ड का कुल क्षेत्रफल 51.124 वर्ग किलोमीटर है और वहां की आबादी 0.59 करोड़ है और इसमें जनपदों की संख्या 8 है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या 3.27 है और उत्तराखंड में इनकी संख्या 10.37 है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरांचल या उत्तराखण्ड के नाम से संकल्प और प्रस्ताव पारित किया गया है, उसकी मैं मुखालिफत नहीं करता हूं, लेकिन जहां की आबादी 6 करोड़ है, उसकी तरक्की से आंख मूंदने के दुष्परिणाम प्रदेश को भोगने पड़ेंगे ।

श्री अजय भट्ट–

जो आंकड़े दिये गये हैं, गलत हैं ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

श्री राज्यपाल की ओर से जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, उसमें इन बातों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है । उत्तर प्रदेश में शोषण विहीन समता पर आधारित समाज की संरचना के लिये प्रदेश में वर्तमान चालू दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए क्योंकि दुनिया में जहां भी कहीं इन्कलाब हुआ है, शिक्षा के माध्यम से ही वहां लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सका है । लेकिन सम्पूर्ण अभिभाषण में उत्तर प्रदेश में विद्यमान दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने की सरकार ने कहीं कोई योजना नहीं बनाई है । आज आप इस बात की कल्पना करिये इस दोहरी शिक्षा व्यवस्था के चलते जहां एक तरफ स्कूल की चूती हुई छतों के नीचे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शानदार भवनों में कुर्सियों पर बैठकर पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई का सिलेबस भी दूसरा है । कैसे गरीबों के बच्चे उनका मुकाबला कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

दो तरह के शिक्षा के कारखाने रहेंगे, जिनमें प्रदेश के बच्चे शिक्षा लेने जायेंगे । जब तक यह प्रथा जारी रहेगी तब तक आप जो शोषणविहीन समतावादी समाज की कल्पना करते हैं वह पूरी नहीं हो सकती है । मैं सरकार का यह संकल्प दोहराना चाहता हूं कि समतामूलक समाज की रचना करना चाहती है तो इस दिशा में यह दो तरह की शिक्षा बाधक है । जिसे समाप्त करने के लिये सरकार को तत्काल विचार करना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मैं केवल दो मिनट में आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब आप एक मिनट में समाप्त करें ।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

जहां सरकार ने 45 नई चीनी मिलों को लाइसेन्स जारी करने की बात कही है वहीं अभिभाषण में बन्द चीनी मिलों को पुनः चलाने तथा पूर्वांचल की जर्जर चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण का कोई उल्लेख नहीं है । जैसे गौरी बाजार की चीनी मिल तथा पूर्वांचल के बन्द पड़े जो दूसरे कारखाने हैं जैसे गोरखपुर का खाद का कारखाना जो वर्षों से बंद पड़ा है उसे चलाने के लिये कोई प्रस्ताव इस अभिभाषण में नहीं रखा गया है । मैं सरकार का ध्यान पूर्वांचल की बन्द औद्योगिक इकाइयों की तरफ दिलाना चाहता हूं पर तत्काल उसे इन बन्द औद्योगिक इकाइयों को पुनः चलाने संबंधी निर्णय लेना चाहिए ।

सरकार ने गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के लिये व्यवस्था नहीं की है । इसी तरह से पंचायत राज अधिनियम को पूरी तरह से लागू करने की आवश्यकता है जिसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है । इन शब्दों के साथ जो संशोधन मैंने दिये हैं उनको इस अभिभाषण में जोड़ने का निवेदन करते हुए [x x x] अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अपूर्ण बात वाला हिस्सा कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री राम जग–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीति संबंधी वक्तव्य होता है। पूरा अभिभाषण हमने पढ़ा और देखा (व्यवधान) इसमें कहीं बुनियादी नीति नहीं दिखाई दे रही है । न इसमें दलितों के विकास के लिये, न दबे कुचले लोगों के विकास के लिये और न खेतिहार मजदूरों और गरीब किसानों के पक्ष में कोई नीति दिखाई दी । जैसा आपने कहा साढ़े 5 महीने सरकार बनाने में लग गये । बड़ा लम्बा समय लगा, इसके लिये कौन जिम्मेदार है । उत्तर प्रदेश की जनता ने धर्म निरपेक्ष ताकतों को इस आधार पर वोट दिया था कि धर्म निरपेक्षता मजबूत हो । लेकिन जनता के मत की आपने अवमानना की है । इसके लिये आप जिम्मेदार हैं इसके लिये कोई और जिम्मेदार नहीं है । जहां तक राज्यपाल के अभिभाषण का सवाल है मैं समझता हूं कि इस सरकार ने बार-बार दबे कुचले लोगों का नाम लिया है । यह सरकार दबे कुचले लोगों की बात करती है । मैं कहना चाहता हूं कि वोट की बात दूसरी है असल में दबे कुचले लोगों को उनका हक और उनका अधिकार दिलाने के लिये इस सरकार के पास कोई बुनियादी नीति और विचार नहीं है । मैंने इस पूरे अभिभाषण का अध्ययन किया है । मैं कहना चाहता हूं कि दलितों के विकास के लिये, उनके उद्धार के लिये सरकार गम्भीरता से काम नहीं कर रही है । जहां तक भूमि के इंतजाम का सवाल है, आज क्या बात है किसके दबाव में आकर आपने उत्तर प्रदेश जोत हद बंदी कानून का नाम नहीं लिया । जोत हदबंदी कानून की खामियों को दूर करके उसको सही ढंग से लागू करने के लिये आपने कोई बात नहीं कही है । जो लोग भूमि को जोतते हैं उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिये आपने कोई काम नहीं किया है । अगर उत्तर प्रदेश में जमीन का इंतजाम नहीं किया जायगा तो दलितों और दबे कुचले लोगों को भूमि कहां से मिलेगी । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सदन की नेता जो बहुजन समाज की नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर जोत हद बंदी कानून को लागू करने की बात पर आपने चुप्पी साध ली है । जब आप चीफ मिनिस्टर थीं आपने बनारस के बरार फार्म और वहां के बड़े भूमि स्वामियों ने ग्राम सभा की जमीन चोर दरवाजे से छिपाई है अगर यह जमीन दलितों में नहीं बांटी गयी तो दलितों को जमीन नहीं मिल पायेगी । दलितों के बारे में अम्बेदकर का नाम लेकर जनता के वोट भले ही आप ले सकती हैं लेकिन

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

वास्तव में उनकी गरीबी दूर करने के लिये आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है । जहां तक खेतिहार मजदूरों का सवाल है, खेतिहर मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या दलित है आपने उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाने के लिये क्या किया । पिछली बार भी आफ चीफ मिनिस्टर थीं मैं जानता हूं कि आपके अधिकारी जो खानापूरी करके रिपोर्ट भेज देते हैं उसको आप मान लेती हैं । आज भी दैनिक खेतिहर मजदूरों को उनकी सही मजदूरी दिलाने के लिये आपने कोई इंतजाम नहीं किया है ।

इसी तरह से दलित छात्रों की छात्रवृत्ति का मामला है । आपने उनकी छात्रवृत्ति दूनी कर दी । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनकी छात्रवृत्ति दूनी करके आपने उनके साथ अन्याय किया है । आज महंगाई लगातार बढ़ रही है उसकी अपेक्षा छात्रवृत्ति बहुत कम है । अगर आपमें ईमानदारी होती तो जिस अनुपात में आज महंगाई बढ़ी है उस अनुपात में दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाते तो मैं मानता कि दलितों के लिये, उनके उत्थान के लिये आपके मन में इच्छा है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री रामजग–

अम्बेदकर ग्रामों के विकास की बात कही गयी । जहां तक अम्बेदकर ग्रामों के विकास का सवाल है तो अम्बेदकर ग्रामों का विकास होना चाहिए । मैं तो कहता हूं कि अम्बेदकर ग्रामों के जो बेरोजगार हैं जिनके पास नौकरी नहीं है आप उनके लिये जो गांव उसमें आने वाले नहीं हैं उनकी आबादी छोटी है उनको इसमें ले लिया गया है दूसरे और गांव हैं जिनके लिये अलग से व्यवस्था की जा सकती है । अम्बेदकर गांवों के लिये पैसा होता है । इसके अतिरिक्त जो अन्य गांव हैं जहां दलित लोग रहते हैं और अम्बेदकर गांव में नहीं आते हैं उनके लिये भी अलग से पैसों का इन्तजाम किया जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामजग–

मान्यवर, दो मिनट और ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको दस मिनट का समय दे दिया । मैं घड़ी देख रहा हूं । फिर कुशल वक्ता के लिये दो मिनट ही बहुत होते हैं ।

श्री रामजग–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उद्योग नीति का उल्लेख नहीं है । उद्योग नीति के सवाल पर उद्योगों का निजीकरण कर रहे हैं । जनता की कमाई से उद्योग लगे हुए हैं । इनको प्राइवेट सेक्टर में बेचकर पूंजीपतियों, मालिकों का भला हो रहा है । इसी तरह से जहां तक आरक्षण का सवाल है कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता श्री ज्योति बसु ने दिया है । आपकी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है । उत्तर प्रदेश में आज भी दलित मारे जा रहे हैं । आजमगढ़ में दलित महिलाओं की हत्या हुई है । बंगाल और केरल में जिस त ह से कार्य हो रहा है निश्चित ही वहां पर उसके लिये मार्क्सवादी पार्टी, वामपंथी सरकार को श्रेय है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामजग–

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार सही मायने में किसान मजदूर विरोधी सरकार है । राज्यपाल के इस अभिभाषण का मैं अपोज करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते समय इस बात को देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की आबादी में भारत सरकार के आंकड़ों और सांख्यकीय के आधार पर उत्तर प्रदेश की 47.5 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा वाले हैं। कास्तकारों की संख्या देखी जाय। उत्तर प्रदेश में कितने हैं ? 73 प्रतिशत हैं और वह एक हैक्टर से कम यानि ढाई एकड़ से कम जमीन उनके पास है। इसी कारण से श्रीमन्, उत्तरप्रदेश में गरीबी की संख्या बढ़ी है और ज्यादातर लोग भुखमरी के कगार पर हैं। जन्मदर तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की जन्म दर 2.14 प्रतिशत है और भारतवर्ष की 2.11 प्रतिशत है। श्रीमन्, हमारे प्रदेश की सरकार पिछले 15 वर्षों के प्रयास में जो खेती की विकास दर आई है वह 3.14 प्रतिशत है। इसका मतलब यह है कि पिछले 15 वर्षों में खेती के ऊपर कोई पूंजीनिवेश नहीं हुआ है। मैं इस सरकार को दोष नहीं देता। मैं यह नहीं कहता कि यह सरकार दोषी है यह तो सदन तय करेगा कि कौन दोषी है। आबादी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। नगरीय क्षेत्र की आबादी 21 प्रतिशत है और उसमें 19 प्रतिशत मलिन बस्तियों में रहकर लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अम्बेदकर ग्राम विकास योजना द्वारा जमीन पट्टे पर दी जा रही थी तो इनके पेट में दर्द होने लगा। पहले पट्टे हुए, कब्जा नहीं हो पा रहा था अब कब्जा शुरू हो गये हैं। जब कांग्रेस हुकूमत में थी तो [× × ×] को जमीन पट्टे पर देने की प्रथा थी। यह कानून में भी है और आज उस कानून के तहत पट्टा दिया जा रहा है। जो सीलिंग की जमीन छूटी हुई थी उस पर कब्जा होना शुरू हो गया तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। इस तरह से अन्याय हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजना में पहले पांच योजनाएं बनीं उनमें भी 72 प्रतिशत किसान ढाई एकड़ जमीन का कास्तकार रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में खेती पर उसके ऊपर 40 प्रतिशत प्रदेश के टोटल बजट का, व्यय पंचवर्षीय योजना में रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में घटकर 30 प्रतिशत हो गया। आठवीं योजना में 20 प्रतिशत घटकर आ गया। मैं नयी सरकार को साधुवाद देना चाहता हूं यह इसको बढ़ाने का काम करे यह अनुकरणीय होगा। उत्तर प्रदेश की दशा सुधरनी चाहिए इस दुर्दशा के लिये यह सरकार नहीं, तथाकथित धरती पुत्र जिम्मेदार हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

हम लोगों का जो धर्म है और फर्ज है उसका निर्वाह हम नहीं कर रहे हैं। आये दिन इस सभा में हल्ला होता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भू-गर्भ जल नियंत्रण घटता जा रहा है आज प्रदेश के 960 ब्लाकों का भू-गर्भ जल सर्वेक्षण हुआ इसमें से 72 ब्लाक में पानी सूखने जा रहा है। वह ब्लाक पांच वर्षों में रेगिस्तान हो जायेंगे। वहां पानी की इतनी किल्लत हो जायेगी कि पानी की राशनिंग करनी पड़ेगी मैंने यह बयान अखबारों में दिया तो मायावती जी ने कहा कि यह पूरे प्रदेश की समस्या है इस पर चर्चा होनी चाहिए और कृषि विभाग से मालूम हुआ कि इस संबंध में बैठक हुई और भू गर्भ जल संचन पर इस प्रदेश में पहली बार विचार हुआ है। भू गर्भ जल संचन की ओर ध्यान दिया गया और मुख्य मंत्री ने इस पर तुरन्त कार्यवाही के आदेश किये हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

संयुक्त मोर्चे की केन्द्र में जो सरकार है इसने जो कार्य किया नौ हजार की आमदनी वाले, 11 हजार की आमदनी वाले और 15 हजार की आमदनी वाले, इनके लिये यह मानना है कि यह गरीब हैं। इन गरीबों को प्रतिमाह आमदनी सात सौ और आठ सौ रुपया प्रतिमाह बनती है और इनको कहते हैं कि हम

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इनको एक महीने में 10 किग्रा० आधा कीमत पर अनाज देंगे। यह किसान से तो तीन सौ अस्सी रुपया कुन्टल लेंगे और उसको 500 रु० कुन्तल पर बेचेंगे, अब चार सै पन्द्रह समर्थन मूल्य और विदेश की मण्डी में 650 रुपये कुन्तल की खरीद जब पंजाब, हरियाणा ने 415 रुपये पर गेहूं बेचने पर आपत्ति की इन्हें धिक्कारा तो कुछ शर्म हया आई। हरियाणा में, पंजाब में विरोध शुरू हुआ तो कहीं पर 60 रुपया बोनस के रूप में दे दिया गया। मान्यवर, इस प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय में एक कुन्तल पैदा करने पर कितना खर्च यानी लागत खर्च होता है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 1988 और 1991 में चन्द्रशेखर आजाद कृषि अध्ययन शोध द्वारा एक कुन्टल पर क्या खर्चा होता है यह मालूम होता था लेकिन उसको धरती पुत्र की सरकार ने बन्द करा दिया गया है आपने धरती पुत्र कहकर बरबाद कर दिया।

(सत्तापक्ष के मा० सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

यही नहीं, मैं तो यह तथ्य कह रहा हूं कि ताज ट्रैपोजियम जोन

(व्यवधान)

आज उत्तर प्रदेश में खासकर मुख्य मंत्री मायावती जी से कहना चाहता हूं मण्डल आगरा में फिरोजाबाद सहित पांच जिले हैं--ताज ट्रैपोजियम जोन के 72 कि०मी० के रेडियस से

(व्यवधान)

एक करोड़ की आबादी प्रभावित हो रही है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद ताज ट्रैपोजियम जोन से प्रभावित हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त करें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

उसमें फिरोजाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आगरा प्रभावित हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उसमें विशेष ध्यान दिया जाय। अन्त में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विकास के संदर्भ में बड़ा अन्याय किया गया है। मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्लानिंग के बारे में एकरूपता हो। भारत सरकार के एक प्रधान मंत्री ने रायबरेली में एक वर्ष में 600 करोड़ रुपये लगा दिये। उत्तर प्रदेश के एक मुख्य मंत्री ने एक ही गांव में 130 करोड़ रुपये लगा दिये। यह परम्परा बन्द होनी चाहिए। यह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ घोर अन्याय है। यह अन्याय बन्द होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माइक्रो प्लानिंग की व्यवस्था होना चाहिए। इस प्रदेश के विकास के लिये जिस प्रकार आपने अम्बेदकर ग्रामों का चयन किया है इसमें जो नदी-घाटी अछूती रह गयी है उन सारे ब्लाकों को लेकर इस प्रदेश की गरीबी को दूर करना चाहिए व इसके लिये संकल्पबद्ध होना चाहिए। यहां पर पट्टों के संबंध में बड़ी चर्चा हुई फिरोजाबाद फर्जी पट्टा प्रकरण से ग्रसित है। जिस प्रकार एस० डी० एम० जसराना ने रिश्वत लेकर पट्टों को आवंटित किया है उसे सस्पेंड किया जाये चाहे वह किसी बिरादरी का हो। उसकी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ मेरा मायावती जी को पूरा-पूरा समर्थन है। मैं चाहूंगा कि यह सरकार पूरे पांच साल तक चले। मेरा पूरा-पूरा समर्थन आपके साथ है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

डा० अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष जी, हम एक रहस्यमय जमाने में हैं। आप यह व्यवस्था करवा दें कि जिस तरफ 'हां' लिखा है उस तरह 'नहीं' लिखवा दें जिधर 'नहीं' लिखा है उधर 'हां' लिखवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस पर आपसे परामर्श कर लिया जायेगा ।

(श्री राजेन्द्र सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राम आसरे पासवान–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप अनुमति के बगैर बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा । जब आपको आमंत्रित किया था तो आपने कहा कि आपके दल की तरफ से श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव बोलेंगे ।

श्री राम आसरे पासवान–

मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रिक्शावान और भूमिहीनों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इनको भी अभिभाषण में जोड़ लिया जाय ।

(श्री राजेन्द्र सिंह व प्रीतम सिह के पुकारे जाने व दोनों सदस्यों के अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य नरेन्द्र सिंह भाटी जी ने अनुरोध किया था कि उन्हें एक आवश्यक कार्य से जाना है, इसलिये यदि आप लोग सहमत हों तो श्री भाटी जी दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया बुलन्दशहर की तरफ से आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । वर्ष 1988 में धनकौर कस्बे के बराबर में मझावली घाट पर यमुना ब्रिज का शिलान्यास हुआ था, जो आज तक लम्बित है । जबकि उत्तर प्रदेश का पैसा ग्रेटर नोयडा देने को तैयार था । मान्यवर, उक्त ब्रिज की जो लागत आती उसका एक तिहाई हरियाणा सरकार देगी मान्यवर, ग्रेटर नोयडा की योजना में तमाम जमीनें अधिग्रहीत की गयी हैं जबकि शासनादेश है कि किसानों से बातचीत करके जमीनें खरीदी जायेंगी । सिकन्दराबाद तहसील का एक हल्दौना गांव है, उस गांव के जमीन का कब्जा नोयडा ने ले लिया है । सोडियम लाइटें वहां जल रही हैं लेकिन वहां के किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है । उनको यह तक नहीं मालूम है कि उनकी जमीनें किस रेट पर ली गयी हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि शासन मुआवजे की नीति को सुगम बनाने का कष्ट करे । जिससे किसानों को लाभ मिल सके । इसके साथ ही मैं गर्व के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि नेता सदन माननीया मुख्य मंत्री जी के घर और मेरे घर में मात्र 6 किलोमीटर की दूरी का अन्तर है । 6 किलोमीटर दूर "बादलपुर" में गयी थी और केवल अपने गांव के लिये घोषणायें करके लौट आयीं । मुझे बड़ी निराशा हुई, अच्छा होता कि दादरी क्षेत्र और बुलन्दशहर के विकास की योजना भी सम्मिलित की जाती । माननीया मुख्य मंत्री जी के इस पद पर आसीन हो जाने के बाद वह केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह जाती, वह 15 करोड़ की जनता की नुमाइन्दगी कर रही हैं उन्हें बुलन्दशहर की दादरी तहसील और उसके कुछ गांवों को सम्मिलित करना चाहिए । बुलन्दशहर में अभी 7 अप्रैल को बड़े प्रतिष्ठित परिवार श्री धीरज सिंह भाटी की दिनदहाड़े साढ़े 5 बजे हत्या हो गयी । 23-4-97 को पूरा जनपद बंद रहा, पान तक नहीं मिला ।

नोट–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। वहां आम आदमी का आरोप है कि शासन पक्ष के लोग मुल्जिमों को बचाने की कोई कार्यवाही कर रहे हैं। मान्यवर, यही नहीं मुकेश कुमार गर्ग जो श्याम पैलेस, मोदीनगर के मालिक हैं, उनकी सिनेमाहाल पर ही 16 अप्रैल को हत्या कर दी गयी। जब 20 तारीख को हाउस में सम्मिलित होने के लिये मैं अपने घर से चला तो मेरे ड्राइवर ने बताया कि ट्रैफिक जाम हो गया है, यह रात 9.00 बजे की बात है। इसी तरह एक ललित कुमार व्यापारी हैं, उनकी भी हत्या कर दी गयी, इसके बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चला ट्रैफिक जाम के कारण मुझे 20 कि०मी० का चक्कर लगाकर आना पड़ा। मान्यवर, मैं तीन दिन से अनुरोध कर रहा था।

(लाल जी वर्मा, सदस्य द्वारा कुछ टोकाटाकी किये जाने पर)

मान्यवर, वर्मा जी की जो पीड़ा है, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं मैं उनके संबंध में एक शेर सुनाकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

अमीरों अगर कुछ न दे सको, तो न दो इन फकीरों को,
वक्त का मन्जर कहीं बदल गया तो क्या होगा ?

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिये अनुरोध किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

कांग्रेस के नेता बाद में बोलेंगे, लोकपति जी भी बहुत पुराने सदस्य हैं। माननीय विपक्ष के अनेक सदस्यों ने अपनी बात रखी। अब मैं एक सत्ता पक्ष के सदस्य को अवसर दे दूं। अभी श्री पाण्डे जी ने भी निवेदन किया। मैं उनको बुलवा रहा हूं। मेरा सभी दल के नेताओं से यह अनुरोध है कि पहले उन सदस्यों को अवसर दे दें जो पहली बार चुनकर आये हैं। माननीय मुन्ना चौहान जी भी बहुत अनुभवी हैं, वह कई बार आ चुके हैं। आप लोग धैर्य रखें, मैं सबको बुलवाऊंगा। आप लोग तो हमारी सहायता कर रहे हैं।

श्री रंगनाथ–

मान्यवर, हम लोग सत्ता पक्ष के हो गये हैं, तो क्या हमें अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलेगा। पहले यह तय था कि एक सत्ता पक्ष का बोलेगा, तो एक विपक्ष का। हम लोगों का भी एक अधिकार है। माननीय धनीराम वर्मा जी ने ही ऐसी व्यवस्था दी थी, आपसे तो हम लोग कुछ ज्यादा ही अपेक्षा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी थोड़ी देर में अधिष्ठाता के रूप में, मैं आपको यहां बैठाने वाला हूं, उसके बाद आप व्यवस्था दीजियेगा।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, वे लोग आठ-दस बोल लिये हैं वह बोल रहे हैं और हम एक बोले वह दस बोलें यह कहां का नियम है ?

(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पाण्डेय जी को बुला लिया है वह सुबह से प्रयास कर रहे हैं। उनको बोल लेने दें। उसके बाद बता दीजियेगा।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, पिछले पांच महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा जिसका कारण राजनीतिक दुराव श्री राज्यपाल के अभिभाषण में बताया गया है जिसकी वजह से प्रदेश की जनता लोकतांत्रिक सरकार से वंचित रही है और यह बड़े कद्दावर नेताओं के अहं की टकराव मात्र से सरकार नहीं बन पायी। पिछली बार रक्षाबंधन का समय था जब यही गठबंधन सत्ता में आयी थी परन्तु राखी की लाज भी नहीं रखी गयी और समर्थन वापस लेकर सरकार को गिरा दिया अब इस बार पुनः उसी गठबंधन द्वारा सरकार बनायी गयी है। अभी माननीय लालजी टण्डन द्वारा इसी सत्र में एक माननीय सदस्य के बार-बार टोका-टाकी करने पर कहा था "बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना"। मैं आप के माध्यम से जानना चाहता हूं कि यह दूल्हा-दुल्हन की सरकार का तलाक कब होगा। माननीय टण्डन जी कृपया बता दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय टण्डन जी उपस्थित नहीं हैं।

श्री विनय कुमार पांडेय–

मान्यवर, माननीय नेता सदन बैठी हैं वही बता दें।

मान्यवर, मैं बलरामपुर क्षेत्र का इस सदन में प्रतिनिधित्व करता हूं, पर्यटन स्थल एवं बौद्ध व जैन तीर्थ श्रावस्ती, बलरामपुर के बगल में ही पर्यटक बलरामपुर होकर श्रावस्ती जाता है जनपद बहराइच एवं जनपद गोण्डा के दूरस्थ इलाके, अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के नेपाल बार्डर से लगे हुए गोण्डा जनपद के बलरामपुर इलाके का महत्व प्रशासनिक दृष्टि से बहुत ही अधिक है एवं राजनैतिक दृष्टि से ही नहीं अपितु सामरिक दृष्टि से भी। बलरामपुर को जनपद बनाने की मांग स्थानीय जनता द्वारा बराबर आन्दोलन के माध्यम से चलती रही है, वर्तमान में गोण्डा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है और जिससे वर्तमान सरकार एवं पूर्व की सरकारें भी सहमत रही हैं। अपने पिछले कार्यकाल में इसी सदन में श्रावस्ती इलाके को मिलाकर बलरामपुर का जिला बनाने का प्रस्ताव किया था, जिससे सरकार भी सहमत थी। हर दृष्टि से महत्वपूर्ण बलरामपुर एवं श्रावस्ती को आगामी बुद्ध पूर्णिमा के दिन 22 मई के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि श्रावस्ती को जनपद बनाये जाने की बहुप्रतीक्षित घोषणा माननीय मुख्यमंत्री करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश के गन्ना और आलू उत्पादक किसानों को उपज की बिक्री और भण्डारण की समस्या के निवारण की चर्चा की है परन्तु निवारण के ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है। मैं आप के माध्यम से चाहूंगा कि ठोस उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे इसके साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या है बी० एड० और एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त युवकों के समायोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, उसकी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, पिछली भाजपा की सरकार ने ही राप्ती नदी पर कोड़रीघाट पुल का शिलान्यास माननीय कल्याण सिंह जी ने किया था परन्तु अभी तक पुल के निर्माण की कोई भी कार्यवाही नहीं हुई । मैं जानना चाहता हूं कि एक बार फिर भाजपा सरकार सत्ता में आ गयी है उस कोड़री घाट के पुल के उद्घाटन का पत्थर कब लगेगा ? मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

मान्यवर, अभी सत्तापक्ष की तरफ से कहा गया कि एक सदस्य विपक्ष का बोलता है और एक सदस्य सत्ता पक्ष का बोलता है यह परम्परा रही है, आप इस पीठ पर बैठकर हम लोगों को सुन रहे हैं अध्यक्ष पीठ की महिमा गरिमा सदैव एक सी रही है चाहे उस पीठ पर कोई भी बैठे । माननीय सदस्य ने कहा कि धनी राम वर्मा जैसे स्पीकर ने भी यही किया । मान्यवर, नाम लेकर इस पीठ पर टिप्पणी करके कोई बात कहना कहां तक उचित है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे दिखवा लूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मैं बार-बार यह सोचता रहा हूं कि इस धन्यवाद प्रस्ताव पर अब से 6 महीने पहले इस सदन में हमें बोलने का मौका मिल सकता था, 6 महीने का अमूल्य समय बीत गया, क्या कारण रहा इसका । जिसकी वजह से उ० प्र० की जनता देश और प्रदेश का लोकतंत्र अंधेरी गलियों में भटकता रहा । महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इसका संकेत किया है कि राजनीतिक दुराव के कारण इस प्रदेश में लोकप्रिय सरकार का गठन नहीं हो सका है क्या था वह राजनीतिक दुराव ? इसमें तो दो चीजें एक साथ जुड़ी हैं एक तो केन्द्र में 13 दलों की सरकार है । 13 का अंक अशुभ होता है दूसरी ओर यह तेरहवीं विधान सभा, इसलिये 13 के अंक का कुछ तो अशुभ प्रभाव होना ही था ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आपस में टोका टाकी न करें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, यह जो समय बीता उसमें एक और वह इस तरह हुआ कि पार्टी के बड़े नेता जो केन्द्र में बैठे हैं का केवल एक ही प्रयास था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न आने दी जाये और मायावती जी मुख्यमंत्री न बनने पायें । इन्हीं सब कारणों से 6 महीने तक उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता को लोकतंत्र से वंचित रखा गया । दूसरी हमारे ये मित्र बैठे हुए हैं, कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए हैं, अभी इनके तिवारी जी ने कहा कि यह गठबंधन नहीं चलेगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनका भी तो गठबंधन था यह भी तो मिलकर चुनाव लड़े थे, बसपा कांग्रेस ने उसमें चुनावी गठबंधन किया था, लेकिन उस गठबंधन का इन्होंने ईमानदारी से पालन नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आपस में टोका टाकी न करें।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

समझौते के अनुसार कांग्रेस को मायावती जी को मुख्यमंत्री बनवाना था। इनके अध्यक्ष जी मा० कांशीराम जी ने कहा कि या तो संयुक्त मोर्चे से हमारे लिये समर्थन लाओ और वह न मानें तो उनसे अपना समर्थन वापस लो। इनके अध्यक्ष बात करने गये और खाली हाथ लौट आये। यदि उस समय कांग्रेस ने केन्द्र से समर्थन वापरा लिया होता तो इनकी इज्जत बढ़ती परन्तु तब न करके अब बिना वजह किया।

"इसे कहते हैं बेगुनाह बेलज्जत"

मान्यवर, दुर्भावना की वजह से ऐसा किया गया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो हमारी यह सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी और ब० स० पा० के गठबन्धन से बनी। यह सरकार एक महान और दूरगामी लक्ष्य को लेकर चल रही है जिसके चलते समाज एक होगा, प्रदेश और देश में एकता कायम होगी और सामाजिक समरसता का वातावरण बनेगा और यह सरकार अपने पूरे कार्यकाल तक चलेगी। मुझे इनका दर्द समझ में आ रहा है क्योंकि ये सोच रहे थे कि इनकी सरकार बनेगी लेकिन ऐसा न हो सका अब ये आहें भर रहे हैं मोर्चा और कांग्रेस के पेट में दर्द और इस सरकार को देखकर इनकी इसी हालत के लिये शायद वर्षों पहले के० एल० सहगल ने गीत की यह पंक्ति लिखी थी मुझे वह गाने की पंक्ति याद आ रही है

"दिल जलता है तो जलने दो, आंसू न बहा फरियाद न कर"।

अब अपनी गल्तियों के लिये खुद रो रहे हैं। आप कोई मेरी बात का बुरा न मानें क्योंकि यही वास्तविकता है हमने मिलकर काम किया है। यह जो सरकार बनी है वह दो संगठनों की सरकार बनी है। मान्यवर, हमारे सामने जो लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इस प्रदेश के विकास की। माननीय रघुवर दयाल जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने मूल-भूत मुद्दों को उठाया। आन्ध्र प्रदेश सबसे पिछड़े प्रदेश में हो गया है। डेढ़ वर्ष में सारा विकास ठप्प हो गया है। हर क्षेत्र में चाहें औद्योगिक हो, व्यापारिक हो, कृषि का हो या प्रति व्यक्ति औसत आय या विद्युत उत्पादन का मामला हो सभी में गिरावट आयी है। इस सरकार ने इन सब बातों को शीर्ष प्राथमिकता दी है, और महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में कोई ऐसा बिन्दु नहीं जोड़ा है। अपराधियों, माफियाओं और गुण्डों का राज समाप्त किए जाने के लिए इसमें कुछ नहीं है। जिन्होंने पिछले वर्षों में अपराधियों माफियाओं एवं गुण्डों को रक्षण देकर इस प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक दिया था। जिसको समाप्त करने के उद्देश्य से बहन मायावती जी की सरकार ने मान्यवर, तात्कालिक और कठोर कदम उठाए हैं। अब अपराधियों एवं गुण्डों की जगह जेल में होगी या जंगल में होगी जैसा कल्याण सिंह जी के समय में हुआ था। इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। मैं दो बिन्दुओं पर माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आगामी 3-4 महीने से बिजली और पानी की विकट समस्या पैदा होगी यदि अभी से माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी व्यवस्था नहीं की गयी तो जो उधर बैठने वाले लोग हैं ये पहले से ही हमें बदनाम करने के लिये तैयार बैठे हैं। इसलिये उनकी इन आशाओं को पूरा न होने दें और इसके लिये अभी से पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। दूसरे मान्यवर, पिछली बार जब मायावती जी मुख्यमंत्री थीं उस समय सदन में मैंने आगरा को पर्यटन की दृष्टि से केन्द्र मानकर उसका चतुर्मुखी विकास करने की बात कही थी और जब मा० मुख्य मंत्री जी ने उस समय अपने भाषण में जिन 8-10 नामों का उल्लेख किया था उसमें इस सेवक का भी नाम था और कहा था आगरा का इस दृष्टि से विकास किया जायेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आज पुनः अनुरोध करूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से तथा विकास की दृष्टि से जो भी सम्भव हो सके वह आगरा के लिये करने की महान कृपा करें। अन्त में मैं सरकार द्वारा आज ही प्रथम सत्र में उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव पास कराये जाने पर सरकार को बधाई देने में साथ-साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लेखे-जोखे का प्रमुख दस्तावेज होता है । इस अभिभाषण को पढ़कर मुझे बहुत निराशा हुई । मुझे उम्मीद थी कि यह सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कोई ठोस नीति निर्धारित करेगी और कोई ठोस कार्यक्रम बनायेगी परन्तु यह अभिभाषण [x x x] साबित हुआ । तमाम चीजें इसमें गिनाई गईं । मसलन 45 चीनी मिलों के लाईसेन्स प्राप्त किये गये । पिछली सरकारों ने ही यह कार्य कर दिया था, उनकी ही कपोल कल्पना को इस अभिभाषण में रखा गया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । औद्योगिक विकास के नाम हमारा प्रदेश सारे देश में सबसे पिछड़ा है । बिजली का जो हमारी निर्धारित उत्पादन क्षमता है वह 5500 मेगावाट है–जिसमें से 2200 मेगावाट हम थर्मल पावर से, 300 मेगावाट हाइड्रो से हम उत्पादित करते हैं तथा 1500 मेगावाट हम एन०टी०पी० सी० से लेते हैं, इसके बाद भी बिजली की आज अत्यन्त दयनीय स्थिति है । गांवों में रात-दिन बिजली की कटौती हो रही है । बिजली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय और विद्युत आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाय, इसके लिए अभिभाषण में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

जहां तक शिक्षा का सवाल है प्रदेश में 75 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं और 40 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए कोई समुचित संसाधनों की व्यवस्था करने का प्रयास इसमें नहीं किया गया है । दो हजार की आबादी वाले गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है । 2-3 सौ आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है, इस प्रकार जो बड़े-बड़े गांव हैं, उनकी उपेक्षा हुई है । एक समदृष्टि व सर्वांगीण विकास की ललक जो होनी चाहिये वह इसमें नहीं दिखायी दे रही है ।

आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो गई है । एक माह में इस सरकार में 72 सामाजिक पार्टी के नेताओं की तथा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है । अभी आठ तारीख को बनारस में समाजवादी पार्टी के चार लोगों की ए० के०–47 राइफल से निर्मम हत्या कर दी गई । अभी हमारे हरदोई नगर में सायं साढ़े सात बजे अवस्थी जर्दा स्टोर, जो कि बीच बाजार, रेलवे गंज में स्थित है, उन पर दो सौ फायर हुए । उसकी मालकिन को गोली मारी गई और उनके लड़के को छत से फैंक दिया गया और पूरी की पूरी दुकान लूट ली गई । इस घटना से वहां के लोगों में आक्रोश पैदा हो गया और रेलवे यातायात को वहां के लोगों ने रोक दिया । पूरा का पूरा हरदोई नगर बंद था । इस घटना को लेकर पूरे नगर में प्रदर्शन हुआ ।

उसी दिन कानून-व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश बंद व प्रदर्शनों का आह्वान किया था । हरदोई जनपद से समाजवादी पार्टी के चार विधायक हैं । हजारों कार्यकर्ताओं ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया और कचहरी में गिरफ्तारी दी । 5.00 बजे तक हम लोगों को पुलिस लाईन में रोका गया और उसके बाद छोड़ दिया गया । उसमें हमारे एक जनप्रतिनिधि श्री धर्मज्ञ मिश्र जी तथा 22 वरिष्ठ नेताओं को बिना किसी कारण यह कहा गया कि अभी हम आपको गाड़ी से पहुंचा रहे हैं । उन्हें एक देहात की कोतवाली में ले जाया गया और वहां पर उनके ऊपर 4-4 एफ०आई०आर० दर्ज की गई । एक एफ० आई०आर० 10.05 बजे, दूसरी 10-10 बजे, तीसरी 10.15 बजे तथा चौथी 10.20 बजे की गई । उसमें इतनी गम्भीर धारायें जोड़ी गई, जो बड़े-बड़े माफियों के खिलाफ लगाई जाती हैं । आज 15 दिन से वे विधायक जेल में है । उन्होंने आपसे भी निवेदन किया है कि मुझे सदन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु इजाजत दिलवाई जाय । उनका प्रार्थना-पत्र आदि सब आपके पास मौजूद होंगे । मेरा आपसे निवेदन है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि विधायक की गरिमा व सम्मान की रक्षा के लिए आपकी ओर से निर्देश जाने चाहिये । लेकिन सरकार ने बदले की भावना से उनके विरुद्ध कार्यवाही की है । जो धारायें लगाई गई हैं, उन्हें मैं पढ़कर सुनाता हूं । उसमें प्रथम अपराध संख्या 220/97 थाना कोतवाली शहर अपराध धारा 147/336/427 आई०पी०सी० व 7 क्रिमिनल अमेंन्डमेन्ट ऐक्ट घटना का समय 10.05 बजे, दूसरा मुकदमा अ०सं० 219/97 अपराध धारा 147/336/353/427 आई०पी०सी व 7 क्रिमिनल लां अमेन्डमेन्ट ऐक्ट जिसकी घटना का समय 10.10 बजे, तीसरा मुकदमा अपराध संख्या 218/97 धारा 147/353/336/427 आई०पी०सी० व 7 क्रिमिनल लां अमेन्डमेन्ट ऐक्ट जिसकी घटना का समय 10.15 बजे चौथा, मुकदमा अपराध संख्या 221/97 धारा 147/353/427 आई०पी०सी० व धारा 7 क्रिमिनल ला अमेन्डमेन्ट ऐक्ट जिसकी घटना का समय 10.30 बजे दिखाया गया है । यह सरकार बदले की भावना से, राजनीतिक लोगों के विरुद्ध साजिश करके उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगा कर उन्हें फंसाना चाहती है । मान्यवर, लोकतंत्र में वाणी का अधिकार होता है । सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध, हत्याओं के विरुद्ध, हरदोई में दिन दहाड़े डकैती पड़ती है तो उसको उठाने के विरुद्ध अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य यह सरकार कर रही है । जो हमने गलत नीतियों के विरुद्ध आवाज उठायी है उस आवाज का यह सरकार गला घोंटना चाहती है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में कैसे सुधार आयेगा, जबकि प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं ? जिस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों के तीन-तीन महीने में या एक-एक महीने में तबादले किये जा रहे हैं क्या उससे प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हो जायेगा ? जातिगत आधार पर स्थानान्तरण किया जा रहा है और यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है । मान्यवर, आज जहां प्रदेश में दो-दो मुख्य मंत्री हों, एक कुर्सी पर बैठा है और दूसरा प्रतीक्षारत हो और प्रतीक्षा कर रहा है कि हमें मौका मिलेगा तो हम भी कुर्सी पर बैठेंगे । आज वह सदन में नहीं है । मान्यवर, जब आपने माननीय कल्याण सिंह जी को कल मौका दिया था बजट अभिभाषण में बोलने का तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया था क्योंकि वह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की सच्चाई से परिचित थे इसलिए उन्होंने बोलने से मना कर दिया । इससे यह पता लगता है कि यह जो गठबंधन की सरकार है इसकी नीतियां अलग-अलग हैं, विचारधाराएं अलग-अलग हैं । यह मात्र स्वार्थ सिद्धी के लिए यहां पर बैठे हुए हैं । आज जो मनुवादियों को गालियां देते थे कुर्सी के लालच के लिए यहां पर बैठे हुए हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धी पूरी कर रहे हैं । छः महीने में प्रदेश का विकास कैसे होगा क्योंकि छः महीने बाद दूसरा मुख्य मंत्री होगा उसकी अलग अपनी नीतियां होंगी ?

मान्यवर, आज किसानों के ऊपर विकट समस्या आ गयी है । आपने गेहूं का मूल्य 415 से 420 रुपया कर दिया है । केन्द्र सरकार तो 60 रुपये सब्सीडी दे रही है आप भी अगर 60 रुपया सब्सीडी दे देते तो कुछ तो आंसू उनके पुंछ जाते । आलू की मार से अभी किसान उबर भी नहीं पाया है । यहां पर दो दिन चर्चा भी उस पर हुई थी । शीतगृह वाले जितना चाहते हैं उतना पैसा लेते हैं । आलू किसान का बिकना था वह नहीं खरीदा गया है । दूसरी तरफ गन्ना किसानों का प्रदेश में 700 करोड़ से ज्यादा बकाया है उसका भुगतान भी उनको नहीं कराया जा रहा है । गन्ना किसानों का पड़ा हुआ है । आज गन्ना 22 से 25 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है । पेराई सत्र भी होगा तो इसमें क्या व्यवस्था की गयी है ? इस हेतु इसमें कोई दृष्टिकोण परिलक्षित नहीं होता है । प्रदेश की कानून व्यवस्था का यह हाल है कि प्रदेश के राजनीतिक लोगों के विरुद्ध षडयंत्र रचकर उन्हें फंसाने का कार्य किया जा रहा है । समाजवादी पार्टी के सदस्यों के अंग रक्षक भी वापस लिये जा रहे हैं । कानून-व्यवस्था का आलम यह है कि आज आये दिन सड़कों पर, गलियों पर हत्याएं हो रही हैं और आम आदमी का जीवन असुरक्षित हो रहा है तो ऐसे समय में ऐसे अविवेकपूर्ण निर्णय लिया गया है जो उचित नहीं कहा जा सकता है । मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा कि यह कुर्सी बड़ी चंचल होती है कभी इधर होती है तो वह कभी

उधर होती है तो मेरा अनुरोध है कि वे इसे ध्यान में रखें । आखिरकार यहां के विधायकों को फर्जी गुण्डा और रासुका ऐक्ट में बंद करने की योजना सरकार बनायेगी तो बहुत दिनों तक यह सरकार नहीं रहेगी । इसलिए लोकतंत्र में प्रदेश में कटुता का वातावरण बढ़ाया जाएगा तो यह ठीक नहीं है । मान्यवर, हमारे विचारों का विरोध तो हो सकता है । पक्ष-प्रतिपक्ष के नेताओं में विचारों का विरोध हो सकता है लेकिन वैयक्तिक वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को, माननीय विधायकों को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में भेजने का काम बंद करे ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज जो हमारी पंचायतराज व्यवस्था है वह पंगु हो गयी है । इसलिए पंचायतराज व्यवस्था को सक्रिय किया जाए और जो बजाज कमेटी बनायी गयी एवं उ० प्र० पंचायतराज आयोग जो बना जिसकी रिपोर्ट आ चुकी है लेकिन अभी तक ग्राम पंचायतों, क्षेत्रीय पंचायतों एवं जिला पंचायतों को जो अधिकार मिलने चाहिए और वह नहीं दिये गये हैं एवं जिनका अभिभाषण में जिक्र नहीं किया है उनके संबंध में आप व्यवस्था करायें । मेरा तो सरकार पर आरोप है कि यह सरकार स्थानीय निकायों की संस्थाओं, सहकारी समितियों, पंचायतराज व्यवस्थाओं का गला घोंटने पर यह सरकार तुली है । इसलिए उन्हें आप संरक्षण दिलायें । इन शब्दों के साथ मैं संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिए समय मांगे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

कांग्रेस पार्टी की ओर से अब 3 नाम शेष हैं । समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस पार्टी के मा० सदस्य का नम्बर आता है ।

* श्री अफरोज अली खां–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ संशोधन चाहता हूं । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं उस जिले का रहने वाला हूं जो हिन्दुस्तान के अन्दर एक अहम रियासत थी । हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो रामपुर ऐसा पहला जिला था, पहली रियासत थी जिसका विलय यहां हुआ । मैं रामपुर का रहने वाला हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया गया लेकिन रामपुर जिले में विकास की एक भी किरण नहीं गयी है । मान्यवर, रामपुर में एक रामगंगा नदी थी जिसे कालागढ़ में बांध दिया गया और उसका कमांड एरिया कानपुर कर दिया गया और हमारे यहां पानी नहीं आता है । कोसी नदी के पानी को काशीपुर की फैक्टरी ने काला पानी कर दिया है जिससे वहां के गरीबों को काला पानी पीने को मिलता है । परिणामस्वरूप वहां के लोग बीमार हो रहे हैं । मैं चाहता हूं कि यह दलितों और गरीबों की सरकार जिसने वायदा किया था कि हम गरीबों/दलितों के साथ न्याय करेंगे तो उनके साथ न्याय होना चाहिए जिससे डा० भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार किया सके । मान्यवर, रामपुर की सरजमीं पर एक इंसान मौलाना मोहम्मद अली जहूर थे, उनके नाम से मलिन बस्तियों का विकास किया जाना चाहिए । जिस प्रकार से डा० अम्बेडकर के नाम से गांवों का विकास किया जा रहा है, उसी प्रकार मौलाना जी के नाम से मलिन बस्तियों का विकास कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये । तभी इस प्रदेश की उन्नति होगी । हम चाहते हैं कि आप चेत जायेंगे । यह आपका साथ नहीं देंगे, साथ देंगे तो हम साथ देंगे । मान्यवर, तमाम गरीब मजदूर बीड़ी बनाने का काम करते हैं, उनको टी० बी० हो जाती है और वह मर जाते हैं,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनकी मजदूरी मात्र 25 रुपये कर दी गयी है । मैं कहना चाहता हूं कि यह धनराशि 50 रुपये होना चाहिये । इससे आपकी साख बढ़ेगी । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि गुण्डागर्दी खत्म की जायेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके नाम पर बेगुनाहों को अगर सताया जाता है, तो अच्छी बात नहीं होगी । इससे आपकी बदनामी होगी । मैं एक मिसाल देना चाहता हूं, रामपुर में 18-20 साल के दो लड़कों का कत्ल कर दिया गया । तीन दिन पहले यह आवाज संसद में भी गूंजी थी । मेरा निवेदन है कि इस बारे में सी० बी० सी० आई० डी० द्वारा जांच होनी चाहिये । अगर वह गुण्डा थे या कातिल थे, तो उनका कत्ल जायज है लेकिन अगर वह बेगुनाह थे, तो कातिलों को सजा मिलनी चाहिये । मान्यवर, रामपुर ऐसा जिला है, जो अभागा है, 45 प्रतिशत अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, 25 प्रतिशत दलित लोग रहते हैं. यहां पर 6 लाख रुपया प्राइमरी स्कूल के लिये खर्च होना था, लेकिन वह रुपया वहां से चला गया । मान्यवर, जिस प्रकार से आपने देखा कि उत्तराखण्ड की बहनों के साथ जुल्म हुआ, उसी प्रकार से हमारे यहां बलियाना में हिंडन नदी में लोगों को काटकर बहा दिया गया, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण किसी भी सरकार का अनदेखा दस्तावेज होता है । उसको देखने के बाद यह पता चल जाता है कि सरकार की क्या नीतियां हैं और सरकार इस प्रदेश की जनता के लिये क्या रही है और क्या करना चाहती है, लेकिन जब माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को सुना तो बहुत निरशा हुई । मान्यवर, बहुत दिनों के बाद एक लोक प्रिय सरकार की स्थापना हुई और उससे प्रदेश की जनता को बहुत आशायें थीं । राज्यपाल के अभिभाषण में मूलभूत समस्याओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है और उनके समाधान के लिए कुछ नहीं कहा गया है । मान्यवर, प्रदेश में बिजली की समस्या है, बिजली की आपूर्ति में लगातार गिरावट आ रही है और बिजली उत्पादन के लिये कोई भी कारगर उपाय नहीं सुझाया गया है, सरकार की ओर से कोई योजना नहीं है । गांवों के अन्दर 2-3 घण्टे ही बिजली आती है । बिजली आने की खबर पाकर किसान उठ खड़ा होता है और जब वह खेत पर पहुंचता है तो बिजली चली जाती है ।...

*श्री राम पाल सिंह–

आज सबसे बड़ी गम्भीर समस्या है ट्रांसफार्मरों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ और मुजफ्फरनगर की बात मैं कहना चाहता हूं जितने भी ट्रांसफार्मर हैं उनमें से 80 फीसदी जले पड़े हैं । किसान रात दिन बिजली विभाग के अधिकारियों के आफिस के चक्कर काटते हैं । 6, 7 महीने और साल-साल भर तक उनको बदलवाने की व्यवस्था नहीं होती है । इन ट्रांसफार्मरों की वजह से जो गन्ना किसानों के खेतों में आग लग जाती है उसका मुआवजा नहीं मिलता है, उसे दिलाने की व्यवस्था की जाय । इससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब कृषि उत्पादन प्रभावित होगा तो पूरा देश भूख से मरेगा ।

यही समस्या पानी की है, अफसोस की बात है सरकारी दावों के बावजूद सरकारी नलकूप आधे से अधिक खराब पड़े हुये हैं । हमारे मुजफ्फरनगर और मेरठ में मेरी निश्चित जानकारी है 50 फीसदी नलकूप खराब पड़े हैं उनसे सिंचाई का काम नहीं हो रहा है उनको ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गन्ने के ऊपर विस्तार से बहस होती तो विस्तार से उसमें अपनी बात रखते लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई । मैं दो मिनट और लूंगा । गन्ना किसानों की लूट मची है । पिछली बार यहां कहा गया था कि एक एक पैसे का भुगतान होगा । तो वह कब होगा ? पेराई सीजन खत्म हो रहा है पिछले साल का भुगतान अभी तक नहीं हुआ यह बात माननीय मंत्री जी ने स्वीकार की है । अब इस साल का भुगतान कब होगा अभी तक जब गन्ने का मूल्य ही तय नहीं हुआ है तो भुगतान कैसे हो जायेगा ? कहीं पर 62 रुपये हैं, कहीं पर 70 रुपये है कहीं पर 72 रुपये प्रतिक्विंटल है । कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री वाले 72 रुपया दे रहे हैं, निजी मिल वाले 62 रु० क्विंटल दे रहे हैं । एक ही गांव में आधे गांव वालों को जिनका कोआपरेटिव में गन्ना जा रहा है उनको 72 रुपया मिल रहा है और आधे गांव वालों को 70 रु० क्विंटल मिल रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करिये ।

श्री रामपाल सिंह–

आज गन्ने के मूल्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है । इसी तरह आलू किसानों की बात है उस पर मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं । उसको कोई पूछने वाला नहीं है ।

इसी तरह बेरोजगार नौजवानों की बात है । उनकी समस्या के बारे में सब लोग जानते हैं जिसका समाधान नहीं हुआ है ।

हमारे साथी हरिशंकर तिवारी जी ने पूर्वांचल विकास निधि की बात कही । वहां पूर्वांचल के विकास के लिये पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की गयी है, उत्तराखण्ड के विकास के लिये उत्तराखण्ड विकास निधि की स्थापना की गई है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये पश्चिमांचल विकास निधि की स्थापना क्यों नहीं की गयी ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का वह हिस्सा है जो पूरे देश को खाद्यान्न देता है, पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे है लेकिन वहां के लोगों को मूलभूत सुविधायें नहीं हैं । मेरठ से बढ़ौत 45 कि० मी० है जिसे तय करने में 3 घंटे लग जाते हैं वहां सड़कों की हालत बहुत ही खराब है । इसी तरह से मेरठ से कैराना 40 कि०मी० है जहां से माननीय मुख्य मंत्री जी चुनाव लड़ चुकी है उसे तय करने में दो घंटे लग जाते हैं ।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं हमारा प्रदेश इतना बड़ा है । उत्तराखण्ड का अलग प्रदेश बनाने का प्रस्ताव यहां पास हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं । इतने बड़े प्रदेश का और विभाजन होना जरूरी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बनाना चाहिये और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल राज्य अलग बनना चाहिये तथा दूसरे क्षेत्रों का विभाजन होकर अलग प्रदेश बनना चाहिये क्योंकि इतने बड़े प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्र की अलग-अलग समस्यायें हैं । हमारी अलग समस्यायें हैं बिना विभाजन के उन समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है । इन शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन दिये हैं उनको जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

विपक्ष से 3 माननीय सदस्य अभी बोल चुके हैं, तिवारी जी आपका नाम है बाद में बोलेंगे । (व्यवधान) अब इधर से बुलवा रहा हूं ।

(श्री रंगनाथ मिश्रा का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री अमरमणि–

मान्यवर, मुझे एक मिनट का समय दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

रंगनाथ जी आप बैठ जायं । पहले माननीय सदस्य को बोल लेने दें ।

श्री अमरमणि–

मान्यवर, हमारे भाई श्रीवास्तव जी ने, तिवारी जी ने, और कई लोगों ने बड़े स्पष्ट तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के बारे में यहां पर चर्चा की । मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । आज पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे सघन आबादी वाला क्षेत्र है । जैसा कि तिवारी जी ने डाटा प्रस्तुत किया, उत्तराखण्ड को 600 करोड़ रुपया दिया गया जबकि पूर्वांचल विकास निधि को 65 करोड़ रुपये ही दिये गये जबकि पूर्वांचल की आबादी उत्तराखण्ड से 10 गुने है । इसी तरह से पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्रफल उत्तराखण्ड से 10 गुने ज्यादा है । हर चीज में पूर्वांचल ज्यादा है लेकिन उसके लिये उस अनुपात में धन की व्यवस्था नहीं की गयी है । बहन मायावती जी बैठी हैं । उनसे हमको तमाम उम्मीदें हैं । हम चाहते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान दिया जाय । मान्यवर, 10 साल पहले महराजगंज को जिला बनाने की घोषणा की गयी लेकिन आज तक जनपद का शिलान्यास नहीं हुआ । यह सौभाग्य की बात है कि 11 तारीख को बहन मायावती वहां जा रही हैं ।

सांस्कृतिक कार्य एवं खेलकूद मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द्र)–

आप ही उसका विरोध करते थे ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप बैठें पीठ को संबोधित किये बिना इस तरह से सीधा उत्तर नहीं दिया जाता है ।

श्री अमरमणि–

मैं चाहूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये बगहा–छितौनी पुल के निर्माण की अत्यन्त आवश्यकता है । रेल लाइन शुरू हो गयी है लेकिन उत्तर प्रदेश ने अभी अपना अंशदान नहीं दिया है जिसके कारण पुल नहीं बन सका । इसके बन जाने से पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जुड़ जाने से विकास के नये आयाम खुलेंगे । उत्तर प्रदेश सरकार अपना अंशदान रेल विभाग को दे ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो सके । वहां पर 400 के० वी० ए० का विद्युत सब स्टेशन बनकर खड़ा है जिस पर 100 करोड़ रुपये मा० कल्पनाथ राय जी ने दिलवाये थे । अब केवल 30-40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी है । यदि इस धन की व्यवस्था कर दी जाय तो उत्तर प्रदेश की तकदीर बदल जायेगी । इसी तरह से शारदा सहायक कैनाल है इससे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर गांव को पानी मिल सकता है । गोरखपुर मंडल के प्रत्येक क्षेत्र में इससे धन और वैभव की वृद्धि होगी इस योजना के लिये कुछ पैसों की जरूरत है । इसको पूरा कराया जाय । इसी तरह से रामगढ़ ताल परियोजना है, स्व० श्री वीर बहादुर सिंह जी ने 100 करोड़ रुपये इसके लिये दिये थे । इस योजना का काम अपने अंतिम चरण में है कुछ पैसों की जरूरत है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस परियोजना के लिये धन की व्यवस्था कराकर इसको पूर्ण कराया जाय । धन्यवाद ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य–

मान्यवर, मुझे भी समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप साढ़े 10 बजे तक बोलेंगे तो भी मुझे आपत्ति नहीं है । मैंने जो क्रम बना लिया है उसी हिसाब से चलने दीजिये । आप कृपा करके बैठें ।

श्री रंगनाथ मिश्रा–

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण में मायावती सरकार के कार्यों की जो पारदर्शिता परिलक्षित हो रही है उससे लगता है कि विपक्ष घबड़ा गया है । यही कारण है कि जहां ऐसी घोषणायें होने के बावजूद भी विपक्ष सराहना करने के स्थान पर उसका विरोध कर रहा है । मान्यवर, स० पा० के लोग विरोध करें तो कुछ हद तक बात ठीक लगती है । .....

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सूर्य प्रताप शाही पीठासीन हुए ।)

लेकिन हमारे कांग्रेसी मित्रों भी मायावती सरकार का विरोध कर रहे हैं इस बात का मुझे दुःख है । मान्यवर, सभी जानते हैं कि अगर बसपा कांग्रेस का गठबन्धन न होता तो पंडित लोकपति त्रिपाठी, डा० अम्मार रिजवी और श्री अमर मणि जैसे लोग दोबारा इस सदन में न आते । लेकिन आज जो कांग्रेस के लोग सुश्री मायावती के मुख्यमंत्री बनने के लिये गांव-गांव में वोट की भीख मांग रहे थे आज वह मायावती की सरकार का विरोध कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अगर आप मुझे सुनेंगे तो हम भी आपकी सुनेंगे । मान्यवर, राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ और एक लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ । जब यह लोकप्रिय सरकार आई तो इसने अपने कार्यक्रमों की घोषणा की । गेहूं के लिये, गन्ने के लिये, आलू के लिये अनेक योजनाएं लागू की हैं । जहां तक गन्ना किसानों का सवाल है गन्ना किसानों के लिये पर्ची सिस्टम समाप्त करके सीधे बैंक से उनको भुगतान करने की व्यवस्था शासन ने की है । 400 करोड़ रुपया पिछला बकाया था उसको अदा कर दिया है और 900 करोड़ रुपया रह गया है उसे भी सरकार जल्दी से जल्दी देने वाली है । जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है तो अपने अपने समय में क्या किया ? आपके समय में फर्जी पर्ची के सहारे माफिया किसानों की पर्ची लेकर पेमेन्ट ले लेते थे उसको हमारी सरकार ने रोक दिया है । किसान पर्ची लेकर इधर उधर भटक रहा था उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था । केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जर्जर हो गयी है वहां लोकप्रिय सरकार आना जरूरी है इसलिये बसपा के साथ मिलकर हमने यह सरकार बनाई है । किसानों को सुविधा देने के लिये नये-नये कानून बनाये हैं ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपको भी बोलने का मौका मिलेगा । आप लोग बैठिये अपना स्थान ग्रहण कीजिये । मा० सदस्य रामकोला जी बैठ जाइये आपको भी समय मिलेगा ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

आप बैठ जाइये । आप जो कह रहे हैं लिखा नहीं जायेगा ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मिश्रा जी आप अपनी बात कहें ।

श्री रंगनाथ मिश्रा–

मान्यवर, जिस समय गन्ना किसानों की चिन्ता कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 1993 में मुलायम सिंह की सरकार थी उस समय चीनी मिलों को बेचने के लिये औने-पौने दाम पर कौन कोशिश कर रहा था ? यह बी० जे० पी० और मायावती के लोग नहीं कर रहे थे ।

जरा अपने गिरेवान में झांककर देखें । तब कहां थे जब पूंजीपतियों से मिलकर किसानों का शोषण करना चाहते थे उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे नौजवानों ने किया । आप आंसू नहीं घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं । जिस तरह से आपने चीनी मिल को अपने आदमी को बेचा, तो उसका विरोध मा० कल्याण सिंह जी ने किया और वह चीनी मिल आप नहीं बेच पाए । कानून व्यवस्था का सवाल हमारे मिश्र बन्धु उठा रहे थे तो मैं कहना चाहूंगा कि एक कहावत है कि "सावन के अन्धे को सब हरा ही हरा नजर आता है" ।

(सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

तभी विपक्ष के जो बन्धु हैं उनको अपराध नजर आ रहे हैं उस समय जो अपराध हो रहे थे इनको वही दिखाई दे रहे हैं । अराजकता दिखाई दे रही है । आप भूल गए यह मायावती जी की सरकार है और जो भाजपा के समर्थन से आई है इसमें अपराध को बढ़ने नहीं दिया जायेगा ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

जो अपराध करेगा उसको जेल में डाल दिया जायेगा । मान्यवर, जब हम विपक्ष में बैठते थे तो यह राजेन्द्र सिंह विधायक मंसूरी के अन्दर जेल में बन्द हो गए एस० डी० एम० को गोली से मारा गया और राजेन्द्र सिंह को फंसाया गया छः महीने के बाद उनको कोर्ट ने बाइज्जत रिहा कर दिया । राजीव विधायक के ऊपर गोलियां चलाई गईं तब कानून व्यवस्था कहां गई थी ? जब जगदम्बिका पाल के भतीजे को गोलियों से भुनवाया तब कानून व्यवस्था कहां गई थी ? अरे, शीशे के महल में रहने वाले दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं उछाला करते ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

मुजफ्फरनगर कांड हुआ तब आपकी कानून व्यवस्था कहां थी

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री रंगनाथ मिश्रा–

रामपुर तिराहा कांड जो हुआ था तब कानून व्यवस्था कहां थी ? वह घटना याद दिलाती है कि किस प्रकार से मानवता का गला घोंटा गया किस तरह से मां बहनों की इज्जत लूटी गई । लेकिन मायावती की सरकार में किसी मां बहन की इज्जत नहीं लुटेगी ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

अपराध करने वाले जो व्यक्ति हैं आने वाले समय में एक-एक व्यक्ति को जेल में सींखचों के पीछे पहुंचाया जाएगा ।

(सत्तापक्ष के मा० सदस्यों द्वारा मेंजे थपथपाई गई)

(एक सदस्य के कुछ कहने पर)

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा अधिष्ठाता जी अभी हमारे विपक्ष के एक सज्जन ने आरोप लगाया कि [x x x] के लिए हो रहा है तो [x x x] का उदाहरण तो सदन में देखने को मिल रहा है ।

कुवंर रेवती रमण सिंह ने [x x x] नहीं की, इसलिए वह विरोधी दल के नेता नहीं बन सके । श्री धनीराम वर्मा ने [x x x] की इसलिए वह विरोधी दल के नेता बने । इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने श्री राम नक्षत्र को बुला लिया है अब आप लोग बैठ जाएं ।

श्री रामनक्षत्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । नेता सदन एवं हमारे इस सम्मानित सदन में बैठे हुए विधायकगण । हम इस सदन में भाषण देने के लिए नहीं आए हैं । बल्कि जिस सोच के लिए जिस नीयत के लिए चुनाव लड़े उसके बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अपनी बात जोड़ने के लिए उसमें संशोधन करने के लिए चन्द बातों में अपनी बात रखना चाहता हूं । मुझे पक्का विश्वास है यदि मेरी बात जनहित में, प्रदेश के हित में अगर कड़वी लगे तो भी आप सुनने और समझने की कोशिश करेंगे । आज पूरे प्रदेश के अन्दर लाखों लोग खुले आसमान के नीचे भूख से तड़प-तड़प कर मर रहे हैं । उनके लिए रोटी देने की गारण्टी देने का कोई प्राविधान इस अभिभाषण में नहीं है । किसी का बच्चा दवा के बगैर मर रहा है किसी का कुत्ता मखमल की कालीन पर सो रहा है । किसी का बच्चा दूध पी रहा है और किसी का बच्चा भूख से मर रहा है । आपने उनके लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया है । आज तमाम ऐसे पढ़े लिखे, इंजीनयर, डाक्टर, ग्रेजुएट हैं जिनके मां बाप बड़े परिश्रम से, हिम्मत से उनको पढ़ाने के लिए खेत तक बेच देते हैं, उनको नौकरी देने के लिए कोई प्राविधान बजट में नहीं है । पढ़े लिखे लोग जो दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हैं, वह ओवर एज हो गए हैं या होने के कगार पर हैं, उनको नौकरी देने का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है । आज हम आपकी सरकार से क्या उम्मीद करें ? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन्होंने ऊंच नीच, साम्प्रदायिकता रूपी कोढ़ से समाज को अवमुक्त करने का संकल्प लिया था आज वे स्वयं उसी कोढ़ से सराबोर हो गये हैं । हमारे एक क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की समस्याएं हैं ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता ने आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता ने आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता ने आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मान्यवर, आज इस सरकार ने कोई युवा नीति नहीं तय की है जिससे युवकों का भविष्य उज्जवल हो सके । आज अस्पतालों में देखिये निर्धनों की दवा नहीं हो पा रही है, उनकी गारण्टी से दवा कराने का कोई फैसला नहीं लिया गया है । असहायिक मान्यता प्राप्त विद्यालय के अध्यापक हैं, वह आज 200-300 रुपये में बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह न हो तो ए बी सी डी कौन कहे क ख ग घ भी निर्धन के बच्चे न पढ़ पाते । उस अध्यापक के बच्चे साल में एक वस्त्र भी नहीं खरीद पाते हैं । इस प्रदेश के अन्दर जो चौकीदार हैं जो गांव की सूचना थाने और थाने की सूचना गांव तक पहुंचाते हैं उनको मात्र 100/- महीना दिया जाता है, जबकि 15-15 गांव तक उनको गरमी और बरसात में घूमना पड़ता है । आज जो गरीब और दलित लोग हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है जबकि यह सरकार दलितों की मसीहा है । मान्यवर, गुस्ताखी माफ कीजिये अगर भाषण देना होता तो किसी आम सभा में गया होता । यहां तो मुझे सरकार से जवाब लेना है और जवाब देना है । लेकिन सरकार [x x x] के पुलिन्दे की मंच बन रही है ।

श्री विनोद मणि–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगा कि उसमें तमाम चीजें छूटी हुई हैं और साथ ही यह जाहिर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार की जो नीतियां हैं वह अभिभाषण के माध्यम से हमें जानकारी मिली है । उसमें हमारे पूर्वांचल की घोर उपेक्षा की गयी है । अभी हमारे साथी माननीय हरिशंकर तिवारी जी ने पूर्वांचल की उपेक्षा की चर्चा की । मैं महराजगंज जनपद का रहने वाला हूं । 2 अक्टूबर, 1989 को स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में हमारे जिले का निर्माण हुआ था लेकिन आज तक जनपद मुख्यालय के भवन का निर्माण नहीं हो पाया है । आज जो गठबन्धन की सरकार है यह सरकार कुछ दिन पहले भी बनी थी । पिछले शासन में भी निर्माण कराये गए । यह जनपद राप्ती रोहिन, कूड़ा और घाघरा नदी से आये बाढ़ की चपेट में वर्ष में 6 माह रहता है । महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में बाढ़ को रोकने के लिए कहीं कोई चर्चा नहीं की गयी है । दूसरी तरफ कानून व्यवस्था की बात होती है । मान्यवर, हम तो नये सदस्य हैं, तीन दिनों से हम बहुत इत्मिनान से पुराने सदस्यों से सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीखा भी है । इसलिए यहां पर बोलने के लिए मैंने अधिष्ठाता महोदय से समय लिया । आज कानून-व्यवस्था के दुरूस्त होने की बात सरकार करती है । आज गरीबों के लड़कों को, दलितों के और किसानों के लड़कों को आपकी सरकार में थानेदार जबरदस्ती आंकड़ा भरने के लिये, अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए जेल भेजने का काम रहे हैं । दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुये लोग गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं । मैं बहुत ईमानदारी से जानना चाहूंगा कि गरीबी उन्मूलन की झूठी बात करने वाली सरकार भूमि सुधार लागू करने की बात किस हद तक शासन की नीतियों में लागू करना चाहती है ? माननीय अधिष्ठाता जी, पूर्वांचल गन्ना बाहुल्य इलाका है लेकिन आनन्द नगर मिल विगत 3 सालों से बन्द पड़ी है जिसके कारण हमारे क्षेत्र के किसान अपना गन्ना 20 से 25 रुपये कुन्तल देने पर मजबूर होते हैं ।.....

दूसरी तरफ गोरखपुर जनपद का खाद कारखाना काफी अरसे से बन्द पड़ा है, आपकी शासन की नीतियों में कहीं खाद कारखाने को चालू करने की मंशा नहीं है । इसी तरह से फरेंदा मिल को चलाने की भी मंशा नहीं है, न जिला मुख्यालय का निर्माण कराने की कोई व्यवस्था कहीं है, मैं इन सब कार्यों के लिये मायावती की भी सरकार से और शासन में बैठे हुये सभी लोगों से आशा करता हूं । मान्यवर, हमारे यहां स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह के शासन में आनन्द नगर में 30 बेड का अस्पताल बना था,

---

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अस्पताल के निर्माण पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा चुके हैं, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वहां आज तक एक भी डाक्टर की पोस्टिंग इन 5 सालों में नहीं हुई है, कोई भी संसाधन इस 30 बेड के अस्पताल में नहीं मुहैय्या कराये जा रहे हैं । मैं शासन का ध्यान उपरोक्त समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं तथा सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जो आपने मेरी बातों को सुना । इस तरह मैं अभिभाषण का विरोध करता हूं ।

* श्री राजधारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ने को मिला । सरकार बनाने के बारे में उन्होंने चर्चा की, उसके लिये मैं सरकार में बैठे हुये लोगों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 6 महीने पहले चुनाव सम्पन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता जो लोकतंत्र में घोर आस्था रखती है, को राहत देने का काम किया है । इस दौरान लोकतंत्र की गाड़ी पटरी से उतर गई थी । माननीय बसपा नेता मायावती जी, भाजपा के नेताओं को, जिन्होंने लोकतंत्र को जीवित रखने का और उसे सुदृढ़ बनाने का काम इस प्रदेश में किया है, वे बधाई के पात्र हैं । मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कानून व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने का संकल्प लिया है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो एक जंगलराज कायम हो गया था, उससे इस प्रदेश को मुक्ति दिलाना आवश्यक था ।

यहां सिंचाई के संसाधनों की कमी है, विद्युत की व्यवस्था ठीक नहीं है, नहरों की स्थिति वहां ठीक नहीं है, आपने टेल तक पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है, मान्यवर, इस ओर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है ताकि कमान्ड एरिया में जो खेती है, वहां सिंचाई ठीक प्रकार से हो सके । बिजली की हालत बड़ी जर्जर है, सप्लाई नियमित न होने से किसानों को बड़ी परेशानी होती है, वहीं छात्रों को पढ़ने लिखने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा लघु उद्योग धन्धों पर भी बुरा असर पड़ रहा है और उनकी भी हालत खराब है । मेरा निवेदन है कि वहां की बिजली की हालत को ठीक करें । हमें प्रसन्नता है कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी संकल्प लिया है । मैं माननीया मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जन-जन से लेकर, बड़े दफ्तरों तक जो भ्रष्टाचार फैला है, उसे समाप्त करें । यह एक बहुत बड़ा रोग है, भ्रष्टाचार के चलते हमारा वांछित विकास नहीं हो पाता है, आप इस प्रदेश का आम जन जो विकास की उम्मीद लगाये बैठा है, उसको राहत पहुंचायेंगे और इस विकास की गति को आगे बढ़ायेंगे । दूसरी एक चीज और मैं बलिया जनपद के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, हमारे यहां मांझी का पुल और कुछ अन्य योजनायें काफी समय से लम्बित पड़ी हैं, हमारा प्रदेश और हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है, हमारे यहां कृषि के संबंध में विशेष ध्यान देने की जरूरत है । आज एक लोकप्रिय सरकार बनी है, मुझे उम्मीद है कि यह सरकार किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, कृषि उपकरण आदि मुहैय्या करायेगी, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, मैं पड़रौना जिले की उस सरजमीं से आता हूं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के नाम पर अपनी एक पहचान बनाई है । रामकोला विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं । रामकोला के किसानों ने निर्दलीय चुनाव जिताकर मुझे यहां भेजा है और वहां के तत्कालीन गन्ना राज्य मंत्री की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जमानत भी जब्त करवाई है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं । माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में दो समस्याएं किसानों से संबंधित हैं गन्ना मूल्य का भुगतान और पेराई की क्षमता । मैं कहना चाहता हूं यह निर्णय सरकार का किसानों के बहुत ही हित में है । गन्ना भुगतान का जो आपने फैसला लिया है, उसका स्वागत है । पेराई की क्षमता के सवाल पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं आप भी उसी जिले को बिलांग करते हैं । नारायण दत्त तिवारी जी के शासनकाल में लक्ष्मीगंज चीनी मिल, रामकोला खेतान और पिपरा इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है परन्तु वह काम अभी भी अवरुद्ध पड़ा हुआ है । मैं सरकार से मांग करता हं कि उसे पूर्ण कराया जाय । अगर इन चीनी मिलों की क्षमता बढ़ेगी तो इन गन्ना किसानों का विकास होगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की प्रमुख समस्या है जिसे मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं । आज उत्तर प्रदेश में दोहरी गन्ना नीति है । प्रदेश की आजादी के बाद पहली बार यह सुनने का मौका मिला कि जो उत्तर प्रदेश में 47 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं ये हमारे 40 लाख गन्ना किसानों पर अंकुश लगाये हुए हैं । मैं मांग करता हूं कि यह दोहरी गन्ना नीति समाप्त की जाय । एक प्रदेश में दो गन्ना मूल्य नहीं रहने चाहिए ।

मान्यवर, 1992 में उसी रामकोला में मेरे नेतृत्व में गन्ना किसानों का आन्दोलन गन्ना मूल्य के लिए चलाया गया उस समय माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे जिस समय 9 करोड़ रुपया बकाया था तो गन्ना किसानों पर गोली चली थी जिसमें दो गन्ना किसान मार दिये गये थे पड़ोही हरिजन व जमींदार मियां और मेरे साथ 75 किसानों के ऊपर अपराधिक मुकदमें फर्जी लगाकर जेल में भेज दिया गया था । मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं किसानों के हक की लड़ाई सदन में लड़ूंगा और सदन के बाहर किसानों को लेकर आन्दोलन करूंगा जब तक दोहरी गन्ना मूल्य नीति समाप्त न हो जाय ।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में पहला ही बिन्दु है कि भाजपा और बसपा की सरकार का जो गठबंधन बना है उसको राज्य की जनता ने सराहा है । मैं उसी पहले बिन्दु पर टिप्पणी करना चाहता हूं । भाजपा के मित्र यहां बैठे हुए हैं माननीया मायावती जी की सरकार पहले इन्होंने बनायी थी चार महीने में ही गिरा दी और फिर बना दी । वैसे तो इनके हिसाब से इस सरकार की उम्र 4 महीने 25 दिन है । बहुत बड़ा दस्तावेज पेश किया है हमारे दोनों पार्टियों के मित्रों ने, जो दो विभिन्न विचारधाराओं में चलते हैं । एक पेरियार समर्थक हैं और एक राम समर्थक हैं । जब से यह सरकार आयी है, हमारे यह मित्र सत्ता में आये हैं श्री राम नहीं बोलते हैं । (जय श्री राम की कुछ आवाजें) यह तो आप मेरे कहने पर बोल रहे हैं । पेरियार जी के बारे में आपको मालूम है कि राम की जो दुर्गति माननीय पेरियार जी ने की, रामायण और रामकथा की, उसे हिन्दुस्तान भूल नहीं सकता है । तो एक तरफ पेरियार जी हैं और एक तरफ राम जी हैं तो दोनों में विरोधाभास है, दोनों के समर्थक हैं । एक भ्रष्ट आचरण के शासन के गठबंधन के रूप में साथ-साथ बैठे हुए हैं । मान्यवर, यह बात थी कि यह सरकार बनेगी तो प्रदेश के विकास के लिये कुछ कदम उठायेगी, माननीय अधिष्ठाता जी ने इस पर प्रस्ताव को पेश किया है आज वह पीठ पर आसीन हैं प्रस्ताव में पहला बिन्दु उन्होंने लिया था कि इस सरकार के आते ही कानून व्यवस्था ठीक हो गयी है । माननीय शाही जी हमारे पुराने मित्र हैं, संसदीय ज्ञान उनमें बहुत है, बहुत विद्वान हैं, माननीय कल्याण सिंह जी उस दल के नेता हैं, सदन 21 तारीख

को शुरू हुआ, माननीय कल्याण सिंह जी ने एक दिन पहले बयान दिया, जो टाइम्स आफ इंडिया में छपा है। उ० प्र० में कानून व्यवस्था खराब है।

श्री अधिठाता–

सभी सदस्य 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री बाबू राम यादव–

30 तारीख को उन्होंने कानपुर में बयान दिया है कि उ० प्र० में कानून व्यवस्था खराब है। दूसरे दिन कहा कि कानून व्यवस्था ठीक है। दोनों में कितना विरोधाभास है, आप विचार करें। मान्यवर, अगर हम यह कहें कि यह सरकार बहुत ही गन्दे इरादे से जो हत्यायें करा रही है उसकी मिसाल दुनियां में कहीं नहीं मिलेगी। एक महीने की भाजपा बसपा सरकार में 72 समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं का कत्ल करा दिया गया, गिरफ्तारी नहीं हो रहीं है, लोगों को झूठें केसों में फंसाया जा रहा है। प्रतिदिन कोई न कोई हत्या औसतन होती है। एक महीने के अन्दर जो दंगे हुए हैं उसमें 12 लोग मारे गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, सरकार जब [×××] के साथ हो जाय सरकार जब अपराधियों की मदद करने लगेगी तो आम आदमी की जिन्दगी का क्या होगा ? मान्यवर, कभी भी जुल्म से सरकार नहीं चलती सरकार चलती है प्रेम से सद्भावना से। इस सरकार ने अब तक 400 अफसरों का तबादला कर दिया और जिस दिन यह सरकार आई थी उसी दिन 90 अधिकारियों का तबादला कर दिया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। मैं आज प्रथम बार इस विधान सभा में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और पहली बार चुनकर आया हूं। मैं महामहिम राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण का समर्थन करता हूं परन्तु मान्यवर, मैं उत्तराखण्ड के जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं उसकी समस्याओं के बारे में इस माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इसके पहले मैं अपनी बात कहूं मैं सबसे पहले इस सम्पूर्ण आदरणीय सदन को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन से सम्बन्धित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया है उसके लिए मैं उन्हें दिल से बधाई देता हूं तथा उत्तराखण्ड की जनता की ओर से मैं इस पूरे आदरणीय सदन का आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, हम तो मेहमान हैं आज नहीं तो कल हमें जाना ही है एक कहावत है कि "खुसुर-पुसुर मत करना, बीच का धागा खिस्का दूंगा" अगर केन्द्र की सरकार ने वह बीच का धागा नहीं खिसकाया होता तो आज पृथक उत्तराखण्ड राज्य का गठन हो गया होता। पुनः तीसरी बार यह प्रस्ताव पास हुआ है यदि केन्द्र की सरकार ने अबकी बार धागा न खिसकाया तो जल्दी पृथक उत्तराखण्ड राज्य का गठन हो जायेगा, ऐसा मेरा मानना है। परन्तु मान्यवर, अब मैं समस्याओं की

ओर आता हूं । आज उत्तराखण्ड में विकास कार्यों की बात कही जाती है आज वहां जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है । ब्रिटिश काल से मिले हुए वहां के लोगों के हकहकूक थे वह समाप्त हो गये हैं आज हम कुदाल से एक इंच भूमि नहीं खोद सकते हैं । पहाड़ में अगर इन्फ्रा स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो इस, अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम को समाप्त करना पड़ेगा । स्थिति यह है कि यदि एक पाइप लाइन डालनी हो तो प्रशासन उन श्रमिकों के औजारों को उठा ले जाता हैं । मान्यवर, एक बात मैं यह सदन को बताना चाहता हूं कि निकट भविष्य में उत्तराखण्ड राज्य के गठन की बात सुनकर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बिहार तथा नैपाल यहां तक कि पाकिस्तान से आकर लोगों ने खास-खास जगहों पर जमीनें खरीद ली हैं ताकि जब उत्तराखण्ड राज्य का गठन हो तब उक्त जमीन भू-माफियाओं के हाथ में आ जाय और जो वहां के नौजवान बेरोजगार हैं पलायन कर जाय ।

(इस समय 5 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

अगर समय रहते इन भू-माफियाओं को जिनमें कुछ विदेशी भी हैं उन्हें यदि प्रतिबन्धित नहीं किया गया, चिन्हित नहीं किया गया तो वह उत्तराखण्ड के लिए ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश के लिए खतरा हो सकते हैं ।

मान्यवर, रानीखेत को जिला बनाये जाने के संबंध में बहुत लम्बे समय से मांग चली आ रही है यह एक ऐसा ऐतिहासिक और स्मणीय स्थान है जिसके लिए कई न्यायाधीशों ने यह कहा है कि जिन्होंने रानीखेत नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा । वहां पर जजी कोर्ट है वहां पर एस०डी०एम० कार्यालय है और जन भावनाओं को देखते हुए वहां पर ए०डी०एम०पी० के पद को भी सृजित किया गया था कि निकट भविष्य में रानीखेत को जिला बनाया जायेगा । परन्तु वह मांग आज तक पूरी नहीं हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि रानीखेत को अविलम्ब जिला बनाया जाय । इसी प्रकार मान्यवर, मछोड़, मांसी, जालली, एवं मजखाली को विकास खण्ड बनाया जाय ताकि वहां का सर्वांगीण विकास हो सके । उत्तराखण्ड राज्य के गठन से वहां पर सचिवालय से संबंधित सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाय और साथ ही अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग का पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग गठन किया जाय । पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त पड़े हैं उन पर हिल कैडर पूर्ण रूप से लागू करते हुए अविलम्ब भरा जाय तथा रानीखेत क्षेत्र में जो 10 साल से ऊपर सड़कें बनी हुई हैं उन्हें डामर युक्त किया जाय एवं जो वहां पर बिजली के खम्भे लकड़ी के हैं उन्हें बदला जाय और साथ ही नये ट्रान्सफारमर लगाये जायं और इसके साथ ही मान्यवर, जो राजस्व पुलिस कर्मचारी हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह सुविधायें दी जायं और जूनियर हाईस्कूलों, हाईस्कूलों का उच्चीकरण किया जाय तथा भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जो पद रिक्त पड़े हैं उन पर तुरन्त नियुक्ति की जाय तथा सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों को फल पट्टी घोषित किया जाय और पूर्ण नशाबन्दी वहां पर लागू की जाय यद्यपि मुझे कहना बहुत कुछ था परन्तु यहां पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अभिभाषण का एक बार पुनः समर्थन करता हूं ।' बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मित्र माननीय श्री रंगनाथ जी ने बैसाखी का हवाला दिया और मेरा नाम लिया और कहा कि श्री त्रिपाठी यहां पर बैठे हैं और बैसाखी की मदद से यहां पर आये हैं, इसमें

दो राय नहीं है । हम तो बैसाखी से जीतकर यहां पर विधान सभा सदस्य बने हैं और आप तो बैसाखी की मदद से सरकार में बैठे हैं । अब प्रश्न यह है कि कौन सी बैसाखी जायज थी और कौन सी नहीं है । चुनाव से पहले की बैसाखी जायज थी या चुनाव के बाद की बैसाखी जायज थी । हमने तो यह वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी बनेंगी । हमने चुनाव में वायदा किया था और 125 सीटों पर हम चुनाव भी लड़े थे तो हमने हर जगह मायावती की बात की थी और हम आज भी मायावती जी की बात करते हैं । हमें इस बात का फक्र है कि उत्तर प्रदेश में एक सबल महिला मुख्य मंत्री बनी हैं । परन्तु इनको यह बरदास्त नहीं हो रहा है जो नकली बैसाखी पर सरकार में आये हैं । (लालबत्ती होने पर) श्रीमन्, आपने समय कम दिया है मुझे भी इस विधान सभा में 15 वर्षों तक मंत्रिमण्डल में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह जो अभिभाषण है, उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार होती, वह इसे करती । महामहिम राज्यपाल जी, इसको सदन के सामने लाये क्योंकि प्रथम सत्र में इसे पेश किया जाता है और उसमें सरकार की घोषित नीतियां होती हैं । उसी घोषित नीति के तहत यह सदन इस समय चल रहा है । इसमें प्रमुख स्थान दिया है कृषि एवम् कृषि उत्पादन पर । कृषि उत्पादन के लिए उन्होंने सिंचाई व्यवस्था की बात कही । हमारे सिंचाई मंत्री जी ने आज तीन दिन पूर्व यह बात कह दी कि उत्तर प्रदेश सरकार को पांच हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी 39 लम्बित सिंचाई परियोजनाओं के लिए । श्रीमन्, आपके माध्यम से, हमारी मुख्य मंत्री जी जो वित्त मंत्री भी हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 में जो धन सिंचाई योजना के लिए आया वह कहां गया ? आपके ही दल के एक सज्जन बोल रहे थे उन्होंने यह कहा कि आपने वायदा किया है, मुख्य मंत्री जी इस समय हैं, कि नहरों में टेल तक पानी जायेगा । उत्तर प्रदेश में 36 हजार किमी० लम्बी नहरें हैं । आपने कोई आंकलन किया कि 36 हजार किमी० लम्बी नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी ? आप कहती हैं कि हम पानी टेल तक पहुंचायेंगे और सिंचाई मंत्री जी कहते हैं कि योजना को पूरा करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपया चाहिए तो टेल तक पानी कैसे पहुंचेगा ?

इसी प्रकार श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय ने 1995 में आदिवासी क्षेत्रों में दो कन्या पाठशाला का शिलान्यास किया । आपकी नीति है कि हर विकास खण्ड में माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, मान्यवर, दो वर्ष बीत गये हैं मगर उसका अभी तक पता नहीं है । महामहिम राज्यपाल जी ने सिंचाई मंत्री जी के क्षेत्र में भी एक डिग्री कालेज स्वीकृत किया, वहां पर यह मांग बीस वर्षों से थी और वहां के लोगों ने इस हेतु जमीन भी दी थी वहां साधन पहुंच गये मगर उस डिग्री कालेज का कोई पता नहीं है । श्रीमन्, मेरा यह दुर्भाग्य रहा है या सौभाग्य मैं खेल कूद मंत्री भी रहा हूं । पिछले आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश खेल जगत में कहां पर है ? स्वर्गीय ध्यान चन्द्र जी के नाम पर ध्यानचन्द स्टेडियम का निर्माण 1986-87 में हुआ और यह उत्तर प्रदेश में पहला स्टेडियम था जिसमें हाकी खेलने के लिए एस्ट्रोटर्फ बना था और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हाकी खेली जाती थी । मान्यवर, इसी सदन में तत्कालीन राज्यपाल श्री सी०पी० एन० सिंह जी ने कहा था कि इस वर्ष हमने अन्तर्राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी मेमोरियल गोल्ड कप टूर्नामेंट कराया । हाकी के ध्यानचन्द और के० डी० सिंह बाबू दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से हुए हैं ।

के०डी० सिंह बाबू को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति ने पदक दिया था जो अति उच्च श्रेणी के खिलाड़ियों को मिलता है। मान्यवर, आज खेलकूद विभाग की दयनीय स्थिति हो गयी है। मुख्य मंत्री जी बनारस गयी थीं वहां स्ट्रोटर्फ स्टेडियम का उद्घाटन किया। लेकिन मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें रोज पानी पड़ना चाहिए किन्तु दो साल हो गये हैं आज तक स्टेडियम में एक भी नलकूप नहीं लगाया जा सका है। इस तरह के स्टेडियम पर लगभग एक करोड़ रुपया खर्च बैठता है। स्ट्रोटर्फ स्टेडियम के मैदान में खेलने पर पांव और जूते गर्म हो जाते हैं इसलिये हर बार खेलने के बीच में पानी डाला जाता है लेकिन वहां पानी के लिये व्यवस्था नहीं हो सकी है। मान्यवर, यहां गोमतीनगर, लखनऊ में स्टेडियम खेलकूद का नया बना रहे हैं और उसमें स्वीमिंग पूल बन रहा है लेकिन उसके लिये जब तक पानी के परिवर्तन की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह पानी दूषित हो जायेगा। मान्यवर, भारतवर्ष में स्वीमिंग पूल का प्रयोग बारह महीनों नहीं हो सकता है और अक्टूबर से फरवरी तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं अन्यथा इस बीच थर्मोस्टेट से उसे गर्म रखना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश के नवयुवक बच्चे उस स्वीमिंग पूल का प्रापर प्रयोग कर सकेंगे ?

मान्यवर; आप अल्पसंख्यकों को सुविधा दे रहे हैं, छात्रवृत्ति, नौकरी में आरक्षण और उन्हें पढ़ने की सुविधा दे रहे हैं। तो क्या आप नियमों के अनुसार, देश के संविधान के अनुसार 15 प्रतिशत जो अल्पमत में हैं, क्या उनको सुविधा दी जा रही है ? मान्यवर, आज कौन कृषक है, किसके पास धरती है और किस के पास अधिक से अधिक ट्रैक्टर हैं इस संबंध में आप भूमि बन्धक बैंक से कलेक्टर से सूची मंगाकर देख सकते हैं कि कौन पिछड़े हैं ? आपको 15 प्रतिशत जो अल्पमत में हैं उनको सुविधायें देने के लिये सोचना चाहिए क्योंकि वह भी प्रदेश स्थिति को सुधारने की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी गरीब हैं, जो पीड़ित है, उनको अधिकार मिलना चाहिए और उसे सुविधा मिलनी चाहिए। मान्यवर, आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनको सुविधायें देने का काम मुख्य मंत्री जी करेंगी, उनके साथ न्याय करेंगी और अन्याय नहीं करेंगी। इन शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, बहुत सारी बातों का जिक्र दूसरे साथियों ने किया है, किन्तु मैं अपनी बात को संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा। महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उसकी जो पुस्तिका दी गयी है, उसका मैंने आद्योपांत अध्ययन किया है, उसको पूरा पढ़ा है, इस बात पर मुझ को एक शेर याद आता है—

बड़ा शोर सुनते थे, पहलू में जिनका
जब काटा तो कतराये खूं न निकला

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि विकास की सारी योजनायें, कार्यक्रम और नीतियां, जिनका जिक्र किया गया है और आपकी क्या नीयत होगी ? यह तो समय बतायेगा। मान्यवर, 7 मूल मंत्र हैं जो विकास के लिये आवश्यक हैं बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान। यहां पर उत्तर प्रदेश के लिये करोड़ों करोड़ों का खजाना पास होता है, लेकिन लखनऊ के मलिहाबाद में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया गया है। गंगोत्री और जमुनोत्री का विकास हो गया है, केदारनाथ और बद्रीनाथ का विकास हो गया है, बलिया और बनारस का विकास हो गया है, ललितपुर और झांसी का विकास हो गया है लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में जहां पर खजाना पास होता है उसके नाक के नीचे मलिहाबाद जो अपनी मिठास के लिये प्रसिद्ध है हम मलिहाबद का आम खाते हैं लेकिन वह क्षेत्र

एक-एक बूंद पानी के लिये तरस रहा है। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि 4 टर्म निकल गये चम्बल की घाटियों में और अब मलिहाबाद में आया हूं और आपको दावत देता हूं। वहां पर आपको आम तो बढ़िया मिल जायेगा लेकिन पानी नहीं मिल पायेगा। मैं आपके माध्यम से वहां पर पानी की व्यवस्था करने के लिये सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। यदि इस क्षेत्र में सड़कों का निर्माण ठीक से हो जाय तो यहां का आम देश और विदेश की मंडियों में सीधे पहुंच जायेगा जिससे विदेशी मुद्रा का अर्जन हो सकता है। मान्यवर, इस प्रकार से आप टेल तक पानी देने की बात करते हैं लेकिन आप टेल तक पानी नहीं पहुंचा पायेंगे, क्योंकि उसके लिये बड़ी कार्य योजना की आवश्यकता है, इसका प्रबन्ध कहां से करेंगे, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि बिना कार्य योजना के कोई काम नहीं होने वाला है।

(व्यवधान)

मैं कभी टोका टोकी नहीं करता हूं। आपका जब अवसर आये तो आप भी अपनी बात कहें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात कहें

श्री गौरीशंकर एडवोकेट–

मान्यवर, इस समय आलू उत्पादक परेशान हैं। उसके आलू के भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं है। मलिहाबाद बिल्कुल निकट है। आप वहां पायेंगे कि हफ्तों तक बिजली गायब रहती है और हालत यह है कि एक-एक घंटे बिजली के लिये लोग तरस रहे हैं। आप बिजली संकट से कैसे उबारेंगी, यू० पी० एस० इ० बी० की क्या हालत है कितने बुरे हाल में वह चल रहा है। वर्षों से हम यही परेशानी में हैं, कैसे उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था ठीक हो। जब बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं होगी, हमारी सिंचाई के लिये जो ट्यूबवेल लगे हैं वह नहीं चलेंगे तो सिंचाई कैसे होगी और फिर खाद्यान्न कैसे बढ़ेगा तो इन सारी मूलभूत चीजों पर आपका ध्यान जायेगा मुझे कोई भरोसा नहीं है। साम्प्रदायिक सद्भावना का माहौल पैदा करने के लिये जिन बातों का उल्लेख किया हैं मैं उनकी क्या प्रसंशा करूं क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। साम्प्रदायिक सद्भाव, सामाजिक समरसता के पैदा करने की बात में शंका है क्योंकि नियत में विश्वास नहीं है।

अम्बेडकर गांवों का जिक्र इसमें किया है बहुत अच्छा काम इससे होगा, प्रदेश के शोषित, दलित और पीड़ित लोगों को कम से कम रोशनी तो मिलेगी, उनका विकास होगा लेकिन इसके साथ साथ सभी की तरफ ध्यान जाना जरूरी है तभी सर्वांगीण विकास की बात पूरी हो पायेगी।

आपने दो दो बार लाल बत्ती जला दी मैं अधिक समय नहीं लूंगा एक अच्छे माहौल में चर्चा हो रही है। मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा मलिहाबाद में एक ओवर हैंड टैंक अवश्य बना दें। इसी तरह बेतानाला और झिंगनी नालों में पुल बना दिये जायें। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि वक्त हमेशा याद रहता है, हम 21 वीं शदी में प्रवेश कर रहे है तभी अच्छा प्रवेश होगा जब लोगों की समस्याओं का हल निकाल लिया जाय। मैं खतम कर रहा हूं वक्त किसी की प्रतीक्षा नहीं करता इसलिये वक्त को समझिये और उ० प्र० की समस्याओं का समुचित समाधान कीजिये। इन शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको जोड़ दिये जाने पर पुनः बल देता हूं इस पंक्तियों के साथ कि–

"वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है,
बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है,
चाहे जितनी ही बड़ी को चाहे जितनी बड़ी हो, चट्टान
हर चट्टान हो नदी की राह से हटना पड़ा है।"

इन शब्दो के साथ मैं आपको साधुवाद देता हूं एक अच्छे माहौल में आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया ।

(श्री राम कृपाल का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

समय को देखते हुये उसी अनुपात में मैं सबको समय दूंगा । (व्यवधान) कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा मैं जानता हूं (व्यवधान) अभी एक महिला ने हाथ उठाया है । मेरी सूची में जो नाम है मैं बुला रहा हूं । अभी स्वामी जी बैठे हुये हैं 3 दिन से लगातार आग्रह कर रहे हैं । मैं दो-दो मिनट जरूर सुनूंगा ।

* श्री राम कृपाल–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है । अम्बेडकर गांवों के संबंध मे चर्चा हुई इनके लिये जो धन आवंटित किया गया है उस पर विशेष ध्यान दिया जाय सब लोगों ने इसका समर्थन किया है । लेकिन दूसरी योजनायें जैसे इंदिरा आवास योजना है, निर्बल आवास योजना है, सड़कों का काम है उनकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है, जो लोग उनमें काम कर रहे हैं । 15. 20 रु० मजदूरी उन्हें मिल रही है । इन योजनाओं में कम धन आवंटित किया है । हमारी नैतिक जिम्मेदारी है जिस तरह से आवंटन हो रहा है और जिस तरह से काम हो रहा है उसको देखा जाय । आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के बीच बैठ कर यहां फैसला हो जाता है, जन प्रतिनिधियों का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है । इसलिये जनप्रतिनिधियों का उसमें प्रतिनिधित्व जरूरी है ।

आपने बड़ा अच्छा नारा दिया है जो भूमि सरकारी है वह हमारी है । सरकार अपने दिये हुये उस नारे को मुकम्मल करें और गरीब भूमिहीन मजदूरों को वह जमीन बांटें । आपने जो दैनिक मैं आपसे पूछना चहता हं कि क्या आज जो आपने मजदूरी स्वीकृत की है वह उनको मिल रही है इसकी जानकारी करने की कभी आपने कोशिश की है । आज 20 रूपये 15 रुपये मजदूरी देकर काम कराया जा रहा है । आज बुनियादी सवाल है कि लोगों की गरीबी कैसे दूर होगी ? आज आजादी के 50 साल होने के जश्न मनाये जा रहे हैं । लेकिन क्या देश के गरीबों को साफ पानी पीने को मिल रहा है देश के गरीबों को आज गंदा पानी पीने के लिये मिल रहा है जिससे वह संक्रामक रोगों का शिकार होकर मौत के घाट उतर रहे हैं मैं कहना चहता हूं कि गरीबों के लिये दलितों के लिये काम की गारंटी दी जाय और शिक्षा तथा चिकित्सा की गारंटी दी जाय । जो जमीन है उसका मुकम्मल तरीके से बंटवारा करने के लिये कानून लायें और उसको भूमिहीनों में वितरित करायें इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस अभिभाषण का विरोध करता हूं ।

*श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिये आपने मुझे समय दिया । मैं इस अभिभाषण का सम्मान करती हूं और आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं । मैं जहां से विधायक बनी हूं वह चंदौसी क्षेत्र है । वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चंदौसी को जिला बनाया जा सकता है । चाहे बिल्डिंग की स्थिति हो, चाहे राजस्व की स्थिति हो, चाहे रेलवे जंक्शन की स्थिति हो चाहे आई० टी० आई० हो और चाहे जनसंख्या की दृष्टि से हो, हर तरह से चंदौसी जिला बनाने के उपयुक्त है । लेकिन चंदौसी जिला बनने से रह गया है । मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करती हूं कि चंदौसी मेंथा के व्यापार में प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के नंबर वन पर है। अगर किसी वजह से यह जिला न बनाया जा सके तो इसे मेंथा नगरी बनाने की घोषणा करें। इसी के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे और उनकी सरकार थी तो अरैल नदी पर बकरावास का पुल स्वीकृत हुआ था। माननीय मुलायम सिंह यादव के समय में कुछ पैसा पहुंचा था जिसको वापस ले लिया गया। मैं प्रार्थना करती हूं कि वहां पर न जाने कितनी बसें नदी में गिर गई हैं और न जाने कितनी जानें जा चुकी हैं। इसलिये उस पुल का निर्माण कराया जाय। मान्यवर, जरगांव में बिजली घर की स्वीकृति हुई थी वह भी लंबित पड़ा हुआ है।

इसी तरह से चंदौसी में रोडवेज डिपो का मामला भी लबित पड़ा है। मैं ज्यादा समय न लेकर यह कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन समस्याओं की ओर ध्यान दे। इसी के साथ मैं यह निवेदन करता चाहती हूं कि जिस अराजकता के वातावरण में यह हमारी सरकार बनी उस संबंध में मैं अपने सामने बैठे हुये भाइयों को बताना चाहती हूं कि चारों तरफ जो गुंडागर्दी का माहौल था, महिलाओं को जिस तरह से नग्न करके घुमाया जा रहा था आज ऐसे हिंसक भेड़ियों को समाप्त करने के लिये मुख्य मंत्री के रूप में मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की शेरनी है वह एक-एक हिंसक भेड़ियों को साफ कर देंगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

बहुत धन्यवाद।

श्री स्वामी ओइम्वेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से मैं चुप बैठा रहा हूं उनकी बात पर, वह भी मेरी बात को शांत होकर सुनने का कष्ट करें। मान्यवर, गांव में एक कहावत है कि बिना रोये मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। मैं इस कहावत को झूठ माना करता था लेकिन माननीय सदन में आकर मुझे मालुम हुआ कि यह उक्ति वास्तव में यहां पर चरितार्थ होती है।

[x x x] [x x x] [x x x]

श्री अध्यक्ष–

स्वामी जी आपने तो हमारे ऊपर कह दिया। मैं आपकी अनुमति से इसे निकलवा देता हूं।

स्वामी ओइम्वेश–

मैं मान्यवर, से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर चर्चा हो रही है क्योंकि मुझे समय भी कम मिला है ज्यादा बात मैं नहीं कह पाऊंगा। मैं अनुशासन में रहता हूं।

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

शांत रहिये, शांत रहिये।

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

स्वामी ओइम्वेश–

मैं तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब रावण से यह पूछा गया कि आपने अपने राज्य में क्या किया ? आपने यहां पर क्या बनाया तो रावण ने अपनी सोने की नगरी का जिक्र किया, उसको दिखाया, सोने चांदी के भण्डारों को दिखाया और दूसरी विलासिता की चीजों को दिखाया और दिखाने के बाद बहुत खुश हुआ । लेकिन जब उससे पूछा गया कि हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपने सोने की नगरी भी बना दी, सोने चांदी के भण्डार भी भर दिये लेकिन चरित्र की निर्माणशाला का कहीं भी निर्माण नहीं किया जहां पर नवजवानों के चरित्र का निर्माण होता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं भी चरित्र निर्माण की कोई बात नहीं कही गई है । जिस देश के नवजवानों का चरित्र नहीं होता है, चरित्रवान होते हैं, आलसी, प्रमादी रासकी होते हैं वे देश टूट जाया करते हैं, चला नहीं करते हैं । नवजवान तो देश की धरोहर होते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चरित्र निर्माण की बात भी इस अभिभाषण में जोड़ ली जाय तो अच्छा होगा । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो अम्बेडकर गांव की योजना चलाई है वह बहुत अच्छी योजना है हम उसको स्वीकार करते हैं लेकिन जो गरीबों के मकान बनने थे वे नहीं बन रहे हैं जिन्हे पट्टा मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है । विकास तो हो रहा है लेकिन अधिकारियों का विकास हो रहा है । मैं अपने जिले बिजनौर की बात कर रहा हूं वहां के अधिकारियों ने विकास के नाम पर अपनी कोठियां खड़ी कर ली हैं, बड़े-बड़े फार्म बना लिये हैं गरीबों को जो मिलना चाहिये था नहीं मिल पा रहा है । इसी संदर्भ में मैं एक शेर कहना चाहूंगा –

जिसे प्यास है उसे कम से कम,

जिसे प्यास नहीं उसे दम ब दम ।

मेरे साथी मुझे यह तो बता,

यह मजाक है कि निजात है ।

मान्यवर, जिसको मिलना चाहिये उसे मिल नहीं रहा है जिसे नहीं मिलना चाहिये उसे मिल रहा है । मैं इसी एक मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहता हूं । पिछले दिनों 6 अप्रैल को माननीय मुख्य मंत्री जी मुरादाबाद में नया जिला ज्योतिबा राव फूले नगर के नाम से घोषित किया । मैं ज्यातिबा राव फूले का विरोध नहीं कर रहा हूं । मैं विरोध कर रहा हूं कि विकास के नाम पर जो धन खर्च होना चाहिये था वह नये जिलों के निर्माण पर खर्चा हो रहा है मैं इसका विरोध करता हूं । बिजनौर जिले का कोई भी हिस्सा नये जिले में न मिलाया जाये । दो शब्द कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा–

"एक तन पर सोने के तार सजे, एक तन पर सूत का तार नहीं ।

इसलिये बगावत करता हूं यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं ॥

इसलिये मैं महामहिम राज्यपाल के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

(कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रयास करूंगा कि 6.45 मिनट पर मुख्य मंत्री जी को आमंत्रित करूं कि वह अपना भाषण शुरू करें।

(व्यवधान)

दो-दो मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात कह दें। अब यह आप लोग तय कर लें।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया मैं संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि इस अवधि में कानून व्यवस्था की स्थिति में भारी गिरावट आई है। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले एक महीने से जब से यह सरकार सत्तारूढ़ हुई है यह मेरे अपने आंकड़े नहीं है शासन के आंकड़े हैं। नेता विरोधी दल ने एक बहुत लम्बी फेहरिस्त आपके सामने रखी है कि किस तरह से बर्बर अत्याचार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है। 27 से 30 लोगों को गोलियों से भून दिया गया है। मैं समझता हूं कि सरकार का सारा का सारा कार्य राजनीतिक बदले की भावना से हो रहा है। मुझे यह कहने में कोई शंका नही है कि लखनऊ में जो इस प्रकार की घटनायें हुई हैं यहां जो वीरेन्द्र शाही जो एक्स एम० एल० ए० थे, को किस तरह से गोलियों से भून दिया गया है इस तरह से मर्डर हो रहे हैं लामार्टीनियर कालेज के स्पोर्ट्स के अध्यापक थे उसको गोलियों से भून दिया गया। आलमबाग में तिहरा हत्याकांड हुआ उसमें कुछ नहीं हुआ उसका पर्दाफाश नहीं हुआ है। एक बुक सेलर को गोलियो से बीच बाजार में भून दिया गया।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी सुरक्षा में सब इंस्पेक्टर जो तैनात था उसको गोली से घायल किया गया और उसके पुत्र को गोली से मारकर हत्या कर दी। मथुरा में पांच मर्डर हुये। बरेली में तीन मर्डर हो गये। सारे प्रदेश में कत्लेआम मचा हुआ है। यह किस तरह से कानून व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं किस प्रकार से इस बात की हामी भरते हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। श्री अम्बेडकर साहब ने दबे कुचले लोगों को उठाने का संदेश दिया था, लेकिन आज यह परिवर्तन चौक बनाया जा रहा है उसमें धन का अपव्यय हो रहा है तीन-तीन करोड़ रूपया खर्चा हो गया है। अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो संगठित हों, संघर्ष करें। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का संदेश आपको पहुंचाना चाहिये। अम्बेडकर साहब के नाम पर स्कूलों की स्थापना होनी चाहिये। जिनमें उनके दर्शन पर शोध कार्य हो। ताकि हमारे शोषित लोगों में उनके विचारों का संदेश जाये और उनमें हीन भावना समाप्त हो। हमारे कुछ मित्रों ने अम्बेडकर की बातें की। आप अम्बेडकर के नाम पर 35 एकड़ भूमि में अम्बेडकर पार्क बना रही है। आपके पास पैसा है तो उस पैसे से आप गरीबों के लिये योजनायें बनायें। हमारे क्षेत्र रुड़की के बारे में मुख्य मंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की है। नौलानी नदी पर भगवान पुर में एक पुल स्वीकृत हुआ था उसका शिलान्यास भी हो गया था लेकिन आपकी सरकार में उसे निरस्त कर दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि उसे तत्काल बनवाया जाय। श्री रंगनाथ मिश्र जी ने श्री मुलायम सिंह यादव के बारे में आरोप लगाये थे मैं कहना चाहता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के व्यक्तित्व का मुकाबला इस प्रदेश तो क्या पूरे हिन्दुस्तान में नहीं है उनके बारे में एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। "हजारों साल नर्गिश अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम सिंह सैनी–

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

* श्री उदयराज यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। इस सदन के सम्मानित सदस्यगण व नेता सदन आज यहां पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। आज कानून व्यवस्था की बात चल रही है कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 28 तारीख की रात को मेरे ऊपर हमला किया जाता है जिसमें मेरे 6 साथी घायल हो जाते हैं। हम लोग बलरामपुर अस्पताल में भरती होते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब 3.45 पर मैं उन्नाव जनपद के मौरांवा में रिपार्ट दर्ज कराने जाता हूं तो वहां की पुलिस हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिये जिन लोगों को हमने अभियुक्त बनाया था उनको लाती है और मेरे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लेती है। मैं बलरामपुर अस्पताल में भरती होता हूं। मुझे अफसोस तब होता है कि इस प्रदेश की मुख्य मंत्री का बयान आता है कि माफिया और गुण्डों के बीच का संघर्ष है। उदयराज माफिया है। सदन के साथियों से पूछना चाहता हूं कि माफिया शब्द का क्या मतलब होता है ? जिस व्यक्ति के ऊपर एक भी मुकदमा पंजीकृत न हो क्या वह माफिया की श्रेणी में आता है ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये। मेरे विरुद्ध जो भी मुकदमें दर्ज हैं उनकी सी० बी० सी० आई०-डी० जांच कराई जाये।

* श्री सीताराम निषाद–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। राज्यपाल के अभिभाषण से सरकार की [x x x] का पर्दाफास हो गया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने जिस अम्बेडकर योजना का उल्लेख किया है वह योजना माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल में लागू की गई थी। वह योजना 1990-91 में लागू की गई थी। मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने उस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो अम्बेडकर योजना लागू की गई है उसमें समाज के सबसे दबे कुचले उपेक्षित समाज के जो बनवासी, वनराज मुसहर का जिक्र नहीं है। आज पत्तल बनाने वाले लोग गरीबी के कारण जूठा खाना खाने के लिये मजबूर हैं। पत्तल में जो बचता है, आज वह खाना खाने के लिये मजबूर हैं। क्या इनके अम्बेडकर योजना में उन मुसहर भाइयों, वनराज और वनवासी भाइयों के सामाजिक उत्थान के लिये कोई योजना बनाई है। अभिभाषण में इस उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे कछार तथा तालाब, झील, जलाशय के किनारे रहने वाले मछुआ, केवट और निषाद जाति के लोगों के लिये कोई योजना इनके पास नहीं है। मान्यवर, मछुआ, निषाद और विन्द जाति के लोग सामाजिक और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 26 सितम्बर, 1995 को बांदा में निषाद् समाज की महा रैली आयोजित हुई थी । जिसमें मायावती जी को लाखों निषाद भाइयों ने एक ज्ञापन दिया था कि जिस तरह से हिन्दुस्तान के 16 राज्यों में केवट निषाद और विन्द जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सीताराम निषाद–

तो आज सदन में माननीया मुख्य मंत्री जी इस बात की घोषणा करें कि 16 राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी इन जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाय ।

(व्यवधान-सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से टोका-टाकी होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें, अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री सीताराम निषाद–

[x x x]

श्री अम्बरीश कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं इस प्रदेश के ऐसे स्थान हरिद्वार से आता हूं जहां से गंगा मैदानों में उतर कर सागर में जा मिलती है और मैं कामना करता हूं कि जैसे पवित्र गंगा हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक चाहे हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, इसाई का खेत हो सबको समभाव से सींचती हुई सागर में जा मिलती है । उसी प्रकार हम सब लोग जाति, धर्म के और राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर मानवता का एक ऐसा महासागर बनायें जिसके माध्यम से हम जिन महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर इस हाउस की कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं, उनका आदर्श वाक्य "हर गरीब की आंख में आंसू पोछना है, उसको पूरा कर सकें । जिस राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत हम हाउस का संचालन कर रहे हैं उस राजनीतिक व्यवस्था में राजनैतिक पार्टियां सिद्धान्त के आधार पर चुनाव लड़ती हैं और जीत कर आती हैं, फिर सरकार बनाती है । उत्तर प्रदेश में जो सरकार कायम है भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, वह परस्पर विरोधी सिद्धान्तों वाली सरकार है । यहां परसों मा० शाही जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो जो पुराना दुःख है उसके बारे में उन्होंने बातें कीं और कहा था कि रामपुर तिराहे काण्ड के बारे में सपा से जवाब दे तो मैं कहना चाहता हूं कि इसी भारतीय जनता पार्टी ने 1995 में यह आरोप लगाते समर्थन वापस ले लिया था कि मायावती जी ने मुजफ्फरनगर और रामपुर तिराहे काण्ड के जो आफिसर दोषी थे उनको दंडित करने में कोताही की । करोड़ों, अरबों रुपये का व्यापार ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से हुआ था । राम और गांधी को गाली दी जा रही थी, उस समय सारा ढांचा उत्तर प्रदेश का अस्त-व्यस्त हो गया था । उसके चलते हम समर्थन वापस ले रहे हैं । पेरियार साहब की बात कही गई, इसी तरह से कानून व्यवस्था की बात कही गई ? मान्यवर, मैंने आपको एक चित्र दिया है, यह वहां के सबसे बड़े माफिया का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि वह भारतीय जनता

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पार्टी के बड़े नेता हैं। मैं माननीया मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ज्वालापुर के सी० ओ० ने कहा है कि इनको पकड़ने के आदेश हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक व सांसद का दबाव होने के कारण उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में ज्वालापुर में अनुसूचित जाति के एक भाई को जिन्दा जलाकर मार डाला गया और आज तक इस मामले की रिपोर्ट नहीं लिखी गई।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें, अब लिखा नहीं जायेगा।

श्री अम्बरीष कुमार–

[x x x]

श्री राम प्यारे–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वह घाघरा नदी और टोंस नदी के बीच का क्षेत्र है। मान्यवर, मेरा यह क्षेत्र माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि विकास का कार्य यहां आज तक नहीं हुआ, आज भी यहां के तमाम गांवों में विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है और यह क्षेत्र विकास से महरूम हैं। मान्यवर, इस सरकार द्वारा भयमुक्त समाज की बात कही गई है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि जो सूचीबद्ध माफिया हैं, उन्हें राजकीय खर्चे पर शासन के आदेशानुसार गनर मिले हुये हैं। आजमगढ़ के मंत्री ऐसे सूचीबद्ध माफियाओं को साथ लेकर चलते हैं इसकी वास्तविकता आप पता कर लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री राम प्यारे–

मेरे क्षेत्र का विकास अभी भी बाधित है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, आप शिक्षा की ही बात ले लें, आज आजादी के 50 वर्षों बाद जहां प्राथमिक विद्यालयों छात्रों की संख्या 200 से 800 तक है के शिक्षण हेतु विद्यालयों में कमरों की संख्या कम से कम 5 तक होनी चाहिए वहां एक या दो कमरों के विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, वहां छात्र खुले आसमान या पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए बाध्य हैं।

इसी तरह गन्ना किसानों की बात ले लें, जो किसान ट्रेक्टर लेकर मिल गेट पर लाता है उसे 2 रु० प्रति कुन्तल अतिरिक्त परिवहन के रूप में भुगतान किया जाता है, जबकि इसी प्रकार से ठेकेदार द्वारा गन्ना ट्रक या ट्रैक्टर द्वारा मिल गेट पर लाने पर 6 रु० प्रति कुन्तल की दर से परिवहन व्यय दिया जाता है जोकि न्याय संगत नहीं है, मैं पुनः आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसी के साथ मैं श्री शाही जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(अनेक सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर व्यवधान)

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांति से बैठ जायं, मैंने बहुत अवसर दे दिया । समय की सीमा है वर्ना कोई दिक्कत नहीं है । मैंने हर पार्टी को अनुपात के हिसाब से काफी समय दे दिया है ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

मान्यवर, मैं श्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में और मेरे द्वारा दिये गये संशोधन में उठाये गये बिन्दुओं को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के अन्त में जोड़े जाने पर बल देता हूं ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं, जिनकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है के बारे में कहने के पहले इस सदन में बैठे और सरकार में शामिल भाजपा के उन बेजुबान सदस्यों के दर्द के बारे में जिक्र करना चाहता हूं जिनकी पीड़ायें अनन्त हैं । कल मैंने एक महत्वपूर्ण भाजपा सदस्य से पूंछा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आप के विचारों का कहीं समावेश नही है तो उन्होंने अपनी व्यथा में मायावती जी की ओर इंगित करते हुए एक शेर कहा–

इश्क की बात पेशवा जाने
हम बहू बेटियां क्या जानें ।

तो मान्यवर, मैं इस सदन में मायावती जी (पेशवा) की राजनैतिक बहू बेटियों (भाजपा) की कसक और सिसक की तरफ इस माननीय सदन का ध्यान चाहता हूं ।

(हंसी-ठहाके)

मान्यवर, इसी के साथ अपने संशोधन प्रस्ताव में उठाये गये बिन्दुओं के साथ ही मैं कल अपने द्वारा उठाये गये महातम यादव की हत्या के प्रकरण पर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो और उस गरीब परिवार जिसमें दो विधवायें और दो बच्चियां हैं कि सहायता हो ।

मान्यवर, मैं समयाभाव के कारण संक्षेप में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विकास के मामलों पर आप का संरक्षण निवेदित करते हुए एक अत्यन्त संवेदनशील मामले पर आपका और सदन का ध्यान चाहता हूं । मान्यवर, 1968 में उमरपुर दियारा में 13 बेगुनाह किसानों की सामूहिक हत्या कर उनकी लाश के टुकड़े कर के गंगा में बहा दिया गया । आज फिर वही सामन्त उ० प्र० बिहार सीमा विवाद के नाम पर गरीबों की जमीन हड़पना चाहते हैं और पुनः उस नर संहार को दुहराना चाहते हैं मौजूदा समय में उन सामन्तों को संरक्षण भी दिया जा रहा है । मैं दलितों की हमदर्द कही जाने वाली सरकार से अपील करना चाहता हूं कि दलित और पिछड़े किसानों की भूमि की लूट की साजिश और आंतक का माहौल समाप्त किया जाय । गरीबों को उनका अधिकार और रेवेन्यू रिकार्ड के कागजात को अन्तिम तौर पर गरीबों के मालिकाना हक के साथ दे दिया जाय ।

मान्यवर, आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं पुनः आप का आभार व्यक्त करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया है । मान्यवर, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके विरोध में मैं अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस धन्यवाद के अभिभाषण को जितना मैं पढ़ सका हूं मुझे इसमें एक इच्छाशक्ति कहीं नजर नहीं आई, एक शब्द भी नहीं है कि यह सरकार सम्प्रदायिकता से लड़ने की इच्छाशक्ति क्यों नहीं रख सकती है । मैं इतना ही कह सकता हूं । मैं इसलिए भी खड़ा हुआ हूं इसका विरोध करने के लिए, क्योंकि इसमें किसी सिंचाई योजना को निश्चित रूप कि पूरा करने का जिक्र नहीं है ।

मैं इसलिये भी विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि किसी विद्युत परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है, कोई संदेश नहीं है । मैं इसलिये भी विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए या उनको भत्ता देने के लिए जिक्र नहीं है । सबसे बड़ी बात जिसके लिए विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं वह यह कि मैं सोचता हूं कि शायद विधायक विकास निधि का कोई संकल्प होगा, केन्द्र के सांसद विकास निधि की भांति ऐसा कोई संकल्प नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । (कांग्रेस दल की ओर से मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण क्यों हो रहा है कि मायावती जी विश्वास मत के रूप में आयें ।

मान्यवर, मैंने मायावती जी को मुख्य मंत्री के रूप में देखा है, भारतीय जनता पार्टी को उनका समर्थन करते हुए देखा है, जब समर्थन कर रहे थे उस समय मुख्य मंत्री जी दृढ़तापूर्वक काम कर रही थी उस समय कौन से कारण थे जब 18 अक्टूबर 95 को समर्थन वापस ले लिया । मैं ही नहीं जानना चाहता हूं यह पूरा प्रदेश जानना चाहता है 18 अक्टूबर को समर्थन वापस लिया गया वह कौन से कारण उसके पीछे थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी मायावती जी के चरणों में लोट रही है और स्थितियों में कौन सा परिवर्तन आया है । मान्यवर, माननीय लोकपति जी ने बड़ी सुन्दर बात कही है । हमें फख्र है कि हमने बसपा के साथ चुनावी गठबंधन किया था हम उस रूप में जनता के बीच में गये । (व्यवधान) अगर हम शान्त होकर सुन सकते हैं तो सुनने की क्षमता भी होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

शांत हो जायें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर उस समय समर्थन वापस न लिया गया होता तो इस प्रदेश को मध्यावधि चुनाव में जाने की जरूरत न पड़ती । इस प्रदेश की जनता पर चुनाव के खर्चों का बोझ न पड़ा होता । चुनाव हुए जनता की गाढ़ी कमाई से एक और चुनाव हुआ । भारतीय जनता पार्टी की स्वार्थपरक नीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत वह स्थिति बनी । वह समर्थन उस समय इसलिये दिया था कि सपा बसपा के गठबन्धन को आप तोड़ना चाहते थे, इसलिये समर्थन वापस ले लिया कि मायावती जी अकेली हो गयी साढ़े चार महीने में ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

जो यह कहा जा रहा है कि केन्द्र में क्यों समर्थन वापस लिया अगर इसका जवाब लेंगे तो आपके नेता अटल बिहारी बाजपेयी जी बतायेंगे विधान सभा में क्या हुआ इसका जवाब मैं बता रहा हूं। जब समर्थन वापस लिया था 18 अक्टूबर को तो उसके अगले दिन के समाचार पत्रों राष्ट्रीय सहारा, आज, दैनिक जागरण आदि की कतरने मेरे पास हैं अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसका संज्ञान आप न लें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, कुछ सारांश कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अपनी बात के रूप में कहें।

श्री प्रमोद कुमार–

ठीक है उसको देखूंगा ही नहीं। जब समर्थन वापस लिया गया, वह मायावती जी जो दलितों के लिये काम कर रही थी, प्रदेश की करोड़ों जनता के लिये काम कर रही थी, कल्याण सिंह जी ने कहा कि समर्थन इसलिये वापस लिया कि यह दलितों की नहीं दलालों की सरकार है।

(कांग्रेस दल की ओर शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर,बड़े मियां बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्ला। यह जो पी०डब्लू०डी० मिनिस्टर कलराज मिश्र जी बैठे हुए हैं इन्होंने कहा कि षडयंत्र करके विधान सभा भंग करने वाली थी इसलिये सही समय पर इनको सबक सिखा दिया। अब कब सिखायेंगे वह समय भी बता दें। (हंसी) जिनकी कृपा से आज मंत्री पद मिले हुए हैं उनको दलितों की ही नहीं दलालों की सरकार कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने मायावती सरकार से इसलिये भी समर्थन वापस लिया कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा था, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिये बातें हों रही थी, भगवान राम को गाली दी जा रही थी इसलिये समर्थन वापस लिया था, इन्होंने ही कहा था कि पेरियार जी का मेला आयोजित किया था। मान्यवर, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है। इन्हें सहन करने की क्षमता नहीं है। मायावती जी काम करना चाहती हैं लेकिन जो यह 6 महीने की अल्टा-पल्टी हो रही है या कोई थानेदार हैं वह जिन्हें छः महीने इस थाने में और छः महीने उस थाने में ट्रांसफर करना है। .....

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

[x x x] आपने जो अभी किया है, वही है ये।

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय श्री टण्डन जी तो नगर विकास कर रहे हैं थोड़ा अपने में विकास किया होता तो अच्छा रहता । मैं कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता के रूप में उनको चुनौती देना चाहता हूं और ललकारता हूं कि कहें कि छः महीने नहीं बल्कि पांच साल के लिए मायावती जी को मुख्य मंत्री रखेंगे तो हम समर्थन करेंगे । [x x x] आज इस सरकार को एक महीना चार दिन हो गया है और चार महीने छब्बीस दिन रह गये हैं । जबकि मायावती जी का अभी कोई बजट ही यहां पर नहीं आया है । जब तक वह बजट नहीं रखेंगी, तो उन्हें इस प्रदेश की जनता का सेवा करने का मौका कैसे और कहां से मिल पायेगा । मैं तो कहता हूं कि आप पांच साल के लिए नहीं अपितु एक साल के लिए ही उन्हें मुख्यमंत्री रखें ।

ताकि वह एक बजट पेश करके जनता की सेवा तो कर सकें । कल यहीं पर माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने कहा था कि मैं कल बोलूंगा परन्तु पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया ? इसलिए मैंने कहा कि कहीं उन्हें कोई राजनैतिक बीमारी तो नहीं हो गई है । उन्होंने यहां पर आकर समर्थन करने का प्रयास नहीं किया ।

(व्यवधान)

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब नहीं चाहता ।

श्री अध्यक्ष–

श्री हरीश जी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं, इसलिए कृपा करके आप बैठ जायं ।

श्री हरीश चन्द्र "हरीश जी "–

मान्यवर, माननीय श्री प्रमोद कुमार जी ने माननीय श्री कल्याण सिंह जी का नाम लिया । आपको भी जानकारी होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी है कि वह उरई गये थे क्योंकि एक कार्यकर्ता के माता जी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वह उसमें भाग लेने गये थे । उनका यहां पर एक पत्र आया है कि उनकी तबीयत खराब हो गयी है । इसलिए वह नहीं आ पायेंगे । उनकी बात को इस रूप में प्रमोद कुमार जी द्वारा रखने का कोई औचित्य नहीं होता है । प्रमोद कुमार जी को बिना सत्यता की जानकारी किए हुए यह बात यहां पर नहीं कहनी चाहिए थी । उनका यह आरोप गलत है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आरोप लगाने में विश्वास नहीं करता । मैंने यह कहा कि क्या यह कोई हुस्ने इत्तिफाक है या फिर कोई राजनैतिक बीमारी है या फिर किसी की मां सही में मर गई है । आपने बता दिया, और मैंने उसे मान लिया है । मैं तो मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ न किया जाय । अगर सरकार चलानी है और जनता तक पहुंचना है तो सरकार को स्थायित्व देना पड़ेगा । यह छः महीने का रोटेशन बंद करना पड़ेगा । मायावती जी को मुख्यमंत्री बने रहने दो, नहीं तो बी०जे०पी० के साथी ये दलित प्रेम को बंद करो और ये झूठे आंसू मत बहाओ । मायावती जी मुख्यमंत्री बनी रहेंगी तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है । आज वह प्रशासन को जिस तरह से चुस्त व दुरस्त कर रही है और प्रदेश के गरीबों का हित करने में लगी हुई हैं, तो क्या उन पर आपको विश्वास नहीं है । आप मंत्रिमण्डल में शामिल रहिये परन्तु मायावती जी को मुख्यमंत्री तो बनी रहने

दीजिए । यह जो छः-छः महीने का एक्सपेरिमेन्ट है, हिन्दुस्तान क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं हुआ है । यह एक स्वार्थपरक समझौता है ? मान्यवर, उधर एक नये सदस्य बैठे हैं, इन्हें तबला बजाने का शौक है । कभी ये इधर बजाते हैं और कभी उधर बजाते हैं ।

(सत्ता पक्ष की ओर से एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं । उन्होंने कोई आक्षेपात्मक बात नहीं कही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं विनम्रता के साथ आग्रह करते हुए अपनी बात समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं । जितनी विपरीत परिस्थितियों में मुझे बोलने का मौका दिया, शायद ही किसी वक्ता को मिला हो । मैं सिर्फ एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं ।

(शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण शान्त रहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपसे पूरी विनम्रता के साथ आग्रह करुंगा कि इसमें न तो बुन्देलखण्ड के संदर्भ में समस्या का जिक्र किया गया है और न ही पूर्वांचल की समस्या के बारे में कहा गया है । मैं आग्रह करुंगा कि यह क्षेत्र पिछड़े हुये हैं और इसमें भी ऐसी योजनायें चलायी जाये जिससे इन क्षेत्रों का विकास हो । यह बात यह अपने उत्तर भाषण में कहें । एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि आज इस प्रदेश को स्थायी सरकार की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं उन लोगों में से हूं जो चुनी हुई सरकार पर ज्यादा विश्वास करते हैं बजाये इसके कि राष्ट्रपति शासन हो । मान्यवर, 1989, 91, 93 और 96 ये चार बार चुनाव हो चुके हैं और स्थायी सरकार नहीं मिल पाई है । यह सरकार भी स्थायी नहीं हैं और इसके क्रियान्वयन पर छः महीनों की तलवार इसके सिर पर लटक रही है मैं यह कहना चाहूंगा कि आप दल के बन्धनों को तोड़ दें अपने स्वार्थों को छोड़ दें । किसी डाक्टर या हमें लुकमान ने नहीं कहा है कि कल्याण सिंह मुख्य मंत्री बनें । यह अपने स्वार्थ पर अंकुश लगायें, अपनी राजनीतिक लिप्सा पर अंकुश लगायें, साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगायें और साम्प्रदायिकता पर अंकुश लगाकर के मायावती को बने रहने दें ।

(व्यवधान)

[x x x] [x x x] [x x x]

मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में कोई दिशा या विचारधारा नहीं है । मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि समय रहते हुये चेत जाये । पिछली बार इन्होंने चार महीनों के बाद धोखा दिया था और चार महीने इस बार के भी अभी बाकी हैं । जब पांच दस दिन रह जायें तो इन्हें धकिया दीजियेगा तब हम आपके साथ हो जायेंगे । मान्यवर, मैंने कल्याण सिंह जी की कुण्डली दिखा दी है लालजी टण्डन जी की भी कुण्डली मेरे पास है और मायावती

[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया ।

जी की भी कुण्डली मेरे पास है । मान्यवर, कल्याण सिंह जी की कुण्डली में मुख्य मंत्री बनना लिखा ही नहीं है । मायावती जी की कुण्डली में लिखा है । इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

लोक निर्माण एवं पर्यटन मंत्री (श्री कलराज मिश्र)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, चूंकि माननीय प्रमोद कुमार जी ने मेरे और माननीय कल्याण सिंह जी के नाम का उल्लेख किया है, कहना चाहूंगा और सीमित समय में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा । माननीय प्रमोद कुमार जी ने समाचार पत्र का उद्धरण देते हुए हम लोगों का नाम लिया, तिवारी जी राजनीतिक व्यक्ति हैं और हम लोग भी हैं, जिस तरह से कांग्रेस के क्रिया कलाप चल रहे हैं उसी क्रिया कलाप की प्रक्रिया के हिसाब से तिवारी जी ने वक्तव्य दिया है । मान्यवर, कांग्रेस का प्रायः यह स्वभाव देखने को मिला है कि वह जो कहती है वह करती नहीं है । वह ठीक उसके विपरीत आचरण करती है । मान्यवर, कांग्रेस ने बसपा से गठबन्धन करके चुनाव लड़ा और लगातार यह घोषणा करते रहे कि मायावती जी को मुख्य मंत्री बनायेंगे लेकिन केन्द्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने धोखा किया, विश्वासघात किया उनके साथ, यह मायावती जी को भी पता है और इस प्रदेश की जनता को भी पता है । इसलिये अपनी हीनता की वृत्ति को छिपाने के लिये इन्होंने कलराज मिश्र और कल्याण सिंह का नाम लिया है । इसलिये जनता, कांग्रेस द्वारा जिस तरह से विश्वासघात किया गया उसको विस्मृत नहीं कर सकती है । मान्यवर, कल्याण सिंह जी और मैं एक साथ थे और हम लोग उरई से साथ ही में आये हैं । मान्यवर, उनकी तबियत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है । जो उनका नाम माननीय प्रमोद कुमार ने लिया है, मैं प्रमोद कुमार जी जैसे राजनीतिक व्यक्ति से यह कदापि आशा नहीं कर सकता । दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी का नाम आया है । मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक समझौता हुआ है यह राजनीतिक गठबंधन है और इसकी प्रामाणिकता और ईमानदारी से पालन होगा और इसको करके दिखायेंगे और जनता के अन्दर विश्वसनीयता स्थापित करेंगे । श्री प्रमोद कुमार जी ने अपनी और कांग्रेस की कमियों को उजागर करने के लिये यह कहा है ।

* डा० अम्मार रिजवी–

मान्यवर, कलराज मिश्र जी मेरे बड़े परम मित्र हैं और वह बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं । मान्यवर, एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया गया है तो मैं चाहूंगा वह उसका स्पष्टीकरण दें दें । मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी ने प्रश्न उठाया कि इस प्रदेश के लिये क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मायावती जी को इस प्रदेश का चार साल मुख्य मंत्री बनाये रखेंगे ? चूंकि हम लोग तो अहित का काम करते हैं तो वह लोग क्या मायावती जी का चार साल के लिये मुख्य मंत्री बनायेंगे ?

श्री कलराज मिश्र–

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक राजनीतिक समझौता हुआ है और यह राजनीतिक गठबन्धन है जिसे प्रमाणिकता के आधार पर किया गया है और उसका हम निर्वहन करेंगे । जनता के अन्दर विश्वसनीयता हम ही पैदा कर सकते हैं कांग्रेस के लोग नहीं ।

(मुख्य मंत्री के पुकारने पर)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हम नहीं बोल पाये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी खड़ी हैं इसलिये यदि बीच-बीच में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो आप पूछ लेंगे । मुख्य मंत्री जी का भाषण आरम्भ होने दें । आप बैठ जायें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

* मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, आपने महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार व्यक्त करने का मुझे मौका दिया है इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं । मुझे खुशी है कि चर्चा के दौरान मा० नेता विरोधी दल, अन्य दलों के सम्मानित नेताओं ने आलोचनाओं के साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं जिन पर हमारी सरकार गम्भीरता से विचार करेगी । मान्यवर, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा० सदस्यों ने भी अपने अपने विभिन्न बिन्दुओं, पहलुओं पर विचार रखे हैं । हम एक एक करके उन सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने के पहले मैं थोड़ा गठबंधन के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगी । बहुजन समाज पार्टी, यह गरीबों और मजलूमों की पार्टी है । मैं इसके बारे में सब कुछ नहीं कहना चाहती हूं । लेकिन इस पार्टी का जो मेन मकसद है, जो मेन उद्देश्य है, वह यह है कि इस देश के अन्दर गैर बराबरी के आधार पर जो गिराये गये लोग हैं, उन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है । हम लोग इस तरह से सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं । गैर बराबरी के आधार पर जो सामाजिक विषमता बनी है, उसको समाप्त करना है, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहती है । यह जो गठबन्धन की सरकार है, उसमें जहां तक बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा का सवाल है, वह अपनी विचार धारा के हिसाब से चल रही है और हम अपनी विचारधारा के हिसाब से चल रहे हैं । गठबन्धन की सरकार कहीं नहीं टकरायेगी । मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि हम लोगों ने किन परिस्थितियों में यह कोलिशन गवर्नमेंट बनाया है, यह गठबन्धन की सरकार बनायी है, यह बता देना चाहती हूं ।

बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था । इसमें शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के दौरान तो मेरे नाम से जगह जगह वोट मांगे थे और कहा था कि यदि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है तो मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनायेंगे, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला । उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी नाजुक बन गयी थी, लेकिन उस दौरान कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे नेता से लेकर बड़े नेता को यही कहा था कि तुम लोगों ने केन्द्र में यूनाइटेड फ्रन्ट की सरकार बनाने में समर्थन नहीं दिया तो फिर यूनाइटेड फ्रन्ट से यह कभी डिमान्ड नहीं करेंगे कि वह गठबन्धन की सरकार बनाने के लिये समर्थन दें । केन्द्र में यूनाइटेड फ्रन्ट को सरकार बनाने के लिये समर्थन दिया है, वह कांग्रेस पार्टी ने दिया है । जब केन्द्र में कई पार्टियों की मिली जुली सरकार चल रही है, तो आप दबाव बनावें और कहें कि जब केन्द्र में सरकार चला रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, कि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मिली जुली सरकार बनावें । दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कई महीने बीत गये लेकिन कोई बात किनारे नहीं पहुंची, कांग्रेस पार्टी के लोग यही कहते रहे कि हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, हमारे नेता बात कर रहे हैं । तो हमने यह सवाल किया कि जब यू० एफ० हमें समर्थन नहीं दे रहा है तो आपको भी समर्थन केन्द्र में वापस ले लेना चाहिये । यदि दलितों से इतना लगाव है, वह आपकी बात नहीं मान रहे हैं, दलित की बेटी को मुख्य मंत्री नहीं बनना चाहते हैं तो समर्थन वापस ले लें । लेकिन कांग्रेस पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता इस बात के लिये राजी नहीं हुए । वह कहने लगे हमें चुनाव से बड़ी घबराहट है, जितने एम० पी० चुन कर आये हैं वह दुबारा चुन कर पहुंचेंगे या नहीं उसे बड़ी घबराहट है ।

कई कई महीनों तक कांग्रेस पार्टी ने आश्वासन दिया कि आज बात बनने वाली है, कल बनने वाली है, 10 दिन में, 20 दिन में और महीने में बात बनने वाली है । लेकिन हुआ क्या कि प्रेसीडेंट रूल दुबारा लगा । उस प्रेसीडेंट रूल में दिन प्रतिदिन अन्याय और अत्याचार बढ़ते चले गये, हर प्रकार की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गुण्डागर्दी बढ़ती चली गयी । गरीबों और मजलूमों पर अत्याचार और गुण्डागर्दी बढ़ती गयी तब हमने कांग्रेस पार्टी के चक्कर में न पड़कर यह फैसला लिया और सोचा कि यदि हमें उत्तर प्रदेश की जनता को उसमें भी खासकर दबे कुचले समाज के लोगों को जुल्म और ज्यादती से छुटकारा दिलाना है तो कांग्रेस पार्टी के चक्कर में न पड़ें क्योंकि यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं (मेजों की थपथपाहट) हमने बहुजन समाज के हित में, प्रदेश की जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग होने के बावजूद, हमने विचारधारा से कोई समझौता नहीं किया और कोयलीशन की सरकार गरीब और मजलूमों, दलितों के हित में यह सरकार बनाई और उसमें तय किया कि पहले 6 महीने बहुजन समाजपार्टी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और अगले 6 महीने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चलेगी । बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि क्या आप लोग जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमिटमेंट किया है कि 6 महीने पूरे मिल कर सरकार चलाते रहेंगे तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी की बारी आयेगी क्या वह वायदा आप भी निभायेंगे । मैं सदन के बीच बताना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी यदि दलित समाज की बराबर रक्षा होती रही तो हम अगले 6 महीने के लिये जो कमिटमेंट किया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी सरकार बनाने का मौका देंगे । मैं आपके माध्यम से मान्यवर, यह बताना चाहती हूं कि माननीय नेता विरोधी दल जी ने हालांकि आज वह उधर नहीं हैं उन्होंने कुछ बातें रखी, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल रखे हैं सदन में जिससे हमें फायदा होगा क्योंकि लोगों का शक शुबहा जरूर दूर हो जायेगा । माननीय नेता विरोधी दल ने कहा बहुजन समाज पार्टी अपारचुनिस्ट पार्टी है, मौका परस्त पार्टी है । बात दालितों की करते हैं लेकिन कभी किसी का समर्थन लेते हैं कभी किसी का समर्थन लेते हैं और उनका साथ छोड़ देते हैं ।

मैं बताना चाहती हूं कि हम आदरणीय बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर, ज्योति बा फूले शाहू जी महाराज तथा दूसरे लोगों ने जो रास्ता दिखाया है दबे कुचले और दलित समाज को प्रदेश का ही नहीं इस देश का मालिक बनाने की कोशिश में लगे हैं । लेकिन जहां तक अपारचुनिस्ट का सवाल है, मौका परस्ती का सवाल है मैं बताना चाहती हूं कि जिस सामाजिक परिवर्तन की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हम लोग सत्ता में आ जाते हैं तो यह सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई आसान हो जायगी और इस लड़ाई में हम जल्दी कामयाब हो सकते हैं । हमारे सामने जो लक्ष्य है, हमारी पार्टी जिस लक्ष्य को रखकर चल रही है मान्यवर, मैं यह बताना चाहती हूं कि जो हमारा लक्ष्य है, जो गरीब है, मजलूम हैं हम उनको उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं और उनको स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिये, उनको प्यार करते हुये उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिये, यदि हमें किसी से भी समर्थन लेना पड़ेगा तो हम लेंगे । लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहूंगी कि हम जो भी फैसला लेंगे चाहे प्रदेश में सरकार बनाने के लिये या चाहे केन्द्र में सरकार बनाने के लिये, हम जो भी फैसला लेंगे हमारे सामने सबसे पहले बहुजन समाज का हित होगा, कुर्सी का हित हमारे सामने महत्व नहीं रखता है ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, जी, मुख्य मंत्री की कुर्सी हो, चाहे प्रधानमंत्री की कुर्सी हो हम इसको कोई बड़ी कुर्सी मानकर नहीं चलते हैं । मुख्य मंत्री की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी से ज्यादा हम बहुजन समाज को तरजीह देते हैं और उनके हित के लिये यदि मुझे मुख्य मंत्री का पद भी त्यागना पड़े तो हम तैयार होंगे । अपने उसूलों से सौदा करने वाले हम लोग नहीं हैं । इसलिये मैं जो कुछ हाउस के अन्दर शक और शुबहा पैदा किया गया था उसको स्पष्ट करना मुनासिब समझती हूं । सदन के अन्दर कई दिन से यह चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जब से कोलीशन गवर्नमेंट बनी है बड़े पैमाने पर हत्यायें हो रही हैं ।

(श्री कलराज मिश्र के सदन से जाने पर ।)

श्री प्रमोद कुमार–

जब माननीय नेता सदन बोल रही हों मंत्री को उठकर नहीं जाना चाहिये ।

सुश्री मायावती–

इस किस्म की बात सदन म रखा गया और यह भी कहा गया कि एक पार्टी विशेष के लोगों को छांट छांट कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। मान्यवर, जी मैं यह बताना चाहती हूं कि जब हमारी पहले सरकार बनी थी उस समय भी हमने किसी को न्याय धर्म या जाति के आधार पर नहीं दिया था बल्कि धर्म और जाति से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग को न्याय दिया था। जो हमारी पूर्व सरकार में नीति इस कोलीशन गवर्नमेंट में है। हम धर्म या जाति या पार्टी को ध्यान में रखकर कोई काम नहीं करते हैं। धर्म और जाति के चक्कर में न पड़कर हम समाज के हर वर्ग को न्याय देंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश में गुण्डागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म ज्यादती, अन्याय अत्याचार को खत्म करने का सवाल है मैं बताना चाहती हूं कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने सरकार बनने के तुरन्त बाद, जिन हालातों में यह कोइलीशन गवर्नमेंन्ट बनी, जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर यह कोलीशन गवर्नमेंट बनी तो हमलोगों ने फैसला लिया था कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता यह होगी कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज प्रेसीडेन्ट रूल में कायम हो गया था, जो जंगलराज और गुण्डागर्दी, मार्फियागर्दी हो रही थी उसको हर क्षेत्र से खत्म होना चाहिये, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता थी और इस प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार ने कुछ सख्त कदम भी उठाये हैं।

21 मार्च को जब मैंने मुख्य मंत्री पद की शपथ ली तो ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति ठीक बनाने के लिये, विकास कार्यों को तेजी से शुरू कराने के लिये मैंने 21 मार्च को उत्तर प्रदेश के हर जिलाधिकारी को और एस० एस० पी० को निर्देश भिजवाया था और उसमें मेंशन किया था कि उत्तर प्रदेश के हर जिले का जिलाधिकारी और एस०एस०पी० डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर और तहसीलों में डी० वाई० एस० पी० और एस० डी० एम० प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रोजाना अपने निवास स्थान पर या कार्यालय में बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा करेंगे। यह मैंने 21 मार्च को ही लिखित में निर्देश उत्तर प्रदेश के हर जिला अधिकारी और एस० एस० पी० को दिये थे। इतना ही नहीं इसके साथ ही साथ यह भी कि वह जनता से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, का भी प्रबन्ध किया। इस बात के लिये मण्डल के अन्दर कमिश्नर या जोन में डी० आई० जी० को इन्सट्रक्शन दिये कि हर जिले के अन्दर डी० एम० और एस० एस० पी० देखें कि ला एण्ड आर्डर से संबंधित लोगों को समस्याएं, डेवलेपमेन्ट से संबंधित लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है इसको उनको जोन में या मण्डल में कितने जिले आते हैं, जाकर देखें और चेक करें और जो योजना बनाई है उसको समय से निपटा रहे हैं नहीं निपटा रहे हैं। 9 अप्रैल को सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाई थी उसमें यह कहा था कि मैंने जो निर्देश दिये हैं उसका सख्ती से पालन करना होगा। जब यह सत्र खत्म हो जायेगा तो देखना होगा कि मैंने जो एक महीने का समय उनको दिया था ला एण्ड आर्डर से संबंधित, डेवलपमेन्ट से संबंधित कार्यों को ठीक प्रकार से किये जाने के लिये स्टैप्स लेने होंगे। डैवलेपमेंट के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिये स्टैप्स लेने होंगे। यह मैंने निर्देश दिये थे और उसके साथ यह भी कहा था कि एक महीना हो जायेगा तो आपकी रिपोर्ट मेरे पास आनी चाहिए। जब रिपोर्ट आ जायेगी तब उसके बाद जैसा मैंने पिछली बार सरकार के दौरान हर मण्डल में, डेवलपमेंट तथा ला एण्ड आर्डर के कामों की समीक्षा की थी तो उसी तरह प्रदेश की मुख्य मंत्री लखनऊ में बैठकर नहीं हर मंडल में जाकर, हर जोन में जाकर उनके कार्यों की समीक्षा करेगी। कहीं पर भी अधिकारी ढीला पाया गया तो यह मुख्य मंत्री बाद में नहीं, किसी की अप्रोच पर नहीं, बल्कि मौके पर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। इसी किस्म के 8 अप्रैल को जब मैंने यह मीटिंग बुलाई थी उसी किस्म के निर्देश दिये थे। इतना ही नहीं मैंने उनको एक महीने का विशेष अभियान चलाने के लिये भी सख्त निर्देश दिये थे। 8-9 अप्रैल को मीटिंग बुलाकर 8 मई तक एक महीने का विशेष अभियान

चलाने का समय दिया कि ला अण्ड आर्डर की स्थिति बढ़िया बनाकर अत्याचार, जुल्म ज्यादतियों को खत्म करने की कार्यवाही की जाय । इसकी रिपोर्ट मैंने तीन हिस्सों में लेने के लिये इन्स्ट्रक्शन्स दिये थे ।

पहली रिपोर्ट 17 अप्रैल को आयेगी, दूसरी 27 अप्रैल को आयेगी और तीसरी रिपोर्ट फिर 8 मई को आयेगी । यह रिपोर्ट इस प्रकार से तीन चरणों में आयेगी । आपको यह जानकार खुशी होगी कि कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिये हमने जो स्टैप्स लिये उसके बारे में हमारे पास 8 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक की रिपोर्ट आ चुकी है। यह जो रिपोर्ट आयी है इसमें काफी सख्त कार्यवाही की गयी है । तो मान्यवर, यह जो प्रथम चरण की रिपोर्ट आयी है तो मैं सदन को बताना चाहती हूं कि अधिकारियों ने अच्छे ढंग से काम किया । जो फिगर हमारे पास आई है मैं उसे सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने हमारी हुकूमत के दौरान ला एण्ड आर्डर से संबंधित 102 माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही की, 257 गैंगस्टर एक्ट में, 1911 अपराधी गुण्डा एक्ट में विभिन्न में 12,610 अपराधी, 809 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गयी, 44 अराधी ए० एस० एस० में गिरफ्तार किये गये । यह पहली रिपोर्ट आयी है । इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने यह भी फैसला लिया कि नैपाल तथा बिहार की ओर से अवांछनीय तत्वों का आगमन होता है । वन माफिया, अपराधियों, आई० एस० आई० एजेन्ट तस्करी आदि गतिविधियों पर रोक के लिये एक अतिरिक्त रेंज तथा जोन का गठन किया है । उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर मिर्जापुर स्पेशल रेंज बनायी गयी है जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही जनपद और बस्ती रेंज में महराजगंज, सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद को लिया गया है । एक वाराणसी रेंज बनाया गया है जिसमें वाराणसी परिक्षेत्र एवं मिर्जापुर रेन्ज को लिया गया है । भारत नेपाल सीमा पर स्पेशल बार्डर रेन्ज बनाया गया है । सिद्धार्थनगर रेन्ज में महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर रेन्ज को लिया गया है । बहराइच रेन्ज में गोण्डा बहराइच जनपद को लिया गया है ।

लखीमपुर रेन्ज में पीलीभीत एवं खीरी जनपद को लिया गया है । चौथे रेन्ज में उधमसिंह नगर में पिथौरागढ़ और उधमसिंह नगर को लिया गया है । तीन रेन्ज हमने बिहार सीमा पर और चार रेन्ज स्पेशल बार्डर रेन्ज बनाये हैं । उनके ऊपर दो जोन बनाये हैं और इनकी समीक्षा के लिये एक अपर पुलिस महानिदेशक को तैनात किया गया है । इस प्रकार कोलीशन गवर्नमेंट ने ला एण्ड आर्डर की स्थिति को बनाने के लिये स्टैप्स लिये हैं । एक और शक-शुबहा को दूर करना चाहती हूं कि मेरी सरकार पर कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि बेकसूर लोग फंसाये जा रहे हैं तथा मारे जा रहे हैं । यह आरोप बे-बुनियाद हैं । इसे साबित करने के लिये जो भी लोग मारे गये हैं उनके रिकार्ड सरकार ने मंगाये हैं । मुझे यह मालूम हुआ है कि एक विशेष पार्टी के लोग गवर्नर साहब से मिले और उन्हें लिखित मोरेन्डम दिया । कुछ नाम भी लिखे कि यह-यह आदमी राजनीतिक द्वेषवश मारे गये हैं । उसका जवाब मेरी सरकार ने कल दे दिया है जो मांगपत्र रखा गया था कि फलां-फलां आदमी मारे गये हैं तो उस मांग पत्र का जवाब गवर्नर साहब को दे दिया है । (व्यवधान) और गृह मंत्री को दिया है । उस लेटर में जो मैंने जवाब दिया है वह काफी डिटेल में गवर्नर साहब को रिपोर्ट दी है । मान्यवर, आपकी अनुमति से उस लेटर की जानकारी हर सदस्य को सदन में दी जा सकती है जिसका जवाब गवर्नर साहब को दिया है उसकी कापी भारत सरकार के गृह मंत्री को भी दी है । हमारी सरकार के ऊपर रोजाना आरोप लगाये जा रहे हैं एक विशेष पार्टी के लोग छांट-छांट कर मारे जा रहे हैं । हमारी सरकार की यह मंशा नहीं है जो लोग मारे जा रहे हैं, जो मारे गये हैं, उनका जो रिकार्ड मिला है उसके अनुसार वह अपराधी किस्म के रिकार्ड के थे उनका आपराधिक इतिहास मिला है । अभी जो लोग मारे जा रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष के कारण मारे जा रहे हैं । हमारी पहले सरकार बनी और अब सरकार बनी है पहले सरकार बनी तो जो गुण्डा एलीमेंट हैं उनके साथ सख्ती से कदम उठाये गये अब भी उठा रहे हैं । पहले भी माफिया किस्म के एलीमेंटों को उत्तर प्रदेश के अन्दर जितने जेल थे उन जेलों में रखा गया । जेलों से बाहर नहीं रखा गया जो भी गुण्डा

एलीमेंट हैं। जुल्म ज्यादती करने वाले एलीमेंट हैं जाति धर्म से ऊपर उठकर, पार्टी पौलिटिक्स में न पड़कर जो भी हमें मुल्जिम मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। एक माह के अन्दर गुण्डा तत्व, खतरनाक तत्व, माफिया तत्व सड़कों पर घूमते हुए नजर नहीं आयेंगे। मुझे दुख है जो लोग मेरी सरकार बनने के बाद मारे गये हैं उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण उनको मारा गया है। लेकिन वह हिस्ट्रीशीटर थे उनका आपराधिक इतिहास रहा है। उनको मारा नहीं गया है बल्कि बदमाश-बदमाश, गुण्डा-गुण्डा व हिस्ट्री शीटर आपस में लड़कर मर रहे हैं। यह आपराधिक किस्म के लोग क्यों मारे जा रहे हैं क्योंकि जब राष्ट्रपति रहा या दूसरी अपराधियों की सरकारें रहीं उनके शासन काल में गुण्डा तत्वों को बढ़ावा दिया गया उनको संरक्षण दिया गया। अब इस सरकार में उन तत्वों को बढ़ावा नहीं दिया गया इसलिये वह आपस में लड़ रहे हैं। आपस में एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। यह राजनीतिक विद्वेष के कारण नहीं है। राज्यपाल महोदय को जो चिट्ठी दी गयी है उसके बारे में मैंने पहले जवाब दे दिया है। यदि आप लोग चाहते हैं तो उस पत्र की कापी हर माननीय सदस्य को दी जा सकती है।

इसी सदन के अन्दर बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ कि यह जो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो बना हुआ है इसको खत्म करने के लिये बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। यह कानून दलित शोषित समाज पर अत्याचार रोकने के लिये बनाया गया था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को खत्म करने की जो मांग कर रहे हैं तो यह ऐक्ट हमारी सरकार ने नहीं बनाया था यह अधिनियम भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। यह ऐक्ट उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के लिये बनाया गया है। इसको खत्म करने की मांग करने वाले लोग दलित शोषित समाज की हमेशा अनदेखी करते रहे हैं। यह सरकार उनको न्याय देने के लिये कृत संकल्प है। मैं मानती हूं कि इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अधिकारियों के बारे में जो बातें कही गयी हैं उस बारे में, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं। अधिकारियों को लेकर लगातार चर्चा होती रही है कि एक विशेष वर्ग के अधिकारियों को बढ़ावा मिल रहा है। इस किस्म की बात इस सदन में भी आयी है। मेरी सरकार किसी वर्ग विशेष के अधिकारियों को बढ़ावा नहीं दे रही है लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि दलित, शोषित समाज के लोग जो सरकारी सेवाओं में हैं उनके साथ लम्बे अर्से से सौतेला व्यवहार होता रहा है। योग्य एवं कर्मठ होने के बावजूद उन्हें महत्वहीन पदों पर रखा गया। जब अक्टूबर, 1995 में सरकार ने त्यागपत्र दिया था उस समय अनुसूचित जाति और जनजाति के 23 जिलाधिकारी थे। राष्ट्रपति शासन में उनकी संख्या घटकर 10 रह गयी। अक्टूबर, 1995 में जब हमारी सरकार गिर गयी थी, उस समय 20 आई० पी० एस० अफसर थे जिन्हें हटाकर प्रेसीडेन्ट रूल में 14 कर दिया था, इससे स्पष्ट है कि जातिवादी हम हैं या वह दल हैं जो राष्ट्रपति शासन को इन्डायरेक्ट चला रहे थे।

हमने तबादले उस समय योग्यता, कर्मठता और ईमानदारी के आधार पर किये थे, जबकि इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर किये। हमारी सरकार के बारे में कहा जाता है कि थोक भाव में तबादले किये हैं और यह भी कहा है कि सुबह तबादले कर दिये शाम को बदल दिये। जितनी सरकारें बनी हैं किसी भी मुख्य मंत्री ने आई० ए० एस० या आई० पी० एस० से पूछकर उन्हें नहीं भेजा है कि हम तुम्हारा तबादला यहां कर रहे हैं। जो भी तबादले हम करते हैं, उनके स्वच्छ रिकार्ड को ध्यान में रखकर करते हैं। तबादले हो जाते हैं, कुछ अधिकारियों की पारिवारिक समस्यायें होती हैं तो तबादले होने के बाद रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि हमको 6 महीने या 2 महीने के लिये रोक दिया जाय तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनके रिक्वेस्ट के आधार पर, मानवता के आधार पर रोक देते हैं तो हमारी सरकार के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं कि शायद दलाली हो रही थी, शायद पैसा लिया जा रहा था। इतना ही नहीं हमारे ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि भारी संख्या में तबादले किये गये हैं। आंकड़ों से स्पष्ट

हो जायेगा कि तबादला किसने ज्यादा किये हैं ? समाजवादी पार्टी ने 1993 से 1995 तक 321 आई० ए० एस०, 493 आई० पी० एस० अफिसरों के, जबकि बहुजन समाज पार्टी की 1995 में सरकार बनी तो 284 आई० ए० एस०, 276 आई० पी० एस० के जबकि प्रेसीडेन्ट रूल में 344 आई० ए० एस०, 380 आई० पी० एस० अफिसरों के तबादले किये गये । अब जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की कोलीशन गवर्नमेंट बनी है तो 21 मार्च से 20 अप्रैल, 1997 तक 207 आई० ए० एस० और 151 आई० पी० एस० आफिसरों के तबादले किये गये हैं । आंकड़े उठाकर देखें तो पता चल जायेगा कि हमने ज्यादा तबादले किये हैं या पूर्व में ज्यादा तबादले हुए हैं । आज तकलीफ क्यों हो रही है । अब तक दूसरे लोग करते आये हैं, सही मायने में तकलीफ यह है कि यह तबादले एक दलित की बेटी, अछूत की बेटी कर रही है, इसलिये गले से नीचे नहीं उतर रही है । मेरी सरकार के ऊपर आरोप लगाये जाते हैं कि हम एक समाज के अधिकारियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं । चीफ सेक्रेटरी, डी० जी० पी०, होम सेक्रेटरी और फाइनेन्स सेक्रेटरी ये 4 महत्वपूर्ण पोस्टें हैं, कोई भी पोलिटिकल आदमी बता दे कि चारों में से किस पर शेड्यूल कास्ट के आदमी को रखा है । सभी पर सवर्ण जाति के लोग हैं । यदि छोटे-मोटे पोस्ट पर शेड्यूल कास्ट के लोग चले जाते हैं तो भी आपके पेट में तकलीफ होती है । जहां तक विकास का सवाल है । विकास के बारे में, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं, यह हमारी सरकार की दूसरी प्राथमिकता है कि हम विकास के कार्य को तरजीह देंगे । पहली प्राथमिकता के बारे में जैसा कि आपको बताया कि जंगलराज को खत्म करके कानून का राज कायम करना, उसी प्रकार डेवलपमेंट के कार्यों को बढ़ावा देना हमारी दूसरी प्राथमिकता है । जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की हर समाज को जरूरत होती है, लेकिन आज जो सबसे ज्यादा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिये हमारी सरकार ने उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्धिष्ट की तरफ ध्यान देने का कार्यक्रम बनाया है।

जहां तक विकास कार्यों का सवाल है कि विकास का कार्य तेजी से चल रहा है अथवा ढीला चल रहा है, मैं बताना चाहती हूं कि जब प्रेसीडेन्ट रूल लगा, उससे पहले भी हमारी सरकार थी और साढ़े चार महीने के शासनकाल में विकास का काम तेजी से आगे बढ़ा, इसकी गवाह उत्तर प्रदेश की जनता है और जब प्रेसीडेन्ट रूल लगा तो जो पूर्व सरकार ने विकास के काम तेजी से शुरू किये थे, उनको रोक दिया गया, इसलिये हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि जो पूर्व सरकार के समय कार्य शुरू किये गये थे, जो पूरे नहीं हो सके हैं, उन रुके हुए कार्यों को सबसे पहले पूरा कराने का काम किया जायेगा । जहां तक उत्तर प्रदेश की जनता के विकास का सवाल है, मैं फिर इस बात को रिपीट करना चाहूंगी, इस बारे में किसी भेदभाव के सभी समाज के लोगों की जरूरतों का सरकार ध्यान देगी, लेकिन विकास के मामले में जो सबसे ज्यादा उपेक्षित और पिछड़ा समाज है, उनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा । इसीलिये हमारी सरकार ने डा० अम्बेडकर ग्राम योजना को प्राथमिकता के आधार पर लिया है। दिनांक 23 अप्रैल व 24 अप्रैल, 1997 को विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठायी थी कि अम्बेडकर ग्राम योजना के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं, माननीय विधायकों की राय उसमें नहीं ली जा रही है । इससे हम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है । मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि यह योजना एक विशेष योजना है और इसके लिये विशेष व्यवस्था की गयी है । हमने यह भी निर्णय लिया है कि इस कार्यक्रम के लिये धन की अलग से व्यवस्था की जाय ताकि सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का नियत प्रक्रिया के अनुसार माननीय विधायकों की राय जान कर विकास कार्य होते रहें । वर्ष 1991 से लेकर 1995-96 तक 6000 गांवों में से 4376 गांव संतृप्त होने बाकी हैं तथा वर्ष 1996-97 के पांच हजार चयनित गांवों में से 4803 गांव संतृप्त होने को बाकी हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 1995-96 तक 4376 गांवों में यह कार्य 10 मई, 1997 तक पूरा हो जाय और वर्ष 1996-97 के

गांवों में यह कार्य 10 अगस्त, 1997 तक पूरा हो जायेगा। जहां तक सम्पर्क मार्गों का सवाल है यह कार्य इस अवधि में पूरा नहीं हो सकेगा उसके लिये निर्णय लिया गया है कि एक हजार गांवों में सम्पर्क मार्ग 10 नवम्बर, 1997 तक पूरा कर लिया जायेगा। हमने यह भी निर्णय लिया है, मान्यवर, मैं इसके बारे में गलतफहमी दूर करना चाहती हूं, माननीय सदस्यगणों द्वारा यह कहा जाता है कि जो माननीय सदस्यों का पैसा इस स्पेशल स्कीम में लगाया जाता है प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान वर्ष 1996-97 में इस प्रकार लागू किया है कि कुल-प्लान परिव्यय की 21 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये ही प्रयोग की जाय। यह भारत सरकार से अप्रूव होकर आ चुकी है, इसका अनुमोदन भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा किया जा चुका है, 1997-98 में प्लान परिव्यय में भी 7 हजार 80 करोड़ का अनुमोदन किया जा चुका है। 21 प्रतिशत धनराशि विशेष कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये अनुमोदित हो चुकी है। इस धनराशि में से डा० अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभान्वित किये जाने की योजना है। अम्बेडकर ग्राम विकास के अन्तर्गत वैसे तो कई योजनाएं हैं लेकिन इस स्कीम के अन्तर्गत 4 योजनाएं ली गयी हैं ये हैं 1–सम्पर्क मार्गों का निर्माण, 2–स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, 3–अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में खड़न्जों व नालियों का निर्माण, 4–प्राइमरी पाठशाला की स्थापना। इसमें व्यय होने वाली 50 प्रतिशत धनराशि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत एवं 50 प्रतिशत सामान्य प्लान के अन्तर्गत व्यय की जायेगी।

इसके साथ-साथ मैं कुछ माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र करती हूं। माननीय सदस्यों की जो शंका है, मैं उससे सहमत हूं। मैं सभी पार्टी के लोगों से बातचीत करती रहती हूं। माननीय विधायकगण भी मुझसे मिलते रहते हैं यह हर पार्टी की शिकायत है बी० एस० पी०, बी०जे०पी० और विपक्ष में बैठे जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, उनकी भी शिकायत है। यह शिकायत क्या थी ? यह मेरी नोटिस में लाई गयी कि अभी तक जो ग्राम चयनित किये गये थे उसमें विधायकों की राय नहीं ली गयी तो उसमें अधिकारियों ने अपने हिसाब से किसी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 50 ग्राम ले लिया और किसी विधान सभा क्षेत्र में एक भी ग्राम नहीं लिया है तो इस तरह की शिकायतें मेरी नोटिस में आई थी। मैं बताना चाहती हूं कि यह जो शिकायतें आई मैंने उसकी छानबीन कराई है।

इस शिकायत से मैं सहमत हूं और मैंने रास्ता निकाला है कि जो ग्राम आलरेडी चयनित कर लिये गये हैं किसी में 10 प्रतिशत कार्य हो गया है, किसी में 50 प्रतिशत हो गया है और किसी में 75 प्रतिशत हो गया है तो जो ग्राम चयनित कर लिये गये हैं और जिसमें 10, 50, 75 प्रतिशत काम हो गया है तो उसमें तो काम हो जाना चाहिए लेकिन आगे के लिये मेरी सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में 425 विधान सभा सीटें हैं तो जो भी हम ग्राम जिस साल के लिये चयनित करेंगे तो 425 विधान सभा सीटों में से प्रत्येक में बराबर-बराबर ग्राम लिये जायेंगे। लेकिन जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें जिस ग्राम में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी हो। तो इसमें माननीय सदस्यों को जो कन्फ्यूजन था इसको दूर करने पर मैंने जोर दिया। शिड्यूल कास्ट के लोग एक ही विधान सभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं वह 425 विधान सभा की सीटों में रहते हैं। इसलिये हमारी सरकार ने यह फैसला लिया कि हर विधान सभा सीट में विकास कार्य बराबर होने चाहिए। डा० अम्बेडकर ग्राम विकास 10–15 विधान सभा में नहीं 425 विधान सभा सीट में यह काम होना चाहिए ताकि किसी भी पार्टी की यह शिकायत न मिले। मान्यवर, परम पूज्य डा० भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के इतिहास में उनके बहुमूल्य योगदान के लिये उन्हें भारत रत्न का सम्मान दिया गया, पार्लियामेन्ट में उनकी भव्य मूर्ति लगायी गयी। उनका जन्म दिन प्रत्येक वर्ष देश विदेश में धूमधाम से मानाया जाता है। उनके सम्मान में पिछली बार हमारी सरकार ने लखनऊ में अम्बेडकर उद्यान बनाने का संकल्प लिया था तथा दलित, शोषित समाज के उत्थान के लिये विभिन्न महानुभावों की स्मृति में परिवर्तन चौक भी बनाया गया।

लेकिन दलित शोषित समाज के कल्याण की दुहाई देने वाले लोग, जब हम शासन से चले गये तो प्रेसीडेन्ट रूल में उस अम्बेडकर उद्यान को किसी होटल को देने की योजना बनायी, पत्थर जो बाबा साहब के नाम से लगा था, वह पत्थर हटा लिया गया वह पूरा प्लान बन गया था यदि 10–15 दिन और गवर्नमेंट में हम न आ पाते तो वह जगह होटल वालों को दे दी जाती । 21 तारीख को ओथ लेने के बाद जब हम अम्बेडकर उद्यान देखने गये तो लेबर लोग जल्दी-जल्दी पत्थर को लगा रहे थे । सामाजिक परिवर्तनों की याद में हमने जो परिवर्तन चौक बनाया तो शोषितों की दुहाई देने वाले लोग उसको साइकिल स्टैण्ड बनाने की योजना चल रहे थे । मान्यवर, इनमें और हमें यही फर्क है । हम जो कहते हैं ईमानदारी से और सख्ती से उसको करवा लेते हैं जो इन लोगों को रास नहीं आता है । हमने निर्णय लिया कि पिछली सरकार के द्वारा प्रारम्भ किये गये सभी विकास कार्य पूरे किये जायें, इस विकास की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जायेगा ।

जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार हमारे समाज का कोढ़ है । जो विकास कार्यक्रमों का लाभ है, जिसके कारण गरीब जनता को नहीं मिल पाता है । यह सरकार भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगी चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो चाहे किसी भी धर्म का हो । इस सदन के माध्यम से विकास कार्यों में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों से यह कहना चाहती हूं कि उनके काम की भी समीक्षा उनकी जाति, धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इस बात पर होगी कि वह अपनी जिम्मेवारी को उन्होंने कितनी ईमानदारी और कितनी कर्मठता से और निष्ठा के साथ पूरा किया है । अच्छा काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को हम प्रोत्साहित भी करेंगे । लेकिन खराब काम करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ।

मान्यवर, किसानों को हर संभव सुविधायें उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है । उनकी समस्याओं का समाधान हमारी प्राथमिकता की सूची में है जब हमने नेतृत्व संभाला तो गन्ने मूल्य का 20 मार्च, 1997 तक 8 करोड़ 32 लाख रुपये की देनदारी बकाया थी केवल एक माह के दौरान ही मान्यवर, 4 करोड़ 35 लाख का भुगतान कराया जा चुका है ।

29 अप्रैल को चीनी मिल मालिकों की बैठक करायी जा रही है, इसका समाधान जल्दी से जल्दी कराया जायेगा। मान्यवर, आलू उत्पादकों की समस्यायें हम से छिपी नहीं हैं । माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि जब से बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है 216 शीतगृह बन्द पड़े थे, केवल 3 सप्ताह में 36 शीतगृह पुनः चलवाये गये । इसमें शासन द्वारा बराबर कार्यवाही हो रही है । 23 जिलों में सरकारी खरीद योजना लागू की जा रही है ताकि किसान सरकारी एजेन्सी को आलू बेच सके और घाटे से बच सके । मान्यवर, किसान रात दिन गेहूं पैदा करते हैं जब उसे वाजिब दाम नहीं मिलते हैं तो उसको पीड़ा होती है तकलीफ होती है खरीद मूल्य में 415 रु० रु० प्रति कुंटल और 60 रु० प्रति कुंटल उसमें बोनस देने की भी व्यवस्था है । हमारी साझा सरकार का मानना है कि यह मूल्य कम है, इसलिये हमने भारत सरकार से फिर मांग की है कि गेहूं का खरीद मूल्य बढ़ाया जाय । इस संबंध में हमारी सरकार ने दुबारा से भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है । मान्यवर, जो शिक्षा से वंचित हैं, विकास से भी वंचित रहते है । इसलिये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े, गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये जो छात्रवृत्ति के माध्यम से सहायता दी जाती थी, उसको दुगुना किया है । इसी तरह से समाज कल्याण योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों की चिकित्सा के लिये एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपये तथा इसी वर्ग की कन्याओं के विवाह हेतु पांच हजार रु० से बढ़ाकर दस हजार रुपये देने का प्राविधान कर दिया गया है । विकलांगों के कल्याण कार्यक्रमों को भी हम हरसंभव बढ़ावा देने के लिये मंडल तथा जिल स्तर पर विभागीय इकाइयां खोलने जा रहे हैं । महिलाओं के कल्याण के लिये महिला आयोग का गठन भी शीघ्र किया जायेगा । विधवा पेंशन को बढ़ाने के लिये जल्द ही हमारी सरकार कोई निर्णय, उनके हित में लेने वाली है । अल्पसंख्यक

भाई-बहन की जानमाल की और मजहब की सुरक्षा को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है । वक्फ सम्पत्तियों पर अनधिकृत कब्जे रोकने तथा वक्फ सम्पत्ति का सही इन्दराज करने के लिये सख्त आदेश दिये गये हैं । वक्फ बोर्डों को मार्च, 1997 के नाम पर 35 लाख रुपये की धनराशि तथा हमारी पिछली सरकार ने 25 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिये हैं ।

उत्तरांचल राज्य गठन के बारे में मैं सदन को यह अवगत कराना चाहती हूं कि उत्तरांचल गठन के बारे में यद्यपि वर्ष 1991 तथा 1994 में भी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित करके केन्द्र सरकार को भेजे गये थे लेकिन मुझे याद है कि यह प्रस्ताव बिना सदन में विचार किये केन्द्र सरकार को भेजे गये यद्यपि पूर्व प्रधान जी ने 15 अगस्त, 1996 को लाल किले से भाषण देते हुए यह स्पष्ट घोषणा की थी "कि उत्तरांचल राज्य का गठन अविलम्ब कर दिया जायेगा लेकिन बाद में यह कहकर गठन का कार्य रोक दिया गया कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा से पुनः प्रस्ताव पारित होने के उपरान्त ही उत्तरांचल राज्य के गठन पर निर्णय लिया जायेगा । मुझे ऐसा आभास होता है कि शायद प्रधान मंत्री जी ऐसा समझते थे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा लेकिन लोकप्रिय सरकार के गठन के साथ ही हमने और हमारी सहभागी दल भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया कि हम इसी सत्र में उत्तरांचल राज्य सरकार गठन संबंधी प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सरकार से पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजेंगे और आज हमने यह प्रस्ताव पहाड़ी क्षेत्र की आम जनता की भावनाओं के अनुसार अपने दायित्व को पूरा कर दिया है और मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में शीघ्र निर्णय लेगी जिससे उत्तरांचल निवासियों की लम्बी समय से उत्तरांचल राज्य गठन संबंधी मांग पूरी हो जायेगी जिसके लिये उन्होंने लम्बे समय तक संघर्ष किया और सार्वजनिक और मानसिक रूप से यातनाएं सहीं ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोई भी सरकार या मुख्य मंत्री यह नहीं चाहता कि उनके प्रदेश का विभाजन हो लेकिन उत्तरांचल की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति एवं उस क्षेत्र के विकास के हित को ध्यान में रखते हुए हमने यह निर्णय लिया है । मुझे आशा है कि उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात् वहां के विकास कार्यों में गति आयेगी और यह प्रस्तावित प्रदेश अपने साधनों का सदुपयोग करके विकास की ओर आगे बढ़ेगा ।

मैं विकास कार्यक्रमों की लम्बी सूची यहां देना नहीं चाहती । लेकिन इस सदन के माध्यम से यह जरूर कहना चाहती हूं कि जो सदियों से उपेक्षित हैं, शोषित-पीड़ित हैं, अत्याचार के शिकार हैं उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाला, उनकी भलाई वाला कोई काम यदि प्रारम्भ हुआ है तो कृपया उसको इसलिये खारिज न करें कि एक दलित महिला वे तमाम काम कर रही है जिसे कई सरकारें नहीं कर सकी थीं । साथ ही, सिक्के के एक ही पहलू को ही न देखें । सामाजिक न्याय के महानायक बाबा साहब की स्मृति को अमर बनाने के लिये हमने अम्बेडकर पार्क बनाने या परिवर्तन चौक बनवाने का काम हाथ में लिया है तो यह भी सच है कि नगरों के सुन्दरीकरण, फुटपाथ, रेलिंग का सुधार तथा ऐतिहासकि पार्कों की सुरक्षा के काम भी हमारे एजेन्डे में हैं ।

विदेशी दासता से मुक्त हुए पचास वर्ष बीत चुके हैं लेकिन समाज के एक बड़े हिस्से को भी अभी उत्पीड़न तथा अन्याय से मुक्ति चाहिए, पिछड़ेपन से मुक्ति चाहिए । हमारी साझा सरकार व्यापक लोकहित को ध्यान में रखते हुए अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, समतामूलक समाज की स्थापना के लिये कार्य करेगी और अपनी कथनी को करनी में बदलकर दिखायेगी । इस किस्म का फैसला डेवलपमेंट कार्यों के लिये हमारी सरकार ने लिया है । मैं माननीय सदस्यों की एक शक सुबहा को दूर करना चाहती हूं । किसान कामगार पार्टी के नेता ने लखनऊ के बारे में जिक्र किया । इसलिये मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करना चाहती हूं कि दिनांक 13-4-97 को लखनऊ में दो शिया मुस्लिम लोगों द्वारा आत्मदाह करने का प्रयास किया गया । इन युवकों की यह मांग थी कि वर्ष 1977 से शिया सम्प्रदाय के अजदारी जुलूस पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया जाये । आत्महत्या के इस प्रयास के पूर्व इन

युवकों द्वारा मुख्य मंत्री को समस्या से अवगत कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही ज्ञापन आदि दिया गया, जिसका संज्ञान लेकर कोई हल निकाला जा सकता ।

दिनांक 13 अप्रैल का ऐसा कोई महत्व नहीं था कि इस दिन इस प्रकार की घटना घटित होती । सामान्य तौर पर अजदारी का जुलूस मुहर्रम के दस दिन पूर्व आरम्भ होता है । इस वर्ष मुहर्रम सम्भवतः 18 मई को पड़ेगा ऐसी दशा में आवश्यकता के लगभग एक माह पहले, इस रूप में अपनी मांग को प्रस्तुत करने का न तो कोई कारण था और न ही कोई औचित्य । आत्मदाह अथवा आत्महत्या इस्लाम में गैर धार्मिक माना जाता है परन्तु इसके बावजूद कुछ तथाकथित धार्मिक नेताओं द्वारा शिया नवयुवकों की भावनाओं को इस प्रकार भड़काया गया कि वे इस गैर-इस्लामिक कार्य को करने के लिये उद्वेरित हुए । दिनांक 14 अप्रैल, 1997 को लखनऊ में अत्यन्त ही विशाल पैमाने पर डाक्टर अम्बेडकर जयंती मनायी जानी थी एवं जिसमें प्रदेश से लाखों लोगों के सम्मिलित होने की संभावना थी। दिनांक 13 अप्रैल को आत्मदाह की घटनाओं से लखनऊ का साम्प्रदायिक माहौल अत्यन्त प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ तथा यह सम्भावना उत्पन्न हो गयी कि अम्बेडकर जयंती के अवसर पर जब लाखों लोग शहर में एकत्रित होने वाले थे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती थी । इस सम्पूर्ण घटना चक्र के पीछे विपक्ष में बैठी हुई कुछ राजनैतिक पार्टियों का सुनियोजित षड़यंत्र प्रतीत होता है । यदि दिनांक 14 अप्रैल को कोई भी घटना घटित होती तो सरकार पर आरोप लगाये जाने का अवसर उत्पन्न हो सकता था ।

लेकिन सरकार ने कठोर कदम उठा कर लखनऊ में साम्प्रदायिक माहौल को बिगड़ने से रोक लिया । 15 अप्रैल, 1997 की रात को कुछ शिया मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल मुझसे मिला । इस भेंट में मैंने यह आश्वासन दिया कि हम पूरे मामले की जांच करायेंगे और सुन्नी समुदाय के लोगों से वार्ता करेंगे और विधि विशेषज्ञों से भी राय लेंगे ताकि कोई सर्वमान्य हल निकल सके । इस पूरी भेट में जहां अन्य धार्मिक नेताओं का व्यवहार सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक रहा, वहीं एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर चल कर एक शिया नेता एवं उनके कुछ युवा सहयोगियों द्वारा शब्दों एवं व्यवहार से वार्ता को विफल बनाने का पूरा प्रयास किया गया । उनका रवैया पूरी तरह से नकारात्मक और उपेक्षापूर्ण रहा । भेंट के बाद दरगाह में एकत्रित शिया अनुयायियों को वार्ता की गलत तस्वीर प्रस्तुत कर बरगलाने का पूरा प्रयास किया गया, जिससे साम्प्रदायिक माहौल प्रभावित हुआ । हालांकि आत्मदाह करने वाले व्यक्तियों की बेहतरीन चिकित्सीय व्यवस्था राज्य सरकार ने की थी, परन्तु दुर्भाग्यवश 15 अप्रैल को दो घायल नवयुवकों की मृत्यु दिल्ली में हो गयी थी । इसके बाद विपक्ष में बैठी कुछ राजनीतिक पार्टी के इशारों पर कार्य करने वाले कुछ शिया नेताओं ने जिला प्रशासन पर मृतकों के शवों को दिल्ली से लखनऊ लाकर दफनाने का लगातार दबाव डाला । यदि इन लोगों की इस मांग को मान लिया जाता तो ठीक रामनवमी वाले दिन ही लखनऊ साम्प्रदायिकता की चपेट में आ सकता था । जब हमारी सरकार द्वारा इस मांग को ठुकरा दिया गया तो इन्होंने और दूसरे दिन से हथकंडे अपना कर मुझ पर यह दबाव डाला कि शिया समुदाय के अजदारी जुलूस को निकालने की अनुमति दे दें तथा दिल्ली से मृतक युवकों के शवों को लखनऊ लाने की इजाजत दे दें । उधर दिल्ली में, जब डाक्टरों की राय और परिजनों की सहमति से मृतकों का शव मुजफ्फरनगर ले जाया जा रहा था तो कुछ राजनीतिक पार्टी के खास लोगों ने इसका विरोध किया । यह आरोप लगाया गया कि जो युवक मारे गये हैं उनके परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध उन्हें मुजफ्फरनगर में ले जा करके दफनाया जा रहा है । लेकिन मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बात नहीं थी ।

उनके परिवार के लोगों ने यह कहा कि हम इन शवों को लखनऊ नहीं ले जाना चाहते हैं बल्कि मुजफ्फरनगर में एक चरदा जगह है जो पवित्र जगह है जैसे हिन्दुओं में हरिद्वार को पवित्र माना जाता है उसी प्रकार उसको वहां पर पवित्र माना जाता है, वहां ले जाने का उन्होंने फैसला किया । तो मान्यवर,

यह हमारी सरकार की लॉ एण्ड आर्डर और विकास के बारे में स्थिति है और मैं समझती हूं कि मैंने पूरे डिटेल में उसे आपके सामने रख दिया है और मैं यह समझती हूं कि चाहे विपक्ष के सदस्य हों या सत्ता पक्ष के सदस्य हों वे पूरी तरह संतुष्ट हो गये होंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मायावती के ऊपर दबाव डालकर अगर कोई काम करवाना चाहता है तो यह मायावती काम करने वाली नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव जी के सिद्धान्त हैं उनसे प्रेरणा लेकर वह काम करेगी और जो बहुजन समाज के हित का कार्य होगा वह यह मायावती करेगी। यह मायावती झुकने वाली नहीं है। अगर विपक्ष के लोग दबाव डलवाकर कोई गलत कार्य करवायेंगे तो हमारी सरकार उन गलत कार्यों को नहीं करेगी। एक बात और बताना चाहती हूं कि लम्बे अर्से से विधायकों की यह मांग रही है कि उनकी सैलरी और एलाउन्सेज बढ़ाये जायें तो हमारी सरकार ने उनके हित में फैसला ले लिया है। अन्त में, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं एक-दो स्पष्टीकरण चाहता हूं। आपने कहा था कि आप बाद में पूछ लेना।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शांत रहें। माननीय अवधेश प्रसाद जी बीच में स्पष्टीकरण मांग रहे थे तो मैंने उनसे यह कहा था कि आप कृपया नोट कर लीजिये। जब माननीया नेता सदन का भाषण समाप्त हो जायेगा उसके बाद आप एक-दो स्पष्टीकरण पूछ लीजियेगा।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं नेता सदन से कानून व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, गोरखपुर का जो विधान सभा के लिये उप चुनाव हुआ था जिनकी हत्या कुछ दिन पहले हो गयी वह किस पार्टी से थे और वह उप चुनाव में किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे ?

नेता सदन से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि श्री तारा सिंह यादव, इटावा, जो लैंड डेवलपमेंट बैंक, इटावा, विधूना के चेयरमैन थे और समाजवादी पार्टी, विधूना के अध्यक्ष थे जिनकी कल हत्या हो गयी उनके हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है कि नहीं ? नेता सदन ने कहा कि हम कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मंगाते हैं और समीक्षा करते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक ए०के० 47 राइफल की कितनी रिकवरी हुयी है ?

मान्यवर, अम्बेडकर गांव जिसके बारे में चर्चा की गयी उसमें कितने और कहां-कहां विकास के कार्य किये हैं ?

(व्यवधान)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, यह स्पष्टीकरण मांग रहे हैं या भाषण आप करवा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मा० नेता सदन बोल रही थीं तो हम लोगों ने शांतिपूर्वक उनको सुना लेकिन मेरे स्पष्टीकरण मांगने पर टोका टाकी और व्यवधान पैदा किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री अवधेश प्रसाद–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा। यह भाषण है, स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि तारा सिंह की हत्या के बारे में कई जगह छापे डाले गये हैं। सरकार अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। अभी एक हत्या का उल्लेख किया है कि आपकी पार्टी के थे।

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टंडन)

मान्यवर, परम्परा यह रही है कि नेता सदन के बाद केवल नेता विरोधी दल अगर कोई शंकायें हों तो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। नेता विरोधी दल हैं नहीं.....

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बीच में स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे, तो मैंने कह दिया था कि बाद में स्पष्टीकरण ले लें।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो इस सदन की परम्परा रही है और इस सदन का हेल्दी कन्वेंशन रहा है, जब नेता सदन अपनी बात कह लेते हैं और अगर किसी बिन्दु पर स्पष्टीकरण माननीय सदस्य चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से माननीय अवधेश प्रसाद जी बोल रहे हैं, वह स्पष्टीकरण मांगना नहीं है, भाषण देना है। इसके साथ ही साथ जिन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है, वह सारे के सारे बिन्दु माननीया नेता सदन के भाषण में आ गये हैं। कोई चीज बची नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि धन्यवाद प्रस्ताव पास करायें। नेता विरोधी दल हैं नहीं, माननीय अवधेश प्रसाद जी से अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास होने दें।

श्री अध्यक्ष–

क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, हमारे सवालों का उत्तर नहीं आया है। नेता सदन से उत्तर दिलवायें।

सुश्री मायावती–

माननीय अध्यक्ष जी, जिनके बारे में सवाल पूछा गया कि वह किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, असलियत तो यह है कि हमारी पार्टी में तो वह आये कम दिन रहे, ज्यादातर समाजवादी पार्टी में ही रहे हैं। जहां तक उनकी हत्या का सवाल है सरकार ने उनको तीन गनर उपलब्ध कराये थे उनको उन्होंने मीराबाई मार्ग गेस्ट हाउस में छोड़ दिया और कहीं चले गये।

नोट – [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

इसकी जरूरत नहीं है ।

सुश्री मायावती–

बिना सरकारी सुरक्षा गार्ड के घूमेंगे और अपराधी मार देंगे तो सरकार का क्या कसूर है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह हैकि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 21 अप्रैल, 1997 को दिया है, कृतज्ञता प्रकट करता है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् में कार्य करने हेतु सदस्यों के नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि– "यह सदन प्रस्ताव करता है कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये 4 सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 23 अप्रैल, 1997 को स्वीकार किये गये हैं, उनके संबंध में यह सदन संबंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, उक्त निकायों में कार्य करने के लिये यथास्थिति दो या चार सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त निकायों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन प्रस्ताव करता है कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये 4 सदस्यों के निर्वाचन कराये जाने के प्रस्ताव जो इस माननीय सदन में दिनांक 23 अप्रैल, 1997 को स्वीकार किये गये हैं, उनके संबंध में यह सदन संबंधित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, उक्त निकायों में कार्य करने के लिये यथास्थिति दो या चार सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिये प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त निकायों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खोले जा रहे पी० एल० ए० पर तत्काल रोक लगाये जाने विषय चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–33 स्थगित की जाती है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25 अप्रैल, 1997 को नियम 51 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई जो इस प्रकार हैं ।

श्री विनोद मणि की महराजगंज जिले के ऐतिहासिक महत्व के स्थलों की खोज हेतु उत्खनन के लिये पुरातत्व विभाग को संदर्भित किये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यानआकर्षित करता हूं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल की गोरखपुर गीडा के गठन हेतु किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने के संबंध में है, इस पर शासन का ध्यानाकर्षित करता हूं ।

श्री हरीशचन्द्र ''हरीश जी'' आदि की प्रदेश के समस्त राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी मेडिकल कालेजों में शिक्षा शुल्क में की गयी भारी बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर भी ध्यानाकर्षित करता हूं ।

श्री बिन्दु लाल का प्रदेश में वन विभाग द्वारा आरा मशीनों को बंद कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री पूर्णमासी पंकज का भदोही जिले में नहरों में समुचित जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही की ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड देवरिया के कार्यों में कथित रूप से की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री अरविन्द गिरि की जनपद लखीमपुर खीरी की कतिपय तहसीलों के अव्यवहारिक सीमा निर्धारण से जन सामान्य को हो रही असुविधाओं के संबंध में है इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर में आंधी, वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुई फसलों की क्षति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

शेष सूचनायें श्री तेजभान सिंह, श्री प्रमोद कुमार, उसी में श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री विनय कुमार पाण्डेय उसी में श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल और श्री वीरेन्द्र सिंह की सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री राम औतार शाक्य, श्री रामतेज यादव, श्री नवाब सिंह नागर, श्री मुन्ना सिंह चौहान की सूचनायें भी स्वीकार नहीं हुई हैं ।

प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत करोड़ों रुपयों की धांधली और गबन के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री बी० आर० वर्मा–

[मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अधीन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अनुमोदित अभियान उपाग्रम के अधीन प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है । सम्पूर्ण साक्षरता अभियान मुख्यतः 15-35 आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए चलाये जा रहे हैं । साक्षरता अभियान के अधीन एक व्यक्ति को साक्षर बनाये जाने की औसत लागत रु० 65 अनुमोदित की गयी है । साक्षरता अभियान का क्रियान्वयन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पंजीकृत जिला साक्षरता समिति द्वारा किया जाता है । जिला साक्षरता समिति के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष संबंधित जनपद के जिलाधिकारी (पदेन) होते हैं और इस समित के सदस्य सचिव जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी होते हैं । साक्षरता अभियान चलाने के लिए संबंधित जिला साक्षरता समिति की ओर से एक कार्य योजना तैयार की जाती है । इस कार्य योजना को राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि कार्य योजना/साक्षरता अभियान की जो लागत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अनुमोदित करेगा उसका 2/3 भाग भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय अंश के रूप में तथा शेष एक तिहाई भाग राज्यांश के रूप में राज्य सरकार वहन करेगी ।

2–जनपद भदोही में साक्षरता अभियान के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा जून, 1996 में रु० 40.00 लाख का प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किया गया है, ताकि सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की प्रारम्भिक कार्यवाही की जा सके । केन्द्रीय अंश की इस धनराशि के समक्ष राज्यांश के रूप में 20.00 लाख की धनराशि दी गई है । प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में वातावरण का सृजन, सर्वेक्षण, प्रशिक्षण एवं पठन-पाठन सामग्री का क्रय किया गया है । जनपद में पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ हो गया है । जनपद में सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित सभी 2,61,542 व्यक्तियों को साक्षरता केन्द्रों पर नामांकित किया गया है । इनमें से 1,75,619 महिलायें हैं । जनपद में साक्षरता अभियान में 10-35 आयुवर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को सामिल किया गया है । नामांकित व्यक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा सभी वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है ।

3–जनपद को साक्षरता अभियान के लिए अंतिम रूप से भारत सरकार से स्वीकृति अभी नहीं मिली है । अंतिम स्वीकृति मिलने पर मदवार बजट निर्धारित होगा । जनपद में व्यय सम्प्रति स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष्य किया गया है और वह सूचित किया गया है कि कुछ फर्मों का भुगतान शेष रह गया है । जनपद में सचिव, जिला साक्षरता समिति का प्रभार शुरू में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री लालमणि मिश्र के पास था परन्तु माह जनवरी, 1997 में यह प्रभार श्री ए० के० सिंह, जिला पंचायत अधिकारी को हस्तान्तरित कराया गया है । जनपद को अभियान के लिए बजट की अंतिम स्वीकृति देने से पूर्व राष्ट्रीय साक्षरता मिशनद्वारा नियुक्त एक दल समीक्षा करेगा और इस समीक्षा दल की आख्या के आधार पर ही जनपद को अनुदान अंतिम रूप से स्वीकृत होगा ।]

प्रदेश में गोवध अधिनियम लागू होने के बावजूद पशुओं की तस्करी होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

(कार्य-सूची की मद सं०–34 पुकारे जाने पर)

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें ।

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको स्थगित कर देते हैं ।

पर्वतीय जनपदों में राजव पुलिस संवर्गीय कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, पर्वतीय पटवारी महासंघ ने ....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

[दिनांक 25-12-1995 को अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय के लिये प्रेषित किया जिसमें कुल 11 मांगें थी । इस संबंध में प्रमुख सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में दिनांक 21-5-1996 को एक बैठक हुयी जिसमें पर्वतीय संवर्ग के पटवारियों के प्रतिनिधियों, आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, जिला अधिकारी, देहरादून एवं नैनीताल, सचिव, राजस्व परिषद् एवं अन्य अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया । उस संदर्भ में अध्यक्ष, पर्वतीय पटवारी महासंघ, कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल ने दिनांक 30-5-1996 से प्रस्तावित कलमबन्द अनिश्चितकालीन हड़ताल एवं पुलिस कार्य का बहिष्कार तत्काल समाप्त किया जाता है, की सूचना औपचारिक रूप से दिनांक 23-5-1996 को प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग को दी ।

2–पर्वतीय पटवारी महासंघ की प्रश्नगत मांगों के संबंध में कृत कार्यवाही की वर्तमान स्थिति संक्षेप में निम्नवत् है :–

मांग संख्या–1 सुपरवाइजर कानूनगो को रु० 1640–2900 का वेतनमान, पटवारी को रु० 1400–2300 का वेतनमान तथा चपरासी को रु० 825–1200 का वेतनमान स्वीकृत किया जाय ।

केवल पटवारियों के वेतनमान में संशोधन का औचित्य पाया गया है और प्रस्ताव हित पत्रावली, वित्त विभाग को संदर्भित की गई है ।

मांग संख्या–2–वर्तमान समय में समस्त राजस्व पुलिस कर्मियों को समान रूप से भत्ता दिया जाय ।

सपुरवाइजर कानूनगो जो पुलिस का कार्य करते हैं उन्हें विशेष प्रतिकर भत्ता अनुमन्य है । सुपरवाइजर कानूनगो जो पुलिस का कार्य नहीं करते हैं, को भी प्रश्नगत विशेष प्रतिकर भत्ता दिये जाने का प्रकरण अभी शासन में विचाराधीन है ।

मांग संख्या–3 संवर्गीय कर्मचारियों के लिए पूर्व में स्वीकृत आवासीय भवनों का शीघ्र निर्माण कराया जाय ।

यह मांग अभी शासन के विचाराधीन है ।

मांग संख्या–4 पुलिस कार्यों के सम्पादन के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराये जायें ।

यह मांग अभी शासन के विचाराधीन है ।

मांग संख्या–5 नियमित पुलिस कर्मियों की भांति राजस्व पुलिस कर्मियों को भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 497 ए का संरक्षण प्रदान किया जाय ।

इस मांग के संबंध में न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त करने हेतु पत्रावली उन्हें संदर्भित की गयी थी । न्याय विभाग की पृच्छा के संदर्भ में पत्रावली गृह विभाग को भेजी गयी है ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मांग संख्या–6 पटवारी पद की शैक्षिक योग्यता स्नातक की जाय ।

पर्वतीय पटवारी पद की शैक्षिक योग्यता अभी हाईस्कूल है । मैदानी क्षेत्र के लेखपालों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट कर दी गयी है । पर्वतीय पटवारी पद की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से बढ़ाकर इण्टरमीडिएट किये जाने के प्रस्ताव पर कार्मिक एवं वित्त विभाग ने सहमति प्रदान कर दी है । इस संबंध में न्याय विभाग का भी परामर्श प्राप्त कर लिया गया है । तद्नुसार औपचारिकतायें पूर्ण करके संबंधित नियमावली में संशोधन किये जाने के शासनादेश निर्गत किया जायेगा ।

मांग संख्या–7 भूलेख निरीक्षक क्षेत्रों का पुनर्गठन कर क्षेत्र छोटे किये जाय ।

इस संबंध में प्रस्ताव आयुक्त, गढ़वाल मण्डल तथा कुमायूं मंडल व राजस्व परिषद् से मांगा गया है जो शासन में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

मांग संख्या–8 पर्वतीय जनपदों के सीधी भर्ती के नायब तहसीलदारों की नियुक्ति पर पूर्व की भांति रोक लगायी जाय तथा वर्तमान समय में कार्यरत सीधी भर्ती के नायब तहसीलदारों को इन जनपदों से वापस किया जाय ।

इस संबंध में शासनादेश दिनांक 4-7-1996 को जारी कर दिया गया है । इस प्रकार यह मांग पूरी हो गयी है ।

मांग संख्या–9 भूलेख निरीक्षकों की 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों को समाप्त किया जाय ।

इस संबंध में राजस्व परिषद् से अभी कोई प्रस्ताव, शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

मांग संख्या–10 संवर्गीय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर शासन ने वर्ष 1990 में सहगल समिति का गठन कर कर्मचारियों के हित में समिति से सिफारिशें मांगी थी । समिति अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर चुकी है किन्तु शासन ने रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है । समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक प्रकाशित की जाय तथा संवर्ग द्वारा मान्य सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाय ।

दिनांक 21-5-1996 की उक्त बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सहगल समिति की संस्तुतियों पर शासन स्तर पर पूर्ण रूप से विचार किया गया और जो संस्तुतियां शासन ने मानी हैं उस पर आदेश जारी हो चुके हैं । अतः सहगल समिति की संस्तुतियों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ।

मांग संख्या–11 पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत संवर्गीय कर्मचारियों को भी शीतकाल में अन्य कर्मचारियों की भांति कोयला देने की व्यवस्था की जाय ।

इस संबंध में शासनादेश दिनांक 1-7-1996 जारी कर दिया गया है । इस प्रकार यह मांग भी पूरी हो गयी है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पटवारियों के चपरासियों को अन्य समकक्ष कर्मचारियों की भांति नियमानुसार ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन वर्दी दिये जाने के संबंध में शासनादेश दिनांक 1-7-1996 भी निर्गत किया गया है ।

3–राजस्व पुलिस संवर्गीय कर्मचारियों द्वारा सम्प्रति पुनः आन्दोलन का फैसला किये जाने तथा दिनांक 15-2-1996 से 17-3-1997 तक की अवधि के लम्बित पुलिस के कार्यों को सम्पादित न किये जाने की सूचना शासन में प्राप्त नहीं हुयी है ।

4–पर्वतीय पटवारी (राजस्व पुलिस संवर्गीय कर्मचारी महासंघ कुमायूं एवं गढ़वाल मंडल की 17-3-1997 की बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया है कि सभी जनपदों के राजस्व पुलिस संवर्गीय कर्मचारी दिनांक 1-4-1997 से पुलिस कार्यों का सम्पादन प्रारम्भ कर देंगे किन्तु बहिष्कार की अवधि का अवशेष कार्य तभी किया जायेगा जबकि प्रत्येक सदस्य को बहिष्कार की अवधि का पुलिस

कार्यों के लिये मानदेय का भुगतान कर दिया जाय । महासंघ का उक्त प्रस्ताव, शासन में दिनांक 24-4-1997 को ही प्राप्त हुआ है ।]

आगरा के विधायकों एवं सांसदों को जिला योजनान्तर्गत कोटेवार धन आवंटित किये जाने विषयक नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी क्या आप इस पर चर्चा चाहते हैं ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, इसको स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

इसको स्थगित करता हूं ।

सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन करने का प्रस्ताव

पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष का सभी सदस्यों को धन्यवाद

श्री अध्यक्ष–

मैं राष्ट्रगान के पहले एक बात कहना चाहता हूं । मैं आज जो कार्यवाही हुई है, उसके लिये इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को, बहुजन समाज पार्टी, के माननीय सदस्यों, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों, समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों, समता पार्टी के माननीय सदस्यों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों, निर्दलीय सदस्यों का अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आज सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग दिया । अब हम खड़े होकर राष्ट्रगान गायेंगे ।

(सभी सदस्यों ने अपने आसन पर खड़े होकर राष्ट्रगान गाया)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे ।

भारत-भाग्य-विधाता ॥

पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा

द्राविड़-उत्कल-बंग ।

विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,

उच्छल-जलधि-तरंग ॥

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे ॥

गाहे तव जय गाथा ॥

जन-गण-मंगलदायक जय हे,

भारत-भाग्य विधाता ॥

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ॥

इसके बाद सदन की बैठक की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गई । इसके बाद सदन 8 बजकर 35 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
दिनांक : 25 अप्रैल, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी–एल० 100 विधान सभा ( )–1997–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा